भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India

वार्षिक रिपोर्ट
2017-18

www.ibbi.gov.in

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India

www.ibbi.gov.in

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

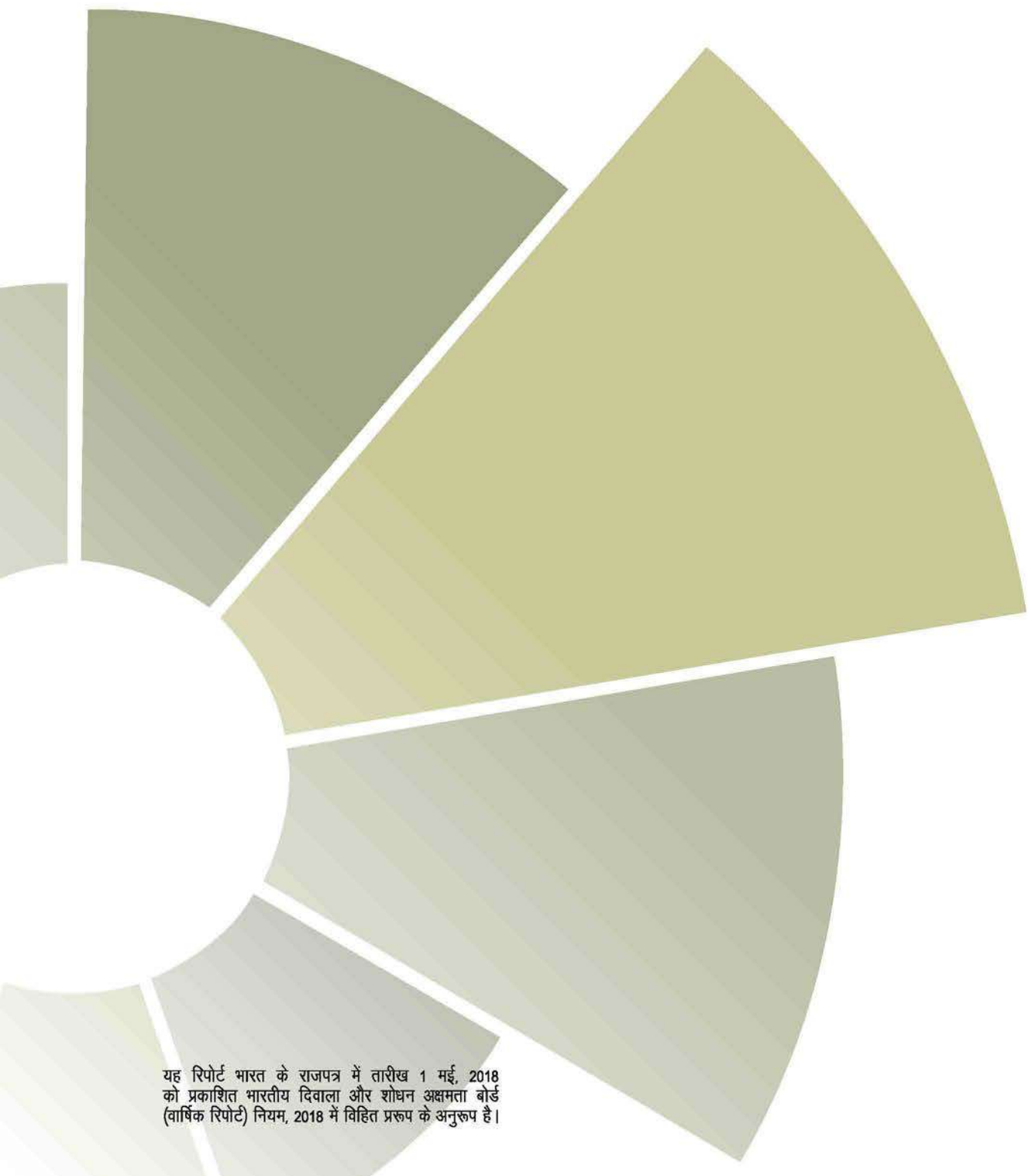

यह रिपोर्ट भारत के राजपत्र में तारीख 1 मई, 2018 को प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2018 में विहित प्ररूप के अनुरूप है।

सत्यमेव जयते

Dr. M. S. Sahoo
Chairperson

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India

7th Floor, Mayur Bhawan, Connaught Place
New Delhi-110001 Tel: +91 11 23462801
E-mail: chairperson@ibbi.gov.in Web.: www.ibbi.gov.in

बोर्ड-18011/2/2019-आई. बी. बी. आई.
दिनांक : 29 नवंबर, 2019

सचिव, भारत सरकार
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
'ए' विंग, शास्त्री भवन
नई दिल्ली -110001.

प्रिय महोदय,

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 229 के प्रावधानों के अनुसरण में, मैं भारत के राजपत्र में 1 मई, 2018 को अधिसूचित दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2018 में निर्धारित प्रारूप में 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेषित कर रहा हूँ।

भवदीय,

एम. एस साहू
(डॉ. एम. एस साहू)

संलग्न : उपरोक्तानुसार

The Secretary to Government of India
Ministry of Corporate Affairs
'A' Wing, Shastri Bhawan
New Delhi- 110 001.

Board -18011/2/2019-IBBI
29th November, 2019

Dear Sir,

In accordance with the provisions of section 229 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, I forward herewith a copy of the Annual Report of the Insolvency and Bankruptcy Board of India for the period 1st April, 2017 to 31st March, 2018, in the form prescribed in the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Annual Report) Rules, 2018 notified on 1st May, 2018 in the Gazette of India.

Yours faithfully,

M. S. Sahoo
(Dr. M. S. Sahoo)

Encl.: As above.

शासी बोर्ड

(31 मार्च, 2018 को यथा–विद्यमान)

अध्यक्ष

डॉ. एम. एस. साहू

पूर्णकालिक सदस्य

सुश्री सुमन सक्सेना

डॉ. नवरंग सैनी

डॉ. (सुश्री) मुकुलिता विजयवर्गीया

पदेन सदस्य

डॉ. शशांक सक्सेना
सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग
वित्त मंत्रालय

श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह
संयुक्त सचिव
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

श्री डी. एस. यादव
संयुक्त सचिव एवं विधिक सलाहकार
विधि कार्य विभाग विधि और न्याय मंत्रालय

श्री उन्नीकृष्णन् ए.
विधिक सलाहकार
भारतीय रिजर्व बैंक

अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी

(31 मार्च, 2018 को यथा–विद्यमान)

(बाएं से दाएं)

बैठ हुए: डॉ. मुकुलिता विजयवर्गीया, पूर्णकालिक सदस्यय सुश्री सुमन सक्सेना, पूर्णकालिक सदस्य, डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष, डॉ. नवरंग सैनी, पूर्णकालिक सदस्य

खड़े हुए (प्रथम पंक्ति): श्री रितेश कावड़िया, कार्यकारी निदेशक, श्री के.आर. सजी कुमार, कार्यकारी निदेशक, सुश्री अनीता कुलश्रेष्ठ, उप–महाप्रबंधक, डॉ. ममता सूरी, कार्यकारी निदेशक, सुश्री रंजीता दूबे, महाप्रबंधक, श्री आई. श्रीकारा राव, उप–महाप्रबंधक, श्री रामेश्वर धारीवाल, मुख्य महाप्रबंधक

खड़े हुए (द्वितीय पंक्ति): श्री विजय कुमार, सहायक महाप्रबंधक, श्री दिलीप खंडाले, उप–महाप्रबंधक, श्री सुनील कुमार, सहायक महाप्रबंधक, श्री देवज्योति रे चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक, श्री उमेश कुमार शर्मा, उप–महाप्रबंधक

कार्यकारी निदेशक

(31 मार्च, 2018 को यथा–विद्यमान)

नाम	प्रभाग
डॉ. ममता सूरी	कारपोरेट दिवाला, कारपोरेट समापन, डाटा प्रबंधन और संग्रहण, वित्त और लेखा। संगठन (आई.यू., आई.पी.ए., आई.पी.ई. आर.वी.ओ.) पंजीकृत मूल्यांककय पंजीकृत मूल्यांककों से संबंधित परिवाद, शिकायत निवारण, निगरानी, जांच और अन्वेषण।
श्री रितेश कावड़िया	मानव संसाधन, स्थापना, परीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य प्रक्रमण, दिवाला वृतिकों, दिवाला वृतिकों से संबंधित परिवाद, शिकायत निवारण, निगरानी, जांच और अन्वेषण, रणनीति और सीमा पार दिवाला।
श्री के. आर. सजी कुमार	व्यष्टिक दिवाला, व्यष्टिक शोधन अक्षमता, सतत व्यावसायिक शिक्षा, ज्ञान प्रबंधन और भागीदारीय राष्ट्रीय दिवाला कार्यक्रम, अनुसंधान और प्रकाशन, विधिक कार्य न्यायनिर्णयन, अभियोजन और न्यायालय कार्यवाहियां, बोर्ड सचिवालय अंतरराष्ट्रीय कार्यकलाप संसूचना संसद् प्रकोष्ठ और सूचना का अधिकार अधिनियम।

विषय सूची

अनुभाग कः अध्यक्ष का कथन..... 1

अनुभाग खः समीक्षाधीन वर्ष..... 5

- व्यापक आर्थिक पृष्ठभूमि
- मुख्य नीति–विषयक गतिविधियां

अनुभाग गः नीतियाँ, कार्यक्रम और क्रियाकलाप..... 15

ग.1 सेवा प्रदाता

- दिवाला वृतिक
- दिवाला वृतिक संस्थाएं
- दिवाला वृतिक एजेंसियां
- सूचना उपयोगिताएं
- शिकायत और परिवाद
- निरीक्षण और जांच
- पंजीकृत मूल्यांकक
- पंजीकृत मूल्यांकक संगठन

ग.2 प्रक्रियाएं

- कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया
- फॉस्ट ट्रैक कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया
- कारपोरेट परिसमापन
- स्वैच्छिक परिसमापन
- संहिता के अधीन प्रथम
- एकल व्यष्टिक दिवाला समाधान और शोधन अक्षमता
- विनियमन जारी करने की प्रक्रिया

ग.3 पक्ष–समर्थन और जागरूकता

- कार्यक्रम
- शैक्षणिक व्यस्तताएँ
- सूचना–पत्र

ग.4 अनुसंधान

अनुभाग घः बोर्ड के कार्य..... 34

- अर्ध–विधिक कार्य
- कार्यकारी कार्य
- अर्ध–न्यायिक कार्य

अनुभाग ङः परिणामों का विश्लेषण..... 47

- कारपोरेट प्रक्रियाएँ
- उभरता विधिशास्त्र

अनुभाग चः संहिता का प्रभाव..... 63

- कारोबार की सुगमता
- बैंकों द्वारा उगाही
- लघु से मध्यम अवधि के प्रभाव
- दीर्घावधि प्रभाव

अनुभाग छः बोर्ड का कार्य–निष्पादन..... 68

अनुभाग जः शासी बोर्ड का कार्य–निष्पादन..... 71

अनुभाग झः बोर्ड का वित्तीय कार्य–निष्पादन..... 79

अनुभाग ञः कानूनी बाध्यताओं का अनुपालन..... 80

अनुभाग टः संगठनात्मक विषय..... 82

- उत्तरदायित्व केन्द्र
- व्यावसायिक सदस्यता
- मानव संसाधन
- परिदान रुपरेखा
- सूचना का अधिकार

बॉक्स मदों की सूची

1. नैतिक खतरों को दूर करना 8
2. सूचना उपयोगिताएं 17
3. मूल्यांकन व्यवसाय का मार्ग दिखाना 20
4. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता – एक संतुलनकारी संहिता 22
5. डूरे द्वारा मार्ग प्रशस्त 52
6. व्यष्टिक दिवाला – अगला बड़ा कार्य 72
7. समूह दिवाला 74
8. वाणिज्य चक्र का स्वचालन 76

सारणियों की सूची

1. वर्ष 2017–18 में विनियमनकारी गतिविधियों का कालक्रम 12
2. सी.आई.आर.पी. और फॉस्ट ट्रैक विनियमनों में संशोधन 23
3. संहिता के अधीन सबसे पहले 26
4. 2017–18 में पक्ष समर्थन कार्यक्रमों में भागीदारी 27
5. 2017–18 में पक्ष–समर्थन कार्यक्रमों का विवरण 28
6. शोध लेखन प्रतियोगिता के विजेता 33
7. 2017–18 में अधिसूचित विनियमन 35
8. विषयवार गोलमेज़ 36
9. सेवा प्रदाताओं संबंधी सलाहकार समिति की संरचना 36
10. कारपोरेट दिवाला समाधान संबंधी सलाहकार समिति का संघटन 37
11. व्यष्टिक दिवाला और शोधन अक्षमता संबंधी सलाहकार समिति का संघटन 37
12. दिवाला वृत्तिकों का पंजीकरण 38
13. दिवाला वृत्तिकों का वितरण 38
14. पात्रता के अनुसार दिवाला वृत्तिकों का वितरण 40
15. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार मान्यता प्राप्त आईपीई 40
16. दिवाला वृत्तिकों के लिए कार्यशालाएं 41
17. 31 मार्च, 2018 तक अंतरिम समाधान वृत्तिकों का समाधान वृत्तिकों में प्रतिस्थापन 41
18. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत दिवाला व्यावसायिक एजेंसिया 42
19. नेशनल ई–गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के पास उपलब्ध सूचना का विवरण 43
20. पंजीकृत मूल्यांकक संगठन 43
21. सीमित दिवाला परीक्षा की स्थिति 44
22. शिकायतों और परिवादों की प्राप्ति और निपटान 45

23. बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र 45
24. कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया 47
25. स्वीकार की गई सीआईआरपी 48
26. सीआईआरपी का प्रारम्भ 49
27. सीआईआरपी का सेक्टरवार वितरण 49
28. सीआईआरपी की स्थिति 50
29. समाधान में समाप्त होने वाले सीआईआरपी 2017–18 51
30. समापन में परिवर्तित होने वाले सीआईआरपी 54
31. समापन में समाप्त होने वाले सीआईआरपी का वितरण 54
32. 12 बड़े खातों की स्थिति 55
33. स्वैच्छिक समापन 56
34. स्वैच्छिक समापन के कारण 56
35. स्वैच्छिक समापन की चरणबद्धता 56
36. स्वैच्छिक समापनों का क्षेत्रवार वितरण 56
37. स्वैच्छिक समापन की देयताओं का वितरण 57
38. स्वैच्छिक समापन के आस्तियों का वितरण 57
39. डीबीआर – दिवाला समाधान में भारत का निष्पादन 63
40. विभिन्न चैनलों के माध्यम से पुनर्प्राप्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की अनर्जक आस्तियां. 64
41. बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति 71
42. आय और व्यय विवरण, 2017–18 79
43. वैधानिक बाध्यताओं के अनुपालन का विवरण 80
44. 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार आईबीबीआई का शासी बोर्ड 82
45. विभिन्न पदों के लिए पात्रता 84
46. आईबीबीआई के कर्मचारी 85
47. 2017–18 में दिए गए प्रतिष्ठित व्याख्यान 87
48. आईबीबीआई के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम 88
49. 2017–18 में आवेदन और अपील की प्राप्ति और निपटान 90

चित्रों की सूची

1. सकल घरेलू उत्पाद ऋण और एन.पी.ए. विकास 5
2. 31 मार्च, 2018 को यथा–विद्यमान दिवाला वृतिकों का भौगोलिक वितरण 39
3. सी.आई.आर.पी. का माहवार स्वीकरण 48

संक्षेपाक्षर

आई.ए.	निरीक्षण प्राधिकारी
आई.ए.सी.	आंतरिक सलाहकार समिति
आई.ए.आई.आर.	अंतरराष्ट्रीय दिवाला विनियामक संगम
आई.बी.ए.	इंडियन बैंक एसोसिएशन
आई.सी.ए.आई.	भारतीय चार्टर्ड अकाउटेंट संस्थान
आई.सी.ए.आई.	भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
आई.सी.एस.आई.	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान
आई.सी.एस.आई. आई.आई.पी.	आई.सी.एस.आई. दिवाला व्यावसायिक संस्थान
आई.जी.आई.डी.आर.	इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान
आई.आई.ए.	भारतीय उद्योग संगम
आई.आई.बी.एफ.	भारतीय बैंककारी और वित्त संस्थान
आई.आई.सी.ए.	भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान
आई.आई.आई.पी. ऑफ आई.सी.ए.आई.	आई.सी.ए.आई. का भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान
आई.आई.एम.	भारतीय प्रबंध संस्थान
आई.एल.सी.	दिवाला विधि समिति
आई.एम.	सूचना ज्ञापन
आई.ओ.एस.सी.ओ.	अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन
आई.ओ.वी.	मूल्यांकक संस्थान
आई.पी.(एस.)	दिवाला वृत्तिक
आई.पी. विनियमन	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016
आई.पी.ए.(एस.)	दिवाला व्यावसायिक एजेंसी(एजेंसियां)
आई.पी.ए. ऑफ आई.सी.एम.ए.आई.	आई.सी.एम.ए.आई. की दिवाला व्यावसायिक एजेसी
आई.पी.ए. विनियमन	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक एजेसी) विनियमन, 2016
आई.पी.ई.(एस.)	दिवाला व्यावसायिक संस्था (संस्थाएं)
आई.आर.इ.ए.आई.	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
आई.आर.पी.	अंतरिम समाधान वृत्तिक
आई.आर.पी. सी.	दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत
आई.एस.एम.ई.	इंडियन स्कूल ऑफ पालिटिकल इकोनमी, पुणे
आई.टी.आर.	आय–कर विवरणी
आई.यू.(एस.)	सूचना उपयोगिता (उपयोगिताएं)
आई.यू. विनियमन	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सूचना उपयोगिता) विनियमन, 2017
आर.ए.	समाधान आवेदक
आर.ए.के.एन.पी.ए.	रफी अहमद किदवई राष्ट्रीय डाक अकादमी
आर.बी.आई.	भारतीय रिजर्व बैंक
आर.बी.एस.सी.	रिजर्व बैंक स्टाफ कालेज
आर.डी.बी.ए.	ऋण उगाही और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993

आर.ई.आर.ए.	भू–संपदा(विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016
आर.एम.डब्ल्यू.	पंजीकरण और मानिटरिंग खंड
आर.पी.	समाधान वृत्तिक
आर.आर.डब्ल्यू.	अनुसंधान और विनियमन खंड
आर.टी.आई. ऐक्ट	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
आर.वी.	पंजीकृत मूल्यांकक
आर.वी.ओ.	पंजीकृत मूल्यांकक संगठन
ई.डी.	कार्यकारी निदेशक
ए.ए.	न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
ए.सी.	सलाहकार समिति
ए.एल.डब्ल्यू.	प्रशासनिक विधि खंड
ए.जी.एम.	सहायक महाप्रबंधक
ए.एम.	सहायक प्रबंधक
एसोचौम	एसोसिएटेड चौम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया
एफ.ए.ए.	प्रथम अपील प्राधिकारी
एफ.सी.	वित्तीय लेनदार
एफ.आई.	वित्तीय संस्था
एफ.आई.डी.सी.	वित्तीय उद्योग विकास परिषद्
एफ.आई.एस.एम.ई.	फैडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज
एफ.ओ.आई.आर.	फोरम ऑफ इंडियन रेग्युलेटर्स
एफ.एस.डी.सी.	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद्
एल.एल.पी.	सीमित दायित्व भागीदारी
एम.ओ.एल. एंड जे.	विधि और न्याय मंत्रालय
एम.ए.टी.	नईनतम अनुकल्पी कर
एम.सी.ए.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय
एम.सी.सी.आई.	मर्चेंट्स चौम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री
एम.ओ.एफ.	वित्त मंत्रालय
एम.ओ.यू.	समझौता ज्ञापन
एम.एस.एम.ई.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एन.बी.एफ.सी.	गैर–बैंककारी वित्तीय कंपनी
एन.सी.एल.ए.टी	राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण
एन.सी.एल.टी.	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण
एन.बी.ए.	एन.सी.एल.टी. एंड ए.टी. विधिज्ञ संगम
एन.ई.एस.एल.	नेशनल ई–गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड
एन.एफ.सी.जी.	नेशनल फाउंडेशन फॉर कारपोरेट गवर्नेंस
एन.आई.बी.एम.	राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान
एन.आई.एफ. एम.	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान
एन.आई.पी.एफ.पी.	राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान

एन.आई.एस.एम.	राष्ट्रीय प्रतिभूति विपणन संस्थान
एन.एल.यू.	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
एन.पी.ए.(एस.)	अनर्जक आस्तिध्आस्तिया
एन.पी.एस.	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
एस.बी.आई.	भारतीय स्टेट बैंक
एस.सी.	उच्चतम न्यायालय
एस.सी.बी.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
एस.सी.एन.	कारण बताओ सूचना
एस.डी.आर.	युक्तिपूर्ण ऋण पुनर्संरचना
एस.जी.सी.सी.आई.	दक्षिणी गुजरात चौम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री
एस.आई.सी.ए.	रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985
एस.आई.पी.आई.	सोसायटी ऑफ इन्साल्वेंसी प्रैक्टिशनर्स आफ इंडिया
एस.एम.ई.सी.आई.	एस.एम.ई. चौम्बर आफ इंडिया
ए.एल.डब्ल्यू	प्रशासनिक विधि खंड
ओ.सी.	प्रक्रियागत लेनदार
ओ.ई.ए.	ओडिशा आर्थिक संगम
जी.बी.	शासी बोर्ड
जी.डी.पी.	सकल देशीय उत्पाद
जी.आई.पी.	स्नातर दिवाला कार्यक्रम
जी.एम.	महाप्रबंधक
जी.एन.एल.यू.	गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, गांधीनगर
जी.एस.टी.	वस्तुएं और सेवा कर
जे.आई.एम.	जयपुरिया प्रबंध संस्थान, जयपुर
टी.डी.एस.	स्रोत पर कर कटौती
टी.ई.आर.आई.	ऊर्जा और संसाधन संस्थान
डी.बी.आर.	वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट
डी.सी.	अनुशासनात्मक समिति
डेलीगेशन आर्डर	भारतीय दिवाला और शॉधन अक्षमता बोर्ड (शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन) आदेश, 2017
डी.जी.एम.	उप–महाप्रबंधक
डी.आर.टी.	ऋण उगाही अधिकरण
डब्ल्यू ई. ओ.	वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक
डब्ल्यू जी.	कार्यकारी समूह
डब्ल्यू टी.एम.	पूर्णकालिक सदस्य
नबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
प्रारूप मूल्यांकक नियम	प्रारूप कंपनी (मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017
पी.एच.डी.सी.आई.आई.	पी.एच.जी. चौम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री
पी.वी.ए.आई.	दि प्रैक्टिसिंग वैल्युअर्स एसोसिएशन

परीक्षा	सीमित दिवाला परीक्षा
फॉस्ट ट्रैक विनियमन	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फॉस्ट ट्रैक दिवाला प्रक्रिया)विनियमन, 2017
फिक्की	फैडरेशन ऑफ इंडियन चौम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री
ब्रिक्स	ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका
बी.एस.ई.	बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज
बी.आई.एफ.आर.	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड
बोर्डध्आई.बी.बी.आई.	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
बोर्ड विनियमन	आई.बी.बी.आई (शासी बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया) विनियमन, 2017
यू.एन.सी.आई.टी.आर.	संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग
शिकायत विनियमन	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निवारण प्रक्रिया) विनियमन, 2017
सलाहकार समिति विनियमन	आई.बी.बी.आई.(सलाहकार समिति) विनियमन, 2017
सरकार	केन्द्रीय सरकार
समापन विनियमन	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016
सरफेसी	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002
सी.एंड ए.जी.	भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक
सी.ए.एफ.आर.ए.एल.	सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग
सी.सी.आई.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सी.डी.	कारपोरेट ऋणी
सी.जी.एम.	मुख्य महाप्रबंधक
सी.आई.सी.	ऋण जानकारी कंपनी
सी.आई.आई.	भारतीय उद्योग संघ
सी.आई.एम.एस.एम.ई.	चौम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज
सी.आई.आर.पी.	कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (प्रक्रियाएं)
सी.आई.आर.पी. विनियमन	आई.बी.बी.आई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016
सी.एम.आई.ई.	सेंटर फार मानिटरिंग इंडियन इकानमी
सी.ओ.सी.	लेनदारों की समिति
संहिता/आई.बी.सी.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016
सी.ओ.पी.	प्रैक्टिस प्रमाणपत्र
सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस.	केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और मानिटरिंग प्रणाली
सी.पी.आई.ओ.	केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
सी.वी.एस.आर.टी.ए.	सेंटर फॉर वेल्युएशन स्टडीज, रिसर्च एंड ट्रेनिंग एसोसिएशन
सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

क अध्यक्ष का कथन

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में, लेनदारों के लिए उगाही करने और असफल होने वाले कारपोरेट ऋणियों का बचाव करने के अतिरिक्त, वित्तीय बाजार और कारपोरेट क्षेत्र का परिमार्जन करने की क्षमता है।

त्वरित कार्यान्वयन

भारत में दिवाला समाधान के लिए ऐसी किसी विधि का अनुभव नहीं था जो सक्रिय, प्रोत्साहन–अनुवर्ती, बाजारोन्मुख और समयबद्ध हो। आधुनिक और मजबूत दिवाला व्यवस्था के कार्यावयन हेतु अपेक्षित संस्थान उपलब्ध नहीं थे। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता) और संहिता के अधीन परिकल्पित सुधार अनेक प्रकार से अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश था और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास था। संहिता का अधिनियमन और उसका कार्यान्वयन इतनी तीव्र गति से हुआ कि संभवतः देश के भीतर या बाहर इसका कोई सानी नहीं है।

वर्ष 2017–18 में, संहिता के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसे भाव और भावना की दृष्टि से कार्यान्वित करने के संबंध में प्राधिकारियों और हितधारकों ने अभूतपूर्व सहयोग और सहभागिता दिखाई दी। सरकार ने सुधारों की दिशा में नेतृत्व किया और दिवाला सुधार में अपनी उच्चतम प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। इसने प्रारंभ में ही उच्च अनर्जक आस्तियों (एन.पी.ए.) वाली बहुत बड़ी कंपनियों को समाधान प्रक्रिया के लिए बाध्य किया। इसने संहिता के अधीन प्रक्रियाओं को सुकर बनाने के लिए बैंककारी विधि, राजस्व विधि, कंपनी विधि आदि में परिवर्तन किए।

संहिता ने अपनी पहली उपलब्धि 2 अगस्त, 2017 को दर्ज की जब न्यायनिर्णयन प्राधिकारी (ए.ए.) ने सिनर्जी डूरे ऑटोमोटिव्स लिमिटेड के कारपोरेट ऋणी (सी.डी.) की कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी.आई.आर.पी.) में पहली समाधान योजना का अनुमोदन कर दिया। इस सी.आई.आर.पी. में, संप्रवर्तकों ने सी.डी. को नियंत्रण में ले लिया जबकि वित्तीय लेनदारों (एफ.सी.) ने लगभग 94 प्रतिशत का हेअरकट (मार्जिन) लिया। इससे यह नैतिक खतरा पैदा हो गया कि लेनदारों को ऋणी के कार्यसंचालन के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (अध्यादेश), 2017 द्वारा कतिपय ऐसे व्यक्तियों को, जो अपने पूर्ववृत्त के कारण संहिता के अधीन की जाने वाली प्रक्रिया की विश्वसनीयता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं, समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने से प्रतिषद्ध करके इस नैतिक खतरे को दूर करने के लिए धारा 29क अंतःस्थापित की गई। इससे यह सुनिश्चित हो गया कि केवल सक्षम और विश्वसनीय व्यक्ति ही संधार्य समाधान के हित में किसी सी.डी. को नियंत्रण में ले सकते हैं। इससे ऋणियों के व्यवहार में तथा दिवाला सुधारों के प्रक्षेपपथ में सदा के लिए परिवर्तन आ गया।

सक्रिय विधि वह होती है जो जीवन के संदर्भ में तैयार की जाती है। यह देखते हुए कि जीवन सदैव विकासशील रहता है, संहिता के क्रियान्वयन से उद्भूत होने वाली कमियों को दूर करने के लिए, उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने की दृष्टि से उद्गामी बाजार की वास्तविकताओं के अनुरूप उसके पाठ में तुरंत सुधार किए गए। जबकि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (अध्यादेश) 2017 द्वारा तात्कालिक चिन्ताओं को दूर कर दिया गया किन्तु सरकार ने ऐसे मुद्दों की पहचान करने, जिनसे कारपोरेट दिवाला समाधान और समापन ढांचे की प्रभावशीलता पर प्रभाव पड़ सकता है, ऐसे मुद्दों से निपटने और संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता में वृद्धि करने के लिए उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए दिवाला विधि समिति (आई.एल.सी.) स्थापित की। इस समिति ने अनेक सिफारिशें करते हुए अपनी पहली रिपोर्ट 26 मार्च, 2018 को प्रस्तुत की और इनमें से अधिकांश सिफारिशों को अगले संशोधन विधेयक में स्थान मिला।

इसके सुधार में ए.ए., अपील प्राधिकारी और न्यायपालिका अग्रणी रहे। उन्होंने अनेक वैचारिक मुद्दों को स्पष्ट करने, विवादास्पद मुद्दों को तय करने और संदेहास्पद विषयों का तत्परतापूर्वक समाधान करने के लिए असंख्य महत्वपूर्ण आदेश किए। इन आदेशों से समाधान प्रक्रिया में विभिन्न हितधारकों की भूमिका और इस बात को स्पष्ट किया कि क्या अनुज्ञेय है और क्या अनुज्ञेय नहीं है और इसके द्वारा प्रक्रिया को भविष्य के लिए कारगर बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब दिवाला व्यवस्था को अत्यधिक निर्णयज विधियों का गौरव प्राप्त है।

इस वर्ष का आरंभ *मैसर्स डी.एफ. ज्यूटॉशे फारफेट ए.जी. और अन्य बनाम मैसर्स उतम गल्वा स्टील लिमिटेड* के मामले में ए.ए. द्वारा किए गए इस सुस्पष्ट प्राख्यान से हुआ कि संहिता राष्ट्र का अधिदेश है। *प्रोवेस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड* बनाम पारकर हन्नीफिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वाले मामले में अपील प्राधिकारी ने यह स्पष्ट किया कि संहिता में कारपोरेट व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान के लिए प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। *इन्नोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आई.सी.आई.सी.आई. बैंक और अन्य* के मामले में उच्चतम न्यायालय(एस.सी.) ने यह स्वीकार किया कि संहिता विधि का एक आदर्श बदलाव है और यह अभिनिर्धारित किया कि संहिता के उपबंध ऐसी प्रत्येक अन्य विधि पर उस सीमा तक अभिभावी होते हैं जिस सीमा तक वे उससे असंगत हैं। *जे.के. जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम मैसर्स सुरेन्द्र ट्रेडिंग कंपनी* वाले मामले में, अपील प्राधिकारी और उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि समय संहिता का सार है और इस बात को स्पष्ट किया कि कौनसी समय–सीमाएं आज्ञापक हैं और कौनसी समय–सीमाएं निदेशात्मक हैं।

हितधारकों और पारिस्थितिकी तंत्र के अवयवों ने स्वयं कार्य करके

संहिता के अधीन आने वाली प्रक्रियाओं को समझा। इससे दिवाला समाधान प्रक्रिया और व्यावसायिक हो गई। दिवाला सुधार के साथ–साथ, दो व्यवसाय, अर्थात् दिवाला व्यवसाय और मूल्यांकन व्यवसाय का आविर्भाव हुआ। संहिता के अधीन दिवाला वृत्तिक (आई.पी.) के कार्यनीतिक कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को परिभाषित किया गया है। वह एक ऐसी धुरी है जो समस्त हितधारकों से समन्वय और सम्प्रेषण करने वाली तथा साम्या और निष्पक्षता के साथ वाणिज्यिक विनिश्चय सुकर बनाने वाली सभी कड़ियों को जोड़ती है। पंजीकृत मूल्यांकक (आर.वी.) किसी आस्ति के मूल्य का आकलन करता है, जो कम से कम उतना ही विश्वसनीय होता है जितना कंपनी अधिनियम, 2013 और संहिता के अधीन विभिन्न संव्यवहारों को सुकर बनाने के लिए बाजार में प्राप्त हो सकता है। आई.बी.बी.आई. इन दो बिल्कुल नए व्यवसायों का संरक्षण कर रहा है।

संहिता का त्वरित क्रियान्वयन कारोबार करने की सुगमता में भी परिलक्षित हुआ। विश्व बैंक समूह की कारोबार करने से संबंधित रिपोर्ट में, जो कि 31 अक्तूबर, 2017 को प्रस्तुत की गई थी, 'दिवाला समाधान' के पैरामीटर में भारत की रैंकिंग में सुधार आया और वह 136 से 103 तक पहुंच गई। ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग रिव्यू (जी.आर.आर.), जो कि लंदन आधारित जर्नल है, में दिवाला का समाधान करने में भारत की प्रगति को स्वीकार किया गया और वर्ष 2018 के लिए यूरोपीय संघ और स्विटजरलैंड जैसे अधिकार–क्षेत्रों के मुकाबले भारत को 'अत्यधिक उन्नत अधिकार–क्षेत्र' का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है।

स्वच्छ भारत

साधारण विधियों या विशेष विधियों, जैसे ऋण उगाही और शोधन क्षमता अधिनियम, 1993 (आर.डी.बी.ए.), वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी) या आर.बी.आई. की अकानूनी स्कीमों के माध्यम से उधारों की उगाही करने के प्रयास अप्रभावी साबित हुए। इसके अतिरिक्त, अनेक लेनदारों की उधारों की उगाही से संबंधित किसी औपचारिक प्रणाली तक पहुंच नहीं थी। इससे अधिकतर बैंकिंग प्रणाली से प्रतिभूति द्वारा समर्थित उधार की उपलब्धता की ओर झुकाव बढ़ा। विभिन्न कारणों से, जिनके अंतर्गत ऋणियों की ओर से बाजार में प्रतिस्पर्धा करने और नवाचार लाने की असमर्थता भी है और किसी प्रभावी दिवाला प्रणाली के अभाव में, बैंकिंग प्रणाली में एन.पी.ए. अस्वीकार्य रूप से उच्च स्तर तक पहुंच गया जिसके कारण आर्थिक विकास के लिए बैंकों की वित्तीय दशा में सुधार लाने हेतु उनका द्रुत समाधान करने के लिए अत्यावश्यक उपाय करना आवश्यक हो गया था।

28 मई, 2016 को संहिता के अधिनियमन द्वारा लेनदारों को आशा की एक किरण मिली। तथापि, आरंभ में बैंकों ने दो कारणों से संहिता का उपयोग करने में अनिच्छुकता दर्शाई। पहला कारण यह है कि चूंकि बैंक साधारणतया प्रतिभूत लेनदार थे इसलिए उनके पास उगाही करने के लिए प्रतिभूति थी और उनके पास उगाही करने तथा संहिता के बाहर समाधान करने के अन्य संसाधन थे। दूसरा यह कि कुछ बैंकों का यह मानना था कि नई दिवाला प्रणाली को प्रथमतः छोटे–छोटे मामलों पर परखना चाहिए जिससे कि कालानुक्रम में उसे बैंकों की बड़ी, जटिल, फंसी हुई आस्तियों से निपटने के लिए तैयार किया जा सके। इसी बीच, बैंकों की फंसी संपत्तियों से निपटने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र आस्ति पुनर्स्थापन अभिकरण सृजित करने का निर्णय लिया गया।

तथापि, प्राधिकारियों ने यह पाया कि वर्ष 2016 के अंत तक कारपोरेट दिवाला समाधान के लिए संपूर्ण विनियामक ढांचा और पारिस्थितिक–तंत्र व्यवस्थित था और ऋणियों और लेनदारों ने समाधान के लिए संहिता का उपयोग करना आरंभ कर दिया था। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) को इस संबंध में प्राधिकृत करने के लिए 4 मई, 2017 को बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 प्रख्यापित किया कि वह बैंकों को व्यतिक्रम की दशा में समय पर समाधान करने के लिए संहिता के अधीन कार्यवाहियां संस्थित करने के लिए निदेश जारी कर सके। आर.बी.आई. ने प्रथमतः बैंकों को 12 ऐसे खातों की बाबत जिनका एन.पी.ए. बहुत अधिक है और वह बैंकिंग प्रणाली के कुल एन.पी.ए. का लगभग 25 प्रतिशत है, संहिता के अधीन दिवाला कार्यवाहियों के लिए आवेदन फाइल करने का निदेश दिया। इससे दिवाला सुधार में और उसकी प्रतिबद्धता में सरकार के विश्वास को अधिक बल मिलने के सथ–साथ उन एफ.सी. को, जो पीछे से प्रतीक्षा कर रहे थे, अपनी फंसी हुई आस्तियों के समाधान के लिए संहिता का उपयोग करने का प्रोत्साहन मिला।

संहिता तथा बैंककारी अध्यादेश ने देनदार–लेनदार के संबंधों को पुनः परिभाषित किया। माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने 19 अगस्त, 2017 को मुम्बई में हुए एक सम्मेलन में यह मत व्यक्त किया "किन्तु एक बात बहुत स्पष्ट है कि वह पुरानी कार्यप्रणाली अब समाप्त हो गई है जिसके द्वारा लेनदार ऋणी का पीछा करते–करते थक जाते थे और उन्हें कुछ भी वसूल नहीं होता था। यदि किसी ऋणी को टिके रहना है तो उसे अपने ऋणों का भुगतान करना होगा या उसे किसी अन्य व्यक्ति के लिए मार्ग छोड़ना होगा। मैं समझता हूं कि यही सही रास्ता है जिसके द्वारा अब कारोबार चलाया जाएगा और मैं समझता हूं कि यह संदेश सभी लोगों को स्पष्ट होना चाहिए।" यह संदेश अब प्रबल और स्पष्ट है। कारपोरेट ऋणी के कार्यसंचालन पर ध्यान दिए बिना संप्रवर्तकों का उनसे चिपके रहना अब श्रेष्ठ नहीं है और जब कभी कारपोरेट ऋणी ऋण चुकाने में असफल हो जाता है तब लेनदार आगे आ जाते हैं।

सरकार ने इस पद्धति में और सुधार लाने के लिए 23 नवम्बर, 2017 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 प्रख्यापित किया जिससे अपात्र व्यक्तियों, जैसे जानबूझकर व्यतिक्रम करने वाले या अपराधियों को समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने से निवारित किया जा सके। इससे संप्रवर्तकों द्वारा संहिता के अधीन किसी समाधान योजना के माध्यम से कारपोरेट ऋणी पर पुनः नियंत्रण प्राप्त करने संबंधी संभावना पर रोक लग गई। कारपोरेट ऋणी के संप्रवर्तक इस विश्वसनीय आशंका के कारण कि कारपोरेट ऋणी का नियंत्रण और प्रबंधन विद्यमान संप्रवर्तकों और प्रबंधकों से छिन जाएगा, व्यतिक्रम करने से निवारित हो गए या व्यतिक्रम का परिनिर्धारण करने के लिए उपयुक्त प्रयास करने के लिए तत्पर हो गए।

संभवतः,12 खातों के समाधान में हुई प्रगति से प्रोत्साहित होकर, आर. बी.आई. ने तारीख 12 फरवरी 2018 को, विद्यमान दिशानिर्देशों को अटकी हुई आस्तियों के समाधान के लिए सौहार्दपूर्ण और सरलीकृत व्यापक ढांचे से प्रतिस्थापित कर दिया। इस ढांचे में वह समयसीमा और परिस्थितियां विनिर्दिष्ट की गईं जब बैंक संहिता के अधीन संयुक्त रूप से या अकेले दिवाला आवेदन फाइल करेंगे। आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों के साथ पठित संहिता द्वारा व्यतिक्रम (व्यतिक्रम) के असमाधान–योग्य अनुपात धारण करने से पूर्व समय पर कार्रवाई न करने के बहाने को छीन लिया गया।

संहिता द्वारा, व्यतिक्रम के विस्तार को निवारित करके और दिवाला प्रक्रिया का शीघ्र समाधान अनुज्ञात करके दोहरे तुलनपत्र की समस्या को काफी हद तक दूर करने की प्रत्याशा की जाती है।

बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 द्वारा वित्तीय बाजार और कारपोरेट क्षेत्र का परिमार्जन करने की प्रत्याशा की जाती है। यह एक प्रकार से स्वच्छ भारत का एक अन्य आयाम है।

परिणाम

इस संहिता के अधीन अनुमोदित पहली समाधान योजना द्वारा एफ.सी. के दावों की केवल छह प्रतिशत प्राप्ति हुई। तथापि, इससे उनके लिए समापन मूल्य से छह गुना प्राप्ति हुई। यदि संहिता नहीं होती तो वह कार्यवाही औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) में 'एन' वर्षों तक और चलती रहती और समापन मूल्य का और अधिक ह्रास हो गया होता। परिणामस्वरूप, एफ.सी. को फिर भी कम प्राप्ति होती। जबकि दावे का छह प्रतिशत आकर्षक प्रतीत नहीं होता है तो भी समापन मूल्य का छह गुना आकर्षक प्रतीत हो सकता है।

संहिता के अधीन अच्छे परिणाम तब निकलते हैं जब सी.आई.आर.पी. यथासंभव शीघ्र आरंभ की जाती है और पूरी कर ली जाती है। यदि वह काफी विलंब से आरंभ की जाती है तो कारपोरेट ऋणी केवल उसके समापन मूल्य का स्वामी होता है जिसमें समय के साथ–साथ और अधिक ह्रास होता है। जैसे ही संहिता प्रवर्तन में आई, दीर्घकाल से लंबित व्यतिक्रमों वाले अनेक कारपोरेट ऋणी, विशेष रूप से ऐसे कारपोरेट ऋणी, जो बी.आई.एफ.आर. प्रक्रिया के अधीन थे या जिनका वर्षों तक कोई कारोबार नहीं था, दिवाला समाधान के लिए आए। ऐसे कारपोरेट ऋणियों के सी.आई.आर.पी. के लिए समाधान योजनाओं के माध्यम से समापन को स्वीकार करना या लेनदारों के लिए कम उगाही स्वीकार करना स्वाभाविक है। ऐसा किसी दिवाला विधि के क्रियान्वयन के आरंभिक दिनों में की जाने वाले प्रत्याशा से संगत है। इसके कुछ वर्षों के पश्चात् कारपोरेट ऋणी आरंभिक रकम के पूर्वतर व्यतिक्रम के समाधान के लिए आगे आएंगे, अर्थात् जब वे युक्तियुक्त रूप से अच्छी स्थिति में होंगे और इसलिए तब उसका परिणाम भी आकर्षक होगा।

समाधान योजनाओं से एफ. सी. के लिए समापन मूल्य का लगभग 168.35 प्रतिशत की प्राप्तियां हुई हैं। वे किसी ऐसी प्रक्रिया के अधीन, जिसमें औसतन लगभग एक वर्ष लगता है और काफी कम खर्चा होता है, समाधान योजनाओं के माध्यम से अपने दावों की औसतन 49.68 प्रतिशत उगाही कर रहे हैं, जो कि पुरानी व्यवस्था से एकदम भिन्न है जिसमें ऐसी प्रक्रिया के माध्यम से, जिसमें लगभग 5 से अधिक वर्ष का समय लगता था और 9 प्रतिशत का खर्चा होता था, लेनदारों के 25 प्रतिशत की ही उगाही हो पाती थी। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यह उगाही संहिता का उद्देश्य नहीं है बल्कि वह असफल होने वाले कारपोरेट ऋणियों के पुनरुत्थान का केवल उपोत्पाद है।

लेनदारों के लिए उगाही करने और कारपोरेट ऋणियों के पुनरुत्थान के अतिरिक्त, संहिता के अधीन प्रोत्साहन और निरुत्साहन की स्कीम से कारपोरेट के प्रत्येक हितधारक में व्यवहार संबंधी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिससे असफलता, व्यतिक्रम और नईन–कार्य निष्पादन की घटनाओं में कमी आई। कोई ऋणी, संहिता के अधीन व्यतिक्रम के परिणामों को देखते हुए अब व्यतिक्रम करने से बचने का प्रत्येक संभव प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यतिक्रमी जितना शीघ्र हो सकता है, व्यतिक्रम (व्यतिक्रम) का संदाय कर रहा है या लेनदारों के संतोषप्रद रूप में उसका परिनिर्धारण कर रहा है जिसके फलस्वरूप संहिता के बाहर लेनदारों के लिए पर्याप्त वसूलियां हो रही हैं। उनमें से अनेक ए.ए. द्वारा आवेदन ग्रहण किए जाने से पूर्व व्यतिक्रमों का परिनिर्धारण कर रहे हैं। इनमें से कुछ व्यतिक्रमियों ने एस.सी. के अनुमोदन से व्यतिक्रम का परिनिर्धारण किया है। अतः, संहिता के प्रभाव का बेहतर मूल्यांकन करने के लिए इन बातों के समग्र परिणाम पर विचार करना महत्वपूर्ण है कि संहिता के अधीन की जाने वाली प्रक्रियाओं के अधीन क्या होता है, संहिता के कारण क्या होता है और संहिता की आड़ में वित्तीय बाजारों और कारपोरेट क्षेत्र में क्या घटता है।

कुछ मामलों में इस प्रक्रिया में कुछ विलंब हुआ है। इस बात का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक (आई.पी., लेनदार, ऋणी, ए.ए., भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आई.बी.बी.आई.), आदि) पहली बार संहिता के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, इसमें अंतर्वलित रकमों को देखते हुए, उच्च मूल्य वाले मामलों में अपीलें और प्रति–अपीलें और मुकदमेबाजी होती है। विवादास्पद मुद्दों को निर्धारित किया जा रहा है, इनमें से कुछ प्रक्रिया को भविष्य के लिए उच्चतम न्यायालय के स्तर तक सरल और कारगर बना रहे हैं।

दिवाला सुधार के सफलपूर्ण क्रियान्वयन से कारपोरेट की आगे बढ़ने की शक्ति, कारपोरेट के कुल ऋण में वित्तीय ऋण के अंश, वित्तीय ऋण में गैर–बैंक ऋण के अंश और कुल ऋण में अप्रतिभूत ऋण के अंश और प्रभावी उद्यमशीलता, क्रेडिट की उपलब्धता, कारपोरेट ऋण बाजार, निधियों की लागत आदि में दीर्घकाल में सुधार होना चाहिए। जैसे ही कुछ और सी.आई.आर.पी. पूरी होती हैं, इन पैरामीटरों के अनुसार, संहिता के प्रभाव का निर्धारण करने के लिए युक्तियुक्त डाटा उपलब्ध होगा।

अग्रसर होना

अगले वर्ष अनेक गतिविधियों की प्रत्याशा है। सीमा–पार दिवाला प्रक्रिया के लिए एक व्यापक बहुविध ढांचा, व्यष्टिक दिवाला समाधान के लिए एक विनियामक ढांचा तैयार करने, मूल्यांकन व्यवसाय के विनियमन और

विकास, स्नातक दिवाला कार्यक्रम(जी.आई.पी.) आदि प्रारंभ करने का कार्य आरंभ हो गया है।

प्राधिकारी उद्भूत होने वाली कठिनाइयों को तत्परतापूर्वक दूर कर रहे हैं। दिवाला व्यवस्था तेजी से परिपक्व हो रही है। प्रक्रिया, परिणाम और समय से संबंधित निश्चितता आ रही है। दिवाला और शोधन अक्षमता प्रैक्टिस में काफी परिवर्तन आया है। कारपोरेट दिवाला समाधान और समापन प्रक्रिया के प्रमुख कर्ता, अर्थात, ए.ए. के सदस्य, लेनदार, कारपोरेट ऋणी, आई.पी. और समाधान आवेदक (आर.ए.), प्रक्रिया को कारपोरेट ऋणी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के तकनीक सीख रहे हैं। दिवाला सुधार को अगले स्तर तक ले जाने के लिए समस्त हितधारक एकमत हैं।

मैं कारपोरेट मंत्रालय (एम.सी.ए.) का, देश में दिवाला सुधार को प्रेरित करने और सभी खंडों को एक साथ जोड़ने, वर्ष 2017–18 में अनेक सी.आई.आर.पी. की पूर्णता को समर्थ बनाने के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं आई.बी.बी.आई. के शासी बोर्ड (जी.बी.) में अपने साथी सदस्यों का न केवल आई.बी.बी.आई. के रचनात्मक काल में उसके कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए बल्कि संहिता का क्रियान्वयन मार्गदर्शित करने के लिए भी धन्यवाद करता हूं। अगले वर्ष, आई.बी.बी.आई., वर्ष 2017–18 तक की गई प्रगति को समेकित करने और पारिस्थितिकी–तंत्र की क्षमता को और मजबूत करने की चेष्टा करेगा। संहिता के उन उपबंधों का, जो कि अभी अधिसूचित किए जाने हैं, कार्यान्वयन सुकर बनाना और कारपोरेट प्रक्रियाओं का मूल्यवर्धित विशेषताओं से संवर्धन करना भी हमारी कार्यसूची में शामिल होगा। मैं निष्ठापूर्वक यह आशा करता हूं कि वर्ष 2018–19 और अधिक संतोषप्रद होगा।

(डॉ. एम. एस. साहू)

ख समीक्षाधीन वर्ष

व्यापक आर्थिक पृष्ठभूमि

भारत 2014 के बाद से दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाली ट्रिलियन (खरब) डॉलर की अर्थव्यवस्था रहा है। 2018 में 2.72 ट्रिलियन डॉलर के मामूली सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के साथ यह अर्थव्यवस्था कुल मिलाकर सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। क्रय शक्ति समानता के आधार पर विश्व में वह तीसरे स्थान पर थी। वर्ष 2017–18 में सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि वर्ष दर वर्ष की वृद्धि में हल्का उतार–चढ़ाव पाया गया है, जिससे अर्थव्यवस्था का लचीलापन उपदर्शित होता है, किन्तु वर्ष 1992 के बाद से किए गए सुधारों के पश्चात् की अवधि में विकास की औसत दर स्वतंत्रता–प्राप्ति के पश्चात् सुधारों से पूर्व की अवधि के दौरान वाली औसत विकास दर के दोगुनी से अधिक रही है।

जबकि सुधारों का साधारणतया अर्थव्यवस्था पर निरंतर स्वास्थ्यकर प्रभाव पड़ता है, किन्तु कुछ सुधारों के कारण अल्पकालिक लागत और व्यवधान हो सकते हैं। जब अर्थव्यवस्था ठीक चल रही हो और अल्पकालिक लागतों और व्यवधानों को, यदि कोई हो, आत्मसात् कर सकती हो तब उसे कठिन सुधारों को आरंभ करने के लिए उपयुक्त समय समझा जाता है। सरकार ने सामान्यतः सुधारों की सफलता से उत्साहित होकर और प्रफुल्लित अर्थव्यवस्था का लाभ लेते हुए, धन का सृजन करने वालों के लिए देश में व्यापार करना आसान बनाने की दृष्टि से और व्यापार करने से संबंधित बाधाओं को दूर करते हुए इन सुधारों को जारी रखा। यह भारत को व्यापार करने के मामले में शीर्ष 50 अर्थव्यवस्थाओं में ले जाने के लिए और एक विकसित अर्थव्यवस्था में उसका संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए गंभीर और कठिन सुधार कर रहा है। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस(कारोबार की सुगमता) (डी.बी.आर.) रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने वर्ष 2018 में अपने रैंक में सुधार किया और उसका रेंक 100 हो गया (अक्टूबर, 2017 में रिपोर्ट जारी की) और वर्ष 2019 में उसका रेंक 77 हो गया (अक्टूबर, 2018 में जारी की गई रिपोर्ट)।

जबकि अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है और इसी प्रकार बैंक ऋण में वृद्धि हुई है, इसलिए एन.पी.ए. की समस्या ने बैंकिंग क्षेत्र को निगल लिया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एस.सी.बी.) का सकल एन.पी.ए. जो कि 31 मार्च, 2014 को 2,51,054 करोड़ रुपए था, मार्च, 2017 में बढ़कर 7,90,268 करोड़ रुपए और उसके बाद मार्च, 2018 तक 9,61,962 करोड़ रुपए हो गया। एस.सी.बी. के सकल उधार अनुपात में सकल एन.पी.ए., जो कि वर्ष 2013–14 में 3.8 प्रतिशत था, वर्ष 2017–18 में बढ़कर 11.2 प्रतिशत हो गया। इन उच्च एन.पी.ए. के कारण बैंक की लाभप्रदता कम हो गई और नए उधार देने में रुकावटें आईं। कारपोरेट जगत में प्रमुख कंपनियां एक से कम के ब्याज कवरेज अनुपात के साथ काम कर रही थीं, जिससे सेवा ऋण बाध्यताओं में असमर्थता विवक्षित होती है। इस प्रकार, जो बात सामने आती है उसे आमतौर पर ट्विन बैलेंस शीट (दोहरा तुलनापत्र) की समस्या के रूप में जाना जाता है जहाँ बैंक

चित्र 1.

सकल घरेलू उत्पाद, ऋण और एन.पी.ए. विकास

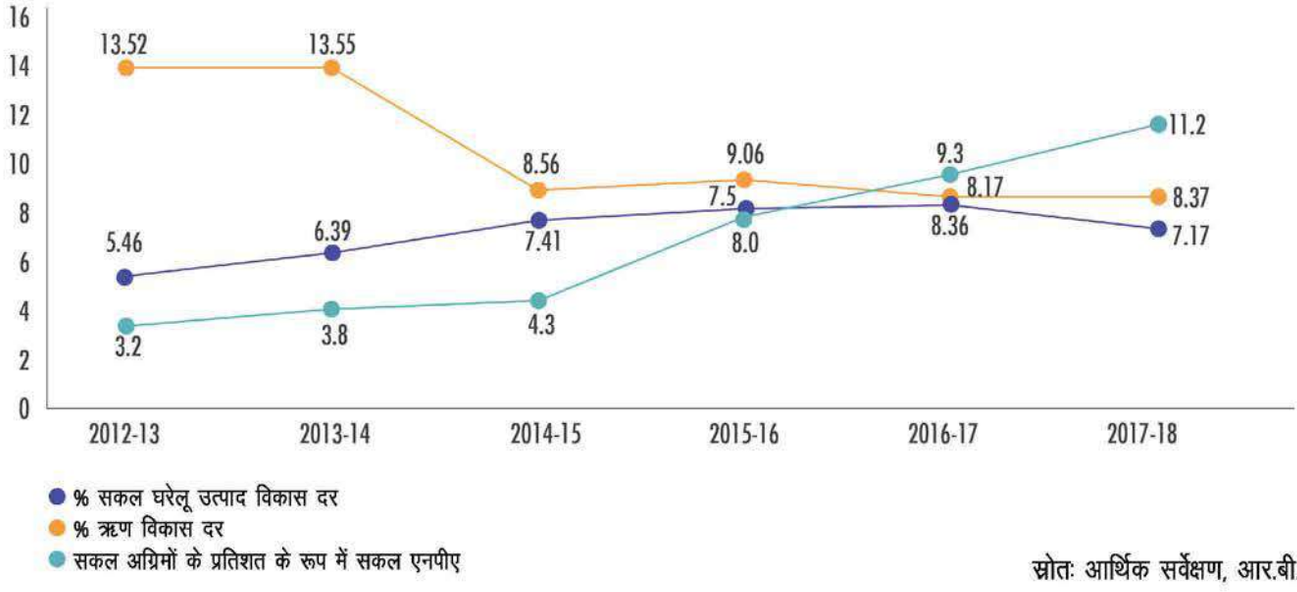

स्रोतः आर्थिक सर्वेक्षण, आर.बी.आई. डाटाबेस

और कारपोरेट जगत दोनों डूबंत ऋणों के दबाव में घिरे हुए थे। चित्र 1 में 2012–13 के बाद से सकल उधार प्रतिशत के रूप में जी.डी.पी. की विकास दर, ऋण और सकल एन.पी.ए. की वृद्धि दर को दर्शाया गया है।

वर्ष 2017–18 में ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम (टी.बी.ए.स) (दोहरा तुलनपत्र संलक्षण) को बढ़ावा देने के लिए सीधे हमले हुए। चूंकि आर.बी.आई. को बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 द्वारा सशक्त किया गया था, इसलिए उसने प्रमुख तनावग्रस्त कंपनियों को जून, 2017 में संहिता के अधीन समाधान के लिए भेजा। फरवरी, 2018 में, उसने तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए एक सामान्य ढांचा प्रस्तुत किया और उन सभी वर्तमान योजनाओं को वापस ले लिया, जो अप्रभावी साबित हुई थीं। जबकि संहिता के अधीन समाधानों से कारपोरेट जगत को अपने तुलनपत्रों का परिमार्जन करने में सहायता मिलेगी, किन्तु अक्टूबर, 2017 में घोषित 2,11,000 करोड़ रुपए के बड़े पुनर्पूंजीकरण पैकेज से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) के तुलनपत्र मजबूत होंगे। इन सुधारों के कारण बैंकों के एन.पी.ए. में कमी के रूप में वांछित परिणाम प्राप्त होने और 2017–18 की चौथी तिमाही में खातों के भी व्यतिक्रम स्थिति से गैर–व्यतिक्रम स्थिति तक पहुंच जाने संबंधी शुरुआती संकेत हैं। इसके अतिरिक्त, संहिता के अधीन पूरी हो गई समाधान प्रक्रियाओं से बैंकों को हुई वसूलियां, उनके लिए उपलब्ध अन्य विकल्पों के मुकाबले काफी अधिक रही हैं। चूंकि दो सुधार वर्ष 2018–19 में प्रभावी होंगे इसलिए कंपनियों को खर्च में वृद्धि करनी चाहिए और बैंकों को उधार देने में वृद्धि करनी चाहिए, पूंजी निर्माण का संवर्धन करने देना चाहिए और विकास दर को उलट देना चाहिए।

संहिता में असफल होने वाली किन्तु व्यवहार्य कंपनियों के बचाव की और असफल होने वाली किन्तु अव्यवहार्य कंपनियों को बन्द करने की परिकल्पना की गई है। इसने वर्ष 2017–18 में कुछ कंपनियों को बचाया है और आने वाले वर्षों में ऐसा करना जारी रखेगी। इससे यह कारोबार, और रोजगार बचाएगी। इससे कारोबार में क्षमता उपयोग मे भी वृद्धि होगी और बचाई जा रही कंपनियों में संसाधन उपयोग की प्रभावशीलता बढ़ेगी।

किसी बाजार अर्थव्यवस्था के लिए दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिए, रचनात्मक विनाश की प्रक्रिया द्वारा असफल किन्तु अव्यवहार्य फर्मों को निरन्तर बाहर कर देना चाहिए। ऐसा अब तक नहीं हो रहा था काफी फर्में असंधार्य कारोबार या बेकार आस्तियों और बिना किसी व्यवसाय में फंस रहीं। संहिता में एक ऐसी प्रक्रिया का उपबंध है जिस द्वारा एक असफल किन्तु अव्यवहार्य कंपनी कम से कम व्यवधान और लागत से बाहर चली जाती है और निष्क्रिय संसाधनों को कुशल उपयोगों के नए आवंटन के लिए एक व्यवस्थित तरीके से जारी करती है। संहिता ने वर्ष 2017–18 में कुछ ऐसी कंपनियों को बंद करने के लिए अनुज्ञात किया है, जहां बचाव संभव नहीं था और वह आने वाले वर्षों में ऐसा करती रहेगी, जिससे प्रतिस्पर्धा के उपयोग के लिए इन कंपनियों में फंसे उद्यमियों और संसाधनों का उन्मोचन और नौकरी के अवसर सृजित होंगे। इससे कंपनियों के बंद होने से उन्मोचित संसाधनों के आवंटन में सुधार होगा। दक्ष और प्रतिपाद्य दिवाला और ऋण समाधान ढांचे वित्तीय समावेश को बेहतर बनाने और उधार तक पहुंच बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं, जिससे उधार प्राप्त करने की लागत में कमी आ सकती है। वित्त तक बढ़ती पहुंच उद्यम विकास को बढ़ाती है, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार, विकास और नौकरी के नए अवसरों का सृजन होता है।

संहिता की हाल के दिनों के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक विधान के रूप में प्रशंसा की गई है, जिसमें आरंभ में कंपनियों के लिए बहुत जरूरी निकास तंत्र में सुधार किया गया है और देश में कारोबार करने की सुगमता के एक महत्वपूर्ण पहलू पर विचार किया गया है। चूंकि यह विधि निवारक प्रकृति की है इसलिए इसे उधारदाताओं और उधारकर्ताओं तथा प्रवर्तकों और लेनदारों के बीच गतिशीलता में सांस्कृतिक बदलाव लाने के रूप में देखा जा रहा है। संहिता ने उस तरीके पर प्रभाव डाला है जिस प्रकार व्यतिक्रमी फर्मों के संप्रवर्तकों और प्रबंध बोर्ड द्वारा ऋणों के प्रतिदाय को देखा और माना जा रहा है। संकट के पहले संकेत प्रबंध बोर्ड व्यतिक्रम से बचने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए अब प्रारंभिक चेतावनी का काम करते हैं। संहिता एक व्यवहार संबंधी विधि के रूप में उभर रही है, जिसका उद्देश्य किसी संकटग्रस्त इकाई के विभिन्न हितधारकों को गैर–विरोधी रीति में विधि के इन अधिकथित उद्देश्यों के लिए एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करना है, अर्थात् *'... कारपोरेट व्यक्तियों, भागीदारी फर्मों और व्यष्टियों का समयबद्ध रीति में ऐसे व्यक्तियों की आस्तियों के अधिकतम मूल्य के लिए पुनर्गठन और दिवाला समाधान, उद्यमशीलता, उधार की उपलब्धता और सभी हितधारकों के हितों के संतुलन का संवर्धन करना...'*।

संकटग्रस्त संपत्ति के लिए बाजार

संहिता ने भारत में संकटग्रस्त आस्ति निवेश परिदृश्य को एक कानूनी ढांचा, सुपरिभाषित प्रक्रियाएं, उत्तरदायित्व और समय सीमाएं दी हैं। भारत में संकटग्रस्त आस्ति निवेश को ऐसे समय में आई व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है जिसमें विदग्ध निवेशकों को मूल्यवान आस्तियों को चुनने संबंधी अवसरों का लाभ उठाने की पेशकश की गई है। ऐसे निवेशक मजबूत और प्रभावशाली विनियामक ढांचे की कमी के कारण अधिकतर इस अवसर से दूर जा रहे थे। संहिता के कार्यान्वयन और एन.पी.ए. के लिए समाधान प्रक्रिया में पारिणामिक प्रगति के साथ–साथ, निवेशकों के बीच ऐसे संकटग्रस्त आस्ति निवेश बाजारों में एक वास्तविक रुचि है, जिसमें उनके निहित सस्ता खरीदने–महंगा बेचने की संभावना अंतर्निहित है। कारोबार ऐसी अच्छी अंतर्निहित आस्तियों का क्रय करने के अवसरों की तलाश में हैं जिनमें युक्तियुक्त मूल्यांकन पर पलटने की संभावना हो।

गैर–वित्तीय फर्मों के सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सी.एम.आई.ई.) के डेटाबेस के अनुसार, वर्ष 2016–17 में तनावग्रस्त आस्तियों वाली 2573 फर्में थीं (किसी फर्म को तब वित्तीय तनाव के रूप में अभिलक्षित किया जाता है यदि उसका ब्याज कवर अनुपात लगातार दो वर्षों से 1.5 से नीचे रहा है)। जैसा कि सी.एम.आई.ई. डेटाबेस में

पाया गया है तनावग्रस्त फर्मों के तुलन पत्र का कुल आकार 30 ट्रिलियन रुपए था। तनावग्रस्त फर्मों की उधार देनदारी 15.6 ट्रिलियन रुपए थी, जिसमें से 9 ट्रिलियन रुपए का उधार बैंकों से था। इन 2,573 तनावग्रस्त फर्मों का ऋण, अर्थव्यवस्था में कुल बैंक ऋण (गैर–खाद्य ऋण) का 11.4 प्रतिशत था। इन तनावग्रस्त फर्मों में निकट भविष्य में विलयन और अधिग्रहण के रूप में कुछ गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं या वे दिवालिया प्रक्रिया की ओर अग्रसर होती देखी जा सकती हैं। अतः, ये फर्में संकटग्रस्त आस्तियों के के लिए एक भावी बाजार प्रस्तुत करती हैं और दिवाला और शोधन अक्षमता के आयाम में और अधिक गतिविधि होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार को देखते हुए, संकटग्रस्त आस्तियों का निरंतर प्रवाह रहेगा और अगले दो दशकों या उससे अधिक के लिए नवाचार और प्रतिस्पर्धा की तीव्रता में वृद्धि, ऋण बाजार के विस्तार और दिवाला सुधारों के बाद ऋण वृद्धि के साथ–साथ इसकी वृद्धि क्षमता 7 प्रतिशत से अधिक होगी।

भारतीय बाजार में संभावित निवेशक, चाहे वे विदेशी हों या देशीय, को लेनदारों के अधिकार में काफी मजबूती को देखते हुए, (क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लेनदारों के अधिकार पर्याप्त रूप से सुदृढ़ हो गए हैं, कारपोरेट बंधपत्रों, और (ख) संहिता के अधीन या संहिता के कारण उपलब्ध प्रतिस्पर्धी कीमतों पर संकटग्रस्त आस्तियों में निवेश करना आकर्षक पा सकते हैं। किसी संकटग्रस्त आस्ति के जीवन चक्र में निवेश करने के कई प्रवेश बिंदु हैं। ये तब हैं जब, (क) कोई कारपोरेट ऋणी आसन्न व्यतिक्रम का सामना कर रहा है और ऐसे व्यतिक्रम से बचने का प्रयास कर रहा है जो ऊसे सी.आई.आर.पी. और उसके सहवर्ती परिणामों में धकेल सकती है; (ख) किसी ऋणी ने किसी प्रक्रियागत लेनदार (ओ.सी.) से उसकी सी.आई.आर.पी. कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व भुगतान की मांग करते हुए एक सूचना प्राप्त हुई है और वह सी. आई.आर.पी. की कार्यवाही आरंभ करने के लिए आवेदन फाइल करने से रोकने की कोशिश कर रहा है; (ग) सी.आई.आर.पी. कार्यवाही आरंभ करने के लिए आवेदन फाइल कर दिया गया है किन्तु उसे अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है और ऋणी आवेदन को स्वीकार किए जाने से रोकने के लिए प्रयास कर रहा है; (घ) समाधान वृत्तिक (आर.पी). कारपोरेट ऋणी का चालू समुत्थान के रूप में प्रचालन कर रहा है और उसे इस प्रयोजनार्थ अंतरिम वित्तपोषण की आवश्यक्ता है; (ङ) आर.पी. ने समाधान योजनाएं आमंत्रित की हैं और निवेशक अकेले या भागीदारी में समाधान योजना प्रस्तुत कर सकता है; (च) ऋणी के समापन का आदेश पारित कर दिया गया है, किन्तु समझौता या ठहराव के लिए एक प्रस्ताव है; (छ) परिसमापक का ऋणी या ऋणी के कारोबार का विक्रय करने का प्रस्ताव करता है और (ज) कोई लेनदार सी.आई.आर.पी. कार्यवाही आरंभ होने से पहले या उसके बाद किसी भी स्तर पर तनावग्रस्त आस्तियों का विक्रय करने का इच्छुक है।

मुख्य नीति–विषयक गतिविधियां

मई, 2016 में संहिता के अधिनियमन के पश्चात, पहले छह मासों में महत्वपूर्ण विनियमनों को लागू कर दिया गया था। समीक्षाधीन वर्ष में संहिता के अधीन विनियामक व्यवस्था के समेकन के साथ–साथ, एम. सी.ए., वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ.), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), आर.बी.आई., भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सी.सी.आई.) जैसे विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा संहिता के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए कार्यवाहिया की गईं। इसके घटक, अर्थात, आई.पी., ए.ए. और एफ.सी. तेजी से सीखने की अवस्था में द्रुत गति से आगे बढ़े। ए.ए. और न्यायालयों ने कई विवादास्पद मुद्दों को सुलझाया। समापन के मुकाबले समाधान को बढ़ावा देते हुए प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के अनेक उपाय किए गए। इनमें से कुछ घटनाक्रमों की रूपरेखा यहां दी गई है।

विधायी परिवर्तन

इस वर्ष के दौरान संहिता के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए अनेक विधायी परिवर्तन किए गए।

बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2017

बेकिंग प्रणाली में तनावग्रस्त आस्तियों के उच्च स्तर का समाधान करने के लिए आवश्यक उपायों की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, 4 मई, 2017 को बैंककारी विनिमन (संशोधम) अध्यादेश 2017 प्राख्यापित किया गया था। इसके द्वारा आर.बी.आई. को किसी ऋणी द्वारा व्यतिक्रम करने पर संहिता के अधीन दिवाला समाधान प्रक्रियाँए आरंभ करने के लिए किसी बैंकिंग कंपनी को निदेश जारी करने के लिए सशक्त किया गया। बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2017 ने, जो कि 25 अगस्त, 2017 को अधिसूचित किया गया था, इस अध्यादेश का स्थान लिया। सरकार ने एक प्रकार से विश्वास को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़े एन. पी.ए. को नवीन दिवाला ढांचे के अधीन समाधान के लिए आगे बढ़ाया। इससे एफ.सी. को भी दिवाला समाधान के लिए संहिता का उपयोग करने का संकेत मिला।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018

सरकार उन चुनौतियों और चिन्ताओं का सक्रिय रूप से निवारण कर रही है जो संहिता के क्रियान्वयन में उद्भूत हो रही हैं। एक प्रमुख चुनौती यह उद्भूत हुई थी कि बेइमान व्यक्ति संहिता के अधीन किसी दिवाला समाधान प्रक्रिया को दूषित करने के लिए संहिता के उपबंधों का दुरुपयोग कर सकते हैं। तदनुसार, इसे रोकने के लिए संहिता में सुरक्षोपाय करने की आवश्यकता उद्भूत हुई। संहिता में तारीख 23 नवम्बर, 2017 को एक अध्यादेश के माध्यम से संशोधन किया गया था, जिसे बाद में तारीख 18 जनवरी, 2018 को अधिसूचित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। इसमें किए गए प्रमुख संशोधन निम्नलिखित रूप में थे :

(क) व्यष्टिक दिवाला उपबंधों का चरणबद्ध प्रारंभ सुकर बनाने के उद्देश्य से व्यक्तियों के अतिरिक्त प्रश्रेणियों, अर्थात, (i) कारपोरेट

ऋणियों के व्यष्टिक प्रत्याभूतिदाताओं (ii) भागीदारी फर्मों और स्वत्वधारी फर्मों और (iii) अन्य व्यष्टियों का प्रावधान करने के लिए धारा 2 में संशोधन किया गया था।

(ख) लेनदारों की समिति (सी.ओ.सी.) को, अप्रधान आवेदकों को बाहर रखने के लिए कारपोरेट ऋणी के कारोबार संक्रियाओं की जटिलता और पैमाने को ध्यान में रखते हुए आर.ए. के लिए मानदंड अधिकथित करने के लिए सशक्त करते हुए धारा 25(2) (ज) में संशोधन किया गया था।

(ग) कतिपय ऐसे व्यक्तियों, जो अपने पूर्ववृत्त के कारण संहिता के अधीन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, को कोई समाधान योजना प्रस्तुत करने से प्रतिषिद्ध करने के लिए धारा 29क अंतःस्थापित की गई थी।(बॉक्स 1)

(घ) सी.ओ.सी. को समाधान योजना का अनुमोदन करते समय उसकी साध्यता और व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए स्पष्ट रूप से बाध्य करने के लिए धारा 30(4) में संशोधन किया गया था।

(ङ) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो धारा 29क के अधीन आर.ए. बनने के लिए अपात्र है, सपत्ति का विक्रय निषिद्ध करने के लिए धारा 35(1)(च) में संशोधन किया गया था।

(च) उन उपबंधों के उल्लंघन के लिए, जिनमें किसी विनिर्दिष्ट शास्ति या दंड का उपबंध नहीं है, दंड का उपबंध करने के लिए धारा 235क अंतरूस्थापित की गई थी। यह दंड जुर्माना है, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो दो करोड़ रुपए तक का हो सकेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि संहिता और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमनों के उपबंधों को प्रभावी रूप से प्रवर्तित किया जा सके।

कंपनी संशोधन अधिनियम, 2017

कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (संशोधन अधिनियम) तारीख 3 जनवरी, 2018 को अधिनियमित किया गया था। संशोधन अधिनियम के वे उपबंध, जिनका संहिता में की जाने वाली प्रक्रियाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव है, निम्न प्रकार हैं:

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 में बट्टे पर शेयर जारी करना प्रतिषिद्ध किया गया है। संशोधन अधिनियम द्वारा किसी कंपनी को तब उसके लेनदारों को बट्टे पर शेयर जारी करने के लिए अनुज्ञात किया गया है जब उसके ऋण को किसी कानूनी समाधान योजना, जैसा संहिता के अधीन समाधान योजना के अनुसरण में या किसी ऋण पुनर्गठन स्कीम के अधीन शेयरों में संपरिवर्तित कर दिया जाता है।

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 में शुद्ध लाभ के 11 प्रतिशत से अधिक प्रबंधकीय पारिश्रमिक का संदाय करने के लिए कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन आवशयक था। संशोधन अधिनियम में यह अपेक्षित है कि जहां किसी कंपनी ने किसी बैंक या लोक वित्तीय संस्था या असंपरिवर्तनीय डिपीठरधारकों या किसी अन्य प्रतिभूत लेनदार के देयों का संदाय करने में व्यतिक्रम किया है वहां कंपनी द्वारा ऐसे प्रबंधकीय पारिश्रमिक का संदाय करने के लिए सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होने से पूर्व, यथास्थिति, संबंधित बैंक या लोक वित्तीय संस्था या असंपरिवर्तनीय डिपीठरधारकों या अन्य प्रतिभूत लेनदार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 में आर.वी. को ऐसी किसी आस्ति का मूल्यांकन करने से प्रतिषिद्ध किया गया है, जिसमें उसका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित है या वह आस्तियों का मूल्यांकन करने के दौरान या उसके पश्चत् किसी भी समय इस प्रकार हितबद्ध हो जाता है। संशोधन अधिनियम द्वारा किसी आर.वी. को किसी ऐसी आस्ति का मूल्यांकन करने से प्रतिषिद्ध किया गया है "जिसमें उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित है या वह मूल्यांकक के रूप में अपनी नियुक्ति से पूर्व तीन वर्षों के दौरान या उसके द्वारा आस्तियों का मूल्यांकन पूरा करने के तीन वर्ष पश्चात् इस प्रकार हितबद्ध हो जाता है।"

बॉक्स 1.

नैतिक खतरों को दूर करना

मूल रूप में यथा–अधिनियमित संहिता में यह परिकल्पित था कि सी.आई.आर.पी. के अधीन आने वाले किसी कारपोरेट ऋणी को बचाने के लिए 'कोई भी' कोई समाधान योजना प्रस्तुत कर सकेगा। इस 'कोई भी' के अंतर्गत कोई भी शामिल था, जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति भी हैं, (क) जिन्होंने मंशा या अक्षमता द्वारा कारपोरेट ऋणी को संकटग्रस्त करने में योगदान किया है, या (ख) जिसके पास कारपोरेट ऋणी को बचाने की कोई सक्षमता और विश्वसनीयता नहीं है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति ऐसे कारपोरेट ऋणी का अधिग्रहण कर लेता है, जो पहले से संकटग्रस्त है तो कारपोरेट ऋणी के मूल्य का और ह्रास होगा जिसके परिणामस्वरूप कारपोरेट ऋणी का अंततोगत्वा समापन हो जाएगा, जिससे बचाना ही संहिता का उद्देश्य है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा ऐसी संभावना को रोकने के लिए धारा 29क अंतरूस्थापित की गई है जिसके द्वारा अवांछित व्यक्तियों को सी. आई.आर.पी. के अधीन आने वाले कारपोरेट ऋणी को अपने अधिकार में लेने से निवारित किया गया। धारा 29क द्वारा किसी व्यक्ति को कोई समाधान योजना प्रस्तुत करने से तब प्रतिषिद्ध किया गया है यदि (i) वह अनुन्मोचित दिवालिया है, (ii) वह जानबूझकर व्यतिक्रमी रहा है (iii) उसका कोई एन.पी.ए. खाता है, (iv) उसे दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, (v) वह निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए निरर्हित रहा है, (vi) सेबी द्वारा प्रतिभूतियों में व्यापार करने या प्रतिभूति बाजार का निर्धारण करने के लिए प्रतिषिद्ध किया गया है, (vii) वह अधिमानी, नईन मूल्यांकित या कपटपूर्ण संव्यवहार में आलिप्त रहा है, (viii) उसने संहिता के अधीन समाधान या समापन के अधीन किसी कारपोरेट ऋणी के किसी ऋण की बाबत किसी लेनदार के पक्ष में कोई प्रवर्तनीय प्रत्याभूति निष्पादित की है, (ix) उसका कोई संसक्त व्यक्ति है जो इन निःशक्ताओं में से किसी एक निःशक्तता से ग्रस्त है, या (x) वह भारत के बाहर किसी अधिकार–क्षेत्र मे किसी विधि के अधीन इनमें से किसी निःशक्तता के अध्यधीन रहा है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यह प्रतिषेध प्रत्येक व्यक्ति को लागू होता है चाहे वह कारपोरेट ऋणी का संप्रवर्तक हो अथवा नहीं, यद्यपि कुछ लोगों का यह विश्वास था कि धारा 29क केवल संप्रवर्तकों को प्रतिषिद्ध करती है।

जैसा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है इसकी धारा 29 ए का उद्देश्य लेनदारों की कीमत पर बेईमान व्यक्तियों को फायदा उठाने से रोकना है। विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए, वित्त मंत्री ने कहा "समाधान के मामले में भी, सभी प्रकार के लेनदार कुछ हेयरकट (मार्जिन) ले सकते हैं और दिवाला की स्थिति लाने वाले व्यक्ति को राशि के कुछ अंश का भुगतान करके पुनः प्रबंधन में वापस आते हैं। क्या हमें इसे जारी रखने की अनुमति देनी चाहिए? सदस्यों द्वारा व्यक्त किया गया यह अपरिहार्य विचार है कि ऐसी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यही वह कमी थी जो मूल विधेयक में थी और 29 (क) को शामिल करके हमने उस कमी को पूरा करने की कोशिश की है। यही उद्देश्य है। यह आदेश कि यह उपबंध समाधान के उन सभी मौजूदा मामलों पर भी लागू होना चाहिए, जो लंबित हैं, यह तात्कालिकता का मामला है। अगर हमने ऐसा नहीं किया होता, तो ऐसे सभी व्यतिक्रमकर्ताओं को खुशी होती, क्योंकि वे इन कंपनियों में इन राशियों का कुछ हिस्सा चुका कर वापस आ जाते। यह कुछ ऐसी बात है जो व्यावसायिक रूप से अविवेकपूर्ण होने के अतिरिक्त नैतिक रूप से भी अस्वीकार्य होगी। इस विशेष विधेयक के पीछे यही वास्तविक तर्क है।" इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि धारा 29क न केवल सीआईआरपी के उन मामलों पर जो इसके लागू होने के बाद शुरू हुए। सीआईआरपी के सभी जारी मामलों पर लागू होनी चाहिए, इसके अतिरिक्त, आरए की पात्रता तब मानी जाती है जब वह आरए को प्रस्तुत करता है, न कि सीआईआरपी के शुरू होने की तारीख को।

ऐसी स्थिति में जब कोई व्यक्ति निर्णय/कार्यवाही करता है, लेकिन उस निर्णय के परिणामों को कोई और सहन करता है, अगर चीजें गलत हो जाती हैं, तो पूर्ववर्ती व्यक्ति के पास सबसे विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होता है। बल्कि उसके पास ऐसे निर्णय या कार्य करने के लिए प्रोत्साहन है जो निर्णय लेने वाले व्यक्ति को प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। किसी कंपनी के संप्रवर्तक/इक्विटी आपूर्तिकर्ता सर्वाधिक विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले सकते हैं यदि उनके निर्णयों के परिणाम लेनदारों को सहन करने पड़े। यदि सीआईआरपी से समाधान योजना सामने आती है जहां लेनदार को परिवर्तन करना पड़ता है, जबकि संप्रवर्तक एक समाधान योजना के माध्यम से सीडी के नियंत्रण और प्रबंधन को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो उनके पास सीडी को विवेकपूर्ण और कुशलता से चलाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होगा। सीडी के नियंत्रण को पुनः प्राप्त करने के बाद, वे वैसे ही व्यवहार करना जारी रख सकते हैं जैसा पहले करते थे या इससे भी बदतर व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि अंततः इसका खामियाजा लेनदार ही भुगतेंगे। यहां तक कि एक गैर–संप्रवर्तक आरए भी कर्मठता नहीं दिखा सकेंगे। यदि सीडी को सांवधिक रूप से सीआईआरपी से गुजर नहीं पड़ता है और लेनदार को हर बार यह सहन करना पड़ता है और आरए को कोई परिणाम नहीं भुगतान पड़ता है। यह नैतिक खतरे की स्थिति है जहां लेनदारों को ऋणी के आचरण के लिए पीड़ित होना पड़ता है। धारा 29क अवांछनीय व्यक्तियों को एक समाधान योजना के माध्यम से सीडी पर नियंत्रण प्राप्त करने/पुनः प्राप्त करने से प्रतिषेध करके इस नैतिक खतरे से निपटने के लिए संबोधित है।

विश्वसनीय खतरा कि सीडी का नियंत्रण और प्रबंधन फर्म के मौजूदा संप्रवर्तकों और प्रबंधकों से दूर चला जाएगा जो संप्रवर्तकों को दक्षता के इष्टतम स्तर से नीचे संचालन करने से रोकते हैं और उन्हें व्यतिक्रम से बचने हेतु सर्वोत्तम प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे सीडी के बीच महत्वपूर्ण व्यावहारिक परिवर्तन आया, जो उन्हें अधिमानतः संहिता के बाहर लेनदार (रों) के साथ व्यतिक्रम के समाधान के लिए प्रोत्साहित करता है। सीआईआरपी के लिए प्रवर्तन के आवेदन फाइल करने से पहले देनदार 'संहिता के आवरण में' निपटारा कर रहे हैं, सीआईआरपी के परिणामों से बचने के लिए स्वीकरण से पहले आवेदन करने के बाद 'संहिता के कारण' पर किया जाता है। यह संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन 'संहिता के अधीन' और समाधान के अतिरिक्त है। इसलिए, संहिता के अधीन क्या होता है, संहिता के आधार पर क्या होता है और संहिता की छाया में क्या होता है, इसके माध्यम से अपने उद्देश्यों का पालन करता है।

वित्त अधिनियम, 2018

आयकर अधिनियम, 1961 में निम्नलिखित दो संशोधन, जो वित्त अधिनियम, 2018 के कारण किये गए थे, वे संहिता के अधीन प्रक्रियाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं :

(क) धारा 79, में अन्य बातों के साथ–साथ, प्रावधान है कि जहां कंपनी के मामले में धारिता में पिछले एक वर्ष में परिवर्तन हुआ हो, ऐसी कंपनी नहीं जिसमें सामान्य जन की पर्याप्त रुचि हो, इसमें पिछले वर्ष से पहले के किसी वर्ष में कोई हानि नहीं हुई है, तो इसे आगे ले जाया जाएगा और पिछले वर्ष की आय के समक्ष रखा जाएगा, जब तक कि पिछले वर्ष के अंतिम दिन को क्षति वाली कंपनी के शेयर उन व्यक्तियों द्वारा धारित हों जिनके पास कम से कम 51 प्रतिशत मतदान शक्ति हो और उन्हें क्षति न हुई हो। वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा कंपनी की इस आवश्यकता में संशोधन किया, गया जहां संहिता के अधीन अनुमोदित समाधान योजना के अनुपालन में पिछले एक साल में हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ हो।

(ख) धारा 115 शासी निकाय में कुछ कंपनियों पर दर्शाए गए लाभ के आधार पर कर लगाने की व्यवस्था है। एक समाधान योजना, कारपोरेट ऋणी बहियो में ऋण को बट्टे खाते में डालने देने व छूट उत्पन्न होने वाले बही लाभ है। इस तरह के बही लाभ नवीनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) को आकर्षित करते हैं और परिणामस्वरूप समाधान की संभावना को हतोत्साहित कर सकते हैं। वित्त अधिनियम, 2018 में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 में संशोधन किया गया है ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि संहिता के अधीन अनुमोदित समाधान योजनाओं के अधीन ऋणों की छूटध्बट्टे खाते में डालने से पैदा हुए बही लाभ में से आगे लाई गई क्षति की राशि (जिसमें आधारित मूल्य हास शामिल है) को घटाया जाना चाहिए।

1 फरवरी, 2018 को बजट भाषण में एक वक्तव्य था "भारतीय रिजर्व बैंक ने बॉन्ड बाजार तक पहुंचने के लिए कॉर्पोरेट्स को निर्देश देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सेबी, बांड बाजार से अपनी वित्तपोषण की जरूरतों का लगभग एक–चौथाई हिस्सा पूरा करने के लिए बड़े कॉरपोरेट्स के साथ शुरुआत करने पर भी विचार करेगा"। यह क्रेडिट बाजार को बढ़ावा देने के लिए संहिता के अधीन लेनदार के बेहतर अधिकारों के अनुरूप है।

कठिनाइयों को दूर करने का आदेश

केंद्र सरकार ने संहिता के अधीन प्रक्रियाओं को सुकर बनाने के लिए 2017–18 के दौरान निम्नलिखित कठिनाइयों को दूर करने के आदेश और स्पष्टीकरण जारी किए :

(क) 24 मई, 2017 को जारी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, में व्यवस्था थी कि किसी भी योजना को रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम,

(एसआईसीए) के अधीन स्वीकृत या कार्यान्वित किसी योजना को संहिता के अधीन अनुमोदित समाधान योजना माना जाएगा।

(ख) 23 अक्तूबर, 2017 को जारी कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) द्वितीय आदेश, 2017 में प्रावधान था कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षित मूल्यांकन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसके पास आवश्यक योग्यता और अनुभव है, वह किसी मान्यता प्राप्त मूल्यांकन संगठन का मूल्याकंक सदस्य हो और वह प्राधिकरण के साथ एक मूल्याकंक के रूप में पंजीकृत हो। इससे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 का प्रारंभ हुआ।

(ग) 25 अक्टूबर, 2017 को जारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया कि कारपोरेट ऋणी के शेयरधारकों को एक ऐसी कार्रवाई के लिए अनुमोदन की आवश्यकता होगी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी अन्य विधि के अधीन एए द्वारा इसके अनुमोदन के बारे में समाधान योजना के संबंध में दिया गया माना जाएगा।

कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017

संहिता का एक प्रमुख उद्देश्य संहिता के अधीन कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजरने वाले कारपोरेट ऋणी की आस्तियों का महत्तम मूल्यांकन कराना है, और परिणामस्वरूप इसके हितधारकों के लिए मूल्य का महत्तम करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण अवयव, तुलना और सूचित निर्णय निर्धारण सुकर करने के लिए सीडी की संपत्ति के मूल्य का पारदर्शी और विश्वसनीय निर्धारण है। संहिता और इसके अधीन बनाए गए विनियमन पंजीकृत मूल्याकंक यह जिम्मेदारी सौंपते हैं और अपेक्षा की जाती है कि एक पंजीकृत वृत्तिक के रूप में कार्य करने वाले दिवाला वृत्तिक को सीडी के मूल्य का निर्धारण करने के लिए दो पंजीकृत मूल्याकंकों की नियुक्ति करनी चाहिए। हालाँकि, संहिता के प्रवृत्त होने के समय इस तरह के कोई मूल्याकंक नहीं थे। कंपनी (पंजीकृत मूल्याकंक और मूल्यांकन) नियम, 2017 (मूल्याकंक नियम) 18 अक्टूबर, 2017 को अधिसूचित किए गए ताकि मूल्याकंकों के व्यावसाय के विकास और नियमन के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान किया जा सके।

इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन मूल्यांकन सेवाओं का प्रतिपादन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मूल्यांकन नियम के नियम 11 के अनुसार, नियमों के अधीन पंजीकरण के प्रमाण पत्र के बिना मूल्यांकन सेवाओं को जारी रखने की अनुमति दी गई थी। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार कारपोरेट कार्य मंत्रालय की तारीख 9 फरवरी, 2018 की अधिसूचना को पूर्वोक्त समय सीमा को स्थगित कर 31 मार्च, 2018 से 30 सितंबर, 2018 कर दिया गया।

दिवाला विधि समिति

केंद्र सरकार ने 16 नवंबर, 2017 के एक आदेश द्वारा, संहिता की कार्यप्रणाली और कार्यान्वयन का जायजा लेने के लिए सचिव, एमसीए की अध्यक्षता में आईएलसी का गठन किया, ताकि उन मुद्दों की पहचान की जा सके जो कारपोरेट दिवाला समाधान और संहिता के अधीन निर्धारित परिसमापन ढांचे की दक्षता को प्रभावित कर सकते हैं, इस तरह के मुद्दों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त सिफारिशें की जा सकें, और संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं की दक्षता को बढ़ाया जा सके। आईएलसी में निम्नांकित शामिल हैं:–

क्र. सं.	नाम और पद	दिवाला विधि समिति में पद
1	सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय	अध्यक्ष
2	अध्यक्ष, आईबीबीआई	सदस्य
3	अपर सचिव (बैंकिंग), वित्तीय सेवा विभाग	सदस्य
4	श्री सुदर्शन सेन, कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक	सदस्य
5	डॉ टी के विश्वनाथन, पूर्व महासचिव, लोकसभा और अध्यक्ष, बीएलआरसी	सदस्य
6	श्री शार्दुल श्रॉफ, कार्यकारी अध्यक्ष, शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी	सदस्य
7	श्री राकेश शाह, अध्यक्ष और सीईओ, एडलवाइस ग्रुप	सदस्य
8	श्री सिद्धार्थ बिड़ला, विगत अध्यक्ष, फिक्की और अध्यक्ष, एक्सप्रो इंडिया लि.	सदस्य
9	श्री बहराम वकिल, पार्टनर, एजेडबी और पार्टनर्स	सदस्य
10	श्री बी श्रीराम, महा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	सदस्य
11	अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया	सदस्य
12	अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया	सदस्य
13	अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया	सदस्य
14	संयुक्त सचिव (नीति / दिवाला), कारपोरेट कार्य मंत्रालय	सदस्य सचिव

समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट 26 मार्च, 2018 को निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशों के साथ प्रस्तुत की:

(क) घर खरीदारों को अचल संपत्ति परियोजनाओं में वित्तपोषण की अनूठी प्रकृति और एससी द्वारा कुछ मामलों में घर खरीदारों के साथ व्यवहार कारण वित्तीय लेनदार के रूप में माना जाना चाहिए। यह उन्हें दिवाला समाधान प्रक्रिया में प्रभावी रूप से भाग लेने में सक्षम बनाएगा।

(ख) केंद्र सरकार को भारतीय अर्थव्यवस्था में उनको सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को महत्व और उनके सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को देखते हुए, संहिता के कुछ उपबंधों के लागू होने से छूट देने का अधिकार होना चाहिए। धारा 29क के अधीन कुछ अपात्रताएँ एमएसएमई के लिए समाधान आवेदकों पर लागू नहीं होनी चाहिए।

(ग) अनभिप्रेत अपवर्जनों से बचने के लिए, धारा 29 क को यह सुनिश्चित करने के लिए कारगर बनाना चाहिए कि केवल उन्हीं को अपात्र घोषित किया जाए जो सीडी में व्यतिक्रम की है अथवा अन्यथा रूप से अवांछनीय हैं। इसके अलावा इस धारा को विशुद्ध रूप से वित्तीय कंपनियों पर लागू नहीं करना चाहिए।

(घ) वित्तीय क्षेत्र नियामकों द्वारा विनियमित वित्तीय कंपनियां यदि दिवलिया के प्रारम्भ की तारीख (आईसीडी) से पूर्व केवल इक्विटी शेयरों में ऋण के परिवर्तन या प्रतिस्थापन या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय लिखतों के कारण संबद्ध पक्ष बन गए हैं तब उन पर सीडी के संबद्ध पक्षों के रूप में विचार नहीं करना चाहिए।

(ङ) सीडी के गारंटीकर्ता की परिसम्पत्तियों के निरूपण की तुलना में सीडी की परिसम्पत्तियों के अधिस्थगन के संबंध में भ्रांति दूर करने के लिए स्पष्टीकरण के द्वारा यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि सीडी के सभी ऐसे गारंटीकर्ताओं की परिसम्पत्तियों को संहिता के अंतर्गत लगाए गए अधिस्थगन से बाहर रखा जाए।

(च) वोटिंग की सीमा को सकंल्प योजना तथा सकंल्प के संवर्धन के लिए अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों के अनुमोदन लिए 75 प्रतिशत से कम करके 66 प्रतिशत किया जान जाना चाहिए। अन्य रूटीन निर्णयों के अनुमोदन के लिए सीमा घटाकर 51 प्रतिशत करना चाहिए।

(छ) सीआईआरपी के चलते कार्यशील फर्म के रूप में सीडी को समर्थ बनाने के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) को (आईआरपी) आरपी के आवेदन पर आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) नियमन, 2016 (सीआईआरपी विनियमन) में किए गए उल्लेख से आगे जाकर अनिवार्य वस्तुओं और सेवाओं के दायरे का विस्तार करने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए।

(ज) विधि सीओसी के अनुमोदन से 90 प्रतिशत वोटिंग शेयर के द्वारा आपवादिक परिस्थितियों में सीआईआरपी पोस्ट एडमिशन के लिए आवेदन को वापस लेने की स्वीकृति दे सकता है।

(झ) एक कारपोरेट आवेदक को सीडी के शेयरधारकों द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव के अनुमोदन या सीडी के कुल साझेदारों की कुल संख्या के कम से कम तीन चौथाई साझेदारों द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, पारित प्रस्ताव के अनुमोदन से ही सीआईआरपी की पहल करनी चाहिए।

(ञ) सफल आरए को प्रस्ताव योजना के सफल कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र, राज्य तथा अन्य प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति लेने के एक वर्ष या संगत विधियों में यथा उल्लिखित समय, इनमें से जो भी बाद का हो, देना चाहिए।

(त) सीडी को कार्यशील बनाए रखने के लिए अंतरिम वित्त के प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए परिसमापन प्रक्रिया लागत में परिसमापन प्रारम्भ होने की तारीख के बाद से एक वर्ष के लिए या अदायगी तक, इनमें से जो भी पहले हो, अंतरिम वित्त पर ब्याज को शामिल किया जाना चाहिए।

(थ) आरपी के नियुक्त होने तक और न कि उसकी नियुक्ति की तारीख से 30 वें दिन तक आईआरपी को बने रहना चाहिए।

(द) आईआरपी/आरपी को सीआईआरपी के दौरान सीडी के कार्यों का प्रबंध करते समय सांविधिक अनुपालन के लिए जिम्मेदार होना चाहिए।

(ध) संहिता के अंतर्गत प्रक्रियाओं पर परिसीमा अधिनियम, 1963 लागू होना चाहिए।

प्राधिकारियों द्वारा सुविधा प्रदान करना

प्राधिकारियों द्वारा दी गई महत्वपूर्ण सुविधाओं में से कुछ की सूची नीचे दी गई है:

आरबीआई द्वारा दी गई सुविधाएं

आरबीआई द्वारा दी गई सुविधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :

12 बड़े एनपीए खाते : आरबीआई द्वारा गठित आंतरिक सलाहकार समिति (आईएसी) ने इस संहिता के अंतर्गत खातों के समाधान के लिए एक प्रयोजनकारी, अविवेकपूर्ण मापदंड बनाया है। विशेष रूप से यह अनुशंसा की गई है कि इस संहिता के अधीन कार्यवाहियों के लिए निधि या गैर निधि आधारित 5000 करोड़ से अधिक की बकाया राशि के सभी खातों में से 60: या अधिक खातों को बैंकों द्वारा 31.03.2016 को डूबे ऋणों के रूप वर्गीकृत करना चाहिए। 12 खाते, जो बैंकिंग प्रणाली के सकल एनपीए के लगभग 25 प्रतिशत हैं, इस संहिता के अंतर्गत तत्काल

संदर्भ के योग्य हैं। आईएसी की अनुशंसाओं के आधार पर आरबीआई ने चिह्नित सीडी पर दिवाला कार्यवाही करने के लिए बैंकों को निदेश जारी किए हैं।

फंसी हुई परिसम्पत्तियों का समाधान : आरबीआई ने 12 फरवरी, 2018 को फंसी हुई परिसम्पत्तियों के समाधान के लिए वर्तमान दिशानिर्देशों के स्थान पर सौहार्द एवं सरलीकृत बुनियादी ढांचे को लाया गया है। इसके परिणामस्वरूप फंसी हुई परिसम्पत्तियों के समाधान लिए संकटग्रस्त परिसम्पत्तियों में जान फूंकने हेतु ढांचा, कारपोरेट ऋण पुनरूसंरचना स्कीम, दीर्घकालीन परियोजना ऋण, रण्नीतिक ऋण पुनः संरचना स्कीम (एसडीआर), एसडीआर के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन तथा फंसी परिसम्पत्तियों हेतु संधारणीय पुनरूसंरचना स्कीम जैसे वर्तमान अनुदेशों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है और तदनुसार फंसी हुई परिसम्पत्तियों के समाधान के लिए संस्थागत तंत्र के रूप में संयुक्त ऋणदाता फोरम को बंद कर दिया है।

नए ढांचे में यह अपेक्षित है कि जैसे ही किसी भी ऋणदाता के साथ ऋणी के खाते में व्यतिक्रम होती है, तब सभी ऋणदाता अकेले या मिलकर अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार फंसी हुई परिसम्पत्तियों के समाधान के लिए व्यतिक्रम से निपटने के लिए कदम उठाएंगे। जिन खातों में ऋणदाताओं की समेकित राशि 1 मार्च, 2018 (संदर्भ तारीख) को या उसके बाद 2000 करोड़ या इससे अधिक है, उनके लिए प्रस्ताव योजना संदर्भ तारीख या व्यतिक्रम की तारीख से, जैसी भी स्थिति हो, 180 दिनों की अवधि में अंदर कार्यान्वित की जाएगी। यदि योजना को समय पर कार्यान्वित नहीं किया जाता है तब ऋणदाता अकेले या मिलकर संहिता के अंतर्गत कथित समय अवधि के समाप्ति के 15 दिन के अंदर दिवालिया आवेदन फाइल करेंगे। 2000 करोड़ रुपए से कम लेकिन 1000 करोड़ रुपए से अधिक के लेनदारों के समेकित खातों के लिए आरबीआई समाधान योजना के कार्यान्वयन के लिए दो वर्ष से अधिक की संदर्भ तारीखों की घोषणा करेगा।

क्रेडिट सूचना कंपनियों तक पहुंच : सूचना यूटिलीटिज (आईयू) दिवाला और शोधन अक्षमता व्यवस्था के प्रमुख स्तंभ हैं। आरबीआई ने आईयू को विनिर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं के रूप में क्रेडिट सूचना कंपनी के पास उपलब्ध सूचना की पहुंच देने के लिए 11 अगस्त, 2017 को क्रेडिट सूचना कंपनी विनियमन, 2006 का संशोधन किया है। इसमें उन सीडी की क्रेडिट संबंधी सूचना तक पहुंच के लिए आरपी को अनुमति दी है जिनकी कार्यवाहियों के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है।

आई यू को वित्तीय सूचना प्रस्तुत करना : संहिता की धारा 215 में यह अपेक्षित है कि वित्तीय कंपनी वित्तीय सूचना के साथ–साथ आस्तियों की सूचना आई यू को दे जिसमें कोई भी प्रतिभूति हित सृजित किया गया है। संहिता के प्रावधानों तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आई यू पहले से ही पंजीकृत की जा चुकी है, आरबीआई ने दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 के परिपत्र द्वारा सभी एससीबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्तीय बैंकों, सभी सहकारी बैंकों, सभी गैर–बैंकिंग कंपनियों(एनबीएफसी) तथा सभी भारतीय वित्तीय संस्थानों को परामर्श दिया है कि वे संहिता तथा आईबीबीआई(सूचना युटीलिटीज) विनियमन, 2017 के संगत प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली और कार्यविधि को लागू करें। 04 जनवरी, 2018 को इसने आस्ति पुनरूसंरचना कंपनियों को ऐसे ही अनुदेश जारी किए हैं।

आरबीआई द्वारा सुविधा

पब्लिक ऑफर से छूट : सेबी ने संहिता के अंतर्गत अनुमोदित प्रस्ताव योजनाओं के अनुसरण में अधिग्रहण हेतु ओपन ऑफर से छूट प्रदान करने के लिए 14 अगस्त, 2017 को सेबी (शेयरों और अधीनीकरणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियमन, 2011 का संशोधन किया है।

अधिमानी कीमत निर्धारण मानकों से छूट : सेबी ने इस संहिता के अंतर्गत अनुमोदित प्रस्ताव योजनाओं के अनुसार किए गए इक्विटी शेयरों के अधिमानी इश्यु को कीमत निर्धारण, प्रकटन आदि जैसे अधिमानी इश्यु मानको से छूट देने के लिए सेबी (पूंजी को जारी करना और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2009 का संशोधन 14 अगस्त, 2017 को किया है।

आई यू को वित्तीय सूचना प्रस्तुत करना : सेबी ने यह परामर्श दिया है कि ऋणपत्र न्यासी आईयू के साथ करार करके 27 नवम्बर, 2017 को वित्तीय सूचना प्रदान करें।

सारणी 1 में अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 की अवधि में कालक्रमानुसार विनियामक ढांचे में महत्वपूर्ण सुधारों का उल्लेख किया गया है।

सारणी 1:

वर्ष 2017–18 में विनियमनकारी गतिविधियों का कालक्रम

दिनांक	सुधार
01.04.2017	स्वैच्छिक परिसमापन, आईयू और विदेशों के साथ करार करने संबंधी उपबंध लागू हुए।
01.04.2017	स्वैच्छिक परिसमापन या शोधन अक्षमता से संबंधित संहिता की धारा 2 के खंड (क) से (घ) तक के प्रावधान लागू हुए (दिनांक 16 मई, 2017 की अधिसूचना)।

03.05.2017	आईबीबीआई ने भारतीय दीवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सूचना उपयोगिताएं) विनियमन, 2017 के अनुसार आई यू पर तकनीकी समिति का गठन किया।
04.05.2017	व्यतिक्रम के लिए सीआईआरपी शुरू करने के लिए किसी भी बैंकिंग कंपनी/कंपनियों को निदेश जारी करने के लिए आरबीआई को सशक्त बनाने हेतु बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 प्रख्यापित किया गया।
24.05.2017	रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत संस्वीकृत कार्यान्वयन के अधीन किसी भी स्कीम को संहिता में अनुमोदित प्रस्ताव समझा जाएगा, इसके लिए उपबंध करने हेतु आईबीसी (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2017 जारी किया गया।
25.05.2017	भारतीय दीवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने एए द्वारा आईपी की पहचान करने और आईआरपी के रूप में नियुक्ति के लिए अनुशंसा करने के लिए दिवाला समाधान वृत्तिक (अनुशंसा) दिशानिर्देश, 2017 के रूप में कार्य करने हेतु 'दिवाला वृत्तिक' जारी किया।
13.06.2017	भारतीय दीवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने व्यष्टिक दिवाला से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु रणनीति और पद्धति की अनुशंसा करने के लिए कार्यशील समूह का गठन किया।
14.06.2017	सेवा प्रदाताओं का निरीक्षण तथा अन्वेषण को शासित करने के लिए भारतीय दीवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण एवं अन्वेषण) विनियमन, 2017 अधिसूचित किया गया।
14.06.2017	कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवालिया प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान लागू हुए।
14.06.2017	सीडी के लिए फास्ट ट्रैक दिवालिया प्रस्ताव प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों की प्रयोज्यता अधिसूचित की गई।
15.06.2017	भारतीय दीवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवालिया प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2017 अधिसूचित किया गया।
14.08.2017	सेबी ने प्रस्ताव योजनाओं के अनुसरण में अधिग्रहण के लिए ओपन ऑफर देयताओं से छूट देने के लिए सेबी(शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण एवं नियंत्रण में लेना)विनियमन को संशोधित किया।
14.08.2017	सेबी ने इस संहिता के अंतर्गत अनुमोदित प्रस्ताव योजनाओं के अनुसार किए गए इक्विटी शेयरों के अधिमानी इश्यु को कीमत निर्धारण, प्रकटन आदि जैसे अधिमानी इश्यु मानको से छूट देने के लिए सेबी(पूंजी को जारी करना और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2009 का संशोधन किया।
16.08.2017	क्रेडिटर द्वारा, जो एफसी या ओसी नहीं है, दावे प्रस्तुत करने के लिए उपबंध करने हेतु सीआईआरपी विनियमन और फास्ट ट्रैक विनियमन संशोधित किए गए।
25.08.2017	आरबीआई ने सीआईसी के साथ सूचना की पहुंच देने के लिए प्रस्ताव व्यवसायिक और सूचना उपयोगिताएं को अनुमति देने के लिए क्रेडिट सूचना कंपनी विनियमन, 2006 को संशोधित किया।
25.08.2017	बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 को हटाकर बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2017 अधिनियमित किया।
25.08.2017	आईबीबीआई ने भारतीय दीवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सलाहकार समिति) विनियमन, 2017 के अनुसरण में कारपोरेट दिवाला एवं परिसमापन संबंधी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया।
30.08.2017	आईबीबीआई ने भारतीय दीवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सलाहकार समिति) विनियमन, 2017 के अनुसरण में सेवा प्रदाताओं पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया।
15.09.2017	आईबीबीआई ने भारतीय दीवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सलाहकार समिति) विनियमन, 2017 के अनुसरण में व्यष्टिक दिवाला और शोधन अक्षमता पर सलाहकार समिति का गठन किया।
18.09.2017	वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद का अन्यों के साथ–साथ सचिव, एमसीए और अध्यक्ष, आईबीबीआई को शामिल करने के पुनर्गठन किया गया।
29.09.2017	आई यू में अधिक शेयरधारिता के लिए विंडो की अनुमति देने के लिए आईबीबीआई (सूचना उपयोगिताएं) (संशोधन) विनियमन, 2017 अधिसूचित किया गया।
05.10.2017	प्रस्ताव योजना में हितधारकों के हितों का निर्वाह दिखाने के लिए सीआईआरपी विनियमन एवं फास्ट ट्रैक विनियमनों को संशोधित किया गया।
18.10.2017	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247(मूल्यांककों से संबंधित) लागू की गई।
18.10.2017	कंपनी(पंजीकृत मूल्यांकक एवं मूल्य निर्धारण) नियम, 2017 अधिसूचित किए गए।
23.10.2017	आरवी बनने के लिए आरवीओ की सदस्यता की अपेक्षा हेतु धारा 247(1) को संशोधित करने के लिए कंपनी (कटिनाइयों को दूर करना) द्वितीय आदेश, 2017 जारी किया गया।
23.10.2017	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247(मूल्यांककों से संबंधित) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार में निहित शक्तियों और कार्यों को आईबीबीआई को प्रत्यायोजित किया गया।
25.10.2017	सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि प्रस्ताव योजना में अपेक्षित विशिष्ट कार्रवाई के लिए शेयरधारकों सीडी के सदस्यों के अनुमोदन को दिया हुआ समझा जाएगा।
07.11.2017	सीआईआरपी विनियमन एवं फास्ट ट्रैक विनियमनों को 07.11.2017 यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधित किया गया कि केवल विश्वसनीय व्यक्ति प्रस्ताव योजना प्रस्तुत करें।

16.11.2017	सचिव, एमसीए की अध्यक्षता में शोधन अक्षमता विधि समिति का गठन संहिता की कार्यदक्षता पर प्रभाव डालने वाले मुद्दों का समाधान करने और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किया गया।
23.11.2017	दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (अध्यादेश), 2017 को संदेहास्पद और अवांछनीय व्यक्तियों द्वारा संहिता के प्रावधानों का दुरूपयोग रोकने के लिए प्रख्यापित किया गया।
27.11.2017	सेबी ने ऋणपत्र न्यासियों को परामर्श दिया कि वे आईयू के साथ वित्तीय सूचना साझा करें।
07.12.2017	भारतीय दीवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत एवं परिवाद निवारण कार्यविधि) विनियमन, 2017 को सेवा प्रदाताओं के विरूद्ध शिकायतों और परिवादों पर कार्रवाई करने के लिए अधिसूचित किया गया।
13.12.2017	आईबीबीआई ने आईयू द्वारा प्रमुख सेवाओं के कार्य निष्पादन हेतु तकनीकी मानकों के लिए दिशानिर्देश जारी किए।
15.12.2017	आईबीबीआई ने आईआरपी परिसमापक के रूप में नियुक्त करने के लिए आई पी के पैनल को तैयार करने को शासित करने हेतु 'दिवाला द्वारा अंतरिम प्रस्ताव वृत्तिकों या परिसमापकों के रूप में कार्य करना(अनुशंसाएं) दिशानिर्देश, 2017' जारी किए।
19.12.2017	आरबीआई ने अपने द्वारा विनियमित सभी एफ सी को यह परामर्श दिया है कि वे संहिता तथा भारतीय दीवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सूचना उपयोगिताएं) विनियमन, 2017 के संगत प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली और कार्यविधि को लागू करें।
01.01.2018	प्रस्तावों को बढ़ावा देने के लिए सीआईआरपी विनियमन और फास्ट ट्रैक विनियमन संशोधित किए गए।
03.01.2018	आईबीबीआई ने आईपी को यह निदेश दिया है कि संहिता के अंतर्गत अपनी किसी भी ड्यूटी और जिम्मेदारियों को आउटसोर्स न करें।
03.01.2018	आईबीबीआई ने आईपी को यह निदेश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करने में उपयुक्त ध्यान दें और प्रयास करें कि किसी भी प्रक्रिया को करने में कारपोरेट व्यकित सभी लागू विधियों का पालन करते हैं।
03.01.2018	आईबीबीआई ने आईपी को यह निदेश दिया है कि वे अपने सभी पत्रों में अपने नाम, पते, ईमेल, पंजीकरण संख्या आदि का उपयोग करें।
04.01.2018	आरबीआई ने परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को यह परामर्श दिया है कि वे उपयुक्त प्रणालियों और कार्यविधियों को लागू करें ताकि संहिता और भारतीय दीवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सूचना उपयोगिताएं) विनियमन, 2017 के संगत प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
06.01.2018	सरकार ने सीआईआरपी में परिचालित कंपनियों के लिए एमएटी प्रावधानों से राहत दी है।
16.01.2018	आईबीबीआई ने आईपी और आई पी द्वारा नियुक्त किए गए अन्य वृत्तिकों को यह निदेश दिया है कि वे हितधारकों के साथ अपने संबंधों को प्रकट करें।
16.01.2018	आईबीबीआई ने यह स्पष्ट किया है कि आई पी फीस के लिए अपने नाम में बिल इंवायस बनाएंगे और ऐसी फीस उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी। दिवाला वृत्तिक को छोड़कर किसी और अन्य व्यक्ति को आई पी की सेवाओं के लिए किया गया फीस का भुगतान दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया लागत का हिस्सा नहीं बनेगा।
19.01.2018	दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2017 को दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 के स्थान पर अधिनियमित किया गया है।
06.02.2018	सीआईआरपी विनियमनों को पारदर्शिता और प्रक्रिया सत्यनिष्ठता के हित में संशोधित किया गया है।
07.02.2018	फास्ट ट्रैक विनियमनों को पारदर्शिता और प्रक्रिया सत्यनिष्ठता के हित में संशोधित किया गया है।
09.02.2018	कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकक एवं मूल्यांकन) संशोधन नियम, 2017 को इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत मूल्यांकन सेवाएं दे रहे किसी भी व्यक्ति को इस बात की अनुमति देने के लिए अधिसूचित किया गया है कि वह 30 सितम्बर, 2018 तक पंजीकरण प्रमाण–पत्र के बिना मूल्यांकन सेवाएं देना जारी रख सकता है।
12.02.2018	आरबीआई ने संकटग्रस्त आस्तियों के प्रस्ताव के लिए संशोधित नया ढांचा जारी किया है।
23.02.2018	आरबीआई ने विनियमनों के अंतर्गत विभिन्न प्ररुपों को प्रकाशित करने के लिए www.ibbi.gov.in नामक अपनी वेबसाइट बनाई है।
28.03.2018	सीआईआरपी विनियमनों को समय तथा लागत दक्षता के हित में संशोधित किया गया है।
28.03.2018	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियमन, 2018 को परिचालित सीडी के विक्रय को समर्थ बनाने के लिए अधिसूचित किया गया।
28.03.2018	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला वृत्तिक) (संशोधन) विनियमन, 2018 को कतिपय प्रकटनों और आउटसोर्सिंग का निषेश करने एवं जीआईपी को लागू करने की अपेक्षा के लिए अधिसूचित किया गया।
28.03.2018	आईबीबीआई (सूचना उपयोगिता) (संशोधन) विनियमन, 2018 अधिसूचित किए गए।

ग नीतियाँ, कार्यक्रम और क्रियाकलाप

ग.1 सेवा प्रदाता

इस संहिता में, जहाँ भी संभव हो, दिवाला के समाधान और सीडी के लिए निर्गम की सहजता के लिए समाधान के लिए बाजार तंत्र प्राप्त होता है जिसने पुनर्भुगतान की प्रतिबद्धता में व्यतिक्रम किया है। इसमें दो चरणों में व्यतिक्रमकर्ता सीडी के दिवाला के समाधान की परिकल्पना की गई है। पहले चरण में, इसे व्यतिक्रमकर्ता सीडी को समयबद्ध सीआईआरपी से गुजरना होता है, जिसमें निवर्तमान सरोकार के तौर पर सीडी को बचाने के लिए समाधान योजना बनाने का प्रयास है। दूसरे चरण में, इसमें सीडी के परिसमापन की परिकल्पना की गई है यदि सीआईआरपी वैकल्पिक उपयोगों के लिए संसाधन विमुक्त करने के लिए सीडी बचाने में विफल रहता है। इसी प्रकार, संहिता में व्यतिक्रमकर्ता व्यक्ति के लिए संहिता में संबंधित व्यक्ति के पुनर्वास के लिए पुनर्भुगतान योजना बनाने के प्रयास के साथ–साथ दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजरने का प्रावधान है। दिवाला समाधान प्रक्रिया के विफल होने पर व्यक्ति शोधन क्षमता प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है जब व्यतिक्रम की पुनर्भुगतान के लिए व्यक्ति की आस्तियों को संभव सीमा तक बेचा जाता है। पूर्ववर्ती शासन के विपरीत, संहिता में शोधन अक्षमता, परिसमापन और शोधन अक्षमता प्रक्रियाओं के निष्पादन के लिए विनियमित व्यावसायिक सेवाओं का प्रावधान किया गया है।

संहिता में बहुत से सेवा प्रदाताओं, जैसे कि आईपी, दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों (आईपीए), दिवालियां व्यावसायिक संगठनों (आईपीई) और आईयू के लिए प्रावधान किए गए हैं। संहिता के कार्यकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, यह सुनिश्चित करने के लिए विनियमन बनाए जाते हैं कि जो व्यक्ति ये सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं, वे न केवल तकनीकी रूप से सक्षम हैं, बल्कि उनके पास नैतिकता और व्यावसायिकता के उच्चतम मानक भी हैं। दूसरे शब्दों में, उन्हें, 'फिट और उचित व्यक्ति' होने की परीक्षा पास करनी होगी। कंपनी अधिनियम, 2013 में आरवी और पंजीकृत मूल्यांकक संगठनों (आरवीओ) के लिए प्रावधान किए गए हैं। मूल्यांकक नियमावली दक्षता और आरवी के आयोजन के संबंध में सदृश प्रावधान करता है।

दिवाला वृत्तिक

एक आईपी, दिवाला शासन की एक प्रमुख संस्था है। वह वित्तीय संकट में फंसे व्यक्ति और उसके हितधारकों के लिए आशा की किरण है। वह संहिता के अधीन वित्तीय रूप से संकटग्रस्त व्यक्तियों (कंपनियों, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी), साझेदारी और स्वामित्व फर्मों और व्यक्तियों) की दिवाला कार्रवाईयों (समाधान, परिसमापन और दिवाला प्रक्रियाओं) में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जब किसी प्रक्रिया का निष्पादन किया जाता है, सभी सांविधिक और कानूनी कर्तव्य उनमें निहित हो जाते हैं। उन्हें महत्वपूर्ण व्यावसायिक और वित्तीय निर्णय लेने होते हैं, जो कंपनी और उसके सभी हितधारकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

एनसीएलटी दिवाला कार्रवाई के निष्पादन के लिए एक आईपीओ को आईआरपी, आरपी या परिसमापक को नियुक्त करता है। यह जब कभी अपेक्षित हो, दिवाला प्रक्रिया में आईपी को प्रतिस्थापित करता है अथवा इसे अनुमोदित करता है। एक अर्थ में, एक आईपी एनसीएलटी की ओर से दिवाला कार्यवाही पर नजर रखता है। विधि अपने उत्तरदायित्व के प्रभावी निर्वहन को सुकर बनाने में सुविधाकारक है और आईपी को इसके लिए शक्ति प्रदान करता है। इसमें सीडी के प्रत्येक अधिकारी को उसे रिपोर्ट करने के लिए बाध्य किया जाता है। यह सीडी के संप्रवर्तक को सभी सहायता और सहयोग देने के लिए बाध्य करता है। इसमें आईपी को अपनी सहायता के लिए व्यवसायियों को नियुक्त करने का अधिकार भी दिया गया है। वह एए से आदेश की मांग कर सकता है यदि वह किसी भी तरजिह, अवमूल्यक, जबरन उगाही या धोखाधड़ी के लेन–देन में शामिल होता है। वह आईपीई से सहायता सेवाएं ले सकता है, जिसका वह एक भागीदार निदेशक है। उसे सद्भाव में किए गए कार्यों के लिए संरक्षण प्राप्त है। यह आईबीबीआई द्वारा दायर शिकायत को छोड़कर आईपी के खिलाफ अपराधों के परीक्षण पर रोक है।

आईपी विनियमन

आईबीबीआई ने 23 नवंबर, 2016 को आईबीबीआई (दिवाला वृत्तिक) विनियमन, 2016 (आईपी विनियमन) अधिसूचित किया गया, जिसमें आईपी(एस) के पंजीकरण, विनियमन और निगरानी के लिए प्रावधान किया गया है। तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए, आईपी विनियमनों के विनियमन 9 में 15 वर्ष की प्रेक्टिस कर चुके अधिवक्ताओं, चार्टर्ड एकाउंटेंटों, कंपनी सचिवों और लागत लेखाकारों को आईपी के रूप में पंजीकरण प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। हालांकि, यह सुविधा 31 दिसंबर, 2016 तक केवल एक माह के लिए उपलब्ध थी और इस प्रकार का पंजीकरण केवल छह माह की सीमित अवधि के लिए वैध था। विनियमन 9 के अधीन आईपी का पंजीकरण 30 जून, 2017 तक समाप्त हो गया था। इससे आईपी की एक नियमित धारा बनाने के लिए समय मिल गया।

आईपी विनियमननों के विनियमन 7 के अधीन नियमित धारा में, सदस्यता के बाद 10 वर्ष (प्रैक्टिस या नियोजन) के अनुभव वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव, लागत लेखाकार, और अधिवक्ता और स्नातक जिन्हे योग्यता पश्चात् 15 वर्ष का प्रबन्धकीय अनुभव है, लिमिटेड दिवाला परीक्षा (परीक्षा) पास करने पर आई.पी. के तौर पर पंजीकरण कराने के पात्र हैं। आईबीबीआई ने परीक्षा 31 दिसंबर, 2016 को उपलब्ध कराई थी। जिन व्यक्तियों के पास अपेक्षित अर्हता एवं अनुभव हैं और परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, परीक्षा को नियमित धारा में 1 जनवरी, 2017 से आईपी के रूप में पंजीकृत किया गया था।

आईबीबीआई ने निम्नलिखित का प्रावधान करने के लिए 28 मार्च, 2018 को आईपी विनियमनों में संशोधन किया :–

(क) अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने के अध्यधीन, एक व्यक्ति आईपी के रूप में पंजीकरण का पात्र होगा यदि उसने पिछले 12 माह के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण की है और किसी आईपीए से पूर्व–पंजीकरण शैक्षिक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, जैसा कि आईबीबीआई द्वारा अपेक्षित हो।

(ख) परीक्षा से कम से कम तीन माह पूर्व आईबीबीआई की वेबसाइट पर परीक्षा का पाठ्यक्रम, प्रारूप, अर्हक अंक और आवृत्ति प्रकाशित किए जाएंगे।

(ग) 10/15 वर्ष के अपेक्षित अनुभव वाला व्यक्ति आईपी के रूप में पंजीकरण का पात्र है। इसके अलावा, कम अनुभव या अनुभवरहित कोई व्यक्ति भी जीआईपी के सफल समापन पर आईपी के रूप में पंजीकरण का पात्र होगा, जैसा आईबीबीआई द्वारा अनुमोदित किया जाए।

(घ) पंजीकरण की एक शर्त के तौर पर, आईपी सतत व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करेगा, जैसाकि आईबीबीआई द्वारा आवश्यक हो सकता है।

(ङ) संहिता के अधीन कोई आईपी अपने कार्यों और उत्तरदायित्वों को आउटसोर्स नहीं करेगा।

(च) एक आईपी उसे देय शुल्क, आईपीई के लिए देय शुल्क, और उसके द्वारा सेवा में लिए गए वृत्तिकों के लिए देय शुल्क को बताएगा, जिसका वह एक वृत्तिक सदस्य है और एजेंसी अपनी वेबसाइट पर इस प्रकार की सूचना प्रकाशित करेगी।

दिवाला वृतिक संस्थाएं

एक व्यष्टिक आईपी के पास हमेशा, अपने बूते किसी बड़े और जटिल सीआईआरपी का निपटान करने के लिए अपने स्वयं के पर्याप्त संसाधन नहीं हो सकते हैं। संहिता के अधीन उसे प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक संसाधनों का पूल विकसित करने एवं उस तक पहुंच बनाने के लिए, अन्य आईपी के साथ संयुक्त रूप से उसे सक्षम बनाना आवश्यक माना जाता था। आईपी विनियमन, आईपीई के रूप में ऐसे पूल में समर्थ बनाते हैं। किसी एलएलपी, किसी पंजीकृत साझेदारी फर्म और एक कंपनी को आईपीई के रूप में मान्यता दी जाती है यदि एलएलपी या पंजीकृत साझेदारी फर्म के अधिकांश साझेदार या कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों में से अधिकांश, संहिता के अधीन आईपी के रूप में पंजीकृत हैं। एक आईपी इसके अध्याधीन किसी मान्यताप्राप्त आईपीई के संगठनात्मक संसाधनों का उपयोग कर सकता है बशर्ते की आईपी संयुक्त रूप से और अलग – अलग आईपी के तौर पर इसके साझेदारों या निदेशकों के आईपी के भूल–व्यतिक्रम के सभी कृत्यों के लिए उत्तरदायी होगा। आईपीई को न तो आईपीए के सदस्य के रूप में नामांकित किया जाता है और न ही आईपी के रूप में पंजीकृत किया जाता है और संहिता के अधीन यह आईपी के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।

आईबीबीआई ने यह प्रावधान करने के लिए 28 मार्च, 2018 को आईपी विनियमनों में संशोधन किया कि एक कंपनी, एक पंजीकृत भागीदारी फर्म या एक एलएलपी, आईपीई के रूप में मान्यता के लिए पात्र होगी, यदि : –

(क) इसका एकमात्र उद्देश्य आईपी को सहायक सेवाएं प्रदान करना है, जो इसके भागीदार या निदेशक हैं, जैसा भी मामला हो;

(ख) इसने एक करोड़ रुपये से अनधिक का निवल कारेबार किया है;

(ग) इसके अधिकांश शेयर उन आईपी द्वारा धारित हैं, जो इसके निदेशक हैं, यदि यह एक कंपनी है;

(घ) अधिकांश पूंजीगत अंशदान आईपी द्वारा किया जाता है, जो इसके साझेदार हैं, यदि यह एलएलपी फर्म या पंजीकृत साझेदारी फर्म है;

(ङ) इसके अधिकांश साझेदार या निदेशक, जैसा भी मामला हो, आईपी हैं;

(च) इसके पूर्णकालिक निदेशकों में से अधिकांश आईपी हैं, यदि यह एक कंपनी है; तथा

(छ) इसका कोई भी साझेदार या निदेशक किसी अन्य आईपीई का साझेदार या निदेशक नहीं है।

कुछ क्षेत्रों में यह संदेह था कि क्या एक आईपीई, आईपी के रूप में कार्य कर सकता है। आईबीबीआई ने 15 जून, 2017 की एक प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा यह स्पष्ट किया कि विनियमनों के साथ पठित संहिता केवल अपेक्षित अर्हता और अनुभव वाला व्यक्ति ही आईपीए के सदस्य के रूप में नामांकित किया जाए और उसके बाद आईबीबीआई के साथ आईपी के रूप में पंजीकृत किया जाए। संहिता के अधीन केवल ऐसा व्यक्ति ही आईपी के रूप में कार्य कर सकता है और आईपी के रूप में सेवाएं प्रदान कर सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आईबीबीआई के साथ आईपी के रूप में पंजीकृत न हो, आईपी के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। आईपीई को न तो आईपीए के सदस्यों के रूप में नामांकित किया जाता है और न ही आईबीबीआई के साथ आईपी के रूप में पंजीकृत किया जाता है और संहिता के अधीन वे आईपी के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं।

दिवाला वृतिक एजेंसियां

दिवाला शासन में आईपी की भूमिका के मद्देनजर, संहिता में आईपीए का दो–स्तरीय विनियमित स्व–विनियमन की परिकल्पना की गई है, जिसमें प्रमुख नियामक के तौर पर आईपीए और आईपी के प्रमुख नियामक के रूप में आईबीबीआई शामिल हैं। तदनुसार, इसमें आईपीए बनने के लिए दो–चरण वाली प्रक्रिया दी गई है। पहले इसके व्यावसायिक सदस्य के रूप में आईपीए के पास नामांकन और तदुपरांत, फिर बोर्ड के पास पंजीकरण। यह बोर्ड और आईपीए को एक निरंतर आधार पर आईपी

की निगरानी करने और जब भी आवश्यकता हो, गलत व्यतिक्रमकर्ता आईपी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए बाध्य करता है।

आईपीए के लिए नियामक ढांचा

आईबीबीआई (दिवाला वृत्तिक एजेंसी) विनियमन, 2016 (आईपीए विनियमन) में अन्य बातों के साथ–साथ आईबीबीआई के पास आईपीए के तौर पर पंजीकरण कराने के लिए पात्रता मानदंड दिए गए हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन कम से कम रू. 10 करोड के कुल कारोबार और रु. 5 करोड़ के पूंजीगत भुगतान वाली पंजीकृत कंपनी आईपीए बनने की पात्र है। आईपीए की कम से कम 51 फीसदी शेयर पूंजी भारत में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धारित की जानी चाहिए। आईपीए, इसके संप्रवर्तक, इसके निदेशक और इसकी 10 प्रतिशत से अधिक शेयर पूंजी के धारक व्यक्ति 'फिट और उचित व्यक्ति' होने चाहिएं।

आईबीबीआई (दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों के आदर्श उप–विधि और शासी बोर्ड) विनियमन, 2016 एक आईपीए के वृत्तिक सदस्य होने के लिए पात्रता मानदंड दिए गए हैं और आईपीए के लिए उप–विधियों को अपनाना अनिवार्य किया गया है जो आईबीबीआई द्वारा जारी किए गए उप–विधियों के अनुरूप हों। आईपीए के निदेशक मंडल के आधे से अधिक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होने अपेक्षित हैं और एक–चौथाई से अनधिक निदेशक आईपी नहीं होने चाहिएं। आईपीए से व्यावसायिक सदस्यों के विनियमन और निगरानी के लिए सदस्यता समिति (यां), एक निगरानी समिति, शिकायत निवारण समिति (यां), और अनुशासन समिति (यां) (डीसी) होनी अपेक्षित होती है।

आईबीबीआई, विकास और उनके सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए विशिष्ट विषय पर बैठकों के अतिरिक्त, प्रत्येक माह की 7 तारीख को आईपीए के प्रबंधन निदेशक (एमडी) / मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) की बैठकें आयोजित करता है। वे अपने सदस्यों की क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न क्षमता विकास उपाय कर रहे हैं। वे अपने सदस्यों के आचरण और कार्य–निष्पादन की निगरानी कर रहे हैं और अपने सदस्यों के खिलाफ उचित कार्रवाई करते हैं जो संहिता/विनियमनों के उपबंधों का पालन नहीं करते हैं।

आईपीएएस के कार्य–निष्पादन, सांविधि आवश्यकताओं के उनके अनुपालन की निगरानी को सुगम बनाने के लिए और पारदर्शिता और जवाबदेही के हित में, आईबीबीआई ने आईपीए के परामर्श से, वार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र का प्रारूप तैयार किया है, जो आईपीए द्वारा प्रस्तुत किया गया है और वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 45 दिनों के भीतर उनकी संबंधित वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है।

सूचना उपयोगिताएं

संहिता में वित्तीय सूचनाओं को संग्रहीत करने के लिए आईयू की परिकल्पना की गई है जिससे डिफॉल्ट्स को स्थापित करने और साथ ही दावों को शीघ्रता से सत्यापित करने में मदद मिलती है और इससे संहिता के अधीन प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में सुविधा होती है। दिवाला विधि सुधार समिति (बीएलआरसी) बाजार की विफलता से बचने के लिए, राज्य के साथ एक केंद्रीकृत निक्षेपागार के बजाय अंतर संचालित आईयू के लिए निजी प्रतिस्पर्धी बाजार की परिकल्पना की गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईयू, दिवाला और शोधन क्षमता के समाधान के लिए आवश्यक सूचनाएं संग्रहित करें, संहिता में एफसी के लिए डाटा प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया और आईयू पर इस डाटा को स्वीकार करने की बाध्यता लगा दी है। सटीकता सुनिश्चित करने और विवादों को बंद करने के लिए, संहिता में अनिवार्य किया गया है कि ऐसे रिकॉर्डों को सभी संबंधित पक्षों के साथ सह–सत्यापित किया जाए। संहिता में यह निर्धारित किया गया है कि संहिता के अधीन अपने कार्यों को आगे बढाने के लिए आईपी, आईआरपी, आरपी, परिसमापक या दिवाला ट्रस्टी के रूप में कार्य करके आईयू के रिकॉर्ड को प्राप्त कर सकता है। आईयू, नवीन सृजन है और इसका कोई अन्य समानांतर क्षेत्राधिकार नहीं हैं (बॉक्स 2)।

बॉक्स 2

सूचना उपयोगिताएं

बीएलआरसी में राज्य के साथ केंद्रीकृत निक्षेपागार के बजाय अंतर–संचालित आईयू के लिए निजी प्रतिस्पर्धी बाजार की परिकल्पना की गई है। इसमें यह तर्क स्पष्ट किया गया है: "आईआरपी शुरू किए जाने से पूर्व, सभी पक्षों को मौजूदा क्रेडिट, संपार्श्विक के बारे सटीक और निर्विवाद तथ्यों की आवश्यकता होती है, जिसकी प्रतिज्ञा ली गई है, आदि। वर्तमान व्यवस्था के अधीन, सभी पक्षों का ये यह जानकारी प्राप्त होने से पहले काफी समय नष्ट हो सकता है। इन तथ्यों के बारे में विवादों का न्यायालय में समाधान करने में कई वर्ष लग सकते हैं। इन समस्याओं के कारण एक आईआरपी का उद्देश्य, जो 180 से अनधिक दिनों में पूर्ण होता है, समाप्त हो सकता है। इसलिए, समिति सूचना सुविधा के प्रतिस्पर्धी उद्योग की परिकल्पना करती है जो हर समय सभी फर्मों से संबंधित सूचनाओं को अपने पास रखती है। जब एक दिन से भी कम समय में आईआरपी शुरू होता है, तो, आईआरपी में शामिल निर्विवाद और पूरी जानकारी सभी व्यक्तियों को उपलब्ध हो जाएगी और इस तरह, विलंब के इस स्रोत का समाधान होता है।"

जनवरी 2017 में अपनी रिपोर्ट में आईयू के लिए नियामक ढांचे की अनुशंसा करते हुए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा स्थापित आईयू पर कार्यसमूह (डब्ल्यूजी) कुछ सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया गया था: "एक सिद्धांत यह है कि न्यायालयों और अधिकरणों को आईयू में दी गई जानकारी, प्रमाण के तौर पर स्वीकार करनी चाहिए। इसके लिए, सूचना आईयू में देने के बाद, आईयू को वह सूचना सभी संबंधित पक्षों के साथ अधिप्रमाणित करनी चाहिए और तदुपरात ही संग्रहित करनी चाहिए। आईयू को उन सूचनाओं के प्रकारों के संदर्भ में प्रतिबंधों का पालन करने की आवश्यकता होती है जिन्हें वे स्वीकार कर सकें और जिन व्यक्तियों से वे जानकारी स्वीकार या अधिप्रमाणित कर सकें। इससे यह सुनिश्चित होता है

कि आईयू सटीक है, और बाद में इस पर विवाद नहीं किया जा सकता है। एक अन्य सिद्धांत मानकीकरण का है – नियामक को लागू मानकों को निर्दिष्ट करना चाहिए और सभी आईयू को उन मानकों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा, डब्ल्यूजी ने निर्धारित किया कि देनदारों, लेनदारों और ऋणों की विशिष्ट पहचान करनी होगी।"

संहिता में एक आईयू से वित्तीय जानकारी के संबंध में मूल सेवाएं जैसे कि; (क) किसी व्यक्ति के ऋण के रिकॉर्ड; (ख) देनदारियों के रिकॉर्ड जब व्यक्ति दिवाला हो; (ग) व्यक्ति की संपत्तियों के रिकॉर्ड जिनके संबंध में प्रतिभूति ब्याज सृजित किया गया है; (घ) व्यक्ति द्वारा किसी भी ऋण के व्यतिक्रम का रिकॉर्ड, यदि कोई हो; (ड) व्यक्ति की तुलन–पत्र और नकद–प्रवाह विवरणी के रिकॉड; आदि प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। यह मुख्य सेवाएं प्रदान करता है जैसे (क) वित्तीय जानकारी के इलेक्ट्रॉनिक तौर पर देने को स्वीकार करना, (ख) वित्तीय जानकारी की सुरक्षित और सटीक रिकॉर्डिंग; (ग) किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत वित्तीय जानकारी को अधिप्रमाणित और सत्यापित करना, और (घ) व्यक्तियों को सूचना सुविधा में संग्रहित सूचना तक पहुंच प्रदान करना।

संहिता में आईयू से वित्तीय जानकारी संग्रहीत करने की परिकल्पना की गई है, जिससे एए से पूर्व व्यतिक्रम की पहचान करने, आरपी द्वारा लेनदारों के दावों का सत्यापन करना और तत्काल सीओसी का गठन करने में मदद मिलती है और एतदद्वारा संहिता के अधीन प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में सुविधा मिलती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिवाला और शोधनक्षमता स्थापित करने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाए, संहिता में एफसी के लिए डाटा प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया, और आईयू पर यह सूचना स्वीकार करने की बाध्यता लगा दी। सूचना की सटीकता सुनिश्चित करने और दावों एवं व्यतिक्रम संबंधी विवादों को हल करने के लिए, संहिता में अनिवार्य किया गया है कि ऐसी जानकारी संबंधित पक्षों के साथ सह–सत्यापित की जाए। यह लंबे समय तक स्थगन से बचाव होता है और विवादों की संभावना न्यूनतम होती है और प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से शीघ्र शुरू एवं बंद किया जा सकता है।

आईयू एक नवीन सृजन है। भारत में या अन्यत्र कहीं आईयू का समानांतर नहीं है। भारत में ऐसे कई संगठन हैं जो क्रेडिट जानकारी संग्रहित करते हैं। इनमें क्रेडिट सूचना कंपनियां, क्रेडिट रिपोजिट्री ऑफ इनफार्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (सीआरआईएलसी), केंद्रीय प्रतिभूति पंजीकरण, संपत्ति पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित (सीईआरएसएआई), और कारपोरेट कार्य मंत्रालय एमसीए 21 डाटाबेस, आदि शामिल हैं। इन डाटाबेस की तुलना में, आईयू केवल क्रेडिट जानकारी संग्रहीत करते हैं जो सभी संबंधित पक्षों द्वारा सत्यापित की गई हो। कई तकनीकी मानक सूचना प्रस्तुत करने, सूचना के अधिप्रमाणन, डाटा एकीकरण आदि पर लागू होता है। इससे सुनिश्चित होता है कि आईयू के पास जानकारी निर्विवाद और अकाट्य है और इसका उपयोग साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है।

आईयू एक नवीन विचार है। आईयू को संचालित करने के लिए एक नियामक ढांचे को समझने, विकसित करने और लागू करने में कुछ समय लगा। आईयू के संबंध में कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा स्थापित कार्यसमूह ने जनवरी, 2017 में आईयू के विनियमन पर सिफारिशों सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आईबीबीआई ने 31 मार्च, 2017 को आईयू विनियमन अधिसूचित किए। इसने तकनीकी मानकों की अनुशंसा करने के लिए 3 मई, 2017 को एक तकनीकी समिति का गठन किया। तकनीकी समिति ने 16 अगस्त, 2017 को 14 विषयों (18 में से) पर तकनीकी मानकों की अनुशंसा की। हालांकि, हितधारकों को आईयू की उपयोगिता को समझने और इसके साथ उपलब्ध जानकारी के उपयोग से अवगत हाने के लिए समय की आवश्यकता थी। बाजार को आईयू में निवेश करने के लिए आईयू के व्यवसाय के विज्ञापनों का पता लगाने के लिए समय की आवश्यकता थी। हो सकता है कि कई निवेशकों को आईयू में निवेश करने की भूख न हो, जिसे शेयरधारक और शासी मानदंडों का पालन करना पड़ता है। बैंकों और बीमा कंपनियों द्वारा सम्प्रवर्तित एक संगठन नामतः एक इकाई, नेशनल ई–गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) को 25 सितंबर, 2017 को आईयू के रूप में पंजीकृत किया गया था। आईबीबीआई ने 13 दिसंबर, 2017 को तकनीकी मानकों के लिए दिशानिर्देश जारी किए। एनईएसएल ने वर्ष 2017–18 के अंत तक जानकारी लेना प्रारंभ कर दिया।

आईयू के लिए नियामक ढांचा

आईयू विनियमनों में आईयू के पंजीकरण और विनियमन का ढांचा दिया गया है। नईनतम 50 करोड़ रुपये का निवल कारोबार करनेवाली सरकारी कंपनी आईयू के रूप में पंजीकरण की पात्र है। इसके आधे से अधिक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे। आईयू, इसके संप्रवर्तक, इसके निदेशक, इसके प्रमुख प्रबंधन कर्मी, और इनकी भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी या इसकी कुल मतदान शक्ति का 5 प्रतिशत से अधिक रखने वाले व्यक्ति, फिट और उचित व्यक्ति होंगे। आमतौर पर, किसी व्यक्ति को भुगतान के पास भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सा नहीं होना चाहिए, जबकि कुछ निर्दिष्ट व्यक्ति भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के 25 प्रतिशत तक धारित कर सकते हैं।

आईबीबीआई ने यह प्रावधान करने के लिए कि यदि आईयू 30 सितंबर, 2018 से पहले पंजीकृत की जाती है, 29 सितंबर, 2017 को आईयू विनियमनों में संशोधन किया,

(क) एक व्यक्ति, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, स्वयं या साथ मिलकर कार्य करने वाले व्यक्ति के साथ, आईयू के पंजीकरण की तारीख से तीन वर्ष तक किसी आईयू की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी या कुल मतदान शक्ति के इक्यावन प्रतिशत धारित करता हो, या

(ख) कोई भारतीय कंपनी, (i) जो भारत में एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, या (ii) जहां कोई व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या साथ मिलकर कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ दस प्रतिशत से अधिक भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी धारित करता है, तो वह इसके पंजीकरण की तारीख से तीन साल तक आईयू की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी या कुल मतदान शक्ति के सौ प्रतिशत तक धारित कर सकता है।

शिकायतें और परिवाद

आईबीबीआई ने 7 दिसंबर, 2017 को आईबीबीआई (शिकायत और शिकायत निवारण प्रक्रिया) विनियमन, 2017 (शिकायत विनियमन) अधिसूचित किए। विनियमन से हितधारक, अर्थात, देनदार, लेनदार, दावेदार, सेवा प्रदाता, आरए या कोई अन्य व्यक्ति जिसका दिवाला समाधान, परिसमापन, स्वैच्छिक परिसमापन या शोधन अक्षमता प्रक्रिया में हित हो, सेवा प्रदाता अर्थात, आईपीए, आईपी, आईपीई या आईयू के खिलाफ

शिकायत दर्ज करा सकता था। विनियमनों में आईबीबीआई द्वारा शिकायतों और परिवादों के निपटान के लिए एक उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान की गई है, जिसमें शरारती सेवा प्रदाता को नहीं बख्शा जाता, लेकिन साथ ही साथ एक निर्दोष सेवा प्रदाता को परेशान नहीं किया जाता।

हितधारक एक शिकायत दर्ज कर सकता है जिसमें सेवा प्रदाता के आचरण का विवरण, जिससे पीड़ित व्यक्ति को कष्ट हुआ हैय पीड़ा का विवरण, क्या पीडित व्यक्ति धन संबंधी पीडा से गुजर रहा था या अन्यथा; सेवा प्रदाता के आचरण ने पीड़ितों को किस तरह से पीड़ा हुई; सेवा प्रदाता से शिकायत निवारण के उनके प्रयासों और शिकायत का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है, दिया गया हो। यह 2500 रुपये के शुल्क के साथ निर्दिष्ट फार्म में शिकायत दर्ज कर सकता है। शिकायत में संहिता अथवा नियमों, विनियमनों अथवा उनके अधीन बनाए गए दिशा –निर्देशों या सेवा प्रदाता या उसके संबंधित व्यक्तियों द्वारा आईबीबीआई द्वारा जारी किए गए परिपत्रों अथवा दिशानिर्देशों सेवा प्रदाता या उसके संबंधित व्यक्तियों द्वारा ऐसे आचरण अथवा गतिविधि का विवरण ऐसे आचरण या गतिविधि के तारीख और स्थान सहित, जो विधि के प्रावधान का उल्लंघन है और कथित उल्लंघन के समर्थन में प्रमाण का विवरण का ब्यौरा बताया गया हो। यदि शिकायत गंभीर नहीं है, तो शुल्क वापस कर दिया जाएगा। जहां आईबीबीआई का अभिमत है कि पहली नजर में मामला बनता है, वह निरीक्षण या जांच का आदेश दे सकता है या कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है, जैसा भी आवश्यक हो।

निरीक्षण और जांच

निरीक्षण और जांच, तथ्यों का सत्यापन करने के लिए मानक तंत्र हैं कि क्या विधि के लागू उपबंधों का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं। ऐसे सत्यापन के आधार पर, यदि आवश्यक हो, उपयुक्त प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की जाती हैं। चूंकि निरीक्षण और जांच से सेवा प्रदाताओं पर लागत प्रभारित किए जाने के अतिरिक्त, स्वतंत्रता का उल्लंघन निहित होता है और इस तरह के निरीक्षण एवं जांच के परिणामस्वरूप प्रवर्तन कार्रवाई की जा सकती है, जहाँ स्पष्ट शासन सिद्धांत, संबंधित हितधारकों के निरीक्षण और जांच की तकलीफ को कम करने और साथ ही, धारा 196 (1) (एम) के अधीन यथा अपेक्षित गैर–जरूरी प्रवर्तन कार्रवाई से बचना होना चाहिए। तदनुसार, बोर्ड ने 14 जून, 2017 को आईबीबीआई (निरीक्षण और जांच) विनियमन, 2017 अधिसूचित किया।

ये विनियमन, बोर्ड को शिकायत मिलने पर निरीक्षण करने के अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष निश्चित संख्या में सेवा प्रदाताओं का निरीक्षण करने में सक्षम बनाते हैं। एक निरीक्षण करने के लिए इसे निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किसी सेवा प्रदाता के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने के लिए एक निरीक्षण प्राधिकारी (आईए) नियुक्त करने के लिए एक आदेश जारी करना होता है। आदेश में निरीक्षण के दायरे; आईए के संघटन; निरीक्षण करने के लिए समय सीमा; निरीक्षण में प्रगति की सूचना देना; निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना, आदि का उल्लेख किया जाएगा। बोर्ड और आईए निरीक्षण को गोपनीय रखने और निरीक्षण के अधीन सेवा प्रदाता के कार्य पर कम से कम बोझ डालने या व्यावधान डालने का हर संभव प्रयास करेंगे। विनियमन निरीक्षण में जिसमें कारण बताओ नोटिस के निपटान सहित, जहां जारी किया गया हो, निरीक्षण करने के तरीके और निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करना शामिल है।

पंजीकृत मूल्यांकक

संस्थान एक भलीभांति संचालित बाजार अर्थव्यवस्था की नींव हैं। वृत्तिक, संस्थागत ढांचे का एक प्रमुख तत्व होते हैं। व्यावसायिकता की प्रकृति और सीमा, काफी हद तक, राष्ट्रों की प्रतिस्पर्धा में बढ़त और समृद्धि की स्थिरता को निर्धारित करती है। बाजार अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार की आस्तियों या देनदारियों के मूल्यांकन के लिए ऐसे वृत्तिकों के कैडर की आवश्यकता होती है (बॉक्स 3)।

केंद्र सरकार ने 18 अक्टूबर, 2017 से प्रभावी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 को शुरू करने की अधिसूचना जारी की। उसी दिन, इसने मूल्यांकन के व्यवसाय के विकास और नियमन के लिए पूर्ण ढांचा प्रदान करने के लिए मूल्यांकक नियम अधिसूचित किए। मूल्यांकक विनियमनों में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित का प्रावधान है; (क) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन मूल्यांककों का पंजीकरण जो आस्तियों के विभिन्न वर्गों के मूल्यांकन के लिए आईबीबीआई के साथ व्यक्ति या साझेदारी फर्म हो सकते हैं; (ख) नामांकन मूल्यांकक सदस्यों का नामांकन करने, उन पर आचरण संहिता प्रवर्तित करने और इसके सदस्यों के लिए प्रशिक्षण एवं शैक्षिक पाठ्यक्रम आयोजित करने; और (ग) 'मूल्यांकन मामलों के बारे में सलाह देने के लिए समिति' की सिफारिशों के आधार पर मूल्यांकन मानकों की अधिसूचना और संशोधन के लिए तंत्र।

मूल्यांकक नियमों में प्राधिकरण के पास मूल्यांककों के पंजीकरण के लिए 31 मार्च, 2018 तक संक्रमण अवधि दी गई है। इस संक्रमण अवधि के दौरान, एक व्यक्ति, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन मूल्यांकन सेवाएं प्रदान कर रहा है, 31 मार्च, 2018 तक पंजीकरण के प्रमाण पत्र के बिना सेवा प्रदान करना जारी रख सकता है। इस प्रकार, 1 अप्रैल, 2018 से, प्राधिकरण के पास पंजीकृत मूल्यांकक ही कंपनी अधिनियम, 2013 और संहिता के अधीन आवश्यक मूल्यांकन कर सकता है। कोई पंजीकृत मूल्यांकक किसी अन्य विधि के अधीन मूल्यांकन कर सकता है यदि उसे उस विधि या संबंधित प्राधिकरण के अधीन ऐसा करना अनुक्षित या अनुमत हो। अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अध्यधीन, कोई व्यक्ति पंजीकृत मूल्यांकक बनने के लिए पात्र है, यदि वह (i) एक फिट और उचित व्यक्ति है, (ii) उसके पास आवश्यक अर्हता और अनुभव है, (iii) आरवीओ का एक मूल्यांकक सदस्य है, (iv) उसने आरवीओ के सदस्य के रूप में किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक पाठ्यक्रम पूरा किया हो, (v) उसने प्राधिकरण द्वारा संचालित मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण की है, और (vi) आरवीओ द्वारा एक मूल्यांकक के रूप में पंजीकरण के लिए उसकी संस्तुति की गई है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 (2) में यह अधिदेशित है कि एक मूल्यांकक (क) किसी भी संपत्ति का निष्पक्ष, सच्चा और उचित मूल्यांकन करेगा; (ख) मूल्यांकक का कार्य करते समय उचित सावधानी बरतेगा; (ग) मूल्यांकक नियमों के अनुसार मूल्यांकन करेगा; और (घ) ऐसी किसी भी संपत्ति का मूल्यांकन नहीं करेगा जिसमें उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष हित है या आस्तियों के मूल्यांकन के दौरान या उसके बाद किसी भी समय इसमें रूचि नहीं लेगा। मूल्यांकक नियमों में अपेक्षित है कि एक आरवी, मूल्यांकन करते समय, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मूल्यांकन मानकों का पालन करेगा, और जब तक मानकों को अधिसूचित नहीं किया जाता है, तब तक आरवी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मूल्यांकन मानकों और आरवीओ द्वारा अपनाए गए मूल्यांकन मानकों के अनुसार मूल्यांकन करेगा।

केंद्र सरकार ने 23 अक्तूबर, 2017 को इसकी व्यवस्था करने के लिए कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) दूसरा आदेश जारी किया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षित मूल्यांकन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसके पास आवश्यक अर्हता और अनुभव है, और आरवीओ का मूल्यांकक सदस्य होने के नाते प्राधिकरण के पास एक मूल्यांकक के रूप में पंजीकृत है। उसी दिन एक अन्य अधिसूचना के अनुसार, इसने अधिनियम की धारा 247 के अधीन अपनी शक्तियां और कार्य आईबीबीआई को प्रत्यायित कर दिए और इसे उक्त नियमों के अधीन प्राधिकरण के रूप में निर्दिष्ट किया।

आईबीबीआई, मूल्यांकक नियमों के अधीन प्राधिकरण के कार्यों का निष्पादन करता है। यह आरवीओ को मान्यता प्रदान करता है और मूल्यांककों का पंजीकरण करता है और उन पर नजर रखता है। इसने हितधारकों के परामर्श से सभी तीनों प्रकार की आस्तियों नामत (क) भूमि और भवन, (ख) संयत्र और मशीनरी और (ग) प्रतिभूति अथवा वित्तीय आस्तियों के लिए मूल्यांकन परीक्षा का पाठ्यक्रम, प्रारूप, और आवृत्ति का प्रकाशन किया है। यह 31 मार्च, 2018 से प्रत्येक दिन सभी तीनों प्रकार की आस्तियों के लिए देश भर की कई अवस्थितियों से कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करता है। इसमें आस्तियों की तीन श्रेणियों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम का विवरण निर्दिष्ट किया गया है, और मूल्यांकन परीक्षा देने से पहले आरवीओ के सदस्य को इसे पूरा करना आवश्यकता होता है।

बॉक्स 3

मूल्यांकन व्यवसाय का मार्ग दिखाना

बाजार में आमतौर पर मूल्य का पता चलता है, जो किसी आस्ति (या देयता) का दाम दर्शाता है। यहां अलग–अलग संदर्भों में एक ही आस्ति के अलग–अलग मूल्यों का पता चलता है और पार्टियां उस मूल्य पर आस्ति का आदान–प्रदान करती हैं। इस प्रकार, मूल्य निरपेक्ष नहीं होता है यह संदर्भ विशिष्ट होता है। प्रायः किसी आस्ति के मूल्य का पता लगाने के लिए इसे बाजार में ले जाना न तो व्यवहार्य होता है और न ही वांछनीय। संभव है कि कभी–कभी किसी आस्ति के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार भी न हो। ऐसे मामलों में, आस्ति के मूल्य का अनुमान छद्म संदर्भ में लगाया जाता है। इसके मूल्य का अनुमान लगाने वाला व्यक्ति मूल्य मूल्यांकक होता है, अनुमान की प्रक्रिया मूल्यांकन है और इस प्रकार अनुमानित कीमत ही उसका मूल्य होता है। यदि आस्ति का मूल्य वह है जो दिए गए संदर्भ में होना चाहिए, तो मूल्यांकन बिल्कुल सही है। हालाँकि, किसी दिए गए संदर्भ में ऐसे मूल्य का अनुमान लगाने के लिए, जो यदि इसके वास्तविक मूल्य के बराबर नहीं है या इसके काफी नजदीक है, आस्ति को इसका मूल्य जानने के लिए छदम बाजार में ले जाने के लिए विशेष जानकारी, अत्यधिक निपुणता और वृत्तिक की ओर से अधिकतम विश्वसनीयता अपेक्षित होती है।

एक व्यावसायिक आमतौर पर सह–वृत्तिकों के साथ और कभी–कभार अन्य विषयों के वृत्तिकों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। आस–पास कृत्रिम बुद्धिमत्ता के व्यापक उपयोग से, वह मशीनों से भी प्रतिस्पर्धा करता है। इसके अतिरिक्त, मूल्यांकक आस्ति के मूल्य का निर्धारण करने के लिए पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली बल, बाजार के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। जबकि बाजार कभी–कभी किसी आस्ति का खराब मूल्य लगाता है जो उस आस्ति के सही मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करता, एक उत्तरदायी मूल्यांकक अपनी दक्षता और हमेशा करने में विफल रहने के लिए एक गंदे मूल्य की खोज कर सकता है, क्षमता और इमानदारी से हमेशा प्रामाणिक मूल्य का अनुमान लगाता है। यदि मूल्य छदम संदर्भ में मूल्य से मेल खाता है, तो लगाया गया मूल्य एकदम सही है।

बाजार अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के संव्यवहार को आसान बनाने के लिए आस्तियों के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। भारत में विभिन्न संविधियों और प्राधिकरणों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए आस्तियों के मूल्यांकन और ऐसे मूल्यांकन की विधि निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, संहिता के अधीन सीआईआरपी में सीडी की संपत्ति के उचित मूल्य और परिसमापन सहित विकल्पों के मूल्यांकन के लिए संदर्भ का काम करते हैं और ऐसे विकल्पों के चयन का काम करते है जो सीडी और परिणामतः हितधारक के भविष्य का निर्धारण करते हैं। यदि मूल्यांकन सही नहीं है, तो आर्थिक मूल्य (व्यवहार्य फर्म) वाले सीडी का परिसमापन किया जा सकता है, अथवा आर्थिक मूल्य रहित सीडी (गैर–व्यवहार्य फर्म) का पुनर्वास किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि बाजार प्रतिभागी ऐसे मूल्य पर लेनदेन करते हैं जो बाजार को प्रतिबिंबित नहीं करता या इसकी कीमत से भिन्न हो, तो संभव है कि अर्थव्यवस्था में संसाधनों को गलत तरीके से आवंटित किया गया है। एक अर्थव्यवस्था के लिए ऐसे परिणाम विनाशकारी होते हैं और आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। संहिता के अधीन प्रक्रियाओं में मूल्यांकन की भूमिका के सामंजस्य में, विनियमनों में कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन पंजीकृत मूल्यांककों के संवर्ग को मूल्यांकन प्रदान करते हैं।

इस प्रकार, मूल्यांकक की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। उसे ऐसे मूल्य का अनुमान लगाना होता है जो मूल्य से अधिक प्रामाणिक है। उसके पास इस काम के लिए आवश्यक दक्षता और सत्यनिष्ठता होनी चाहिए। इसके लिए संस्थागत ढांचा आवश्यक होता है जिसमें तीन प्रमुख तत्व नामतः मूल्यांकन के लिए मानक, व्यवसाय का विकास, और मूल्यांककों के व्यवसाय का विनियमन शामिल है। एक नैतिक चक्र में ये तीनों तत्व एक दूसरे को संपोषित करते हैं। इसीलिए, दक्ष और उत्तरदायी मूल्यांककों के संवर्ग के सृजन के लिए सभी तीन मोर्चों पर एक साथ काम करने की आवश्यकता है।

अधिकांश न्यायालयों को अपेक्षित अर्हता, आमतौर पर प्रासंगिक विषय में एक बुनियादी डिग्री धारक और कुछ वर्षों के अनुभव वाले व्यक्तियों के पंजीकरण की आवश्यकता होती है। कुछ को पूर्व–पंजीकरण प्रशिक्षण और एक जांच परीक्षा और पंजीकरण उपरांत सतत व्यावसायिक शिक्षा अपेक्षित होती है। मूल्यांककों ने स्वैच्छिक रूप से स्वयं को एसोसिएशनों

में व्यवस्थित किया है जिससे उनकी मांग को बढ़ावा मिलता हैं और मूल्यांकन मानकों निर्धारित हो जाते हैं। ऐसे एसोसिएशन और बाजार से भावी मूल्यांककों के साथ ही प्रेक्टिस कर रहे मूल्यांककों की क्षमता का विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं। वे अपने मूल्यांकक सदस्यों के आचरण को भी विनियमित करते हैं। इस प्रकार किसी भी अधिकार क्षेत्र में असंख्य एसोसिएशन होते हैं और प्रत्येक ऐसी एसोसिएशन के पास मूल्यांककों के व्यवसाय के विकास और विनियमन का एक अनूठा मॉडल होता है।

मूल्यांकन व्यवसाय का भारत में एक लंबा इतिहास रहा है। अतीत में संस्थागत रूप से ऐसी व्यवस्था विकसित करने के कई प्रयास किए गए हैं जिसस ऐसे मूल्यांककों का व्यवसाय विकसित और नियंत्रित हो, जो पूरी जिम्मेदारी के साथ किसी आस्ति के मूल्य का अनुमान लगा सकते हों। कंपनी अधिनियम, 2013 के अधिनियमित से इसे एक ठोस आकार दिया गया। अधिनियम की धारा 247 में मूलतः यह प्रावधान है कि जहां अधिनियम के उपबंधों के अधीन मूल्यांकन करना अपेक्षित है, इसका मूल्यांकन ऐसी योग्यता और अनुभव एवं मूल्यांकक के तौर पर पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

कोई सुधार तब सफल होता है यदि यह कम से कम विघटनकारी है और मौजूदा संस्थागत ढांचे पर खडा है। यह देखा गया कि कई संगठन देश में मूल्यांकन व्यवसाय के विकास और विनियमन का कार्य करते थे और उन्हें काफी विशेषज्ञता और अनुभव था जिसका उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा, केंद्रीय प्राधिकारी के साथ सीधे पंजीकरण द्वारा मूल्यांककों को विनियमित करना मुश्किल होगा। इसलिए, सरकार ने यह व्यवस्था करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 में संशोधन किया कि आरवीओ का केवल एक मूल्यांकक सदस्य ही प्राधिकरण में पंजीकृत होगा। इसने इस उद्देश्य के लिए आईबीबीआई को प्राधिकारी के रूप में नामित किया और मूल्यांककटों के व्यवसाय के विकास एवं विनियमन के व्यापक ढांचे की व्यवस्था के लिए मूल्यांकक नियम अधिसूचित किए हैं।

देश के अन्य व्यवसायों की तुलना में मूल्यांकन व्यवसाय के विनियमन और विकास के लिए भिन्न एप्रोच अपनाई जाती है। उनके निर्वहन के लिए उत्तरदायित्वों को देखते हुए केवल फिट और उचित व्यक्ति ही मूल्य निर्धारण के रूप में पंजीकरण के पात्र हैं। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या व्यक्ति फिट और उचित है, आईबीबीआई विभिन्न पहलुओं पर विचार करता है, जिसमें (i) सत्यनिष्ठा, छवि और चरित्र, (ii) कनविक्शन और रिस्ट्रेन्ट आदेश न होना, और (iii) सक्षमता और वित्तीय शोधन क्षमता शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, मूल्यांकक एक दो–स्तरीय, विनियमित स्व–विनियमन के अध्यधीन हैं जहां उन्हें एक सदस्य के रूप में आरवीओ के साथ नामांकित किया जाता है, और उसके बाद आईबीबीआई के पास मूल्यांकक के रूप में पंजीकृत किया जाता है। इसमें सांविधिक विनियमन और स्व–नियमन के लाभ मिल जाते हैं और आरवीओ के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है।

मूल्यांकन व्यवसाय के विकास के स्थान पर, आरवीओ एक–दूसरे से और साथ ही बाजार से प्रतिस्पर्धा करते हैं। हालांकि, वे व्यवसाय के विनियमन के क्षेत्र में एकाधिकारी, आईबीबीआई के साथ हैं, हालांकि वे आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए कि उनके सदस्य बाजार में अन्य आरवीओ के सदस्यों से अधिक प्रीमियम प्राप्त करते हैं।

विकास और विनियमन राज्य की पारंपरिक जिम्मेदारियां हैं। इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, आरवीओ को स्वयं का आचरण राज्य जैसा करना चाहिए। उन्हें स्वतंत्रतापूर्वक और अंतर–संस्थागत सौदेबाजी के बिना अर्ध–विधायी, कार्यकारी और अर्ध–न्यायिक कार्य करने होंगे और इससे, संभावित जनता के विधि के सरोकारों से बचना चाहिए। यदि वे अच्छा आचरण करते हैं, तो समय के साथ उनकी भूमिका और प्रासंगिकता में सुधार होगा।

आरवीओ और मूल्यांकक पर हितधारकों द्वारा बहुत करीब से नजर रखी जाती है। उनकी कार्रवाई और आचरण उनके व्यवसाय के भविष्य को निर्धारित करेंगे। उनके पास इस भागदौड़ वाले व्यवसाय की प्रतिष्ठा बनाने और संरक्षित करने का सामूहिक दायित्व है। उन्हें अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए कुछ अवांछनीय तत्वों को नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि एक बार खो जाने के बाद इसे वापस पाना मुश्किल होता है। वे आज, मूल्यों के संबंध में मूल्यांकन के इस व्यवसाय को सर्वाधिक सम्मानित व्यवसाय बनाने के संबंध में इस व्यवसाय को संपोषित करने की विशेष स्थिति में हैं।

पंजीकृत मूल्यांकक संगठन

आरवीओ, आरवी के प्रमुख विनियामक का काम करते हैं। वे आरवी की निगरानी, विकास और विनियमन के लिए एक संस्थागत व्यवस्था मिलती है। वे मूल्यांकक नियमों के अनुसार, मूल्यांककों को सदस्यता प्रदान करते हैं, मूल्यांकन में शैक्षिक पाठ्यक्रम संचालित करते हैं और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (सीओपी) जारी किए जाने से पहले एकल सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वे व्यावसायिक आचरण के मानक भी निर्धारित करते हैं और अपने सदस्यों की निगरानी करते हैं। देश में इस व्यवसाय के प्रति सम्मान और उत्तरदायी सेवाओं के सम्मान के लिए मूल्यांकन वृत्तिकों के विकास और विनियमन के लिए नियामक ढांचे के प्रशासन में एक आरवीओ की आईबीबीआई के एक भागीदार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है।

ग.2: प्रक्रियाएं

सीआईआरपी, परिसमापन प्रक्रिया और स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया से संबंधित संहिता में प्रावधान 2016–17 में लागू हुए और तदनुसार, आईबीबीआई ने इन प्रक्रियाओं से संबंधित विनियमन अधिसूचित किए।

कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया

संहिता में इसे स्वीकार किया गया है कि निवर्तमान सरोकार का इसके सभी भागों की अपेक्षा कहीं अधिक मूल्य है। यह व्यावसायिक विफलता को बाजार की अर्थव्यवस्था के कामकाज के सामान्य और वैध अंश के तौर पर देखता है। जब व्यवसाय विफल हो जाते हैं, तो समाज के लिए सबसे अच्छा परिणाम वित्तपोषकों के बीच तीव्र सौदेबाजी करना, नई देनदारी व्यवस्था का उपयोग करते हुए और नई प्रबंधन टीम से निवर्तमान सरोकारों का वित्तपोषण करना है। यदि यह संभव नहीं है, तो समाज के लिए सबसे अच्छा परिणाम तीव्र परिसमापन है। जहां ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, बाजार प्रक्रिया सृजनात्मक विनाश को कुशलतापूर्वक प्रेरित करती है। इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमनों के साथ पठित संहिता

से, जहाँ कहीं भी संभव हो, सीडी का पुनरूद्धार करने में और सीडी को बंद करने में, जहां अपेक्षित हो, सुविधा होती है जिससे अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा मिलता है।

जैसा कि कई सीआईआरपी ने शुरू किया, कुछ कमियां उभर कर आई जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी। प्रक्रिया के सत्यनिष्ठता बरकरार रखते हुए विभिन्न हितधारकों के हितों पर विचार नीति और नियामक पहलों में प्रमुख था। 2017 की दूसरी तिमाही में, यह महसूस किया गया कि एफसी और ओसी से इतर अन्य दावेदार भी हैं। ऐसे दावेदारों को अपने दावे प्रस्तुत करने में सक्षम बनाया गया। विधि में सीआईआरपी स्तर पर हितधारकों के हितों को संतुलित करने के तरीके को अनिवार्य नहीं किया गया है। समाधान योजना में यह बताना अनिवार्य था कि इसने हितधारकों के हितों का किस प्रकार निपटान किया (बॉक्स 4)। सारणी 2 में इसी समयावधि के लिए सीआईआरपी विनियमन और तर्क में विभिन्न संशोधन दिए गए हैं।

फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया

हालांकि संभावना है कि लेनदार और देनदार स्वयं अनुमत व्यतिक्रम अधिकतम अवधि की तुलना में छोटी अवधि में समझौता करने का विकल्प चुनें, बीएलआरसी का अभिमत था कि उन मामलों के लिए स्पष्ट प्रावधान करना अच्छा है जहां सीआईआरपी का अनिवार्य रूप से किसी अधिक जटिल समय–सीमा की अपेक्षा कम समयसीमा में समाधान हो जाना चाहिए था। तदनुसार, धारा 55 से 58 में फास्ट ट्रैक प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है जहां सीआईआरपी को अन्य मामलों में 180 दिनों की तुलना में 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। हालाँकि, एए यदि संतुष्ट हो, प्रक्रिया पूरी करने के लिए 90 दिनों की अवधि को बढाकर 45 दिन कर सकता है।

एमसीए ने धारा 55 से धारा 58 के प्रावधान लागू करने के लिए 14 जून, 2017 की तारीख तय की है। इसने यह भी अधिसूचित किया कि सीडी की निम्नलिखित श्रेणियों पर फास्ट ट्रैक प्रक्रिया लागू होगी :

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (85) के अधीन यथा परिभाषित एक छोटी कंपनी; या

(ख) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की 23 मई, 2017 की अधिसूचना में यथा परिभाषित एक स्टार्ट–अप (साझेदारी फर्म से इतर); या

(ग) 1 करोड़ रुपये से अनधिक कुल संपत्ति वाली असूचीबद्ध कंपनी, जैसा कि इससे तत्काल पूर्व वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण में बताया गया है।

इन विनियमनों में एए द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन से इसका समाधान होने तक पात्र सीडी के दिवाला समाधान प्रारंभ करने की प्रक्रिया दी गई है। आवेदन फाइल किए जाने और आईआरपी नियुक्त किए जाने के बाद, यदि सीडी के रिकॉर्ड के आधार पर आईआरपी का अभिमत है, कि सीडी पर फास्ट ट्रैक प्रक्रिया लागू नहीं है, तो अपनी नियुक्ति से 21 दिनों की समाप्ति से पहले फास्ट ट्रैक प्रक्रिया को सामान्य सीआईआरपी में बदलने के लिए एए को आदेश पारित करने का अनुरोध देगा।

आईबीबीआई ने 15 जून, 2017 को एए द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन से इसका निर्णय हो जाने तक पात्र सीडी की दिवाला समाधान शुरू करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु आईबीबीआई (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2017 (फास्ट ट्रैक विनियमन) अधिसूचित किया। फास्ट ट्रैक मोड में सीआईआरपी का प्रोसेस फ्लो मोटे तौर पर सामान्य सीआईआरपी प्रक्रिया की भांति ही होता है। आईबीबीआई ने इन विनियमनों में संशोधन किया, जैसा कि सारणी 2 में विवरण दिया गया है।

बॉक्स 4

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता : एक संतुलनकारी संहिता

कारपोरेट हितधारकों का एक समामेलन है। इससे अपनी संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करने और फलस्वरूप इसके सभी हितधारकों के हितों को अधिकतम करने की आशा की जाती है। हालांकि, संभव है कि इसे हमेशा एक कारपोरेट के मूल्य को अधिकतम करने या सभी हितधारकों के हितों को एक साथ या समान रूप से प्रोत्साहित करने की प्रेरणा न हो। इसलिए, विधि में यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित शासी मापदंड हैं कि कारपोरेट अपनी संपत्ति के मूल्य को हमेशा अधिकतम करे और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करे और मुख्य रूप से वृत्तिक, कंपनी सचिव, और संरक्षक, निदेशक बोर्ड को नियमों के अनुपालन का दायित्व सौंपे।

एक कारपोरेट (एक वित्तीय सेवा प्रदाता से अतिरिक्त) के पास मौटे तौर पर निधियों के दो स्रोत अर्थात् 'समता' और 'ऋण' हैं। आमतौर पर, इक्विटी स्वामी कारपोरेट को नियंत्रित और प्रबंधित करते हैं। हालाँकि, संहिता में परिकल्पना है कि यदि वे ऋण देने में विफल रहते हैं, तो व्यतिक्रमकर्ता कारपोरेट को सीआईआरपी से गुजरना होगा। एक आईपी निवर्तमान सरोकार के तौर पर कारपोरेट का कार्य संचालन करता है जब तक सीओसी एक समाधान योजना तैयार नहीं करता है, जिससे कॉरपोरेट का व्यापार हमेशा चलता रहेगा।

संहिता के लिए, जैसा कि लंबे शीर्षक में कहा गया है, (क) कारपोरेट की आस्तियों का मूल्य अधिकतम करने, और (ख) ऐसा करते समय, सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने का दायित्व मुख्य रूप से आईपी और सीओसी में गैर–संबंधित एफसी को सौंपता है।

आईबीसी, समाधान और परिसमापन के बीच संतुलन बनाकर मूल्य को अधिकतम करता है। यह ज्यादातर मामलों में समाधान को प्रोत्साहित और सुविधाजनक करता है, जहां लेनदारों को कम से कम उतना प्राप्त होगा जितना उनके परिसमापन में होगा। ऐसा होगा जहां उद्यम का मूल्य परिसमापन मूल्य से पर्याप्त रूप से अधिक है। ऐसे मामलों में, समाधान सुरक्षित रहता है और निवर्तमान सरोकार के तौर पर उद्यम मूल्य को अधिकतम करता है। शेष मामलों में, संहिता से परिसमापन सुविधाजनक बन जाता है क्योंकि इससे हितधारकों के लिए मूल्य अधिकतम हो जाता है।

संहिता सीआईआरपी की शीघ्रातिशीघ्र पहल करने के लिए सक्षम बनाती है चाहे यह पहला व्यतिक्रम हो, जब उद्यम मूल्य आमतौर पर परिसमापन मूल्य से अधिक होता है, और

इसलिए, सीओसी में परिसमापन की अपेक्षा कारपोरेट के दिवाला का समाधान करने के लिए प्रेरणा है। इसमें समय के साथ उद्यम के मूल्य में गिरावट को रोकने के लिए समयबद्ध तरीके से समाधान करना, परिसमापन के विकल्प के लिए सीओसी के प्रेरण को कम करने को अनिवार्य किया गया है। यह समाधान को सुगम बनाता है – कारपोरेट को एक निवृत्तमान सरोकार के तौर पर संचालित करने के लिए वृत्तिकों का काडर उपलब्ध कराता है, आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के निलंबन या समाप्ति को रोकता है, कारपोरेट के संचालन के लिए आवश्यक अंतरिम वित्त साधन जुटाने में समर्थ बनाता है आदि।

इसके विपरीत, यह सीआईआरपी के दौरान किसी भी प्रतिभूति हित को समयपूर्व बंद करने, उगाही करने या बाध्य करने की किसी भी कार्रवाई को प्रतिबंधित करता है और इस तरह, लेनदार (रों) को अपने हित को अधिकतम करने से रोकता है। यह लेनदारों से अपेक्षा करता है कि वे देनदार से अपनी डिफाल्ट राशियों की उगाही सामूहिक रूप में इसकी अपनी संपत्तियों की बिक्री से या आरए से करने के बजाय कारपोरेट की भविष्य की कमाई से करें। प्रोवेस इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड बनाम पार्कर हैनिफिन इंडिया प्रा. लिमिटेड के मामले में, एनसीएलएटी ने दोहराया 'यह स्पष्ट किया जाता है कि दिवाला समाधान लेनदारों के बकाया की उगाही की कार्यवाही नहीं है।' इसके अतिरिक्त, संहिता में एफसी को सीआईआरपी को प्रेरित करने में सक्षम बनाया गया है, चाहे जब कारपोरेट ने किसी अन्य लेनदार के साथ व्यतिक्रम की हो और इससे अन्य की अपेक्षा किसी लेनदार को तरजीही व्यवहार पर रोक लगाई गई हो। प्रोवेस इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड बनाम पार्कर हैनिफिन इंडिया प्रा. लिमिटेड के मामले में, एनसीएलएटी ने समुक्ति की कि "दिवाला याचिका की प्रकृति प्रतिनिधि मुकदमें में बदल जाती है और यह केवल एक लेनदार और कारपोरेट देनदार के बीच की बात नहीं रह जाती है।"

समाधान से कारपोरेट की संपत्ति का मूल्य अधिकतम हो जाता है और प्रत्येक हितधारक को कारपोरेट के साथ अपने भाग्य को साझा करना जारी रख पाता है। समाधान से सभी का लाभ या हानि होती है, हालांकि एक व्यक्ति को दूसरे की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक लाभ या हानि हो सकती है। इसके विपरीत, परिसमापन से एक–एक कर उनके दावों को पूरा किया जाता है। यदि हितधारकों के एक सेट के दावों को पूरी तरह पूरा करने के बाद कोई अधिशेष बचता है, तो अगले सेट के दावों पर विचार किया जाता है। दोनों मामलों में, आस्तियों के मूल्य को अधिकतम करने और ब्याज शेष रखने पर, अधिकांश मामलों में उगाही और साथ ही परिसमापन के मुकाबले समाधान बेहतर होता है।

सीआईआरपी के अधीन ब्याज शेष रखने को महत्व मिल जाता है क्योंकि संभव है कि प्रत्येक कारपोरेट के पास सभी हितधारकों के दावों को पूरा करने के लिए सीआईआरपी के आरंभ में पर्याप्त संसाधन न हों जबकि समाधान में सीओसी को विचार करने और अपने ब्याज को बकाया रखने का अवसर मिल जाता है। वास्तव में, संहिता में समाधान प्रक्रिया कई शेष विनिर्धारित किए गए हैं– ओसी को कम से कम परिसमापन मूल्य, वरियता में अंतरिम वित्त की पुनर्भुगतान, 75 प्रतिशत मतदान शक्ति से समाधान योजना का अनुमोदन आदि। सीआईआररपी विनियमननों में कई संतुलनों की व्यवस्था है। विनियमन 38 में एफसी की तुलना में भुगतान में प्राथमिकता के साथ–साथ उनके अधिकारों के निष्पक्ष और समान व्यवहार के सिद्धांत को शामिल करके ओसी के अधिकारों को सांविधिक तरीके से सुदृढ़ किया गया है। उनके लिए इस आश्य का विवरण शामिल करने के लिए एक समाधान योजना अपेक्षित होती कि इसमें सीडी के एफसी और ओसी सहित सभी हितधारकों के हितों का किस प्रकार निपटान किया गया है।

एए और अपीलीय प्राधिकरण ने सामान्य रूप से इस पर विचार किया है कि क्या ओसी से समाधान योजनाओं के अधीन ही व्यवहार किया गया है। न्यायिक निर्णयों में किसी समाधान में सभी हितधारकों के हितों पर विचार करना अपेक्षित होता है। पुनः प्रोवेस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड बनाम पार्कर हैनिफिन इंडिया प्रा. लिमिटेड के मामले में, एनसीएलएटी ने कहा है परिस्थितियों में, रद्द आदेश के साथ हस्तक्षेप करने के बजाय, हम इस मामले को इसकी संतुष्टि के लिए निर्णायक प्राधिकारी के पास विप्रेषित करते हैं कि क्या सभी हितधारकों के हितों का ध्यान रखा गया है और प्रबोध कुमार गुप्ता बनाम जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड और अन्य के मामले में एनसीएलटी ने समुक्ति की "...वर्तमान याचिकाकर्ता की स्थिति निर्विवाद रूप से हितधारकों की है। इसलिए, कारपोरेट देनदार कंपनी के संबंध में इस न्यायालय द्वारा नियुक्त आईआरपी से याचिकाकर्ता के हितों पर विचार करना और उन्हें पूरा करना समान रूप से अपेक्षित है ..."।

जब संहिता का मूल उद्देश्य अपने ऋण दायित्वों में व्यतिक्रमकर्ता कारपोरेट के पुन व्यवस्थापन को सुगम बनाना है, तो इसे सभी हितधारकों के हितों का समानतापूर्वक ध्यान रखना होगा। सीओसी, जिसे सीआईआरपी के अधीन कारपोरेट के संरक्षक के एक विशेष स्थिति में रखा गया है, का कार्य है कि वह समाधान के लिए प्रयास करे, और समाधान के माध्यम से यह कारपोरेट की संपत्ति के मूल्य अधिकतम किया जाए और हितधारकों के हित को भी संतुलित रखा जाए।

सारणी 2

सी.आई.आर.पी. और फॉस्ट ट्रैक विनियमनों में संशोधन

अधिसूचनाकी तारीख	संशोधन
16.08.17	**गृह खरीदारः** इन विनियमनों में प्रारंभ में ओसी (कामगार और कर्मचारियों सहित) और एफसी द्वारा दावे प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप की व्यवस्था की गई थी। एक दावेदार, जो एफसी या ओसी नहीं है, को भी अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए एक विशिष्ट प्ररूप की आवश्यकता होती थी। आईबीबीआई ने उन लेनदारों, जो एफसी या ओसी नहीं है, द्वारा दावे प्रस्तुत करने के लिए एक प्ररूप (प्ररूप च) की व्यवस्था करने के लिए सीआईआरपी विनियमनों और फास्ट ट्रैक विनियमनों में संशोधन किया था। इससे घर के खरीदार सीआईआरपी के अधीन दावे प्रस्तुत कर सकते थे। नियत समय पर, आईएलसी की अनुशंसा पर, उन्हें एफसी माना लिया गया था।
05.10.17	**हितों का संतुलन बनानाः** आईबीबीआई ने इस अपेक्षा के लिए सीआईआरपी विनियमनों और फास्ट ट्रैक विनियमनों में संशोधन किया है कि समाधान योजना में इस आश्य का विवरण शामिल होना चाहिए कि इसमें सीडी के एफसी और ओसी सहित सभी हितधारकों के हितों का किस प्रकार ध्यान रखा गया है। इसके लिए स्पष्ट रूप से सभी हितधारकों के दावों पर विचार करना आवश्यक हो गया।
07.11.17	**आईबीबीआई ने निम्नलिखित के प्रावधान के लिए सीआईआरपी विनियमन और फास्ट ट्रैक नियमन में संशोधन किया हैः** विश्वसनीय समाधान आवेदन पत्र संशोधन के लिए आवश्यक है कि सीओसी को स्वयं को संतुष्ट करने के लिए प्रत्येक समाधान योजना में समुचित सावधानी बरतनी होगी कि (क) योजना व्यवहार्य है, और (ख) जिन व्यक्तियों ने योजना प्रस्तुत की है और जो योजना को लागू करेंगे, वे विश्वसनीय हैं।

	सीओसी को अनुमोदनार्थ समाधान योजना पर विचार करते समय विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए आरए और अन्य संबद्ध व्यक्तियों की विश्वसनीयता का आकलन करने में समर्थ बनाना, समाधान योजना में ऐसे आवेदक और अन्य संबद्ध व्यक्तियों का विवरण दिया गया होगा। यह आरए, उन व्यक्तियों का विवरण दिया गया होगा, जो आरए के संप्रवर्तक हैं या उसके प्रबंधन या नियंत्रण में हैं; जो समाधान योजना के कार्यान्वयन के दौरान सीडी के कार्य के संप्रवर्तक होंगे या उसके प्रबंधन या नियंत्रण में होंगेय और उनकी होल्डिंग कंपनियों, सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों और संबंधित पक्ष, यदि कोई हो। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन दंड, लंबित आपराधिक कार्यवाही, अयोग्यता, सेबी द्वारा जारी किए गए आदेश या निर्देश, जानबूझकर व्यतिक्रमकर्ता के रूप में वर्गीकरण आदि का विवरण होगा। यह प्रसिद्ध धारा 29 क का पूर्वगामी बन गया। धोखाधड़ी वाले लेन–देनः आरपी, सीओसी को सभी समाधान योजनाएं प्रस्तुत करेगा जिनमें संहिता और उसके अधीन बनाए गए विनियमनों की अपेक्षाओं का पालन किया गया हो, साथ ही धारा 43 के अधीन तरजिह लेनदेन, धारा 45 के अधीन कम मूल्य वाले लेन–देन, धारा 50 के अधीन अत्यधिक क्रेडिट लेन–देन और धारा 66 के अधीन धोखाधड़ी वाले लेनदेन का विवरण दिया गया है।
01.01.18	**आईबीबीआई ने निम्नलिखित के प्रावधान के लिए सीआईआरपी विनियमनों और फास्ट ट्रैक विनियमन में संशोधन किया हैः** **समाधान को बढ़ावा देनाः** विनियमनों के अनुसार, समाधान योजना में असंतोषजनक लेनदारों के कारण परिसमापन मूल्य का भुगतान करने के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए निधियों के विशिष्ट स्रोतों की पहचान करने की आवश्यकता होती है। यह एफसी को हतोत्साहित करने और इस प्रकार समाधान को बढ़ावा देने के लिए था। हालांकि, कुछ लेनदारों ने, जो वास्तव में असंतोष चाहते थे, मतदान से परहेज किया। ऐसी स्थिति से बचने के लिए, संशोधन में एफसी को इस आश्य का 'असंतोषकारी वित्तीय लेनदार' परिभाषित किया जिन्होंने समाधान योजना के खिलाफ मतदान किया था या समाधान योजना के लिए मतदान से परहेज किया जैसा सीओसी द्वारा अनुमोदित किया गया है। **मूल्य अधिकतम करनाः** विनियमनों में सूचना ज्ञापन (आईएम) में परिसमापन मूल्य बताना आवश्यकता है। इस समाधान मूल्य, परिसमापन मूल्य इर्द– गिर्द रहा। विनियमनों की संहिता के अनुसार समाधान योजना(ओं) के प्राप्त होने के बाद, आरपी इस आशय के लिए सदस्य से वचनपत्र लेने के बाद सीओसी के प्रत्येक सदस्य को परिसमापन मूल्य प्रदान करेगा कि ऐसा सदस्य परिसमापन मूल्य की गोपनीयता बनाए रखेगा और स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित लाभ या अनुचित नुकसान नहीं होने देगा। इसके अतिरिक्त, आईआरपी या आरपी, जैसा भी मामला हो, परिसमापन मूल्य की गोपनीयता बनाए रखेगा। **समयपूर्व समाधानः** विनियमनों में पूर्व में प्रावधान था कि आरए समाधान अवधि समाप्त होने से एक माह पूर्व तक समाधान योजना प्रस्तुत कर सकता है। संशोधनों के अनुसार, आरए संहिता के उपबंधोंके अनुसार समाधान योजनाओं को मंगाने के लिए दिए गए समय के भीतर समाधान योजना(एं) प्रस्तुत करेगा। इससे संहिता और विनियमनों में उपबंधों के अध्यधीन यथाशीघ्र संभव समाधान प्रक्रिया को बंद कर पाएगा।
06.02.18	**मूल्य को अधिकतम करने के साथ सीआईआरपी का समयबद्ध समापन और प्रक्रिया सत्यनिष्ठताः** आईबीबीआई ने निम्नलिखित के प्रावधान के लिए सीआईआरपी विनियमनों और फास्ट ट्रैक नियमन में संशोधन किया हैः (क) आरपी, सीडी का उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य निर्धारित करने के लिए दो आरवी नियुक्त करेगा। समाधान योजनाओं की प्राप्ति के बाद, आरपी गोपनीयता का वचनपत्र प्राप्त होने पर, इलेक्ट्रॉनिक फार्म में सीओसी के प्रत्येक सदस्य को उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य प्रदान करेगा। आरपी और आरवी उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य की गोपनीयता बनाए रखेंगे। (ख) आरपी, अपनी नियुक्ति के दो सप्ताह के भीतर सीओसी के प्रत्येक सदस्य को और गोपनीयता का वचनपत्र प्राप्त होने पर, अधिकतम समाधान योजना मांगे जाने की तारीख तक प्रत्येक संभावित आरए को इलेक्ट्रॉनिक रूप में आईएम को प्रस्तुत करेगा। (ग) आरपी, संभावित आरए को मूल्यांकन मैट्रिक्स सहित एक निमंत्रण जारी करेगा। वह आमंत्रण के साथ–साथ मूल्यांकन मैट्रिक्स भी संशोधित कर सकता है। हालाँकि, भावी आरए को, समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रण अथवा इसका संशोधन जारी किए जाने की तारीख से, जो भी बाद में हो, कम से कम 30 दिन मिलेंगे। इसी तरह, उसे समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रण अथवा इसका संशोधन जारी किए जाने की तारीख से, जो भी बाद में, कम से कम 15 दिन मिलेंगे। सीडी, यदि कोई हो, का संक्षिप्त आमंत्रण, वेबसाइट और आईबीबीआई द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट वेब साइट पर, यदि कोई हो, उपलब्ध होगा। (घ) जबकि आरए उन निधियों के स्रोतों को निर्दिष्ट करता रहेगा जिन्हें आईआरपीसी, ओसी के कारण परिसमापन मूल्य और एफसी की असहमति के कारण परिसमापन मूल्य का भुगतान करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा, सीओसी इन प्रयोजनों के लिए समाधान योजना के अधीन संसाधनों से देय राशियां निर्दिष्ट करेगा। (ड) समाधान योजना में इसकी आस्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए सीडी के दिवाला समाधान के लिए उपायों, जैसा आवश्यक हो, का प्रावधान होगा। इनमें लेनदारों को देय राशि में कमी करना, परिपक्वता तारीख को आगे बढ़ाना या ब्याज दर या सीडी के कारण कर्ज की अन्य शर्तें में बदलाव, सीडी द्वारा उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं के पोर्टफोलियो में परिवर्तन, और सीडी द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक में परिवर्तन शामिल हो सकता है। (च) आरपी, सीआईआरपी के समापन के लिए अनुमत अवधि के समाप्त होने से पूर्व कम से कम 15 दिनों में सीओसी द्वारा एए को अनुमोदित समाधान योजना प्रस्तुत करेगा।
28.03.18	**समय और लागत दक्षताः** आईबीबीआई ने निम्नलिखित के प्रावधान के लिए सीआईआरपी विनियमनों में संशोधन किया हैः (क) विनियमनों में समाधान प्रक्रिया में विभिन्न गतिविधियों के लिए समयसीमा दी गई है। संशोधनों के लिए आरपी के लिए, आईसीडी से 105 वें दिन या उससे पहले संभावित आरए की पहचान करना अपेक्षित है। (ख) विनियमन में यह प्रावधान है कि आईआरपी आरपी द्वारा वहन किया गया खर्च सीओसी द्वारा तय अनुसमर्थित किया जाएगा और इस तरह के निश्चित / अनुसमर्थित व्यय आईआरपीसी का हिस्सा होगा। संशोधनों में प्रावधान है कि ऐसे खर्च से आईआरपी को भुगतान, आईपीई को भुगतान चुकाया जाने वाला शुल्क, यदि कोई हो, और वृत्तिकों को चुकाया जाने वाला शुल्क, यदि कोई हो, और आईआरपी / आरपी द्वारा किए जाने वाले अन्य खर्च अभिप्रेत है। (ग) आईआरपी आरपी, आईबीबीआई द्वारा यथा अपेक्षित रीति से मद –वार आईआरपीसी बताएंगे। (घ) आईआरपी को दावा प्रस्तुत करने वाला एफसी घोषित करेगा कि वह सीडी के संबंध में संबंधित पार्टी है या नहीं। (ड) दावेदारों से दावों को प्रस्तुत करने के लिए हल्फनामा आवश्यक है प्रपत्र। इस अपेक्षा से संशोधनों का निपटान कर दिया गया है।

कारपोरेट परिसमापन

सीडी की सीआईआरपी का पालन करते हुए चार परिस्थितियों में परिसमापन का आदेश पारित किया जा सकता है :

(क) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, आरपी द्वारा अनुमोदन प्रस्तुत समाधान योजना को निर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन न किए जाने के कारण निरस्त कर देता है ;

(ख) एए को सीआईआरपी को पूरा करने के लिए अनुमेय समय के भीतर सीओसी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना प्राप्त नहीं होती ;

(ग) सीओसी ने अपेक्षित बहुमत से सीआईआरपी अवधि के दौरान किसी भी समय सीडी के परिसमापन का निर्णय लिया है और आरपी ने एए को इसकी सूचना दी है अथवा

(घ) जहां इस आधार पर परिसमापन आदेश के लिए एए को सीडी से इतर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आवेदन दिया है कि अनुमोदित समाधान योजना का संबंधित सीडी द्वारा उल्लंघन किया गया है।

आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 (परिसमापन विनियमन), में अन्य बातों के साथ–साथ संहिता की धारा 33 के अधीन परिसमापन आदेश जारी करने से लेकर धारा 54 के अधीन विघटन आदेश तक की गतिविधियों का विवरण दिया गया है। आईबीबीआई ने निम्नलिखित का प्रावधान करने के लिए 28 मार्च, 2018 को परिसमापन नियमों में संशोधन किया:–

(क) मूल्य अधिकतम करना: विनियमनों में परिसमापक को स्वनिर्णयन आधार पर संपत्ति बेचने की अनुमति दी गई है। इनमें परिसमापक को बिक्री में मंदी पर आस्तियों, आस्तियों को सामूहिक रूप से अथवा आस्तियों को टुकडों–टुकडों में बेच सकता है। अक्सर, मंदी में बिक्री, निवर्तमान सरोकार के तौर पर सीडी के पूरे कारोबार की बिक्री होगी। संभावना है कि एक सीडी के कई व्यवसाय हों और विशिष्ट व्यवसायों में विभिन्न खरीदारों के लिए हित सृजित होता हो क्योंकि इससे उनके मौजूदा व्यवसायों में मदद मिलेगी। इसलिए, अन्य व्यवसायों की मंदी में बिक्री के बाद कुछ व्यवसायों के बने रहने की संभावना है। यदि सीडी का केवल एक ही उपक्रम है और यह मंदी में बिक्री किया गया है, तो सीडी बिना किसी व्यवसाय के बना रहता है। संशोधनों में परिसमापक को मंदी में बिक्री के तौर पर अलग–अलग खरीदारों को विभिन्न व्यवसायों की अलग–अलग अथवा निवर्ममान सरोकार के तौर पर पूरे सीडी को बेचने का विकल्प मिलता है। इससे बेहतर मूल्य की उगाही हो सकेगी और सीडी को बचने का अवसर मिलेगा।

(ख) अंतरिम वित्त: संहिता में आईआरपीसी के रूप में 'अंतरिम वित्त की राशि और ऐसे वित्त को जुटाने में आने वाली लागतों' पर विचार किया गया है, जिसका भुगतान, समाधान योजना के अधीन प्राथमिकता में किसी अन्य लेनदार को किया जाना है। हालांकि, यदि, सीआईआरपी से परिसमापन आदेश दिया जाता है, तो अंतरिम वित्त पर ब्याज का परिसमापन शुरू होने की तारीख तक का दावा किया जा सकता है। परिसमापन एक लंबी अवधि की प्रक्रिया हो सकती है। यदि अंतरिम वित्त के प्रदाता परिसमापन के दौरान ब्याज से मना कर देते हैं, हो सकता है कि वे अंतरिम वित्त प्रदान करने के लिए आगे न आएं, सीडी के लिए जिसे निवर्तमान सरोकार के तौर पर रखना बिल्कुल आवश्यक है। संशोधनों में यह प्रावधान है कि परिसमापन लागतों में 12 माह की अवधि के लिए अथवा अंतरिम वित्त की पुनर्भुगतान तक परिसमापन शंरू होने की अवधि तक, जो भी कम हो, का ब्याज शामिल है। इससे अंतरिम वित्त की उपलब्धता में सुधार होने की उम्मीद है।

स्वैच्छिक परिसमापन

संहिता में प्रावधान है कि एक कारपोरेट व्यक्ति, जो स्वेच्छा से परिसमापन करना चाहता है और जिसने कोई व्यतिक्रम नहीं किया है, स्वैच्छिक परिसमापन कार्यवाही शुरू कर सकता है। आईबीआईबी (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के साथ पठित संहिता, जिसे 31 मार्च, 2017 को अधिसूचित किया गया था, स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया को शासित करती है।

कोई भी कारपोरेट व्यक्ति स्वैच्छिक परिसमापन कार्यवाही शुरू कर सकता है यदि अधिकांश निदेशक या कारपोरेट निदेशक के नामित साझेदार इस आशय की घोषणा करते हैं कि (i) कारपोरेट व्यक्ति ने कोई ऋण नहीं लिया है या वह प्रस्तावित परिसमापन के अधीन बेचे जाने वाली आस्तियों से अपने ऋणों का पूरा भुगतान करने में सक्षम होगा, और (ii) कारपोरेट व्यक्ति का किसी व्यक्ति को धोखा देने के लिए परिसमापन नहीं किया जा रहा है।

संहिता के अधीन प्रथम

सारणी 3 में संहिता के अधीन प्रथम का विवरण दिया गया है। सीआईआरपी प्रक्रिया के विस्तृत परिणाम भाग ड में दिए गए हैं।

सारणी 3

संहिता के अधीन सबसे पहले

तारीख	प्रथम	मामला
17.01.17	वित्तीय लेनदार द्वारा शुरू किया गया सीआईआरपी	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड बनाम मैसर्स इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लि.
18.01.17	कारपोरेट देनदार द्वारा शुरू किया गया सीआईआरपी	मैसर्स निक्को कॉर्पोरेशन लिमिटेड और यूबी इंजीनियरिंग लिमिटेड।
17.02.17	ऑपरेशनल लेनदार द्वारा शुरू किया गया सीआईआरपी	श्याम इंडो फेब प्रा. लिमि. (दिनांक 02.05.2017 के कार्यभार मुक्ति आदेश के जरिए निपटान)
07.04.17	स्वैच्छिक परिसमापन	नीलगाय फर्नीचर प्रा. लिमि.
27.04.17	कर्मचारियों द्वारा शुरू किया गया सीआईआरपी	अरविंद गावड़ा बनाम जील ग्लोबल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
31.05.17	एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का सीआईआरपी	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड
02.08.17	अनुमोदित समाधान योजना	सिनर्जिज़ डूरे ऑटोमोटिव लिमिटेड
31.07.17	आदेशित परिसमापन	मैसर्स वीआईपी फिनवेस्ट कंसल्टेंसी प्रा. लिमिटेड बनाम मैसर्स भूपेन इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड
11.12.17	विघटन द्वारा बंद स्वैच्छिक परिसमापन	मैसर्स राय हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
23.03.18	विघटन द्वारा बंद किया गया परिसमापन	मैसर्स चिवड़ ट्रेडिंग प्रा. लिमिटेड बनाम मैसर्स अम्यम ट्रेडिंग लि.

एकल व्यक्ति दिवाला समाधान और शोधन अक्षमता

एकल व्यक्ति का दिवाला पूरे विश्व में एक जटिल और चुनौतीपूर्ण मुद्दा है। साझेदारी और प्रोपराइटरशिप फर्मों और अन्य व्यक्तियों के दिवाला और शोधन अक्षमता से संबंधित संहिता के उपबंधों के कार्यान्वयन से देश की बड़ी आबादी प्रभावित होती है। वित्तीय संस्थानों और अन्य उधारदाताओं द्वारा साझेदारी और स्वामित्व फर्मों और ऐसी कंपनियों द्वारा समाज, संस्कृति और दिए जाने वाले ऋण की प्रकृति एवं संघटन और ऐसी फर्मों के सामने आ रहे मुद्दों की गहरी समझ आवश्यक है।

आईबीबीआई ने (क) सीडी के गारंटर, और (ख) व्यवसाय वाले व्यक्तियों, और संबंधित नियमों व विनियमनों का मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति के संबंध में दिवाला और शोधन अक्षमता से निपटने के लिए संहिता के उपबंधों को लागू करने के लिए कार्यनीति और प्रणाली की अनुशंसा करने के लिए कार्य समूह का गठन किया। कार्य समूह ने दिवाला और शोधन अक्षमता(व्यक्तियों और फार्मों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया हेतु प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2017 और मसौदा आईबीबीआई (व्यक्तियों और फार्मो के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमनों के साथ–साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। एकल व्यक्ति दिवाला और शोधन अक्षमता संबंधी आईबीबीआई परामर्शदात्री समिति (एसी) ने कार्यसमूह की रिपोर्ट और मसौदा नियमों–विनियमनों पर जनता की टिप्पणियों पर विचार किया और कतिपय सिफारिशें कीं। आईबीबीआई के शासी बोर्ड ने दिसंबर, 2017 में अपनी बैठक में, कार्यसमूह की रिपोर्ट, एसी की सिफारिशों और अन्य संबंधित सामग्रियों पर विचार किया। इस बीच, संशोधन अध्यादेश, 2017 ने एकल व्यक्तियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, जिससे एकल व्यक्ति दिवाला संबंधी प्रावधान चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाने लगे। हालांकि, ये प्रावधान अभी लागू होने बाकी है।

विनियमन जारी करने की प्रक्रिया

संहिता एक आधुनिक आर्थिक विधान है। संहिता की धारा 240 में आईबीबीआई को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। आईबीबीआई द्वारा नियम बनाने के लिए एक पारदर्शी और परामर्शी प्रक्रिया विकसित की गई है। आईबीबीआई का प्रयास रहा है कि नियमन बनाने की प्रक्रिया में हितधारकों को प्रभावी रूप से शामिल किया जाए। इस प्रक्रिया की शुरूआत आम तौर पर डब्ल्यूजी के साथ होती है, जो मसौदा विनियमनों का सुझाव देती है। आईबीबीआई जनता से सुझाव लेने की मांग करते हुए इन मसौदा विनियमनों को सार्वजनिक करती है। यह हितधारकों के साथ मसौदा नियमों पर चर्चा करने के लिए कुछ बैठकें आयोजित करती है। यह अपने एसी का परामर्श लेता है। यह प्रक्रिया आईबीबीआई के जीबी द्वारा विनियमनों को मंजूरी देने और आईबीबीआई द्वारा अंतिम अधिसूचना के साथ पूरी होती है। इस प्रक्रिया में जमीनी हकीकत को आधार बनाने का प्रयास किया जाता है, इससे विनियमनों का स्वामित्व मिलता है, लोकतांत्रिक वैधता प्राप्त होती है और विनियमन मजबूत और संक्षिप्त बनते हैं, जो काल और प्रयोजनार्थ प्रासंगिक होते हैं।

संहिता के अधीन प्रक्रियाओं के लिए अधीनस्थ विधानों के महत्व को देखते हुए, यह आवश्यक है कि आईबीबीआई के पास एक सुव्यवस्थित, मजबूत तंत्र हो, जिसमें विनियमन बनाने के लिए हितधारकों के साथ प्रभावी भागीदारी शामिल है। संहिता की धारा 196 (1) (एस) में आईबीबीआई

के लिए विनियमन अधिसूचित किए जाने से पूर्व जनता से परामर्श प्रक्रियाओं के संचालन सहित विनियमन जारी करने के लिए तंत्र निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है।

इस दर्शन और सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप, आईबीबीआई विनियमनों बनाने और जनता से परामर्श करने की प्रक्रिया को शासित करने वाले विनियमन बनाने का प्रस्ताव करता है। तदनुसार, आईबीबीआई ने 7 मार्च, 2018 को हितधारकों सहित जनता से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए मसौदा आईबीबीआई (विनियमन जारी करने हेतु तंत्र) विनियमन, 2018 का मसौदा प्रस्तुत किया।

ग.3 पक्ष समर्थन और जागरूकता

सरकार और प्राधिकरण, अर्थव्यवस्था में बाजार संव्यवहार के लिए नीतियां बनते हैं और कानूनी एवं नियामक ढांचा तैयार करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों की भागीदारी करना महत्वपूर्ण है कि नीति और विनियमन, जमीनी यथार्थ के अनुरूप हों और हितधारक नीति और विनियमनों के अनुसार संव्यवहार करें। किसी भी सुधार के शुरुआती दिनों में, हितधारकों को नीति एवं विनियमनों का संदेश देने के लिए और उन्हें संभावित उपयोग और उपयोग के तरीके से अवगत कराने के लिए ऐसी भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। दिवाला सुधारों के संदर्भ में, हितधारकों को संहिता, नियामक ढांचे और पारिस्थितिकी तंत्र की जानकारी होनी चाहिए, जो सभी भारतीय संदर्भ में नए हैं।

आईबीबीआई के अध्यक्ष, पूर्ण कालिक सदस्यों (डब्ल्यूटीएम) और वरिष्ठ अधिकारियों ने देशभर में बहुत से संस्थानों द्वारा आयोजित 134 कार्यकमों (संगोष्ठी, सम्मेलन, राउंडटेबल, स्टडी सर्किल, कार्यशाला आदि) में विभिन्न क्षमताओं (संकाय, पैनलिस्ट, वक्ता, माननीय अतिथि आदि) में भाग लिया जैसा कि सारणी 4 में दिया गया है।

सारणी 4

2017–18 में पक्ष समर्थन कार्यक्रमों में भागीदारी

नाम और पदनाम	कार्यक्रमों की सं.
डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष	83
सुश्री सुमन सक्सेना, पूर्णकालिक सदस्य	09
डॉ. नवरंग सैनी, पूर्णकालिक सदस्य	13
डॉ. (सुश्री) मुकुलिता विजयवर्गीय, पूर्णकालिक सदस्य	20
अन्य अधिकारी	09
कुल	**134**

इन कार्यक्रमों का विवरण सारणी 5 में दिया गया है।

कार्यक्रम

उन विभिन्न कार्यक्रमों के अलावा, जिनमें आईबीबी ने भाग लिया, जैसा कि ऊपर विवरण दिया गया है, आईबीबीआई ने फिक्की, एसोचौम, पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और सीआईआई के साथ मिलकर आईपी, उद्योग प्रतिभागियों और अन्य हितधारकों के लिए के अंतर्निहित विषय से कई कार्यक्रम आयोजित किए। इन अंतःक्रियाओं का उद्देश्य उन कठिनाइयों को समझना था, जिनका सामना संहिता के कार्यान्वयन में विभिन्न हितधारकों द्वारा किया जा रहा है और बाजार प्रतिभागियों को संहिता के बारे में शिक्षित करना, दोनों हैं। सरकार अन्य संगठनों के सहयोग से, आईबीबीआई ने दो बडे कार्यक्रम आयोजित किए:

(क) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नेशनल फाउंडेशन फॉर कारपोरेट गवर्नेंस और आईबीबीआई ने 19 अगस्त, 2017 को 'दिवाला और शोधन अक्षमता: चेंजिंग पैराडाईम' पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था। श्री अरुण जेटली, माननीय वित्त, कारपोरेट कार्य और रक्षा मंत्री इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे।

(ख) आईबीबीआई ने फिक्की के साथ मिलकर 29 जुलाई, 2017 को नई दिल्ली में आईपी, उद्योग प्रतिभागियों और अन्य हितधारकों के लिए 'डिकोडिंग दी इनसॉल्वेंसी एण्ड बैंकरप्टसी' कार्यक्रम आयोजित किया था।

सारणी 5

2017–18 में पक्ष–समर्थन कार्यक्रमों का विवरण

क्र.सं.	तारीख	स्थान	आयोजक	कार्यक्रम	विषय	जिस अधिकारी द्वारा भाग लिया गया
1	13.04.17	नई दिल्ली	एनएलयू, दिल्ली	व्यावहारिक	आईबीसी	अध्यक्ष
2	15.04.17	नई दिल्ली	एच2लाइफ फा. उंडेशन	सेमिनार	आईबीसी उपलबधियां, चुनौतियाँ और आगामी मार्ग	अध्यक्ष
3	20.04.17	नई दिल्ली	सीआईएमएसएमई	समारोह	एमएसएमई बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार	अध्यक्ष
4	20.04.17	नई दिल्ली	आईबीबीआई	बातचीत	विधि और शासनरू आईबीबीआई और आईबीसी	अध्यक्ष
5	21.04.17	कोलकाता	आईसीएमएआई	सेमिनार	आईबीसीरू बैंकरों के लिए व्यावहारिक पहलू	अध्यक्ष
6	26.04.17	नई दिल्ली	आईबीबीआई	दिवाला वृत्तिक कार्यशाला	कारपोरेट दिवाला और परिसमापन प्रक्रिया	अध्यक्ष
7	28.04.17	नई दिल्ली	एस्सोचौम	सम्मेलन	नया कारपोरेट दिवाला शासन	अध्यक्ष
8	29.04.17	नई दिल्ली	एस्सोचौम	सम्मेलन	नियामक क्षमता निर्माण	अध्यक्ष
9	02.05.17	नई दिल्ली	आईबीबीआई	गोल मेज	सीआईआरपी विनियमनों का फास्ट ट्रैक प्रारूपण	अध्यक्ष
10	06.05.17	नई दिल्ली	एनबीए	सेमिनार	आईबीसी और उभरते न्यायाधिकार	अध्यक्ष
11	08.05.17	बंगलुरू	आईसीएसआई	गोल मेज	सीआईआरपी विनियमनों का फास्ट ट्रैक प्रारूपण	सुश्री सक्सेना
12	08.05.17	बंगलुरू	आईसीएसआई	गोल मेज	एसएमई के लिए सीआईआरपी	सुश्री सक्सेना
13	12.05.17	लखनऊ	एसआईपीआई, एफआईएसएमई, एवं आईआईए	गोल मेज	सीआईआरपी विनियमनों का फास्ट ट्रैक प्रारूपण	सुश्री सक्सेना
14	13.05.17	नई दिल्ली	सीआईएमएसएमई	स्टडी सर्किल	दिवाला वृत्तिक की भूमिका	अध्यक्ष
15	19.05.17	मुंबई	सीआईएमएसएमई	स्टडी सर्किल	दिवाला वृत्तिक की भूमिका	अध्यक्ष
16	02.06.17	हैदराबाद	एस्सोचौम	सम्मेलन	आईबीसी और विनियमित व्यावसायिक	डॉ सैनी, डब्ल्यूटीएम
17	02.06.17	हैदराबाद	आईसीएसआई	गोल मेज	मसौदा मूल्यांकक नियम	डॉ सैनी, डब्ल्यूटीएम
18	12.06.17	अहमदाबाद	आईओवी	गोल मेज	मसौदा मूल्यांकक नियम	डॉ सैनी, डब्ल्यूटीएम
19	14.06.17	चेन्नई	आईसीएआई	गोल मेज	मसौदा मूल्यांकक नियम	डॉ. विजयवर्गीय डब्ल्यूटीएम
20	15.06.17	बंगलुरू	आईसीएआई	गोल मेज	मसौदा मूल्यांकक नियम	डॉ. विजयवर्गीय डब्ल्यूटीएम
21	15.06.17	मुंबई	सीआईएमएसएमई	गोल मेज	मसौदा मूल्यांकक नियम	सुश्री सक्सेना
22	16.06.17	मुंबई	आईसीएआई	गोल मेज	मसौदा मूल्यांकक नियम	सुश्री सक्सेना
23	16.06.17	कोलकाता	एमसीसीआई	सेमिनार	एमएसएमई के लिए आईबीसी	अध्यक्ष
24	16.06.17	कोलकाता	एमसीसीआई एवं आईसीएसआई	गोल मेज	मसौदा मूल्यांकक नियम	अध्यक्ष
25	17.06.17	गुवाहाटी	आईसीएआई	सेमिनार	आईबीसी	अध्यक्ष
26	19.06.17	नई दिल्ली	आईओवी	गोल मेज	मसौदा मूल्यांकक नियम	डॉ सैनी, डब्ल्यूटीएम
27	20.06.17	नई दिल्ली	सीआईआई	गोल मेज	मसौदा मूल्यांकक नियम	सुश्री सक्सेना
28	23.06.17	चेन्नई	आईसीएआई	सम्मेलन	दिवाला सुधार	अध्यक्ष

29	23.06.17	चेन्नई	आईसीएआई	सीए कार्यशाला	आईबीसी	अध्यक्ष
30	23.06.17	चेन्नई	आरबीआई स्टाफ कॉलेज	व्याख्यान	आईबीसी	अध्यक्ष
31	23.06.17	चेन्नई	एफआईसीसीआई	गोल मेज	मसौदा मूल्यांकन नियम	अध्यक्ष
32	23.06.17	नई दिल्ली	सीआईआई	गोल मेज	मसौदा मूल्यांकन नियम	सुश्री सक्सेना
33	24.06.17	चेन्नई	एफआईसीसीआई	सम्मेलन	आईबीसी	अध्यक्ष
34	24.06.17	चेन्नई	आईओवी	गोल मेज	मसौदा मूल्यांकन नियम	अध्यक्ष
35	27.06.17	मुंबई	आईएनएसओएल एवं एसआईपीआई	गोल मेज	मसौदा मूल्यांकन नियम	डॉ सैनी, डब्ल्यूटीएम
36	28.06.17	मुंबई	पीवीएआई	गोल मेज	मसौदा मूल्यांकन नियम	डॉ सैनी, डब्ल्यूटीएम
37	29.06.17	चेन्नई	आरबीएससी	पैनल चर्चा	फाइनेंशियल बिल्स एंड लिविंग विल्स – रिकवरी एंड रिजॉल्यूशन	डॉ. विजयवर्गीय डब्ल्यूटीएम
38	30.06.17	नई दिल्ली	एफआईसीसीआई	गोल मेज	मसौदा मूल्यांकन नियम	अध्यक्ष
39	04.07.17	कोलकाता	आईसीएमएआई का दिवाला व्यावसायिक एजेंसी	गोल मेज	मसौदा मूल्यांकन नियम	डॉ सैनी, डब्ल्यूटीएम
40	05.07.17	नई दिल्ली	नीति आयोग	सत्र	आईबीसी और एमएसएमई	अध्यक्ष
41	15.07.17	नई दिल्ली	एस्सोचौम	सम्मेलन	विलय और अधिग्रहण रू मुद्दे और चुनौतियां	अध्यक्ष
42	16.07.17	मुंबई	एनआईएसएम	वार्ता	दिवाला और शोधन अक्षमता के लिए वित्तीय साक्षरता	अध्यक्ष
43	18.07.17	मुंबई	सीएएफआरएएल	कार्यशाला	तनावग्रस्त आस्तियों की रिकवरी और समाधान	अध्यक्ष
44	28.07.17	बंगलुरू	एस्सोचौम	कार्यशाला	व्यावसाय करना सुगम बनाने के लिए आईबीसी	अध्यक्ष
45	29.07.17	नई दिल्ली	आईबीबीआई	सेमिनार	आईबीसी की डीकोडिंग	अध्यक्ष
46	02.08.17	मुंबई	बीएफएसआई स्किल काउंसिल	गोल मेज	दिवाला एसोसिएट्स तैयार करना	अध्यक्ष
47	19.08.17	मुंबई	एनएफसीजी एवं एमसीए	सेमिनार	आईबीसीरू परिवर्तित प्रतिमान	अध्यक्ष
48	19.08.17	मुंबई	एस्सोचौम	सम्मेलन	पुनर्संरचना, समाधान और स्थिरता	डॉ. विजयवर्गीय डब्ल्यूटीएम
49	23.08.17	नई दिल्ली	पीएचडीसीसीआई	सम्मेलन	विलय और अधिग्रहणरू नियामक ढांचा	अध्यक्ष
50	26.08.17	कोलकाता	आईसीएसआई	सम्मेलन	कंपनी सचिवों के अभ्यास के लिए आईबीसी	अध्यक्ष
51	28.08.17	कटक	एनएलयू, ओडिशा	वार्ता	भारत में दिवाला शासन के बदलते आयाम	अध्यक्ष
52	28.08.17	भुवनेश्वर	आईसीएसआई	वार्ता	आईबीसी	अध्यक्ष
53	29.08.17	भुवनेश्वर	आईसीएआई	सेमिनार	आईबीसी	अध्यक्ष
54	29.08.17	कटक	रेवेन्शा विश्वविद्यालय	व्याख्यान	शिक्षाविदों और दिवाला सुधार	अध्यक्ष
55	30.08.17	नई दिल्ली	नीति आयोग	गोल मेज	एमएसएमई दिवाला	अध्यक्ष
56	30.08.17	कोलकाता	एस्सोचौम	सम्मेलन	नई कारपोरेट दिवाला शासन और आरईआरए	डॉ. विजयवर्गीय डब्ल्यूटीएम
57	31.08.17	नई दिल्ली	कारपोरेट वृत्तिक	पुस्तक अनावरण	आईबीसी के बारे में पुस्तक	अध्यक्ष
58	07.09.17	मुंबई	बीक्यू ग्लोबल	प्रशिक्षण	आईबीसी एक नया परिवर्तन	अध्यक्ष

59	08.09.17	मुंबई	एसएमईसीआई	सम्मेलन	एसएमई विनिर्माण और आईबीसी	अध्यक्ष
60	08.09.17	अहमदाबाद	एस्सोचौम	सम्मेलन	नई कारपोरेट दिवाला शासन और आरईआरए	डॉ. विजयवर्गीय डब्ल्यूटीएम
61	09.09.17	मसूरी	एसबीआई पूंजी बाजार	कार्यनीतिक बैठक	आईबीसी	अध्यक्ष
62	13.09.17	मुंबई	आईबीबीआई	गोल मेज	सीआईआरपी विनियमन	अध्यक्ष
63	14.09.17	नोएडा	आईसीएसआई	प्रशिक्षण	कारपोरेट नेतृत्व विकास	अध्यक्ष
64	14.09.17	हैदराबाद	एस्सोचौम	दिवाला वृत्तिक कार्यशाला	प्रवर्तन और दिवाला वृत्तिकों की क्षमता	डॉ सैनी, डब्ल्यूटीएम
65	15.09.17	हैदराबाद	एस्सोचौम	सम्मेलन	आईबीसी	डॉ सैनी, डब्ल्यूटीएम
66	20.09.17	नई दिल्ली	एसआईपीआई	गोल मेज	सीआईआरपी विनियमन	अध्यक्ष
67	20.09.17	नई दिल्ली	पीएचडी सीसीआई	सेमिनार	आईबीसीरू नए युग में प्रतिमान बदलाव	अध्यक्ष
68	22.09.17	मुंबई	एसआईपीआई एवं आईएनएसओएल	सम्मेलन	दिवाला सुधार रू अब तक प्रगति और आगामी मार्ग	अध्यक्ष
69	22.09.17	मुंबई	पहल फाउंडेशन	सेमिनार	आईबीसी के माध्यम से एनपीए का प्रबंधन	अध्यक्ष
70	23.09.17	नई दिल्ली	दिवाला वृत्तिक का स्टडी सर्किल	स्टडी सर्किल	आईबीसी	अध्यक्ष
71	27.09.17	नई दिल्ली	आईबीबीआई	गोल मेज	सीआईआरपी विनियमन	अध्यक्ष
72	28.09.17	मुंबई	आईओएससीओ	सेमिनार	भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता ढांचा	अध्यक्ष
73	03.10.17	पुणे	एनआईबीएम	कार्यशाला	आईबीसी	अध्यक्ष
74	03.10.17	पुणे	आईएसपीआई	वार्ता	आर्थिक स्वतंत्रता के मार्ग में आईबीसी	अध्यक्ष
75	05.10.17	नई दिल्ली	आईसीएसआई आईआईपी	प्रशिक्षण	आईबीसी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र में क्षमता निर्माण	अध्यक्ष
76	23.10.17	इंदौर	आईसीएमएआई की दिवाला व्यावसायिक एजेंसी	गोल मेज	व्यष्टिक दिवाला समाधान	डॉ. विजयवर्गीय डब्ल्यूटीएम
77	23.10.17	इंदौर	आईसीएमएआई	गोल मेज	आईबीसी विनियमन	डॉ. विजयवर्गीय डब्ल्यूटीएम
78	24.10.17	लुधियाना	एफआईएसएमई	गोल मेज	व्यष्टिक दिवाला समाधान	सुश्री सक्सेना
79	24.10.17	विशाखापत्तनम	आईसीएआई का आईआईआईपी	गोल मेज	व्यष्टिक दिवाला समाधान	डॉ सैनी, डब्ल्यूटीएम
80	25.10.17	लखनऊ	एफआईएसएमई	गोल मेज	व्यष्टिक दिवाला समाधान	डॉ. सूरी, ईडी
81	25.10.17	नई दिल्ली	एस्सोचौम	सम्मेलन	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता	डॉ. विजयवर्गीय डब्ल्यूटीएम
82	26.10.17	कोयंबटूर	आईसीएआई का आईआईआईपी	गोल मेज	व्यष्टिक दिवाला समाधान	डॉ सैनी, डब्ल्यूटीएम
83	27.10.17	नई दिल्ली	एनएलयू, दिल्ली	सम्मेलन	दिवाला समाधान और सीमा–पार दिवाला	डॉ. विजयवर्गीय डब्ल्यूटीएम
84	28.10.17	नई दिल्ली	एनएलयू, दिल्ली	गोल मेज	कारपोरेट दिवाला	अध्यक्ष
85	29.10.17	नई दिल्ली	एनएलयू, दिल्ली	मूट	दिवाला कारपोरेट पर मूट	अध्यक्ष
86	30.10.17	नई दिल्ली	आईबीबीआई	गोल मेज	सीआईआरपी के लिए परिसमापन	अध्यक्ष

87	30.10.17	जोधपुर	आईसीएमएआई की दिवाला व्यावसायिक एजेंसी	गोल मेज	व्यष्टिक दिवाला समाधान	डॉ सैनी, डब्ल्यूटीएम
88	31.10.17	मुंबई	आईसीएसआई आईआईपी	गोल मेज	व्यष्टिक दिवाला समाधान	सुश्री सक्सेना
89	01.11.17	नई दिल्ली	एसआईपीआई एवं एफआईएसएमई	गोल मेज	व्यष्टिक दिवाला समाधान	अध्यक्ष
90	03.11.17	कोलकाता	आईसीएसआई आईआईपी	गोल मेज	व्यष्टिक दिवाला समाधान	सुश्री दूबे,डीजीएम
91	06.11.17	सूरत	एसजीसीसीआई एवं एफआईएसएमई	गोल मेज	व्यष्टिक दिवाला समाधान	डॉ. सूरी, ईडी
92	07.11.17	मुंबई	एस्सोचौम	सम्मेलन	आईबीसी और आरईआरए	अध्यक्ष
93	07.11.17	मुंबई	एसआईपीआई	गोल मेज	आईबीसी	अध्यक्ष
94	13.11.17	मुंबई	आईबीए	सेमिनार	आईबीसी	अध्यक्ष
95	13.11.17	मुंबई	नेशनल ई–गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड	प्रारंभिक कार्यक्रम	आईयू परिचालन का आरंभ	अध्यक्ष
96	17.11.17	मुंबई	बीएसई	सम्मेलन	आईबीसी	अध्यक्ष
97	22.11.17	तिरुवनंतपुरम	आईसीएसआई	कन्वेंशन	आईबीसीरू नए अवसरों का संसार	अध्यक्ष
98	24.11.17	जयपुर	आईसीएआई	सम्मेलन	आईबीसी में वृत्तिकों के लिए अवसर	डॉ. विजयवर्गीय डब्ल्यूटीएम
99	27.11.17	गाजियाबाद	आरएकेएनपीए	प्रशिक्षण	आर्थिक स्वतंत्रता की तलाश में	अध्यक्ष
100	28.11.17	नई दिल्ली	एस्सोचौम	गोल मेज	भारतीय मूल्यांकन प्रणाली	अध्यक्ष
101	30.11.17	नई दिल्ली	आईबीबीआई	गोल मेज	मसौदा मूल्यांकक नियम	अध्यक्ष
102	05.12.17	मुंबई	एवीसीजे	सम्मेलन	वार्षिक सत्र	डॉ. सूरी, ईडी
103	08.12.17	नई दिल्ली	आईबीबीआई	कार्यशाला	आईबीसी का सार	डॉ. विजयवर्गीय डब्ल्यूटीएम
104	11.12.17	नई दिल्ली	एनआईपी/फपी	वार्ता	भारतीय दिवाला सुधाररू एक प्रगति रिपोर्ट	अध्यक्ष
105	14.12.17	मुंबई	नेशनल ई–गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड	सत्र	आईबीसी	अध्यक्ष
106	14.12.17	मुंबई	एनएसई–एनवाईयू	सम्मेलन	आईबीसी	अध्यक्ष
107	15.12.17	नई दिल्ली	एस्सोचौम	सम्मेलन	न्यू इंडिया कांफ्रेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज	डॉ. विजयवर्गीय डब्ल्यूटीएम
108	16.12.17	मुंबई	बीआरआईसीएस	सेमिनार	आईबीसी	अध्यक्ष
109	16.12.17	पुणे	एनआईबीएम	कार्यशाला	आईबीसी	डॉ. विजयवर्गीय डब्ल्यूटीएम
110	18.12.17	मुंबई	आईजीआईडीआर	सम्मेलन	उभरते बाजार वित्त	अध्यक्ष
111	18.12.17	मुंबई	आईआईबीएफ	स्मृति व्याख्यान	बैंकिंग ओन गवर्नेंस फ्रीडम फ्रॉम एंड फ्रीडम टू	अध्यक्ष
112	28.12.17	नागपुर	आईओवी	कांग्रेस	भारतीय मूल्यांकक कांग्रेस	अध्यक्ष
113	30.12.17	हैदराबाद	आईसीएआई	गोल मेज	दिवाला विधि समिति के विचारार्थ मुद्दे	डॉ. सूरी, ईडी
114	02.01.18	मुंबई	आईसीएआई	सम्मेलन	आईबीसी में संशोधन	डॉ सैनी, डब्ल्यूटीएम
115	10.01.18	मुंबई	आईबीए	सम्मेलन	संकटग्रस्त आस्ति समाधान	अध्यक्ष

116	10.01.18	मुंबई	एफआईडीसी एवं नेशनल ई–गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड	गोल मेज	एनएबीफसी और आईयू	अध्यक्ष
117	18.01.18	मुंबई	विश्व बैंक	कार्यशाला	आईबीसी विकास और न्यायाधिकार	डॉ. विजयवर्गीय डब्ल्यूटीएम
118	24.01.18	मुंबई	आईसीएसआई आईदिवाला वृत्तिक एवं विश्व बैंक	कार्यशाला	दिवाला वृत्तिकों के लिए विधि	डॉ. सूरी, ईडी
119	28.01.18	नागपुर	आईसीएआई	सेमिनार	सेक्टर एनालिसिस पोस्ट इकोनोमिक रिफॉर्म्स	डॉ. विजयवर्गीय डब्ल्यूटीएम
120	30.01.18	मुंबई	ऐस्सोचौम	सम्मेलन	वैल्यूशन रूल्सः ए गेम चेंजेर	अध्यक्ष
121	30.01.18	मुंबई	एसबीआई एवं नेशनल ई–गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड	समारोह	सूचना उपयोगिता का निर्माण	अध्यक्ष
122	10.02.18	नई दिल्ली	आईबीबीआई	दिवाला वृत्तिक कॉन्क्लेव	दिवाला वृत्तिकों के संस्थान का निर्माण	अध्यक्ष
123	11.02.18	भुवनेश्वर	ओईए	स्मृति व्याख्यान	व्यवसाय आरम्भ करने से लेकर व्यवसाय से निक. ालने के लिए	अध्यक्ष
124	13.02.18	हैदराबाद	आईसीएआई	गोल मेज	सीआईआरपी	डॉ. सूरी, ईडी
125	14.02.18	हैदराबाद	आईसीएआई	गोल मेज	सीआईआरपी	डॉ. सूरी, ईडी
126	17.02.18	आणंद	सीवीएसआरटीए	सम्मेलन	आस्तियों का मूल्यांकन	अध्यक्ष
127	17.02.18	मुंबई	आईबीबीआई	कार्यशाला	आईबीसी	डॉ. विजयवर्गीय डब्ल्यूटीएम
128	09.03.18	भुवनेश्वर	एसआईडीबीआई	कार्यशाला	आईबीसी	डॉ. विजयवर्गीय डब्ल्यूटीएम
129	16.03.18	नई दिल्ली	आईसीएमएआई	कन्वेंशन	आईबीसी का कार्यान्वयन : एक मूल्यांकन	अध्यक्ष
130	17.03.18	जयपुर	जेआईएम, जयपुर	सम्मेलन	कारपोरेट दिवाला के लिए अकादमिया की भूमिका और कार्यनीति	अध्यक्ष
131	17.03.18	गांधीनगर	जीएनएलयू	सम्मेलन	बैंकिंग और वित्त	डॉ. विजयवर्गीय डब्ल्यूटीएम
132	23.03.18	मुंबई	सेबी	वार्ता	कारपोरेट दिवाला और प्रतिभूति बाजार	अध्यक्ष
133	24.03.18	बंगलुरू	एनएलएसआईयू, बंगलुरू	सिंपोजियम	इम्प्लिमेंटशन ऑफ आईबीसी : बिल्डिंग व्हेअरविदल	डॉ. सूरी, ईडी
134	24.03.18	नई दिल्ली	सीआईआई	सम्मेलन	रिजोल्विंग इन्सोल्वेंसी प्रोग्रेस एंड वे फॉरवर्ड	डॉ. विजयवर्गीय डब्ल्यूटीएम
134	24.03.18	नई दिल्ली	सीआईआई	सम्मेलन	रिजोल्विंग इन्सोल्वेंसी प्रोग्रेस एंड वे फॉरवर्ड	डॉ. विजयवर्गीय डब्ल्यूटीएम

शैक्षणिक व्यस्तताएँ

शोध लेखन प्रतियोगिता : गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर ने आईबीबीआई के साथ मिलकर भारत में 'लीगल लैंडस्केप्स ऑफ दिवाला एंड बैंकरप्सी – ऑन लाईन जर्नी' पर अखिल भारतीय शोध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। अनुसंधान लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं का विवरण सारणी 6 में दिया गया है।

सारणी 6

शोध लेखन प्रतियोगिता के विजेता

स्थान	विजेता का नाम	संस्थान	विषय
प्रथम	श्री सुभदीप चौधरी	गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी	क्या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता को सीमांकन द्वारा दबा देना चाहिए?
द्वितीय	सुश्री आयुषी सिंह	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर	कारपोरेट दिवाला समाधान संविधियों के व्याख्यात्मक विकास की जांच:, समाधान, दोनों ओर से खुले और जटिलताएं
तृतीय	श्री रोहन कोहली	नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल	नई दिवाला विधि के आलोक में कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों की संगतता और प्रभाव।

निबंध प्रतियोगिता

आईबीबीआई ने उच्च शिक्षा के छात्रों के बीच दिवाला और शोधन अक्षमता शासन के बारे में जागरूकता पैदा करने के प्रयास में, 13 अक्टूबर, 2017 को शिक्षण संस्थानों के माध्यम से निबंध प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने के लिए आईबीबीआई (निबंध प्रतियोगिता) दिशानिर्देश, 2017 जारी किए। विश्वविद्यालयों, मानद विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक संस्थानों (भारत में आईसीएआई, आईसीएमएआई और आईसीएसआई) में किसी भी विषय के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के छात्र इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। आईबीबीआई, शिक्षण संस्थान के माध्यम से, निबंध प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों को सर्वश्रेष्ठ निबंध लिखने वाले छात्र को 10,000 रु. का नकद पुरस्कार और दूसरे सर्वश्रेष्ठ निबंध लिखने वाले 5,000 रु. का नकद पुरस्कार के साथ भागीदारी प्रमाणपत्र भी दिया जाता है। (i) भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक, (ii) इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, निरमा यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद और (iii) नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (एलएलआईयू), भोपाल के तत्वावधान में तीन निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

दिवाला मूट

आईबीबीआई, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली, आईएनएसओएल इंडिया, एसआईपीआई और यूएनसीआटीआरएएल के साथ संयुक्त रूप से रीजनल सेंटर फॉर एशिया एंड द पैसिफिक ने अक्टूबर, 2017 में नए दिवाला शासन पर उद्घाटन मूट का आयोजन किया। देश भर के व्यापार और विधि के प्रतिष्ठित संस्थानों को मूट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। मूट के फाइनलिस्ट प्रतिभागी निम्नलिखित :

विजेता : सुश्री पूरवी नंदा, श्री मोहित खंडेलवाल, और राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पटियाला की सुश्री सुनिधि पब्रेजा तथा
रनर–अप : श्री शशांक चड्ढा, श्री अंकित गुप्ता, श्री उदयन श्रीवास्तव, और नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल की सुश्री दीक्षा मलिक।

इंटर्नशिप प्रोग्राम

आईबीबीआई उन छात्रों को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करता है जो दिवाला, परिसमापन, शोधन अक्षमता या किसी अन्य संबंधित क्षेत्र में एक व्यावसायिक कैरियर बनाने की इच्छा रखते हैं। आईबीबीआई इंटर्नशिप दिशानिर्देश, 2017, जो 16 अगस्त, 2017 को जारी किए गए थे, आईबीबीआई के साथ इस तरह की इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की आवश्यकताओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। किसी भी मान्यताप्राप्त स्कूल, कॉलेज, संस्थान, विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त, प्रबंधन या विधि में पांच वर्षीय या तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम करने वाले छात्र इसके लिए पात्र है। इंटर्नशिप की अवधि एक महीना है। इंटर्नशिप के संतोषजनक समापन पर, इंटर्न को इंटर्नशिप पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

सूचना पत्र

जबकि आईबीबीआई नीति निर्माण में अपने आदान हासिल करने के लिए हितधारकों के साथ जुड़ता है, लेकिन इसके काम करने और किए जाने वाले परिणामों के बारे में जानकारी देना भी महत्वपूर्ण है। इस प्रयास में, आईबीबीआई शुरू से ही अपने त्रैमासिक सूचना पत्र का प्रकाशन कर रहा है। उसी की एक सॉफ्ट कॉपी आईबीबीआई की वेबसाइट पर प्रसार के लिए रखी गई है। सूचना पत्रों ने विधिक और नियामक विकास को संक्षेप में प्रस्तुत किया; आईबीबीआई द्वारा संहिता के अधीन सभी प्रक्रियाओं और सेवा प्रदाताओं की स्थिति; क्षमता निर्माण की पहल और सहायता और जागरूकता सृजन गतिविधियाँ की जाती हैं।

ग.4 अनुसंधान

दिवाला और शोधन अक्षमता जैसे विकसित क्षेत्र में, भविष्य की नीति निर्माण को सूचित करने के लिए साहित्य और बाजार की जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। तदनुसार, आईबीबीआई दिवाला व्यावसायिक एजेंसी और शिक्षाविदों के माध्यम से अनुसंधान और प्रकाशन को बढ़ावा दे रहा है। इसका अनुसंधान और प्रकाशन प्रभाग है, जो (क) प्रक्रियाओं और परिणामों से संबंधित डाटा को जोड़ता है और उनका विश्लेषण करता है, (ख) त्रैमासिक सूचना पत्र और ब्रोशर प्रकाशित करता है, (ग) वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है, और (घ) केस स्टडी के लिए बाहरी शोधकर्ताओं के साथ समन्वय, अनुसंधान कार्यशाला आदि का आयोजन करता है।

घ बोर्ड के कार्य

संहिता की धारा 196 बोर्ड के कार्यों को परिगणित करती है। इसके मोटे तौर पर तीन कार्य हैं, अर्थात्

(क) **अर्ध–विधायी कार्य** : बोर्ड सेवा प्रदाताओं और प्रक्रियाओं के लिए नियम बनाता है;

(ख) **कार्यकारी कार्य** : बोर्ड दिवाला प्रक्रिया के लिए सेवा प्रदाताओं को पंजीकृत और नियंत्रित करता है और शिक्षा, परीक्षा, प्रशिक्षण और निरंतर व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक विकास और विशेषज्ञता के लिए उपाय करता है; तथा

(ग) **अर्ध–न्यायिक कार्य** : बोर्ड सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध उनके कार्य को सुनिश्चित रूप से करने के लिए विरोधों पर निर्णय लेता है।

इनमें से प्रत्येक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 2017–18 के दौरान बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाइयां इस भाग में बताई गई हैं।

अर्ध–विधिक कार्य

संहिता आईबीबीआई को दिवाला और शोधन अक्षमता से संबंधित मामलों पर विनियमन और दिशानिर्देश बनाने और दिवाला व्यावसायिक एजेंसी, दिवाला वृत्तिकों और आईयू को दिशानिर्देश जारी करने में सक्षम बनाती है। संहिता की धारा 240 आईबीबीआई को विनियमन बनाने में शर्तों के अध्यधीन सक्षम बनाती है : (क) संहिता के उपबंधों को पूरा करना, (ख) संहिता के अनुरूप हैं और इसके अधीन नियम बनाए गए हैं; (ग) शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा किया गया है; और (घ) 30 दिनों के लिए संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, यथाशीघ्र रखा गया है।

आईबीबीआई ने नियम बनाने के लिए एक पारदर्शी और परामर्शी प्रक्रिया विकसित की है। प्रक्रिया आम तौर पर कार्यकारी समूह बनाने वाले मसौदा नियमों के साथ शुरू होती है। मुद्दों के बारे में विस्तार से अध्ययन करने और विनियमनों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर सिफारिशें करने के लिए कार्यकारी समूह की स्थापना करने की प्रक्रिया का उपयोग सरकार द्वारा संहिता के उपबंधों को लागू करने के शुरुआती चरणों में किया गया था। सरकार ने अनुशंसा करने के लिए संबंधित / संबद्ध क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यावसायिक संस्थानों और प्रैक्टिशनरों में से लिए गए सदस्यों के साथ चार कार्यकारी समूह : (क) बोर्ड की संगठनात्मक संरचना और डिजाइन; (ख) दिवाला व्यावसायिक एजेंसी और दिवाला वृत्तिकों के लिए नियम और विनियमन; (ग) दिवाला समाधान प्रक्रिया, परिसमापन प्रक्रिया और एनसीएलटी प्रक्रियाओं और (घ) सूचना उपयोगिताओं और संबंधित मामलों के लिए नियम और विनियमन के लिए स्थापित किए हैं। इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, आईबीबीआई नीति निर्माण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यकारी समूह का गठन करता है। उदाहरण के लिए, आईबीबीआई ने व्यष्टिक दिवाला और शोधन अक्षमता पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना की है, जो कारपोरेट ऋणी के लिए व्यष्टिक गारंटियों के संबंध में दिवाला और शोधन अक्षमता से निपटने के लिए संहिता के उपबंधों को लागू करने के लिए रणनीति और दृष्टिकोण की अनुशंसा करता है और व्यवसाय से संबंधित नियमों और विनियमनों का मसौदा तैयार करता है।

यह आईबीबीआई का प्रयास रहा है कि विनियमन बनाने की प्रक्रिया में हितधारकों के साथ प्रभावी रूप से संलग्न हो। संलिप्तता मोटे तौर पर तीन मार्गों के माध्यम से की गई है: (क) इसने नियमों को संबोधित करने के लिए मांगे गए उक्त नियमों और मुद्दों को संबोधित करने के लिए ऐसे विनियमनों की उपयुक्तता को समझने के लिए हितधारकों के साथ कई दौरों में मसौदा नियमों पर चर्चा की; (ख) इसने प्रत्येक मसौदा विनियमन और उप–विनियमन पर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफोर्म के माध्यम से जनता से टिप्पणियां प्राप्त कीं; और (ग) इसने मसौदा नियमों पर प्रासंगिक सलाहकार समिति की सलाह प्राप्त की। विनियमन की प्रक्रिया शासी बोर्ड को अंतिम रूप देने और नियमों को मंजूरी देने के साथ समाप्त होती है, सार्वजनिक टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, प्रतिक्रिया गोलमेज और सलाहकार समिति की सलाह पर प्राप्त होती है।

आईबीबीआई ने जुलाई, 2017 में मौजूदा विनियमनों के हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित कीं। इसने 31 दिसंबर, 2017 तक प्राप्त टिप्पणियों को संसाधित किया और नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए, 31 मार्च, 2018 तक विनियमनों को आवश्यक सीमा तक संशोधित किया और उन्हें 01 अप्रैल, 2018 से लागू किया। बोर्ड ने 2016–17 में दस विनियमन अधिसूचित किए थे। इसने 2017–18 में चार नए नियमों को अधिसूचित किया। इसने कुछ विनियमनों को समय–समय पर संशोधित किया, जैसा कि सारणी 7 में वर्णित है। इन विनियमनों और संशोधनों में से प्रत्येक का विवरण रिपोर्ट के खंड ग के प्रासंगिक उप–श्रेणियों के अधीन प्रदान किया गया है।

सारणी 7

2017–18 में अधिसूचित विनियमन

सं.	अधिसूचना की तारीख	विनियमन
1	14.06.17	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और जांच) विनियमन, 2017
2	15.06.17	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2017
3	16.08.17	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियमन, 2017
4	16.08.17	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियमन, 2017
5	24.08.17	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियमन, 2017
6	29.09.17	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सूचना उपयोगिताएँ) (संशोधन) विनियमन, 2017
7	05.10.17	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियमन, 2017
8	05.10.17	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियमन, 2017
9	07.11.17	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियमन, 2017
10	07.11.17	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियमन, 2017
11	07.12.17	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और शिकायत निपटान प्रक्रिया) विनियमन, 2017
12	01.01.18	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियमन, 2017
13	01.01.18	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियमन, 2017
14	06.02.18	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियमन, 2018
15	07.02.18	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियमन, 2018
16	26.03.18	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियमन, 2018
17	28.03.18	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियमन, 2018
18	28.03.18	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला वृतिक) (संशोधन) विनियमन, 2018
19	28.03.18	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियमन, 2018
20	28.03.18	दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सूचना उपयोगिताएँ) (संशोधन) विनियमन, 2018

विभिन्न हितधारकों तक पहुंचने और मसौदा नियमों एवं नीतियों पर अपनी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, आईबीबीआई ने स्वयं या उद्योगों, व्यावसायिक संस्थानों और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों के साथ मिलकर पूरे भारत में कई गोलमेज का आयोजन किया। ऐसे दौरों की एक सूची, जो समीक्षाधीन अवधि में आयोजित की गई है, भाग ग की सारणी 5 में प्रदान की गई है। सारणी 8 में विभिन्न विषयों पर गोलमेज का सारांश प्रस्तुत है :

सारणी 8

विषयवार गोलमेज

विषय	2016–17	2017–18	कुल
संहिता के अधीन सेवाप्रदाता	04	02	06
कारपोरेट दिवाला प्रक्रिया – दिवाला समाधान, फास्ट ट्रैक समाधान, परिसमापन और स्वैच्छिक परिसमापन	04	11	15
व्यष्टिक दिवाला प्रक्रियाएँ	—	10	10
मूल्यांकन नियम	—	18	18
अन्य	—	03	03
कुल	**08**	**44**	**52**

सलाहकार समितियाँ

सलाहकार समितियां आम तौर पर उभरते विचारों के लिए एक नाद पट्ट के रूप में काम करती हैं और नियामक को व्यावसायिक ज्ञान और बाजार ज्ञान देती हैं। आईबीबीआई ने आईबी (सलाहकार समिति) विनियमन, 2017 (सलाहकार समिति विनियमन) के अनुसार तीन स्थायी सलाहकार समितियों का गठन किया है। इन समितियों का विवरण निम्नानुसार है:

(क) सेवाप्रदाताओं संबंधी सलाहकार समिति : इसका गठन 18 अक्टूबर, 2016 को किया गया और 30 अगस्त, 2017 को समिति का पुनर्गठन किया गया। सदस्यों में से एक (श्री ए.एस. चंडियोक) ने व्यष्टिक कारणों से 11 दिसंबर, 2017 को समिति से इस्तीफा दे दिया। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार इसका संघटन सारणी 9 में दिया गया है।

सारणी 9

सेवा प्रदाताओं संबंधी सलाहकार समिति की संरचना

क्र.सं.	नाम और पद	समिति में पद
1	श्री मोहनदास पई, अध्यक्ष, मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन	अध्यक्ष
2	श्री के.वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव, एमसीए	सदस्य
3	डॉ. बिमल एन. पटेल, निदेशक, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी	सदस्य
4	डॉ. अजय एन. शाह, प्रोफेसर, एनआईपीएफपी	सदस्य
5	श्री जे. रंगनायकुलु, पूर्व कार्यकारी निदेशक, सेबी	सदस्य
6	श्री रवि नारायण, पूर्व प्रबंध निदेशक, एनएसई	सदस्य
7	श्री पी. आर. रमेश, अध्यक्ष डेलॉयट इंडिया	सदस्य
8	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईसीएसआई आईपीए	सदस्य

(ख) कारपोरेट दिवाला समाधान संबंधी सलाहकार समिति : इसका गठन 18 अक्टूबर, 2016 को किया गया और 25 अगस्त, 2017 को पुनर्गठन किया गया। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार इसका संघटन सारणी 10 में दिया गया है।

सारणी 10

कारपोरेट दिवाला समाधान संबंधी सलाहकार समिति का संघटन

क्र.सं.	नाम और पद	समिति में पद
1	श्री उदय कोटक, कार्यकारी उपाध्यक्ष और एमडी, कोटक महिंद्रा बैंक	अध्यक्ष
2	श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, एमसीए	सदस्य
3	श्री आशीष कुमार चौहान, एमडी और सीईओ, बीएसई लिमिटेड	सदस्य
4	श्री एम. वी. नायर, अध्यक्ष, क्रेडिट सूचना ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड	सदस्य
5	डॉ. ओंकार गोस्वामी, अध्यक्ष, सीईआरजी एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड	सदस्य
6	श्री सोमशेखर सुंदरेसन, विधिक परामर्शदाता	सदस्य
7	अध्यक्ष, एनसीएलटी और एनसीएलएटी बार एसोसिएशन	सदस्य
8	श्री अजय पीरामल, पीरामल ग्रुप और श्रीराम ग्रुप के चेयरमैन	सदस्य
9	प्रो (डॉ) रणबीर सिंह, कुलपति, एनएलयू, दिल्ली	सदस्य
10	श्री आर.के. नायर, आईआरडीए के पूर्व सदस्य	सदस्य
11	अध्यक्ष, इंडियन बैंक एसोसिएशन	सदस्य
12	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईसीएआई के आई.पी.ए.	सदस्य

(ग) व्यष्टिक दिवाला और शोधन अक्षमता संबंधी सलाहकार समिति : यह 15 सितंबर, 2017 को गठित की गई। इसका संघटन सारणी 11 में दिया गया है।

सारणी 11

व्यष्टिक दिवाला और शोधन अक्षमता संबंधी सलाहकार समिति का संघटन

क्र.सं.	नाम और पद	समिति में पद
1	जस्टिस बी.एन. श्रीकृष्ण, पूर्व न्यायमूर्ति, भारतीय उच्चतम न्यायालय	अध्यक्ष
2	श्री सी. बी. भावे, अध्यक्ष, आईआईएचएस और पूर्व अध्यक्ष, सेबी	सदस्य
3	प्रोफेसर दीपांकर गुप्ता, समाजशास्त्री और लेखक	सदस्य
4	श्री पृथ्वी हल्दिया, संस्थापक अध्यक्ष, प्राइम डेटाबेस	सदस्य
5	डॉ (श्रीमती) पूर्णिमा आडवाणी, पूर्व अध्यक्ष, एनसीडब्ल्यू और अधिवक्ता	सदस्य
6	श्री आर. वी. वर्मा, पूर्व सीएमडी, नेशनल हाउसिंग बैंक	सदस्य
7	श्री संजीव सान्याल, प्रधान आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय	सदस्य
8	प्रतिनिधि, एमसीए	सदस्य
9	श्री सुमंत बत्रा, अध्यक्ष, सोसायटी ऑफ इंसोल्वेंसी प्रैक्टिशनर्स ऑफ इंडिया	सदस्य
10	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईसीएआई के आई.आई.आई.पी.	सदस्य

कार्यकारी कार्य

दिवाला वृत्तिक

31 दिसंबर, 2016 तक, 977 व्यक्तियों को छह महीने की सीमित अवधि की वैधता के साथ दिवाला वृत्तिकों के रूप में पंजीकरण प्रदान किया गया था। 31 दिसंबर, 2016 के बाद से, ऐसे व्यक्ति को दिवाला वृत्तिकों के रूप में पंजीकृत किया जाता है, जो व्यावसायिक सदस्य के रूप में दिवाला वृत्तिक एजेंसी के साथ नामांकित है और जिसके पास आवश्यक योग्यता और अनुभव है और उसने परीक्षा उत्तीर्ण की है। 31 मार्च, 2018 को पंजीकृत दिवाला वृत्तिकों का विवरण सारणी 12 और 13 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 12

दिवाला वृत्तिकों का पंजीकरण

तिमाही	तिमाही के दौरान पंजीकरण				तिमाही के अंत में पंजीकरण			
	आईसीएआ. ई का आई. आईआईपी	आईसी एसआई आईआईपी	आईसी एमएआई का आईपीए	कुल	आईसीएआ. ई का आई. आईआईपी	आईसी एसआई आईआईपी	आईसी एमएआई का आईपीए	कुल
अक्टूबर–दिसंबर, 2016'	713	221	43	977	713	221	43	977
जन–मार्च, 2017	33	51	12	96	33	51	12	96
अप्रैल–जून, 2017	266	136	48	450	299	187	60	546
जुलाई–सितंबर, 2017	338	183	40	561	637	370	100	1107
अक्टूबर–दिसंबर, 2017	125	72	20	217	762	442	120	1324
जन–मार्च, 2018	340	118	30	488	1102	560	150	1812

**30 जून, 2017 तक समाप्त पंजीकरण*

सारणी 13

दिवाला वृत्तिकों का वितरण

संख्या

शहर / क्षेत्र	आईसीएआई का आईआईआईपी	आईसीएसआई आई आईपी	आईसीएमएआई का आईपीए	कुल
नई दिल्ली	218	148	39	405
शेष उत्तरी क्षेत्र	159	100	26	285
मुंबई	205	72	20	297
शेष पश्चिमी क्षेत्र	139	67	17	223
चेन्नई	76	42	7	125
शेष दक्षिणी क्षेत्र	161	100	27	288
कोलकाता	109	22	10	141
शेष पूर्वी क्षेत्र	35	9	4	48
कुल	**1102**	**560**	**150**	**1812**

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार दिवाला वृत्तिकों के भौगोलिक वितरण चित्र 2 में प्रस्तुत किया गया है।

चित्र 2: 31 मार्च, 2018 को यथा–विद्यमान दिवाला वृत्तिकों का भौगोलिक वितरण[1]

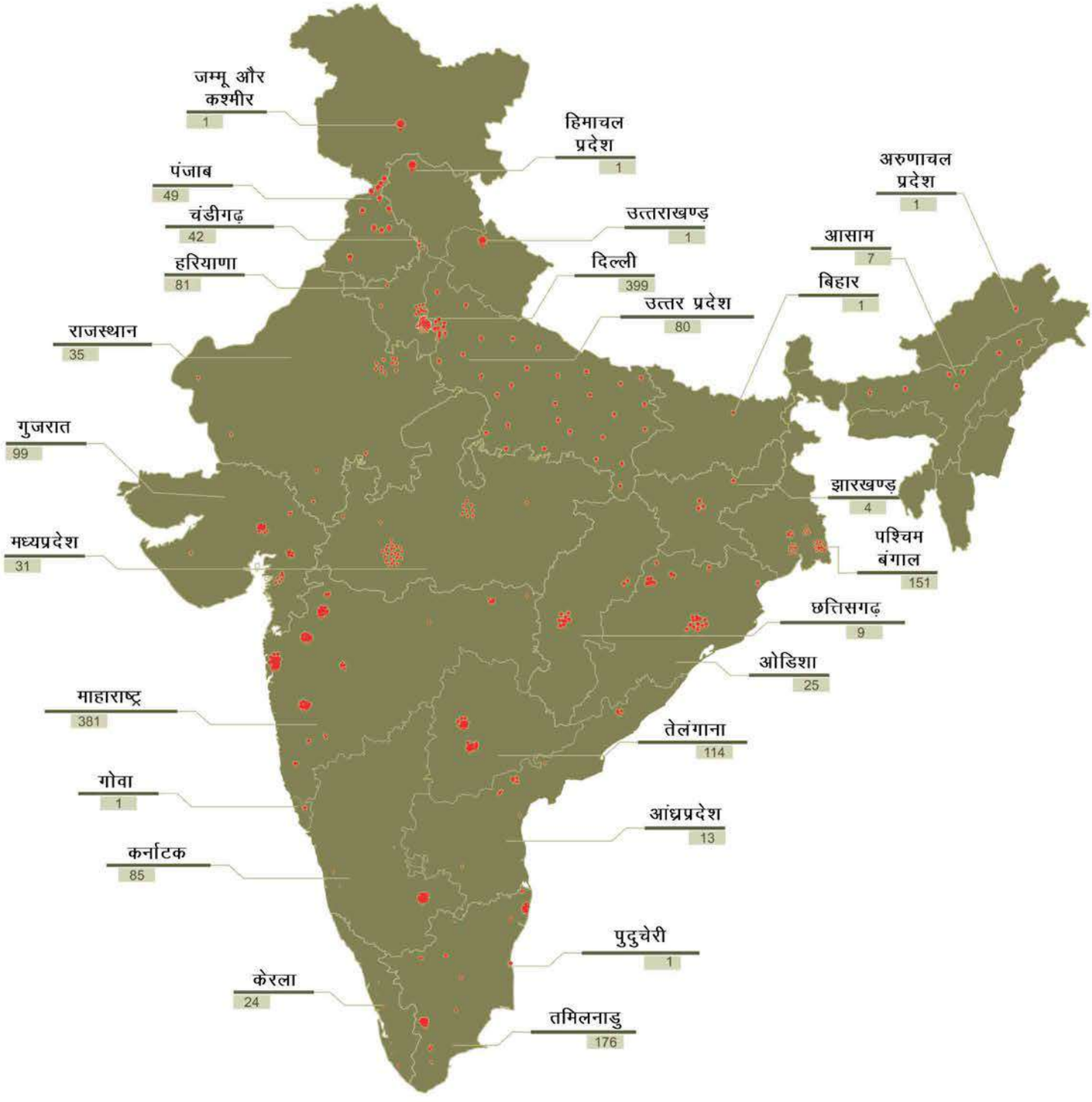

[1]31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार भारत का मानचित्र।

सारणी 14 उनकी पात्रता के अनुसार दिवाला वृत्तिकों का वितरण प्रस्तुत करता है, 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार (दिवाला वृत्तिक एक से अधिक संस्थानों का सदस्य हो सकता है)।

सारणी 14

पात्रता के अनुसार दिवाला वृत्तिकों का वितरण

पात्रता	दिवाला वृत्तिकों की संख्या		कुल
	पुरुष	महिला	
आईसीएआई के सदस्य	926	77	1003
आईसीएसआई के सदस्य	332	56	388
आईसीएमएआई के सदस्य	104	10	114
बार काउंसिल के सदस्य	105	12	117
प्रबंधकीय अनुभव	181	9	190
कुल	**1648**	**164**	**1812**

दिवाला वृत्तिक एंटिटीज

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार 75 आईपीई थे। मान्यता प्राप्त आईपीई का विवरण सारणी 15 में दिया गया है।

सारणी 15

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार मान्यता प्राप्त आईपीई

तिमाही	आईपीई की संख्या		
	मान्यताप्राप्त	गैर– मान्यताप्राप्त	तिमाही के अंत में
जन–मार्च, 2017	3	0	3
अप्रैल–जून, 2017	14	0	17
जुलाई–सितंबर, 2017	22	1	38
अक्टूबर–दिसंबर, 2017	18	0	56
जन–मार्च, 2018	19	0	75
कुल	**76**	**1**	**75**

क्षमता निर्माण

यह आईबीबीआई का प्रयास है कि दिवाला और शोधन अक्षमता के क्षेत्र में दिवाला वृत्तिकों की क्षमता का निर्माण किया जाए क्योंकि यह एक नई विधि है और परिकल्पित परिणामों को देने में सक्षम होने के लिए इसे समझने और सही ढंग से व्याख्या करने की आवश्यकता है। इसने 2017–18 के दौरान दिवाला वृत्तिकों के लिए छह कार्यशालाओं (सारणी 16) का आयोजन किया।

सारणी 16

दिवाला वृत्तिकों के लिए कार्यशालाएं

तारीख	स्थान	भाग लेने वालों की संख्या
26 –27 अप्रैल, 2017	दिल्ली	40
15 –16 जून, 2017	मुंबई	29
26 –27 जुलाई 2017	कोलकाता	24
15 –16 सितंबर, 2017	हैदराबाद	41
8 – 9 दिसंबर, 2017	दिल्ली	44
18 – 20 जनवरी, 2018'	मुंबई	50
22 – 24 जनवरी, 2018'	मुंबई	40
16 –17 फरवरी, 2018	मुंबई	55

**ये विश्व बैंक समूह, आईसीएआई के आईआईआईपी और आईसीएसआई के आईआईपी की सहायता से आयोजित किए गए.*

आईबीबीआई ने विश्व बैंक और आईपी सीएआई के आईआईआईपी के सहयोग से 18–20 जनवरी, 2018 को मुंबई में 50 दिवाला वृत्तिकों के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसने विश्व बैंक और आईसीएसआई आईआईपी के सहयोग से 22 और 24 जनवरी, 2018 को मुंबई में 40 दिवाला वृत्तिकों के लिए एक और तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशालाओं का नेतृत्व यूनाइटेड किंगडम के दो प्रमुख दिवाला वृत्तिकों, श्री गॉर्डन स्टीवर्ट और श्री रिचर्ड हेइस, जो क्रमशः आईएनएसओएल इंटरनेशनल के पूर्व–अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष हैं, और विश्व बैंक समूह के प्रतिनिधियों द्वारा समर्थित और बड़े सीआईआरपी को संभालने वाले कुछ भारतीय दिवाला वृत्तिकों ने किया। कार्यशाला में प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेषज्ञ दिवाला वृत्तिकों और केस स्टडी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं, पैनल चर्चाओं के संयोजन का उपयोग किया गया।

इसके अतिरिक्त, आईबीबीआई ने तीन दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों के साथ मिलकर 10 फरवरी, 2018 को नई दिल्ली में एक दिवाला वृत्तिक कॉन्क्लेव का आयोजन किया। कॉन्क्लेव में लगभग 300 दिवाला वृत्तिकों ने भाग लिया.

अंतरिम समाधान वृत्तिक से समाधान वृत्तिक का प्रतिस्थापन

संहिता की धारा 22 (2) में प्रावधान है कि सीओसी अपनी पहली बैठक में, वित्तीय लेनदार के 75 प्रतिशत से कम मतों के बहुमत से वोट देकर या तो अंतरिम समाधान वृत्तिक को समाधान वृत्तिक के रूप में नियुक्त करने या बदलने का समाधान ले सकती है। संहिता की धारा 22 (4) के अधीन न्याय निर्णयन प्राधिकारी, सीओसी द्वारा प्रस्तावित समाधान वृत्तिक का नाम संहिता की धारा 22(3)(ख) के अधीन आईबीबीआई को पुष्टि के लिए अग्रेषित करेगा और ऐसी पुष्टि के पश्चात् इसकी नियुक्ति करेगा। तथापि, ऐसे संदर्भ में समय बचाने के लिए, आईबीबीआई के साथ पंजीकृत सभी दिवाला वृत्तिकों का डेटाबेस न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के साथ यह प्रकटीकरण करते हुए कि क्या उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है, साझा किया जाएगा। जबकि न्यायनिर्णयन प्राधिकरणों की विभिन्न पीठों द्वारा इस समय डाटाबेस का उपयोग कुछ मामलों में किया जा रहा है। इसलिए, आईबीबीआई न्यायनिर्णयन प्राधिकरण से संदर्भ प्राप्त करता है और उन्हें शीघ्र प्रत्युत्तर देता है। 31 मार्च, 2018 तक, कुल 182 अंतरिम समाधान वृत्तिकों को समाधान वृत्तिक में प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जैसा कि सारणी 17 में दिखाया गया है।

सारणी 17

31 मार्च, 2018 तक अंतरिम समाधान वृत्तिकों का समाधान वृत्तिकों में प्रतिस्थापन

सीआईआरपी द्वारा शुरू किए गए	अंतरिम समाधान वृत्तिकों की संख्या	
	जहां समाधान वृत्तिकों की नियुक्ति की गई है	जहां समाधान वृत्तिक अंतरिम समाधान वृत्तिक से भिन्न हैं
कारपोरेट आवेदक	128	58
परिचालन लेनदार	272	78
वित्तीय लेनदार	276	46
कुल	**676**	**182**

अंतरिम समाधान वृत्तिकों की अनुशंसा करने के लिए दिशानिर्देश

संहिता की धारा 16 (3) (क) में अपेक्षा की जाती है कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी आईपी की अनुशंसा के लिए बोर्ड को संदर्भ भेजेगा जो प्रक्रियागत लेनदार (ओसीपी) के मामले में आईआरपी के रूप में कार्य कर सकता है यदि ओसी ने सीआईआरपी के लिए एक आवेदन किया है और अंतरिम समाधान वृत्तिक का प्रस्ताव नहीं किया है। बोर्ड, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी से संदर्भ की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को एक दिवाला वृत्तिक के नाम की अनुशंसा करेगा जो संहिता की धारा 16 (4) के अधीन आवश्यक है, इसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं होनी चाहिए। निष्पक्षता और पारदर्शिता के हित में, बोर्ड ने 25 मई, 2017 को अंतरिम समाधान वृत्तिक के रूप में कार्य करने के लिए दिवाला वृत्तिकों के नाम की पहचान करने और इसकी अनुशंसा करने के लिए अंतरिम समाधान वृत्तिक (अनुशंसा) दिशानिर्देश, 2017 जारी किए ताकि, दिवाला वृत्तिकों द्वारा आईआरपी के रूप में कार्य करने के लिए उनके नाम की पहचान और अनुशंसा की जा सके।

अंतरिम समाधान वृत्तिक और परिसमापकों की अनुशंसा करने के लिए दिशानिर्देश

संहिता की धारा 34 (4) में अपेक्षा की जाती है कि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी समाधान वृत्तिक को प्रतिस्थापित करेगा, यदि (क) धारा 30 के अधीन समाधान वृत्तिक द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना धारा 30 की उप– धारा (2) में उल्लिखित आवश्यकताओं को पूरा करने में विफलता के लिए निरस्त कर दी गई हो या (ख) बोर्ड लिखित रूप में दर्ज किए जाने के कारणों के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को समाधान वृत्तिक के प्रतिस्थापन की अनुशंसा करे। न्यायनिर्णयन प्राधिकारी बोर्ड को निर्देश दे सकता है कि वह परिसमापक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले दूसरे दिवाला वृत्तिकों के नाम का प्रस्ताव करे। बोर्ड को न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा जारी दिशा–निर्देश के दस दिनों के भीतर एक अन्य दिवाला वृत्तिक के नाम का प्रस्ताव करना धारा 34 (6) के अधीन आवश्यक है। न्यायनिर्णयन प्राधिकारी से संदर्भ प्राप्त होने पर नाम की पहचान करने और दिवाला वृत्तिक की अनुशंसा करने के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को समय लगा। संहिता के अधीन समयबद्ध प्रक्रियाओं के हित में, प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखते हुए, बोर्ड ने, जैसा भी मामला हो, अंतरिम समाधान वृत्तिक या परिसमापक के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को दिवाला वृत्तिकों का एक पैनल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया।

तदनुसार, आईबीबीआई ने 15 दिसंबर, 2017 को 'अंतरिम समाधान वृत्तिक या परिसमापक के रूप में कार्य करने के लिए दिवाला वृत्तिक (अनुशंसा) दिशानिर्देश, 2017' जारी किया। दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि बोर्ड अंतरिम समाधान वृत्तिक और परिसमापक का आईआरपी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्ति करने के लिए दिवाला वृत्तिकों का आम पैनल तैयार करके न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के साथ साझा करेगा। पैनल में दिवाला वृत्तिकों के पंजीकृत कार्यालय के आधार पर दिवाला वृत्तिकों की पीठ–वार सूची होगी। इसमें छह महीने की वैधता होगी और हर छह महीने में एक नया पैनल पहले वाले पैनल की जगह लेगा। आईआरए या परिसमापक, सीआईआरपी या परिसमापन प्रक्रिया के लिए,जैसा भी मामला हो, की नियुक्ति के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी पैनल से कोई भी नाम ले सकता है। दिशानिर्देश उस प्रक्रिया को पूरा करते हैं जिसका आईबीबीआई पैनल की तैयारी के लिए अनुसरण किया जाता है। उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, आईबीबीआई ने जनवरी–जून, 2018 के लिए वैध अंतरिम समाधान वृत्तिकों या परिसमापक के रूप में नियुक्ति के लिए 807 दिवाला वृत्तिकों का एक पैनल तैयार किया और न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के साथ साझा किया। पैनल को न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के साथ–साथ अपीलीय प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया गया।

दिवाला वृत्तिक एजेंसियां

दिवाला वृत्तिक एजेंसियां, प्रमुख नियामक हैं और दिवाला वृत्तिकों के व्यावसाय को विकसित करने और विनियमित करने के लिए जिम्मेदार हैं। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तीन दिवाला वृत्तिक एजेंसियां पंजीकृत की गईं जैसा कि सारणी 18 में प्रस्तुत है।

सारणी 18

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत दिवाला वृत्तिक एजेंसियां

क्र.सं.	पंजीकरण की तारीख	दिवाला वृत्तिक एजेंसी का नाम	द्वारा संप्रवर्तित
1	28.11.16	आईसीएआई का भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान	भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
2	28.11.16	आईसीएसआई दिवाला वृत्तिक संस्थान	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान
3	30.11.16	भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की दिवाला वृत्तिक एजेंसी	भारतीय लागत लेखाकार संस्थान

सूचना उपयोगिता

संहिता में वित्तीय सूचनाओं को संग्रहीत करने के लिए सूचना उपयोगिताओं की परिकल्पना की गई है जो व्यतिक्रम को स्थापित करने और साथ ही दावों को शीघ्रता से सत्यापित करने में मदद करती है, जिससे संहिता के अधीन प्रक्रियाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने में सुविधा होती है। आईबीबीआई ने 25 सितंबर, 2017 को नेशनल ई–गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड को आईयू के रूप में पंजीकृत किया। नेशनल ई–गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड को एसबीआई, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और अन्य ने बढ़ावा दिया है। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत उपयोगकर्ताओं और नेशनल ई–गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के पास उपलब्ध जानकारी का विवरण सारणी 19 में दिया गया है।

सारणी 19

नेशनल ई–गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के पास उपलब्ध सूचना का विवरण

(यथाकथित के अतिरिक्त संख्या)

लेनदार	नेशनल ई–गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ समझौता करने वाले लेनदार	लेनदार जिन्होंने सूचना प्रस्तुत कर दी है	वे देनदार जिनकी सूचना लेनदारों द्वारा प्रस्तुत की गई है	बोर्ड के पास ऋण रिकार्ड	देनदारों द्वारा प्रयोगकर्ताओं का पंजीकरण	देनदारों द्वारा अभिप्रमाणित ऋण रिकार्ड
वित्तीय लेनदार	26	1	2,392	3,000	शून्य	शून्य
प्रचालक लेनदार	उपलब्ध नहीं	38	38	38	2	शून्य

तकनीकी समिति

विनियमन आईबीबीआई को सूचना उपयोगिताओं द्वारा मुख्य सेवाओं और अन्य सेवाओं के प्रदर्शन के लिए, दिशानिर्देशों के माध्यम से तकनीकी मानक निर्धारित करने के लिए सक्षम बनाता है। तकनीकी मानक आईयू द्वारा संग्रहीत वित्तीय जानकारी की विश्वसनीयता, गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। बोर्ड को तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर तकनीकी मानकों को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। तदनुसार, बोर्ड ने 3 मई, 2017 को एक तकनीकी समिति का गठन किया था, जिसमें निम्नलिखित शामिल थे :

(क) डॉ. आर बी बर्मन, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, अध्यक्ष के रूप में

(ख) डॉ. नंद लाल सारदा, एमेरिटस फेलो, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई

(ग) डॉ. पुलक घोष, प्रोफेसर, भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलुरू, और

(घ) श्री. वी. जी. कन्नन, मुख्य कार्यकारी, भारतीय बैंक एसोसिएशन।

तकनीकी मानक

बोर्ड ने तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर 13 दिसंबर, 2017 को आईयू द्वारा मुख्य सेवाओं और अन्य सेवाओं के प्रदर्शन के लिए तकनीकी मानकों को निर्धारित किया। ये मानक सेवा शर्तों उपयोग कर्ताओं का पंजीकरण, प्रत्येक रिकॉर्ड और प्रत्येक उपयोग. कर्ता के लिए अद्वितीय पहचान, जानकारी प्रस्तुत करना, व्यक्तियों की पहचान और सत्यापन, सूचना का प्रमाणीकरण, सूचना का सत्यापन, डाटा सत्यापन, तीसरे पक्ष को जानकारी प्रदान करने के लिए सहमति ढांचा तंत्र की सुरक्षा, सूचना की सुरक्षा, जोखिम प्रबंधन ढांचा, सूचना का संरक्षणय और जानकारी का शुद्धिकरण से संबंधित हैं।

पंजीकृत मूल्यांकक संगठन

पंजीकृत मूल्यांकक संगठन पंजीकृत मूल्यांककों के लिए प्रमुख नियामक हैं। वे पंजीकृत मूल्यांकक के व्यावसाय के विकास और विनियमन के लिए जिम्मेदार हैं। 31 मार्च, 2018 के अंत में, तीन एंटिटियों को पंजीकृत मूल्यांकक संगठन के रूप में मान्यता दी गई थी (सारणी 20)।

सारणी 20

पंजीकृत मूल्यांकक संगठन

क्र.सं.	मान्यता की तारीख	पंजीकृत मूल्यांकक संगठन का नाम	आस्ति श्रेणी
1	27.12.17	संपदा प्रबंधक और मूल्यांकक संस्थान	भूमि और भवन
2	27.12.17	मूल्यांकक संस्थान, पंजीकृत मूल्यांकक प्रतिष्ठान	भूमि और भवन, संयंत्र और मशीनरी, और प्रतिभूति या वित्तीय आस्तियां
3	17.01.18	आईसीएसआई पंजीकृत मूल्यांकक संगठन	भूमि और भवन, संयंत्र और मशीनरी, और प्रतिभूति या वित्तीय आस्तियां

पंजीकृत मूल्यांकक संगठन के साथ मूल्यवान सदस्य के रूप में नामांकित समुचित और उचित व्यक्ति, जो आवश्यक योग्यता और अनुभव रखता है और जिसने मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण की है, को संबंधित आस्ति वर्ग के लिए मूल्यांकक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।

सीमित दिवाला परीक्षा

अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन, एक व्यक्ति दिवाला वृत्तिक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र है यदि उसने परीक्षा उत्तीर्ण की है। आईबीबीआई ने 31 दिसंबर, 2016 को परीक्षा शुरू की। संशोधित पाठ्यक्रम और प्रश्न बैंक के साथ परीक्षा का दूसरा चरण 1 जुलाई, 2017 को शुरू हुआ और तीसरा चरण एक और संशोधित पाठ्यक्रम और प्रश्न बैंक के साथ 1 जनवरी, 2018 से शुरू हुआ। ऑनलाइन परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ ऑनलाइन (कंप्यूटर आधारित वातावरण में) आयोजित की जाती है। यह सभी दिनों में देश के 100 से अधिक स्थानों पर आयोजित की जाती है। परीक्षा की अवधि दो घंटे है। 31 मार्च, 2018 तक, 2674 सफल प्रयास हुए हैं। उनमें से, 279 पूर्वी क्षेत्र से, 981 उत्तर क्षेत्र से, 788 पश्चिम क्षेत्र से और 625 दक्षिण क्षेत्र से थे। जोन–वार वितरण सारणी 21 में प्रस्तुत है।

सारणी 21

सीमित दिवाला परीक्षा की स्थिति

चरण	तिमाही	सफल प्रयासों की संख्या				
		पूर्व	उत्तर	पश्चिम	दक्षिण	समस्त भारत
प्रथम	जन–मार्च, 2017	32	109	91	34	267
	अप्रैल– जून, 2017	128	325	300	182	935
द्वितीय	जुलाई–सितंबर, 2017	41	177	156	102	476
	अक्टूबर–दिसंबर, 2017	45	224	160	207	636
तृतीय	जनवरी–मार्च, 2018	33	146	81	100	360
	कुल	**279**	**981**	**788**	**625**	**2674**

मूल्यांकन परीक्षा

आईबीबीआई, कंपनी अधिनियम की धारा 247 के अधीन मूल्यों के व्यावसाय के विकास और नियमन के साथ प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के कारण, तीन आस्ति श्रेणियों अर्थात् (क) भूमि और भवन के लिए मूल्यांकन परीक्षा के पाठ्यक्रम, प्रारूप और आवृत्ति को प्रकाशित करना (ख) संयंत्र और मशीनरी, और (ग) प्रतिभूति या वित्तीय आस्तियों से संबंधित कार्य सौंपा गया है। इसने 31 मार्च, 2018 को तीन आस्ति श्रेणियों के लिए मूल्यांकन परीक्षाओं की शुरुआत की। ये परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षाएं हैं और देशभर के कई स्थानों में उपलब्ध हैं।

परिवाद और शिकायतें विनियमन

शिकायत विनियमन हितधारक को शिकायत दर्ज करने या सेवा प्रदाता के विरुद्ध परिवाद दर्ज करने में सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त, शिकायतें और केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस), प्रधान मंत्री कार्यालय, एमसीए और अन्य अधिकारियों से प्राप्त की जाती हैं। 31 मार्च, 2018 तक शिकायतों और परिवादों की प्राप्ति और निपटान का विवरण सारणी 22 में प्रस्तुत है।

सारणी 22

शिकायतों और परिवादों की प्राप्ति और निपटान

(संख्या)

परिवाद और शिकायतें	प्राप्त	निपटाई गईं	लंबित
नियमों के अधीन	18	0	18
अन्य माध्यमों से (सीपीजीआरएएम / पीएमओ / एमसीए / अन्य प्राधिकरण)	6	0	6
अन्य स्रोत	22	2	20
कुल	**46**	**2**	**44**

परिपत्र

बोर्ड अपने निगरानी कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए समय–समय पर दिवाला वृत्तिक, दिवाला व्यावसायिक एजेंसी, आईयूएस के लिए कुछ परिपत्र जारी करता है। वर्ष 2017–18 के अनुसार बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिपत्र सारणी 23 में दिए गए हैं।

सारणी 23

बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र

जारी करने की तारीख	विषय
03.01.18	**दिवाला वृत्तिक द्वारा लागू विधियों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने संबंधी** दिवाला समाधान प्रक्रिया, फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया, परिसमापन प्रक्रिया या संहिता के अधीन स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया से गुजरने वाले कारपोरेट व्यक्ति को ऐसी प्रक्रिया के दौरान लागू विधियों (अधिनियमों, नियमों और विनियमनों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों, आदेशों, निर्देशों आदि) के उपबंधों का पालन करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, एक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने पर, दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजरने वाले एक कारपोरेट व्यक्ति को सेबी (देयता और प्रकटीकरण अपेक्षा सूचीयन) विनियमन, 2015 का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है, जब तक कि उपबंध विशेष रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा छूट नहीं दी गई हो या कारपोरेट व्यक्ति के लिए विधि के संचालन द्वारा अनुपयुक्त नहीं ठहराया गया हो। तदनुसार, आईबीबीआई ने दिवाला वृत्तिकों को निर्देश दिया कि संहिता के अधीन एक कारपोरेट व्यक्ति के लिए अंतरिम समाधान वृत्तिक, समाधान वृत्तिक या परिसमापक के रूप में कार्य करते हुए, वे उचित देखभाल और परिश्रम का प्रयोग करेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कारपोरेट व्यक्ति के किसी भी प्रक्रिया से गुजरने के दौरान सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं और संहिता के अधीन लागू विधियों का अनुपालन किया गया है। यह स्पष्ट किया गया था कि यदि संहिता के अधीन किसी भी पूर्वोक्त प्रक्रिया के दौरान कोई कारपोरेट व्यक्ति को कोई नुकसान होता है, तो दंड सहित, यदि कोई हो, लागू विधियों के किसी भी प्रावधान का पालन न करने के कारण, ऐसा नुकसान अंतरिम समाधान वृत्तिक या समाधान वृत्तिक या परिसमापक का हिस्सा नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया गया कि दिवाला वृत्तिक लागू विधियों के उपबंधों का पालन न करने के लिए जिम्मेदार होगा यदि यह उसके आचरण के कारण हो।
03.01.18	**दिवाला वृत्तिक द्वारा अपनी जिम्मेदारियां आउटसोर्स न करने के संबंध में** एक दिवाला वृत्तिक को अंतरिम समाधान वृत्तिक, समाधान वृत्तिक, परिसमापक या विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए एक शोधन अक्षमता ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए संहिता के अधीन कुछ कार्य करने की आवश्यकता होती है। आईबीबीआई ने निर्देश दिया कि दिवाला वृत्तिक संहिता के अधीन अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को आउटसोर्स नहीं करेगा।
03.01.18	**पंजीकरण संख्या आदि का प्रयोग** एक दिवाला वृत्तिक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने सभी संप्रेषणों में सार्वजनिक घोषणा द्वारा अथवा हितधारक अथवा प्राधिकरण को प्रमुख रूप से अपना नाम, पता, ई–मेल, पंजीकरण संख्या आदि बताएगा।

16.01.18	**दिवाला वृत्तिक और दिवाला वृत्तिक द्वारा नियुक्त अन्य व्यावसायियों को देय शुल्क** आईबीबीआई ने स्पष्ट किया कि एक दिवाला वृत्तिक शुल्क के लिए सेवाओं को प्रस्तुत करेगा जो उसके काम का एक उचित प्रतिबिंब है, इस तरह की फीस के लिए उसके नाम पर बिल इन्वायस प्रदर्शित होगा और ऐसी फीस उसके बैंक खाते में भुगतान की जाएगी। दिवाला वृत्तिकों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को दिवाला वृत्तिकों की सेवाओं के लिए फीस का कोई भी भुगतान, आईआरपीसी का हिस्सा नहीं होगा। इसी प्रकार, दिवाला वृत्तिकों द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यावसायिक (जैसे पंजीकृत मूल्यांकक) इस तरह की फीस के लिए अपने नाम में बिल इन्वायस दर्ज करेगा और इस तरह के शुल्क का भुगतान उसके बैंक खाते में किया जाएगा।
16.01.18	**समाधान प्रक्रिया का संचालन करने के लिए दिवाला वृत्तिकों (आईपी) और दिवाला वृत्तिकों द्वारा नियुक्त अन्य व्यावसायियों द्वारा प्रकटीकरण** पारदर्शिता के हित में, आईबीबीआई ने निर्देश दिया कि एक आईपी और समाधान प्रक्रिया के लिए आईपी द्वारा नियुक्त प्रत्येक अन्य व्यावसायिक, आईपीए के लिए कुछ प्रकटीकरण करेगा, जिसका वह सदस्य है। आईपी कारपोरेट ऋणी के साथ अपने संबंध, यदि कोई हों, का प्रकटीकरण, उसकी नियुक्ति के तीन दिनों के भीतर उसके द्वारा नियुक्त अन्य वृत्तिकों के बारे में तीन दिनों के भीतर सीओसी के गठन के तीन दिनों के भीतर वित्तीय लेनदार के साथ अंतरिम वित्त प्रदाताओं के साथ समझौते के तीन दिनों के भीतर और भावी समाधान आवेदक के साथ सूचना ज्ञापन की आपूर्ति के तीन दिनों के भीतर प्रकटीकरण करेगा। आईबीबीआई ने यह भी निर्देश दिया कि एक आईपी स्वयं के साथ उसके द्वारा लगे अन्य व्यावसायिक(कों) के संबंध कारपोरेट ऋणी वित्तीय लेनदार अंतरिम वित्त प्रदाता (एस), और भावी समाधान आवेदक (कों) को आईपीए के लिए जिनमें से वह एक सदस्य है, निर्दिष्ट समय के भीतर प्रकटीकरण करेगा। आईपीए को प्रकटीकरण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने और उसी की प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भीतर अपनी वेबसाइट पर इस तरह के प्रकटीकरण का प्रसार करने की आवश्यकता थी।
16.02.18	**संहिता के अधीन प्रक्रियाओं से संबंधित जानकारी की गोपनीयता** संहिता के अधीन प्रक्रियाओं से संबंधित जानकारी के अनधिकृत उपयोग या लीकेज से इन प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की क्षमता है। तदनुसार, आईबीबीआई ने निर्देश दिया कि एक आईपी, चाहे आईआरपी, आरपी या परिसमापक के रूप में कार्य करे, संहिता और नियमों में प्रदान की गई सीमा को छोड़कर, विनियमन या उसके द्वारा जारी परिपत्र, (i) प्रक्रियाओं से संबंधित हर जानकारी को गोपनीय रखेगा और (ii) किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को ऐसी किसी भी जानकारी का प्रकटीकरण या पहुंच प्रदान नहीं करेगा।
23.02.18	**विनियमनों के अधीन प्ररूप प्रकाशित करने के लिए नामनिदिष्ट वेबसाइट** संहिता के अधीन विभिन्न नियमों के लिए आईबीबीआई द्वारा नामनिदिष्ट वेबसाइट पर सार्वजनिक घोषणाओं यदि कोई हो, को अपलोड करने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए आईबीबीआई ने अपनी वेबसाइट **www.ibbi.gov.in** को नामनिदिष्ट किया। यह निर्दिष्ट वेबसाइट पर इस तरह की घोषणाओं को प्रकाशित करने के तरीके का विवरण भी प्रदान करता है।

बोर्ड के आदेश

आईपीए के साथ नामांकित व्यक्ति को दिवाला वृत्तिक विनियमनों के अनुसार दिवाला वृत्तिकों के कार्यकलाप चलाने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए बोर्ड को आवेदन करना आवश्यक है। पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पर विचार करने पर, बोर्ड प्रथम दृष्टया यह राय बना सकता है कि दिवाला वृत्तिक विनियमनों के अनुसार पंजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। बोर्ड, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के संबंध में, आवेदक को यह समझाने का अवसर देता है कि आवेदन क्यों स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के बाद भी बोर्ड संतुष्ट नहीं है, तो वह एक उचित आदेश द्वारा आवेदन को निरस्त कर देता है। इसने 2016–17 में दो आवेदनों को निरस्त कर दिया था। इसने 2017–18 में दिवाला वृत्तिकों के रूप में पंजीकरण के लिए छह आवेदनों को निरस्त कर दिया। कुल आठ आवेदनों में से, सात का दिवाला वृत्तिकों के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदक "फिट और उचित" व्यक्ति नहीं होने के आधार पर निरस्त कर दिया गया था। एक आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि दिवाला वृत्तिक रोजगार में था।

दिवाला वृत्तिक विनियमनों के विनियमन 4 (जी) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति दिवाला वृत्तिकों के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह "फिट और उचित" व्यक्ति नहीं है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई व्यक्ति नियमों के अधीन "फिट और उचित" है, बोर्ड किसी भी विचार को ध्यान में रख सकता है क्योंकि यह फिट बैठता है, जिसमें निम्न मानदंड तक सीमित नहीं हैं (i) अखंडता, प्रतिष्ठा और चरित्र (ii) आक्षेप और संयम आदेशों की अनुपस्थिति, और (iii) सक्षमता, वित्तीय शोधन क्षमता और निवल मूल्य सहित।

2017–18 में, बोर्ड ने एक आईपीई, अर्थात्, नांगिया इंसोल्वेंसी प्रोफेशनल्स एलएलपी की मान्यता रद्द कर दी, क्योंकि यह पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा।

अर्ध–न्यायिक कार्य

संहिता की धारा 220 में प्रावधान है कि बोर्ड निरीक्षण अथवा जांच रिपोर्ट के विचार के लिए डीसी का गठन करेगा। तद्नुसार डीसी को 01 फरवरी, 2017 को डॉ. एम.एस. साहू, अध्यक्ष, आईबीबीआई को शामिल करके गठित किया गया। इसको 23 अगस्त, 2017 को बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य डॉ. (सुश्री) मुकुलिता विजयवर्गीय को शामिल करके पुनर्गठित किया गया।

ड परिणामों का विश्लेषण

इस भाग में 2017–18 के दौरान संहिता के अधीन परिणाम प्रस्तुत हैं, जिसके परिणामस्वरूप कारपोरेट दिवाला प्रक्रिया आरंभ की गई और निष्कर्ष निकाला गया। यह संहिता की व्याख्या और न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न नियमों और विनियमनों की व्याख्या के संदर्भ में उभरते न्यायशास्त्र का भी सारांश देता है।

कारपोरेट प्रक्रियाएँ

आम तौर पर, दिवाला विधियों को अच्छी तरह से अर्थ और अनुभवी व्यावसायियों के एक सेट की धारणा और निर्णय द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें अनुभवजन्य डाटा पर अल्प निर्भरता होती है। हालांकि, इसे बदलते बाजार की गतिशीलता में प्रासंगिक और प्रभावी रखने के लिए सुधार किया गया है, जो इसके काम के अनुभवजन्य मूल्यांकन पर आधारित है। प्राधिकरण आमतौर पर एक दिवाला शासन की दक्षता और प्रभावशीलता को मापने के लिए उपयुक्त वर्गीकरण के साथ विभिन्न रुझानों से सामंजस्य बिठाकर उसे ट्रैक करता है।

दिवाला समाधान

1 दिसंबर 2016 से सीआईआरपी के प्रावधानों के लागू होने के बाद से, 542 सीआईआरपी मार्च, 2018 के अंत तक शुरू हो गए हैं, क्योंकि इनमें से सारणी 24 में प्रस्तुत किया गया है, 85 अपील या समीक्षा बंद कर दिए गए हैं; 91 परिसमापन के आदेशों में समाप्त हो गए हैं और 23 प्रस्ताव योजनाओं के अनुमोदन में समाप्त हो गए हैं। भर्ती किए गए मामलों का माहवार वितरण चित्र 3 में दर्शाया गया है।

सारणी 24

कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया

तिमाही	तिमाही के आरंभ होने पर सीआईआरपी	स्वीकार की गई	बंद की गई			तिमाही के समाप्त होने पर सीआईआ. रपी
			अपील /समीक्षा/ समाधान किया गया	समाधान योजना का अनुमोदन	परिसमापन का प्रारंभ	
जन–मार्च, 2017	0	37	1	0	0	36
अप्रैल–जून, 2017	36	129	8	0	0	157
जुलाई–सितंबर, 2017	157	233	18	2	8	362
अक्टूबर–दिसंबर, 2017	362	147	38	8	24	439
जन–मार्च, 2018	439	195	20	13	59	542
कुल	**शुन्य**	**741**	**85**	**23**	**91**	**542**

चित्र 3

सीआईआरपी का माहवार स्वीकरण

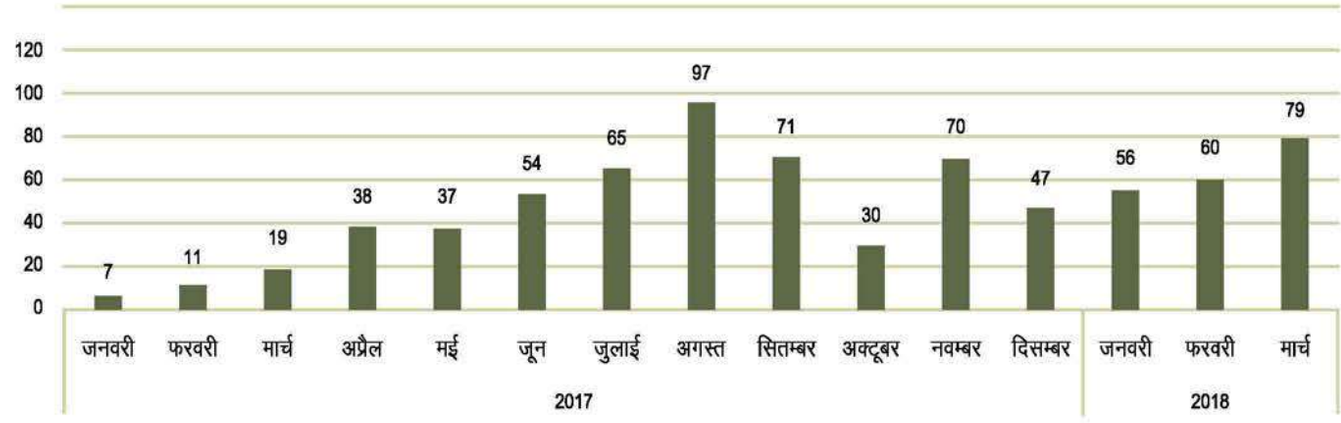

31 मार्च, 2018 को, सीआईआरपी का वितरण, एए की पीठों के क्षेत्राधिकार के अनुसार सारणी 25 में इंगित किया गया है। मुंबई पीठ द्वारा अधिकतम 180 सीआईआरपी को स्वीकार किया गया है, इसके बाद नई दिल्ली पीठ द्वारा 142 और चेन्नई पीठ द्वारा 134 स्वीकार की गई हैं।

सारणी 25

स्वीकार की गई सीआईआरपी

क्र.सं.	एनसीएलटी की खंडपीठ	कारपोरेट ऋणियों की संख्या
1	अहमदाबाद	76
2	इलाहाबाद	13
3	बेंगलुरु	28
4	चंडीगढ़	49
5	चेन्नई	134
6	गुवाहाटी	2
7	हैदराबाद	41
8	कोलकाता	76
9	मुंबई	180
10	प्रधान पीठ और नई दिल्ली पीठ	142
कुल		**741**

हितधारकों का वितरण, जिन्होंने समाधान प्रक्रिया शुरू की, सारणी 26 में प्रस्तुत की जाती है। ओसी सीआईआरपी के 43.3 प्रतिशत से शुरू होते हैं, इसके बाद एफसी द्वारा लगभग 39 प्रतिशत और इसके पश्चात् शेष सीडी के हैं। प्रारंभ में, सीडी प्रमुख उपयोगकर्ता थे, क्योंकि उनका मानना था कि सीआईआरपी लेनदारों के लिए हेयर कट (मार्जिन) का उत्पादन करेगा, जबकि नियंत्रण और प्रबंधन अपरिवर्तित रहेगा। यह धारणा धारा 29क के साथ बदल गई, जिसे नवंबर, 2017 में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2017 द्वारा पेश किया गया था, जिसमें कुछ अयोग्य व्यक्तियों को समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था। सीआईआरपी का विश्वसनीय खतरा जो मौजूदा संप्रवर्तकों और प्रबंधकों से सीडी के नियंत्रण और प्रबंधन को दूर कर सकता है, संभवतः, सीडी को सीआईआरपी के लिए आवेदन पत्र दाखिल करने से रोकता है। इस संशोधन के पश्चात सीडी द्वारा आवेदनों की संख्या में तेजी से कमी आई है। बैंकिंग नियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 के बाद एफसी द्वारा आवेदन में वृद्धि हुई, जिसने मई, 2017 में आरबीआई को सशक्त किया कि वह सीडी द्वारा व्यतिक्रम के मामले में सीआईआरपी के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए बैंकों को निर्देश दिया। फरवरी, 2018 में इसे और बढ़ावा मिला जब आरबीआई ने संकटग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए एक सामंजस्यपूर्ण और सरलीकृत जेनेरिक ढांचे के साथ संकटग्रस्त आस्तियों के समाधान पर सभी मौजूदा निर्देशों को प्रतिस्थापित किया।

सारणी 26

सीआईआरपी का प्रारम्भ

तिमाही	आरंभ की गई सीआईआरपी की संख्या			कुल
	वित्तीय लेनदार	प्रचालन देनदार	कारपोरेट देनदार	
जन – मार्च, 2017	8	7	22	37
अप्रैल – जून, 2017	37	58	34	129
जुलाई – सितंबर, 2017	94	100	39	233
अक्टूबर – दिसंबर, 2017	66	67	14	147
जन – मार्च, 2018	84	89	22	195
कुल	**289**	**321**	**131**	**741**

सीआईआरपी में दर्ज सीडी का क्षेत्रवार वितरण सारणी 27 में प्रस्तुत है। सीआईआरपी की सबसे बड़ी संख्या रियल एस्टेट, रेंटिंग और व्यावसायिक गतिविधियों के क्षेत्र में आरंभ की गई है, जिसमें दूसरा सबसे बड़ा निर्माण क्षेत्र है, जिसके बाद थोक और खुदरा व्यापार क्षेत्र का स्थान आता है। सीआईआरपी की स्थिति सारणी 28 में प्रस्तुत की गई है।

सारणी 27

सीआईआरपी का सेक्टरवार वितरण

क्षेत्र	सीआईआरपी की संख्या		
	बंद की गई	जारी	कुल
विनिर्माण	**94**	**236**	**330**
खाद्य, पेय पदार्थ और तंबाकू उत्पाद	8	28	36
रसायन और रासायनिक उत्पाद	7	20	27
इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण	9	12	21
फेब्रिकेटेड धातु उत्पाद	5	17	22
मशीनरी उपकरण	9	16	25
कपड़ा, चमड़ा और परिधान उत्पाद	15	36	51
लकड़ी, रबड, प्लास्टिक और कागज उत्पाद	6	21	27
मूल धातु	18	46	64
अन्य क्षेत्र	17	40	57
स्थावर संपदा, किराया और व्यापार गतिविधियाँ	**28**	**92**	**120**
स्थावर संपदा गतिविधियाँ	2	16	18
कंप्यूटर और संबंधित गतिविधियाँ	3	12	15
अनुसंधान और विकास	0	1	1
अन्य व्यापारिक गतिविधियाँ	23	63	86
निर्माण	15	60	75

थोक और खुदरा व्यापार	29	56	85
होटल और जलपानगृह	5	14	19
बिजली और अन्य	6	11	17
परिवहन, भंडारण और संचार	6	16	22
अन्य	16	57	73
संपूर्ण	**199**	**542**	**741**

सारणी 28

सीआईआरपी की स्थिति

स्थिति	संख्या
स्वीकार की गई	741
अपील / समीक्षा पर बंद	85
समाधान पर बंद	23
परिसमापन पर बंद किया गया	91
31 मार्च, 2018 को जारी सीआईआरपी	542
> 270 दिन	67
> 180 दिन ≤ 270 दिन	158
> 90 दिन ≤ 180 दिन	128
≤ 90 दिन	189

टिप्पणी : दिनों की संख्या स्वीकरण की तारीख से हैं।

समाधान योजनाओं में समाप्त होने वाली प्रक्रियाओं ने लेनदारों के लिए विभिन्न डिग्री की उगाही प्राप्त की है। यह देखा गया है कि कई मामलों में, एफसी ने समाधान से अपने दावों की प्रतिशतता की उगाही की है। हालांकि, उन्होंने परिसमापन मूल्य की तुलना में काफी अच्छी उगाही की है। आइए हम एक काल्पनिक उदाहरण लेते हैं। एक सीडी में 1000 रुपये का कुल दावा होता है, समाधान मूल्य के अधीन प्राप्त मूल्य 100 रुपये है, और परिसमापन मूल्य 10 रुपये है। यदि सीडी के दिवाला का समाधान किया जाता है, तो दावेदारों को 100 रु., अर्थात उनके दावों का 10 प्रतिशत या परिसमापन मूल्य का 10 गुना मिलता है। 31 मार्च, 2018 तक सीआईआरपी से उत्पन्न समाधान में से, एफसी ने उनके द्वारा दावा की गई राशि का लगभग 49.68 प्रतिशत उगाही की गई है। हालाँकि, उन्हें परिसमापन मूल्य के 168.35 प्रतिशत की उगाही हुई है, जैसा कि सारणी 29 में प्रस्तुत है। यदि सीडी का परिसमापन होता, तो उन्हें लागत घटाकर परिसमापन मूल्य का 100 प्रतिशत हो जाता। संहिता के अधीन समाधान के कारण 68.5 प्रतिशत की अतिरिक्त उगाही हुई है।

इस तरह की प्राप्ति इसके कार्यान्वयन के शुरुआती दिनों में संहिता के अधीन उम्मीद के अनुरूप है। सीआईआरपी अच्छे परिणाम देता है जब इसे व्यतिक्रम के शुरुआती दिनों में शुरू किया जाता है और शीघ्रता से निष्कर्ष निकाला जाता है। यदि यह बहुत देर से शुरू किया जाता है, जैसा कि इन मामलों में से कई में हुआ था, दशकों की बीमारी के बाद, सीडी केवल इसके परिसमापन मूल्य के लायक है, जो समय के साथ आगे भी घटता है। जब ऐसा नहीं किया जाता है, तो सीआईआरपी या तो परिसमापन या मामूली उगाही होती है। कुछ वर्ष बाद यह उम्मीद की जाती है कि सीडी आरंभिक राशि के व्यतिक्रम के शुरुआत में समाधान के लिए आएंगे, अर्थात्, जब उनकी स्थिति अच्छी होगी और इसलिए सीआईआरपी का परिणाम भी बेहतर होगा।

सारणी 29

समाधान में समाप्त होने वाले सीआईआरपी 2017–18

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	सीडी का नाम	निष्क्रिय (हां / नहीं)	सीआ. ईआ. रपी के आरंभ होने की तारीख	समाधान योजना के अनुमो दन की तारीख	द्वारा सी. आई आ. रपी आरंभ की गई	एफसी के स्वीकार किए गए कुल दावे	परिसम. ापन मूल्य	एफसी द्वारा उगाही के योग्य	स्वीकृत दावों के प्रतिशत के रूप में एफसी द्वारा उगाही	परिस मापन मूल्य के प्रतिशत के रूप में एफसी द्वारा उगाही
1	सिनर्जीज–डूरे ऑटोमोटिव लिमिटेड	हां	23.01.17	02.08.17	सीडी	972.15	8.17	54.70	5.63	669.52
2	छपारिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	हां	24.02.17	29.09.17	सीडी	49.75	17.15	20.60	41.41	120.12
3	प्रोवेस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	नहीं	20.04.17	17.10.17	ओसी	2.88	लागू नहीं	2.88	100.00	लागू नहीं
4	श्री मेटालिक्स लिमिटेड	हां	30.01.17	07.11.17	एफसी	1287.22	340.62	607.31	47.18	178.30
5	पश्चिम बंगाल आवश्यक वस्तु आपूर्ति निगम लिमिटेड	नहीं	29.05.17	20.11.17	एफसी	344.93	लागू नहीं	185.84	53.88	लागू नहीं
6	शिरडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	हां	18.05.17	12.12.17	सीडी	673.88	103.05	176.36	26.17	171.14
7	होटल गौडावन प्राइवेट लिमिटेड	नहीं	31.03.17	13.12.17	एफसी	70.44	36.12	44.20	62.75	122.37
8	नंदन होटल्स लिमिटेड	नहीं	17.08.17	14.12.17	ओसी	0.00	लागू नहीं	0.00	0.00	लागू नहीं
9	जेईकेपीएल प्राइवेट लिमिटेड	नहीं	17.03.17	15.12.17	सीडी	606.57	222.06	162.00	26.71	72.95
10	ट्रिनिटी ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड	हां	25.05.17	22.01.18	सीडी	17.38	20.82	17.38	99.98	83.49
11	कल्याणपुर सीमेंट्स लि.	हां	01.05.17	31.01.18	ओसी	131.05	119.74	98.60	75.24	82.34
12	पालियोगिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	नहीं	12.05.17	12.02.18	एफसी	154.39	48.86	56.84	36.81	116.34
13	श्री राधा रमण पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड	नहीं	28.04.17	15.02.18	ओसी	0.89	2.88	0.96	107.00	33.24
14	कोहिनूर सीटीएनएल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	नहीं	16.06.17	21.02.18	एफसी	2528.40	329.90	2246.00	88.83	680.81
15	कामिनेनी स्टील एंड पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	हां	10.02.17	27.11.17	सीडी	1509.00	760.00	600.00	39.76	78.95
16	शेरोन बायो–मेडिसिन लिमिटेड	नहीं	11.04.17	28.02.18	एफसी	891.38	182.69	294.03	32.99	160.95

17	प्रिसिजन इंजीनियर्स एंड फेब्रिकेटर्स प्रा. लिमिटेड	नहीं	04.04.17	01.02.18	ओसी	79.27	27.24	35.06	44.23	128.71
18	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	हां	31.05.17	06.03.18	सीडी	58.77	593.00	65.47	111.40	11.04
19	फॉरवर्ड शूज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	नहीं	19.06.17	27.03.18	ओसी	120.62	79.69	120.62	100.00	151.36
20	दिव्य ज्योति स्पंज आयरन प्राइवेट लिमिटेड	नहीं	23.08.17	13.03.18	एफसी	77.20	16.83	34.25	44.37	203.51
21	प्रोपेल वाल्व प्राइवेट लिमिटेड	नहीं	11.08.17	19.03.18	ओसी	1.71	0.38	1.71	99.87	450.00
22	कल्पतरु एलोय प्राइवेट लिमिटेड	हां	05.09.17	20.03.18	एफसी	51.20	27.48	31.60	61.72	114.99
23	हल्दिया कोक एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	हां	11.07.17	27.03.18	सीडी	343.69	6.61	98.50	28.66	1490.17
कुल						**9972.77**	**2943.28**	**4954.91**	**49.68**	**168.35**

पहली समाधान योजना

एए ने सिनर्जीज डोराय ऑटोमोटिव लिमिटेड (डूरे) के समाधान के लिए 2 अगस्त, 2017 को संहिता के अधीन पहली समाधान योजना को मंजूरी दी। डूरे के सीआईआरपी ने सर्वोत्तम प्रथाओं के विकास के लिए प्रयोगशाला के रूप में और आईपी और पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य तत्वों के लिए स्कूल के रूप में कार्य किया। इसने हजारों अन्य लोगों का अनुसरण करने का मार्ग प्रशस्त किया और दिवाला समाधान के प्रक्षेपवक्र को हमेशा के लिए बदल दिया (बॉक्स 5)। इसने 2017 में संहिता में संशोधन किया, जिससे अवांछनीय व्यक्तियों को सीआईआरपी के माध्यम से सीडी लेने से रोका जा सके, जो एक मायने में स्वच्छ भारत का एक और आयाम है।

बॉक्स 5

डूरे द्वारा मार्ग प्रशस्त

सिनर्जीज डूरे ऑटोमोटिव लिमिटेड (डूरे) का मार्च, 2004 के अंत में नकारात्मक निवल मूल्य था और इसके परिणामस्वरूप 14 फरवरी, 2007 को बीआईएफआर द्वारा इसे रुग्ण कंपनी घोषित कर दिया गया। 30 सितंबर, 2004 को इस पर 212 करोड़ रुपये का बकाया कर्ज था। डूरे के कुछ लेनदारों ने 2008–11 के दौरान सिनर्जीज कास्टिंग्स लिमिटेड (कास्टिंग) को बैलेंस शीट पर बकाया ऋण की एक बड़ी राशि को मिलाकर संबंधित पक्ष को अपने ऋण सौंप दिए। वर्षों बाद, 24 नवंबर, 2016 को, कास्टिंग्स ने एनबीएफसी को मिलेनियम फाइनेंस लिमिटेड (एमएफएल) को रियायत देने पर विचार करते हुए पर्याप्त मात्रा में ऋण सौंपा।

केंद्र सरकार ने 25 नवंबर, 2016 की अधिसूचना द्वारा, दिनांक 1 दिसंबर, 2016 की तारीख उस तारीख के रूप में नियुक्त, जिस तारीख को रुग्ण औद्योगिक कंपनी (निरसन) अधिनियम, 2003 के प्रावधान प्रवृत्त होंगे। तदनुसार, बीआईएफआर के लिए किया गया कोई भी संदर्भ, बीआईएफआर से पहले लंबित कोई भी जांच, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण (एएआईएफआर) के लिए अपीलीय प्राधिकरण या बीआईएफआर एएआईएफआर से पहले लंबित किसी भी अपील को प्राथमिकता दी गई है, यह स्वतः 1 दिसंबर, 2016 से प्रभावी हो गया है। डूरे ने सीआईआरपी के लिए संहिता की धारा 10 के अधीन आवेदन किया। आवेदन स्वीकार किया गया और 23 जनवरी, 2017 को सीआईआरपी आरंभ की गई।

डूरे के पास कुल 11.95 करोड़ रुपये की संपत्ति थी, जिसका सीआईआरपी के शुरू होने पर परिसमापन मूल्य 8.17 करोड़ रुपये था। उसी तारीख को इस पर 972.15 करोड़ रुपये का ब्याज सहित बकाया ऋण था जो निम्नानुसार हैं:

क्र.सं..	वित्तीय लेनदार	ऋण की राशि (करोड़ रुपये में)		में प्रतिशतता भाग	
		24 नवंबर 2016 से पूर्व	24 नवंबर 2016 के बाद	ऋण	मताधिकार
1	एलकेमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एएआरसी)	122.06	122.06	12.56	13.83
2	एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी)	86.92	86.92	8.94	9.84

3	मिलेनियम फाइनेंस लिमिटेड (एएफएल)	00.00	673.91	69.32	76.33
4	सिनर्जीज कास्टिंग्स लिमिटेड (कास्टिंग)	763.17	89.26	9.18	0.00
	कुल	972.15	972.15	100.00	100.00

तीन आरए, अर्थात् एसएमबी ऐशेज इंड्रस्टीज, सुईयास इंड्रस्टीज प्राइवेट लिमिटेड और कास्टिंग्स ने समाधान योजना प्रस्तुत करती है। सीओसी में कतिपय संशोधनों सहित 90.16 प्रतिशत मतदान शेयर के साथ कास्टिंग्स द्वारा प्रस्तुत की गई समाधान योजना को अनुमोदित कर दिया गया है। अल्पसंख्यक लेनदार, ईएआरसी को मतदान से दूर रखा गया है। एए ने 02 अगस्त, 2017 को इस योजना को अनुमोदित किया था। इस योजना में 31 मार्च, 2017 से डूरे, संबंधित पक्ष के साथ कास्टिंग्स के समामेलन का प्रावधान है। सभी एफसी, चाहे उन्होंने इस योजना के पक्ष में मत दिया हो या उन्हें मतदान से दूर रखा गया हो, के लिए भी समान व्यवहार का प्रावधान है। इसमें दावाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित के लिए उगाही का प्रावधान है:–

क्रम संख्या	दावाकर्त्ता	दावे की राशि (लाख रुपये में)	
		स्वीकार की गई	उगाही गई
1	दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत	लागू नहीं होता	50.00
2	वित्तीय लेनदार	97215	5469.68
2(क)	एलकेमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	12206	686.77
2(ख)	ईडलवाइज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	8692	489.00
2(ग)	मिलेनियम फाइनेंस लिमिटेड (एमएफएल)	67391	3791.75
2(घ)	सिनरजिस कास्टिंग्स लिमिटेड (कास्टिंग्स) (समाधान आवेदक होने के कारण अनुमानिक))	8926	502.16
3	आस्थागित विक्रय कर	लागू नहीं होता	351.69
4	वर्तमान देयताएं	लागू नहीं होता	1.16
5	सांविधिक देय	लागू नहीं होता	43.13
6	शेयरधारक	लागू नहीं होता	दस रुपये प्रति शेयर के प्रारंभिक मूल्य वाले 93,275 शेयर का कुल योग कास्टिंग्स 0.37 प्रतिश्त शेयर हैं।

लेनदारों द्वारा उगाही

एफसी ने समाधान योजना के अधीन उनके दावों के 6 प्रतिशत से कम दावों की उगाही की है। यह एक चिंताजनक विषय है। यह तर्क दिया जाता है कि यदि पहली समाधान योजना एक सूचना थी, तो बैंको को 'जटिल कानूनी प्रक्रिया और अधिक प्रक्रिया लागत' के पश्चात् केवल 6 प्रतिशत उगाही करने के बजाय एनपीए खातों को रद्द करना चाहिए या इस संहिता को समाप्त कर देना चाहिए। यद्यपि, यह नोट करना महत्त्वपूर्ण है कि एफसी ने समापन मूल्य के 6 गुणा की उगाही की थी। संहिता की अनुपस्थिति में, डूरे अतिरिक्त 'एन' वर्षों के लिए बीआईएफआर कार्यरत रहता और समापन मूल्य अधिक जर्जर हो गया होता। 'एन' वर्षों के पश्चात, डूरे का समापन हो जाता, जिससे समापन लागत से रिक्तिकरण घटाने के अलावा 8.17 करोड़ रुपये के समापन मूल्य की वापसी होती। इसके परिणामस्वरूप, 'एन' वर्षों के पश्चात एफसी द्वारा समाधान योजना के अधीन उनके दावों के लगभग 6 प्रतिशत उगाही के बजाय 1 प्रतिशत से कम की ही उगाही की जाती। इससे भी महत्त्वपूर्ण यह है कि, एफसी के लिए उगाही दूसरे दर्जे का परिणाम था जबकि डूरे पुनःउद्धार प्राथमिक परिणाम था।

धारा 29क

इस सीआईआरपी में कास्टिंग्स, जो एक संबंधित पक्ष है, ने डूरे का टेकऑवर किया, जबकि एफसी ने लगभग 94 प्रतिशत हेयरकट (मार्जिन) का सामना किया। यह तर्क दिया जाता है कि सीडी का संचालन करने वाले प्रवर्तकों ने, संहिता के अधीन किसी प्रक्रिया के माध्यम से सीडी का नियंत्रण किया था, जबकि केवल इस प्रक्रिया का परिणाम ही एफसी के लिए हेयरकट था। यह स्वीकृत नहीं था कि संहिता द्वारा लेनदारों की खर्च से अयोग्य व्यक्तियों को लाभ दिया जाए। संहिता ने 23 नवंबर, 2017 को अध्यादेश के प्रख्यापन के साथ इस दिशा को सही किया जिसमें कतिपय व्यक्तियों, जो पूर्ववर्ती कार्यों के कारण संहिता के अधीन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं, को समाधान योजना प्रस्तुत करने के रोकने के लिए धारा 29क का अंतः स्थापन किया गया। इससे यह सुनिश्चित किया गया कि स्थिर समाधान के हित में केवल सक्षम योग्य व्यक्ति ही सीडी का नियंत्रण कर सकते हैं।

संबंधित पक्ष

कास्टिंग्स, जो एक संबंधित पक्ष है द्वारा 24 नवंबर, 2016, जो एसआईसीए (निरसन) अधिनियम, 2013 की अधिसूचना के एक दिवस पूर्व था, को बकाया ऋण की महत्त्वपूर्ण राशि एनबीएफसी, एमएफएल नामक किसी तीसरे पक्ष को नियत की गई थी। जबकि संबंधित पक्ष होने के कारण कास्टिंग्स को सीओसी का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं था तथापि एमएफएल को 75 प्रतिशत मतदान शेयर के साथ सीओसी में सीट मिल गई थी। इस समय, समाधान योजना को 75 प्रतिशत मतदान शेयर द्वारा अनुमोदन अपेक्षित था। यदि इस ऋण को नियत न किया गया होता तो कास्टिंग्स के साथ–साथ एमएफएल सीओसी के बाहर होता। यह कथित रूप से उल्लेख किया गया कि इस ऋण को सीओसी में प्रक्रिया के नियंत्रण और साथ ही प्रक्रिया के परिणाम के लिए किसी संबंधित पक्ष को सम्मलित करने के गुप्त लक्ष्य से नियत किया गया था और अतः यह

अवैध था। अतः सीओसी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना, जिसमें 75 प्रतिशत मतदान शेयर वाले एमएफएल के माध्यम से कास्टिंग्स को शामिल किया गया था, संहिता का उल्लंघन था। एए ने इन तर्कों को निरस्त कर दिया था।

इस समाधान योजना में डूरे और कास्टिंग्स के समामेलन का प्रावधान है। यह तर्क दिया गया था कि संहिता में समामेलन जिसमें स्वयं सीडी का लोप प्रभावित है, पर विचार नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त डूरे और कास्टिंग्स का समामेलन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230–232 का उल्लंघन करती है, अतः यह संहिता की धारा 30(2)(ङ) की तुष्टि नहीं करती है।

संबंधित पक्ष, सीडी का समामेलन जैसे मामले, अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष रखे गए थे, जिसमें आने वाले समय किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई और इस समाधान योजना का समर्थन किया गया।

कारपोरेट समापन

सीआईआरपी समाधान योजना में या सीडी के समापन के आदेश में समाप्त हो सकता है। संहिता के अधीन, सीओसी, जिसमें मतदान सदस्यों के रूप में एफसी शामिल है, के पास समाधान योजना अनुमोदित करने या समापन करने का निर्णय लेने का अधिकार है। एए या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सीओसी के वाणिज्यिक निर्णयों पर सामान्य रूप से किसी प्रकार का विश्लेषण, मूल्यांकन या न्यायिक समीक्षा नहीं की जाती है।

सीआईआरपी में शामिल कारपोरेटों की बढ़ी संख्या के समापन में समाप्त होने की संभावना है, क्योंकि इन में से कई कारपोरेटों के व्यतिक्रम लम्बे समय से लंबित और अतः इनका गोइंग कन्सर्न मूल्य बहुत ही कम है। 31 मार्च, 2018 की स्थिति के साथ, कुल 91 सीआईआरपी का समापन किया गया जिसका ब्यौरा सारणी 30 में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त क्या ये सीआईआरपी बीआईएफआर है या गैर–कार्यात्मक है और इनके समाधान मूल्य और समापन मूल्य के बीच संबंध का ब्यौरा सारणी 31 में प्रस्तुत है।

सारणी 30

समापन में परिवर्तित होने वाले सीआईआरपी

निम्नलिखित द्वारा पहल की गई	सीआईआरपी संख्या	सीआईआरपी मूल्य (करोड़ रुपये में)	समापन प्रवेश किए गए दावों की राशि (करोड़ रुपये में)
ओसी	26	418.40	9449.30
एफसी	20	619	16649.77
सीडी	45	2729.17	26719.16
कुल	**91**	**3766.43**	**52818.23**

सारणी 31

समापन में समाप्त होने वाले सीआईआरपी का वितरण

सीआईआरपी के प्रारंभ में कारपोरेट ऋणी की स्थिति	निम्नलिखित द्वारा पहल की गई सीआईआरपी की संख्या			
	वित्तीय लेनदार	परिचा–लनात्मक लेनदारे	कारपोरेट ऋणी	कुल
या तो बीआईएफआर या गैर–कार्यात्मक या दोनों	17	23	37	77
समाधान मूल्य ≤ समापन मूल्य	19	25	35	79
समाधान मूल्य > समापन मूल्य	1	1	10	12

नोटः ऐसे 11 सीआईआरपी थे, जिसमें सीडी बीआईएफआर या गैर–कार्यात्मक थे परंतु समाधान मूल्य समापन मूल्य से अधिक था।

बारह बड़े खाते

बैंकों ने आरबीआई द्वारा यथा–निर्देशानुसार 12 बड़े खातों के सीआईआरपी की पहल की थी। 11 खातों में 73,220.23 करोड़ रुपये के समापन मूल्य के लिए 3.45 लाख करोड़ रुपये के दावे हैं। एक खाते से संबंधित दावे वर्ष के अंत तक उपलब्ध नहीं थे। इन 12 खातों के ब्यौरे सारणी 32 में प्रस्तुत है।

सारणी 32

12 बड़े खातों की स्थिति

क्र. सं.	कारपोरेट ऋणी	क्षेत्र	प्रवेश की तारीख	प्रवेश किए गए दावे (करोड़ रुपये में)	31 मार्च, 2018 तक की स्थिति
1	आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड	वस्त्र	18.07.17	30241.64	90 दिनों के लिए विस्तारित
2	ऐमटेक ऑटो लिमिटेड	ऑटो उपकरण	24.07.17	12718.97	90 दिनों के लिए विस्तारित
3	एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड	शिप निर्माण	01.08.17	18532.00	90 दिनों के लिए विस्तारित
4	भूषण स्टील लिमिटेड	स्टील	26.07.17	56862.56	90 दिनों के लिए विस्तारित
5	भूषण पॉवर एंड स्टील लिमिटेड	स्टील और विद्युत सजृन	26.07.17	48122.94	90 दिनों के लिए विस्तारित
6	इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड	स्टील	21.07.17	13301.84	90 दिनों के लिए विस्तारित
7	एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड		08.05.18	लागू नहीं	प्रवेश किया जाना है
8	एस्सार स्टील लिमिटेड	स्टील	02.08.17	51848.00	90 दिनों के लिए विस्तारित
9	ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड	पॉवर ट्रांसमिशन	04.07.17	8194.77	सीओसी द्वारा अनुमोदित
10	जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड	अवसंरचना विकास	09.08.17	10379.61	90 दिनों के लिए विस्तारित
11	लैंको इंफ्राटेक लिमिटेड	विद्युत सजृन	07.08.17	53157.90	90 दिनों के लिए विस्तारित
12	मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड	स्टील	18.07.17	10379.61	90 दिनों के लिए विस्तारित

स्वैच्छिक समापन

कारपोरेट व्यक्ति द्वारा स्वैच्छिक समापन कार्यवाही की पहल की जा सकती है यदि कारपोरेट व्यक्ति के निदेशकों या पदाविहित भागीदारों की बड़ी संख्या द्वारा यह घोषणा की जाती है कि (i) कारपोरेट व्यक्ति पर कोई ऋण नहीं है या वह प्रस्तावित समापन के अंतर्गत विक्रय की जाने वाली आस्तियों की आय से ऋणों का संपूर्ण भुगतान कर सकता है, (ii) कारपोरेट व्यक्ति को किसी व्यक्ति को धोखा देने के उद्देश्य से समापन नहीं किया जा रहा है।

07 अप्रैल, 2017 को प्रथम स्वैच्छिक समापन की पहल की गई थी। 31 मार्च, 2018 की समाप्ति तक, 182 कारपोरेट व्यक्तियों ने स्वैच्छिक समापन की पहल की, जिसका ब्यौरा सारणी 33 में दिया गया है। उनके द्वारा इस प्रक्रिया की पहल करने के कारणों की रिपोर्ट सारणी 34 में उपलब्ध है 182 कारपोरेट व्यक्तियों की प्रदत्त पूंजी 144 करोड़ रुपये के बकाया ऋण के साथ कुल 1598 करोड़ रुपये है। इन 182 कारपोरेटों की स्वैच्छिक समापन की स्थिति की रिपोर्ट सारणी 35 में उपलब्ध है। संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार के संबंध में एए और 11 कारपोरेट व्यक्तियों के संबंध में आईबीबीआई को अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। एए ने दो कारपोरेट व्यक्तियों के विघटन के आदेश पारित कर दिए हैं।

171 चालू स्वैच्छिक समापन प्रक्रियाओं में से 70 मामले 90 दिनों से कम समय के लिए लंबित है, 57 मामले 90 दिनों से अधिक परंतु 180 दिनों से कम समय के लिए लंबित हैं। 9 मामले प्रक्रिया पहल करने के पश्चात् 270 दिन पार कर चुके है परंतु वे अब भी 360 दिनों से कम है।

स्वैच्छिक समापन कार्यवाही की पहल करने वाले 182 कारपोरेट व्यक्तियों में से, 33 विनिर्माण क्षेत्र, 82 स्थावर संपदा, किराया और व्यावसायिक कार्यकलाप और 15 परिवहन क्षेत्र से संबंधित है (सारणी 36)। अधिकतम कारपोरेट व्यक्ति छोटी एनटीटी है। इन में से 163 के देयता एक करोड़ रुपये से कम है (सारणी 37)। इनमें से 128 की प्रदत्त साम्या पूंजी 1 करोड़ रुपये से कम है। 14 की प्रदत्त पूंजी 5 करोड़ रुपये से अधिक है (सारणी 38)।

सारणी 33

स्वैच्छिक समापन

तिमाही	कारपोरेट व्यक्तियों की संख्या	प्रदत्त पूंजी	आस्तियां	बकाया ऋण	प्रस्तुत की गई अंतिम रिपोर्टों की संख्या	विघटन आदेश पारित किये जाने की संख्या
अप्रैल–जून, 2017	12	17	35	9	–	–
जुलाई–सितंबर, 2017	42	199	380	31	–	–
अक्तूबर–दिसंबर, 2017	58	259	276	81	4	1
जनवरी–मार्च, 2018	70	1123	272	23	7	1
कुल	**182**	**1598**	**963**	**144**	**11**	**2**

सारणी 34

स्वैच्छिक समापन के कारण

क्र. सं.	स्वैच्छिक समापन के कारण	कारपोरेट व्यक्तियों की संख्या
1	व्यवसाय प्रचालन में नहीं है	100
2	वाणिज्यिक रूप से अलाभकारी	33
3	व्यवसाय में हानि	5
4	कोई राजस्व नहीं	8
5	प्रवर्तक कार्य का प्रबंध करने में असमर्थ है	2
6	कंपनी का उद्देश्य पूरा हुआ	2
7	संविदा की समाप्ति	3
8	विविध	29
कुल		**182**

सारणी 35

स्वैच्छिक समापन की चरणबद्धता

स्थिति	समापन की संख्या
पहल की गई	182
विघटन द्वारा बंद किया गया	02
अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई	11
चालू	171
> 360 दिन	—
> 270 दिन ≤ 360 दिन	9
> 180 दिन ≤ 270 दिन	35
> 90 दिन ≤ 180 दिन	57
≤ 90 दिन	70

सारणी 36

स्वैच्छिक समापनों का क्षेत्रवार वितरण

क्षेत्र	संख्या
विनिर्माण	33
खाद्य,पेय पदार्थ और तम्बाकू उत्पाद	1
रसायन और रसायन उत्पाद	5
इलैक्ट्रिक मशीनरी और एप्लेटस	2
निर्मित धातु उत्पाद	0
मशीनरी और उपकरण	7

वस्त्र, चमड़ा और परिधान	5
लकड़ी,रबड़,प्लास्टिक और कागज उत्पाद	3
मूल धातु	2
अन्य	8
स्थावर संपदा, किराया और व्यावसायिक कार्यकलाप	**82**
स्थावर संपदा कार्यकलाप	8
कंप्यूटर और संबंधित कार्यकलाप	26
अनुसंधान और विकास	0
ऑपरेटर के बिना मशीनरी और उपकरणों और निजी और घरेलू वस्तुओं को किराये पर लेना	2
अन्य व्यावसायिक कार्यकलाप	46
निर्माण	**10**
थोक एवं खुदरा व्यपार	**10**
हॉटल और रेस्टोरेंट	**0**
विद्युत और अन्य	**3**
परिवहन, भण्डारण और संचार	**15**
अन्य	**29**
कुल	**182**

सारणी 37

स्वैच्छिक समापन की देयताओं का वितरण

क्रम सं.	देयताएं (राशि करोड़ रुपये में)	कारपोरेटों की संख्या
1	≤ 1	163
2	> 1 ≤ 2	6
3	> 2 ≤ 3	3
4	> 3 ≤ 5	7
5	> 5	3
कुल		**182**

सारणी 38

स्वैच्छिक समापन के आस्तियों का वितरण

क्रम संख्या	आस्तियां (राशि करोड़ रुपये में)	कारपोरेटों की संख्या
1	≤ 1	99
2	> 1 ≤ 2	21
3	> 2 ≤ 3	15
4	> 3 ≤ 5	17
5	> 5	30
कुल		**182**

उभरता विधिशास्त्र

आर्थिक विधायी मुख्य रूप से एक नाममात्र ढांचा है। न्यायिक घोषणाएं इसे आस्तिव देती है। किसी मुख्य आर्थिक विधि को कार्यान्वित होने में और हितधारकों के लिए इसमें संपूर्ण स्पष्टता, निश्चितता और पूर्वानुमानता लाने में कई वर्ष, कभी–कभी कई दशक लग जाते है। एए, एनसीएलटी और एससी ने कई वैचारिक मुद्दों की व्याख्या करने और विवाद–ग्रस्त मुद्दों को निपटाने और संदेहास्पद विषयों को तत्परता से निपटाने के लिए कई महत्त्वपूर्ण आदेश दिए है। इन आदेशों से समाधान प्रक्रिया में विभिन्न हितधारकों की भूमिका और साथ ही क्या स्वीकृत है और क्या स्वीकृत नहीं है के संबंध में स्पष्टता आई है और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में इस प्रक्रिया में सरलता आयेगी।

राष्ट्र का अधिदेश

इस वर्ष की शुरूआत एए की ओर से मेसर्स डीएफ डौएश फॉरफेट एजी और अन्य बनाम मेसर्स उत्तम गालवा स्टील लिमिटेड [2] के मामले में इस सहानभूतिपूर्ण अभिकथन के रूप में हुई की यह संहिता राष्ट्र का अधिदेश है। यह महसूस किया गया कि *"और हम वही रहे जहां हम थे, कदाचित हम इसके भी आगे जाएंगे..... हम संसद के माध्यम से आये इस राष्ट्र के अधिदेश को नकार नहीं सकते है।" यह भी स्पष्ट हो गया कि इस संहिता में दिवाला के समाधान के लिए सामूहिक प्रयास (टीम एफर्ट) पर जोर दिया गया है। यह महसूस किया गया है कि यदि "याचना या प्रतिवादी पक्ष नहीं है, तो याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी या वादी प्रतिवादी जैसी शब्दावली इस संहिता के अधीन उपस्थित नहीं है....."।* अतः यह दिवाला कार्यवाही विरोधात्मक कार्यवाही नहीं है।

निर्दशनीय विस्थापन

एससी ने *इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईसीआईसी आई बैंक और अन्य* [3] के मामले में इस संदेश के साथ संहिता की विस्तृत व्याख्या की है कि *"हमने विस्तृत निर्णय की घोषणा करना आवश्यक समझा है जिससे की सभी न्यायालय और अधिकरण विधि में निर्दशनीय विस्थापन पर ध्यान दें। यदि जटिल प्रबंधन उनके ऋण का भुगतान करने में समर्थ नहीं है तो उन्हें प्रबंधन जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।" यही इस संहिता का सार है अतः इस संहिता की स्कीम पूर्व प्रबंधन को उनके अधिकारों से वंचित करने और किसी वृत्तिक एजेंसी को अधिकार देने के माध्यम से यह प्रयास करना है कि जब तक समाधान ना पहुंचा जाए तब तक कारपोरेट निकाय का व्यवसाय गोईग कन्सर्न के रूप में जारी रखा जाए, जिसमें प्रबंधन को योजना के अधीन सौंपा गया है जिससे कारपोरेट निकाय अपने ऋण का भुगतान कर सके और अपने पैरों पर खड़े हो सके। इसे 6 महीने की अवधि के भीतर किया जाना है और इसमें अतिरिक्त 90 दिनों का अधिकतम विस्तार दिया जा सकता है अन्यथा इसमें कठिनाई आ सकती है और समापन प्रक्रिया की शुरूआत हो जाएगी।"*

इस संहिता में दिवाला से संबंधित खंडित विधियों को समेकित किया गया है और यह मतभिन्नता का समाधान करने और विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा नियंत्रित बहुविधियों के आवेदनों से उठने वाली अनिश्चयता, और इसके परिणामस्वरूप मूल्यों में विलम्ब और कटौती को कम करने हेतु विभिन्न विधियों के उपबंधों का निरसन और संशोधन करता है। संहिता की धारा 238 में गैर–चुनौतीपूर्ण खंड की व्याख्या करते हुए एससी ने यह निर्णय दिया है कि महाराष्ट्र राहत परिवचन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1958 संहिता के लिए असंगत है क्योंकि यह संहिता की भाँति समेकित और संशोधित प्रकृति का अधिनियम है *"यह इस संहिता को स्वयं में संपूर्ण करता है और इसमें निपटाएं गए मामलों के प्रति विस्तृत है" और "वर्तमान मामले में यह स्पष्ट है, अतः जब तक कि महाराष्ट्र अधिनियम को हटाया नहीं जाता, संसदीय अधिनियम में इस प्रकार अवरोध और बाधा आयेगी की संहिता में दी गई दिवाला समाधान प्रक्रिया को लागू करना संभव नहीं हो पाएगा।" इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय दिया गया कि "यह स्पष्ट है कि संसदीय अधिनियम में बाद में आने वाला गैर–चुनौतीपूर्ण खंड महाराष्ट्र अधिनियम की धारा 4 में विहित सीमित गैर–चुनौतीपूर्ण खंड* से अधिक *महत्त्वपूर्ण होगा।"*

संवैधानिक वैधता

यह संहिता एक संस्थानगत सुधार है। यह हितधारकों के अधिकार और बाध्यताओं को प्रभावित करती है। अतः यह प्राकृतिक है कि संहिता के उपबंधों को संवैधानिक मान्यता सहित विभिन्न आधारों पर चुनौती दी जाए। श्री मेटेलिक्स लिमिटेड बनाम संघ सरकार और अन्य [4] के मामले में संहिता की धारा 7 की व्यवस्था को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह सीडी को सीआईआरपी में प्रवेश करने के लिए इसकी पहल करने के आवेदन के पूर्व उसे सुनने का अवसर भी नहीं देती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 424 के आधार पर उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि *"यदि अधिनियम सुनवाई के अधिकार के संबंध में मौन है और यह इसके शर्तों की व्याख्या नहीं करता और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से दूर है, तो उसी रूप में पढ़ा जा सकता है और पढ़ा जाएगा।"* तद्नुसार, एए सीडी को आवेदन दाखिल करने से पूर्व सुनने का उचित अवसर देने के लिए बाध्य है।

एनसीएलएटी ने इन्नोवेटिव *इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक और अन्य* [5] *के मामले में यह निर्णय दिया है कि "हमारा यह मत है और हम यह निर्णय लेते है कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी कारपोरेट ऋणी द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर व्यतिक्रम के अस्तिव के अन्वेषण के लिए मामला दर्ज करने से पूर्व कारपोरेट ऋणी को सीमित सूचना जारी करने के लिए बाध्य है....."* इससे यह स्पष्ट हो गया कि एए द्वारा व्यतिक्रम होने की तुष्टि के पश्चात, आवेदन दर्ज करना अनिवार्य है। यद्यपि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक स्थिति में एए द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व सीडी को सुनने का अवसर देना अपेक्षित है। अतः यद्यपि संहिता में एए को किसी सीडी द्वारा सीआईआरपी की पहल करने के लिए आवेदन दर्ज करते समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना विशेष रूप से अपेक्षित नहीं है, तथापि एए, एनसीएलएटी और अन्य न्यायालय व्यतिक्रम स्थापित करने के लिए जहां तक अपेक्षित हो नैसर्गिक न्याय का पालन करते है।

अक्षय झुनझुनवाला और अन्य बनाम संघ सरकार और अन्य [6]., मामले में धारा 7,8 और 9 की वैधता को चुनौती दी गई थी। यह तर्क दिया था कि इन धाराओं में ओसी और एफसी के बीच बनाई गई भिन्नता में कोई औचित्य या तर्क संगत आधार नहीं है, अतः यह हटाये जाने के लिए उत्तरदायी है। उच्च न्यायालय ने बीएलआरसी की रिपोर्ट से नोट किया, जिसमें यह कहा गया है कि: *"लेनदार समिति के सदस्यों को लेनदार होना आवश्यक है जिसमें व्यावहारिकता के साथ–साथ समझौता करते समय वर्तमान देयताओं के अनुसार संशोधन करने की इच्छा भी हो।*

---

[2] सी.पी. सं. 45/आईएंडबीपी/एनसीएलटी/एमएएच/2017
[3] सिविल अपील सं. 2017 की 8337–8338
[4] 2017 की डब्ल्यू.पी.7144(डब्ल्यू)
[5] सीए(एटी)(एंसोल्वेंसी) सं. 2017 की 1 और 2
[6] डब्ल्यू.पी. सं. 2017 की 672

विशेष रूप से, परिचालनात्मक लेनदार किसी एनटीटी के दिवाला होने संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के सक्षम है, ना ही एनटीटी के बेहतर भविष्य के लिए भुगतान स्थगित करने का जोखिम उठाने को इच्छुक है..... इस प्रक्रिया में त्वरिता और कुशलता लाने के लिए, संहिता में यह प्रावधान होगा की लेनदार समिति केवल वित्तीय लेनदारों तक ही सीमित हो।" तद्नुसार, न्यायालय ने यह निर्णय लिया है कि "शोधन अक्षमता समिति किसी कंपनी से संबंधित दिवाला कार्यवाही में किसी परिचालनात्मक लेनदार की तुलना में वित्तीय लेनदारों से पृथक व्यवहार किए जाने का औचित्य दें। यह औचित्य किसी कंपनी के दिवाला मुद्दे के शीघ्र समाधान के लिए लिया गया स्वीकार्य मत है। न्यायालयों द्वारा किसी विधायी में अतःस्थापित किया गया माना जाने वाला संभावित दुरूपयोग या जटिलता या असमानता के आधार पर किसी विधायी को न्यायानिर्णित करना अपेक्षित नहीं है। 2016 की संहिता के अधीन किसी कंपनी की दिवाला प्रक्रिया में किसी वित्तीय लेनदार के साथ विशेष व्यवहार करने का औचित्य भारत के संविधान के किसी भी उपबंध का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।"

शिवम वॉटर ट्रीट्रर्ज प्राइवेट लिमिटेड बनाम संघ सरकार [7] में, एससी ने गुजरात उच्च न्यायालय को *"दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 की मान्यता या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की संवैधानिक मान्यता।"* से संबंधित विवाद को प्रविष्ट करने से रोकने का अनुरोध किया है। यद्यपि इसमें याचिकाकर्ता को अनुच्छेद 32 के अधीन एससी के समक्ष इसको चुनौती देने से रोका नहीं गया है।

समय सीमा

संहिता के लंबे शीर्षक में यह कथन है कि यह समयोचित रीति में कारपोरेट व्यक्तियों, भागीदार फर्मों और वैयक्तिकों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान हेतु अधिनियम है। संहिता में सीआईआरपी के विभिन्न कार्यकलापों के लिए समय–सीमा विनिर्दिष्ट है। यद्यपि, एए, आईपी और सीओसी सहित हितधारकों के लिए इस समय–सीमा का पालन करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहा है, जबकि इस बात में स्पष्टता का भाव है कौन–सी समय–सीमा अनिवार्य या निदेशात्मक है, तथापि एए और न्यायालयों ने कंपनियों को समापन से रोकने के लिए समय–सीमा की कठोर अनुपालना और न्याय के प्रतिपादन के बीच सामंजस्य स्थापित करने हेतु व्यावहारिक दृष्टिकोण को अपनाया है।

संहिता में, दिवाला कार्यवाही की पहल करने हेतु आवेदन करने की स्थिति में, एए को आवेदन दर्ज या रद्द करने संबंधी निर्णय लेने के लिए 14 दिनों के समय का प्रावधान है। एए द्वारा किसी आवेदन को रद्द करने से पूर्व आवेदक को आवेदन में त्रुटियों, यदि कोई हो, का संशोधन करने हेतु 7 दिनों का समय देना अपेक्षित है। इस बात में स्पष्टता की कमी थी कि क्या यह अनिवार्य था या निदेशात्मक। *जेके जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स सुरेन्द्र ट्रेडिंग कंपनी [8] के मामले में, एनसीएलएटी* ने यह निर्णय लिया था कि यह 14 दिनों की समय–सीमा निदेशात्मक है, और एए को निष्पक्षता और न्याय के हित में मामला–दर–मामला आधार पर इन 14 दिनों की अवधि को बढ़ाने का मूलभूत अधिकार है इसके अतिरिक्त यह महसूस किया है कि त्रुटियों के संशोधन के लिए दी गई 7 दिनों की समयावधि अनिवार्य है। इसमें आईआरपी के लिए 30 दिनों की समय–सीमा निदेशात्मक रूप में और सीआईआरपी की समाप्ति के लिए 180 दिनों की समय–सीमा को अनिवार्य रूप में रखे जाने का निर्णय दिया गया।

अपील के संबंध में, सुरेन्द्र ट्रेडिंग कंपनी बनाम जुग्गी लाल कमलापत जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड और अन्य के मामले में 14 दिनों की समय–सीमा को निदेशात्मक पुष्टि करते हुए, एससी ने यह निर्णय दिया की यह धारा 7 की उपधारा (5), धारा 9 या धारा 10 की उपधारा (4) के परंतुक की व्याख्या करते समय भी समान रूप से लागू होगा। यह महसूस किया गया कि *"यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि किसी संवैधानिक पदाधिकारी को विनिर्दिष्ट समय के भीतर संवैधानिक कर्तव्य निष्पादित करने को कहा जाता है अतः, यह अनिवार्य नहीं बल्कि निदेशात्मक होता।"* इससे यह निर्णय लिया गया कि किसी आवेदक द्वारा त्रुटियों को हटाने के लिए संहिता में विनिर्दिष्ट सात दिनों का समय निदेशात्मक है।

संहिता कि धारा 64 के अधीन एए और एनसीएलएटी द्वारा आवेदनों के निपटान हेतु समय–सीमा के संबंध में, एससी ने मोबिलोक्स इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम किरुसा साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड [9] के मामले में यह महसूस किया है कि *"इन समय–सीमाओं का कठोर अनुपालन प्रक्रिया और दिवाला समाधान प्रक्रिया दोनों को बढ़ाने के लिए महत्त्वपूर्ण है। जैसा कि हमने देखा संहिता को अधिनियमित करने का एक मूल कारण अंतहीन समापन कार्यवाहियां है, जिसके कारण दुर्दम्य प्रबंधन, जो ऋण का भुगतान किए बिना ही कंपनी पर अधिकार जारी रखता है के अलावा सभी हितधारकों के हितों को क्षति पहुंचती है। अधिकरण और अपीलीय अधिकरण दोनों ही संहिता द्वारा प्राप्त किए जाने के लिए अपेक्षित मूल लक्ष्य को ध्यान में रखने का सुप्रयास करेंगे और संहिता के अधीन निर्णित किए जाने वाले मामलों के लिए समय–सीमा का कठोर रूप से पालन करेंगे।"*

संहिता में, मामलों को दर्ज करने के लिए समय–सीमा के अलावा, समस्त समाधान प्रक्रिया की समाप्ति हेतु कठोर समय–सीमा का भी प्रावधान है। इसमें सीआईआरपी की समाप्ति के लिए 180 दिनों और पात्र मामलों में एए द्वारा 90 दिनों तक की एक कालिक समय विस्तार की अनुमति है। 180 दिनों की समाप्ति या 270 दिनों, जैसा भी मामला हो, के पश्चात् यदि समाधान योजना प्रस्तुत नहीं की गई या प्रस्तुत की गई, तो उसे संहिता की धारा 31 के अधीन रद्द कर दिया जाएगा, और सीडी अनिवार्य रूप से समापनाधीन हो जाएगा अतः यह समय–सीमा अनिवार्य है। एससी ने *इनोवेंटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आईसीआईसीआई बैंक और अन्य* [10] के मामले में संहिता के उद्देश्य को नोट करते समय, समय– सीमा के महत्त्व के संबंध में बीएलआरसी रिपोर्ट के महत्त्वपूर्ण पैरा का संदर्भ लिया है: *"संशोधन अक्षमता संहिता की कार्यात्मकता के लिए गति दो कारणों से महत्त्वपूर्ण है। पहला यह कि 'स्थिरता अवधि' के समय यह किसी संगठन को चालू रखने में सहायक हो सकती है, स्वामित्व और नियंत्रण की संपूर्ण स्पष्टता के बिना महत्त्वपूर्ण निर्णय नहीं लिये जा*

[7] एसएलपी(सी)सं. 1740/2018
[8] 2017 की सीए(एटी) सं. 9
[9] 2017 की सिविल अपील सं. 9405
[10] 2017 की सिविल अपील सं. 8337–8338

सकते है। प्रभावी नेतृत्व के बिना फर्म कमजोर होता जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। विलंब जितना अधिक होगा, एक मात्र समाधान के रूप में समापन होने की संभावना अधिक होगी। दूसरा यह कि, समय के साथ–साथ समापन मूल्य कम होता जाता है क्योंकि कई आस्तियां अवमूल्यन के उच्च आर्थिक दर से ग्रस्त होती जाती है। लेनदारों की दृष्टि से, सही उगाही सामान्य तौर पर तभी प्राप्त की जा सकती है यदि उस फर्म को गोइंग कन्सर्न के रूप में बेचा जाए अतः जब विलंब को समापन के रूप में माना जाए, तो मूल्य में कमी आती है। इसके अतिरिक्त समापन में भी, यदि विलंब हो तो उगाही कम होती है। अतः, विलंब के कारण मूल्यों में कमी आती है। अतः उच्च वापसी दर प्राप्त करना प्राथमिक रूप से विलंब की पहचान करने और विलंब के स्रोत का निपटान करने से संबंधित है।"

संहिता द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि इस कार्य की समाप्ति के लिए दिया गया अधिकतम समय है। ऐसे दृष्टांत हो सकते है, जिसमें सीआईआरपी अधिकतम समयवधि के पूर्व ही समाप्त की जा सकती है। एनसीएलएटी ने *प्रोवेस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड बनाम पारकर हैनिफिन प्राइवेट लिमिटेड* [11] के मामले में यह महसूस किया है कि *"तत्पश्चात्, ऐसे मामलों में जहां सभी लेनदार संतुष्ट है और किसी लेनदार द्वारा किसी प्रकार की व्यतिक्रम नहीं हुई है, धारा 30 के अधीन समाधान योजना प्रस्तुतिकरण या धारा 31 के अधीन अनुमोदन की औपचारिकता को योजना, यदि तैयार किया गया हो, के आधार पर त्वरित करना अपेक्षित है ऐसे मामले में, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी समाधान प्रक्रिया के लिए 180 दिनों की प्रतीक्षा किए बिना ही, यह तुष्टि रिकॉर्ड करने के पश्चात् की सभी लेनदार का भुगतान तुष्टि कर दी गई है और व्यतिक्रम की अनुपस्थिति में किसी अन्य लेनदार द्वारा किसी प्रकार की राशि का दावा नहीं किया गया है और दिवाला समाधान प्रक्रिया को बंद करना अपेक्षित है, धारा 31 के अधीन समाधान योजना का अनुमोदन कर सकता है। दूसरी ओर यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा समाधान योजना का अनुमोदन नहीं किया जाता है तो, उस पर विधि के अनुसार कार्य किया जाएगा।"*

विवाद का अस्तित्व

इस संहिता में सीडी को सीआईआरपी की पहल करने हेतु आवेदन दर्ज करने को रोकने के लिए विवाद का अस्तित्व रखने का अधिकार है। यद्यपि, विवाद की सीमा ना तो स्पष्ट ना ही यह स्पष्ट है कि यह विवाद कब उठाया जाए। *एसर प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड बनाम एमसीएल ग्लोबल स्टील प्राइवेट लिमिटेड* [12] और *डिएफ डोयेश फॉरफेट एजी और अन्य बनाम उत्तम गालवा स्टील लिमिटेड* [13] के मामले में, एए ने कठोर व्याख्या की है और यह महसूस किया है कि विवाद का अस्तित्व का अर्थ संहिता की धारा 8 के अधीन सूचना की प्राप्ति की पूर्व न्यायालय या पंचायती अधिकरण में विवाद उठाना है और यह विवाद के अस्तित्व में शामिल भी है।

मोबिलॉक्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम किरूसा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड [14] के मामले में, एससी ने स्पष्ट किया कि महत्त्वपूर्ण यह है कि, वास्तव में एक विवाद मौजूद होना चाहिए। यह सहज, काल्पनिक या भ्रामक नहीं होना चाहिए और इसमें प्रमाणिक रूप से कमजोर कानूनी तर्क या सबूत द्वारा असमर्थित तथ्य का दावा नहीं होना चाहिए। यह महत्त्वपूर्ण नहीं है कि विवाद सफल होगा या नहीं और इस स्तर पर विवाद के गुण की जांच करना आवश्यक है।

अधिस्थगन

अधिस्थगन की गुंजाइश अत्यंत विचार विमर्श की रही है। *केनरा बैंक बनाम डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड* [15], के मामले में एनसीएलएटी ने निर्धारित किया है कि क्या संहिता की धारा 14 के अधीन स्थगन एचसी या एससी के समक्ष कार्यवाही करता है या नहीं। यह देखा गया है कि *"भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन माननीय उच्चतम न्यायालय और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन माननीय उच्च न्यायालय के पास अधिकार है, जिसे किसी अधिनियम या न्यायालय के किसी भी प्रावधान द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। कानून के पूर्वोक्त प्रावधान को देखते हुए, हम यह स्पष्ट करते हैं कि 'अधिस्थगन' भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित किसी भी मामले या भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन पारित किसी आदेश को प्रभावित नहीं करेगा। 'अधिस्थगन' भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय की शक्ति को भी प्रभावित नहीं करेगा। यद्यपि, जहां तक, मूल अधिकार क्षेत्र के अधीन किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किए गए वाद संबंध है, जो मनीसूट या 'कारपोरेट ऋणी' की उगाही के लिए सूट से संबंधित है, ऐसे वाद संहिता की धारा 14 के अधीन अधिस्थगन की घोषणा के पश्चात् और आगे नहीं बढ़ सकते हैं।"*

भारतीय स्टेट बैंक बनाम श्री वी रामकृष्णन और मैसर्स वेसन्स एनर्जी सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड [16], के मामले में एफसी ने व्यक्तिगत गारंटीकर्ता के विरूद्ध सारफेसी अधिनियम के अधीन अपना अधिकार प्रयोग किया। सीडी ने संहिता की धारा 10 का प्रयोग किया था जिसे दर्ज किया गया था और स्थगन का आदेश पारित किया गया था। अधिस्थगन की घोषणा के बाद, एफसी ने सारफेसी अधिनियम के अधीन उपाय करना जारी रखा और निजी गारंटीकर्ता की संपत्ति के विरूद्ध कार्य किया। एए ने एफसी को व्यक्तिगत गारंटीकर्ता के विरूद्ध अधिस्थगन की अवधि समाप्त होने तक आगे बढ़ने से रोक दिया। इसमें शामिल मुद्दा यह था कि क्या सीडी की संपत्ति के साथ–साथ व्यक्तिगत गारंटीकर्ता पर भी अधिस्थगन लागू है। एनसीएलएटी ने यह महसूस किया है कि यदि सीओसी और एए द्वारा भी समाधान योजना का अनुमोदन किया गया है, तो यह न केवल सीडी पर बाध्यकारी है, बल्कि इसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों, गारंटीकर्ताओं और व्यक्तिगत गारंटीकर्ता सहित समाधान योजना में शामिल अन्य हितधारकों, पर भी लागू होता है। अतः यह निर्णय लिया है कि अधिस्थगन केवल सीडी की संपत्ति पर ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत गारंटीकर्ता पर भी लागू होगा।

---

[11] *2017 की सीए(एटी)(इंसोल्वेंसी) सं. 89*
[12] *सी.पी. सं. 20/1 एंड बीपी/एनसीएलटी/एमएएच/2017*
[13] *सी.पी. सं. 45/1 एंड बीपीध्एनसीएलटी/एमएएच/2017*
[14] *2017 की सिविल अपील सं. 2017 का 9405*
[15] *2017 की सीए(एटी)(इंसोल्वेंसी) सं. 147*
[16] *2017 की सीए(एटी)(इंसोल्वेंसी) सं. 2013*

अल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम मैसर्स होटल गौड़वन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य [17] , के मामले में एससी ने यह महसूस किया कि संहिता यह अधिदेश है कि जैसे ही दिवालिया आवेदन दर्ज किया जाता है, धारा 14 (1) (क) के अधीन अधिस्थगन प्रभावी हो जाता है सीडी के विरूद्ध लंबित मुकदमों या कार्यवाहियों को जारी रखता है। यह निर्णय लिया गया है कि अधिस्थगन के लागू होने के बाद मध्यस्थता की शुरूआत का विधि में अस्तित्व नहीं है।

अमित स्पिनिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अक्टूबर, 2011 में बीआईएफआर के समक्ष एक संदर्भ दायर किया था और इसे रुग्ण कंपनी घोषित कर दिया गया था। कई अवसरों का लाभ उठाने के बावजूद, यह लगभग पांच वर्षों तक बीआईएफआर के समक्ष किसी प्रकार की व्यवहारिक योजना नहीं ला पाया, परंतु अधिस्थगन का लाभ उठाया। सीआईआरपी के लिए एक आवेदन दर्ज करते समय, एए ने मेसर्स *अमित स्पिनिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड* [18] के मामले में यह महसूस किया कि *"वर्तमान मामले के तथ्यों से यह भी पता चलता है कि कारपोरेट आवेदक ने पहले से ही एसआईसीए की धारा 22 (1) के अधीन यथा उपलब्ध अधिस्थगन का लाभ उठाया है। अतः, हमें यह महसूस होता है कि यह उचित होगा कि वर्तमान मामले में दिवाला समाधान प्रक्रिया को यथासंभव 100 दिनों की अवधि के भीतर तीव्रता से निपटाना चाहिए।"*

समाधान

संहिता में समाधान पर जोर दिया गया है। एए की कई घोषणाओं में उगाही पर प्रतिबंध को दोहराया गया है। *मेसर्स नोफ्लोअत्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड* [19] के मामले में, एए ने यह दोहराया कि समाधान प्रक्रिया को लेनदारों के सामान्य निकाय के लाभ के लिए शुरू किया गया है और यह एक प्रतिनिधियुक्त कार्रवाई है और किसी व्यक्तिगत लेनदार के पैसों की उगाही के लिए नहीं है। *पार्कर हैनीफिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड* [20] के मामले में, एए ने यह महसूस किया है कि समाधान प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात्, कार्यवाही की प्रकृति प्रतिनिधि सूट में परिवर्तित हो जाती है और सूची केवल लेनदार और ऋणी के बीच ही विद्यमान नहीं रहता है। अतः, केवल उन्हें ही इस प्रक्रिया को बंद करने का अधिकार नहीं है क्योंकि लेनदार को उसकी बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है। *प्रोवेस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड बनाम पार्कर हैनिफिन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड* [21] के मामले में, एनसीएलएटी ने स्पष्ट किया है कि: *"यह स्पष्ट किया जाता है कि दिवाला समाधान प्रक्रिया लेनदारों के बकाया राशि की उगाही के लिए की गई उगाही कार्यवाही नहीं है। आई एंड बी संहिता, 2016 कारपोरेट व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित एक अधिनियम है..... "।*

निपटान

आईबीबीआई (न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के लिए आवेदन) नियम, 2016 में प्रवेश से पूर्व आवेदन वापस लेने की अनुमति है। यद्यपि, इस बात में स्पष्टता की कमी थी कि क्या किसी आवेदन को उसे प्रवेश करने के बाद भी वापस लिया जा सकता है या नहीं।

मदर प्राइड डेयरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम पोर्ट्रेट एडवरटाइजिंग एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड [22] के मामले में, एनसीएलएटी ने यह विचार किया है कि एक बार आवेदन स्वीकार करने के पश्चात्, इसे वापस नहीं लिया जा सकता है क्योंकि अन्य लेनदारों को सार्वजनिक घोषणा के अनुसार दावा करने का अधिकार हैं। यद्यपि, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सीआईआरपी के लिए आवेदन स्वीकार करने वाला आदेश अन्य लेनदारों के दावे को संतुष्ट करने और निपटाने के लिए अपीलकर्ता के रास्ते में नहीं आएगा। *लोखंडवाला कटारिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बनाम निसस फाइनेंस एंड इनवेस्टमेंट मैनेजर एलएलपी* [23] के मामले में, एनसीएलएटी ने एक दिवालिया कार्यवाही को बंद करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। यह देखा गया है कि एफसी को भी एक बार दर्ज किए गए आवेदन को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, और जब तक सीडी सभी लेनदारों के दावे से संतुष्ट नहीं हो जाते है तब तक यह मामला बंद नहीं किया जा सकता है।

इस अपील के संबंध में, एससी ने इस मामले को इस टिप्पणी के साथ बंद किया है कि *"..चूंकि सभी पक्ष आज हमारे समक्ष हैं, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे हमारे समक्ष मामला शांत हो जाए।"* उत्तरा *फूड्स एंड फीड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम मोना फार्माकेम* [24] के मामले में, एससी, ने एक दिवालिया आवेदन दर्ज करने के पश्चात् पक्षों के बीच निपटान की अनुमति देते हुए यह महसूस किया है कि *"हमारा विचार है कि चूंकि केवल उच्चतम न्यायालय ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है अतः उच्चतम न्यायालय में सभी आदेशों के आने के बजाय, संबंधित नियमों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित किया जाए जिससे उन में ऐसी निहित शक्तियों को शामिल किया जा सके। यह इस मामले में इस तरह के समझौते पर पहुंचने से पूर्व इस न्यायालय में दायर की गई अनावश्यक अपीलों को दूर करेगा।"*

दिवाला विधि समिति ने इस मुद्दे पर विचार–विमर्श किया और यह कहा है कि *"इस संबंध में अनेक एनसीएलटी और एनसीएलएटी निर्णयों की समीक्षा के पश्चात, जो सुसंगत पैटर्न उभरा है वह यह था कि न केवल आवेदक लेनदार और ऋणी के लिए बल्कि वापसी के अनुमोदन के उद्देश्य के लिए सभी लेनदारों और ऋणियों के बीच एक समझौता हो सकता है, संहिता के आशय के साथ पठित आधार पर, समिति ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की है कि यदि सीओसी नब्बे प्रतिशत के मतदान शेयर द्वारा इस तरह की कार्रवाई को मंजूरी देता है, तो प्रवेश के पश्चात् वापसी के लिए संगत नियमों को संशोधित किया जा सकता है।"*

इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल

सीआईआरपी में एक आईपी की भूमिका की व्याख्या और उसकी उत्तरदायित्व के निर्वहन में उसका समर्थन करते हुए एए और एनसीएलएटी के कई आदेश हैं। आईआरपी ने सीडी की संपत्ति का दायित्व लेने के

[17] *2017 की सिविल अपील सं. 16929*
[18] *आईबी–13(पीबी)/2017*
[19] *2017 की सीपी (आईबी)45(पीबी)*
[20] *आई.ए सं. 226/केबी/2017 सी.पी.(आईबी) सं. 150/केबी/2017*
[21] *2017 की सीए(एटी)(इंसोल्वेंसी) सं. 89*
[22] *2017 की सीए(एटी)(इंसोल्वेंसी) सं. 94*
[23] *2017 की सीए(एटी)(इंसोल्वेंसी) सं. 95*
[24] *2017 की सिविल अपील सं. 18520*

प्रयास किए है, परंतु सीडी की ओर से इस पर कठोर विरोध किया गया था। अतः, उन्होंने आईआरपी के रूप में अपने कार्यों के निर्वहन के लिए पुलिस सहायता की मांग की थी। सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय स्टेट बैंक बनाम मैसर्स अशोक मैग्नेटिक्स लिमिटेड[25] *के मामले में :* यह टिप्पणी की है कि: *"..., हम पुलिस अधीक्षक जिनके अधिकार क्षेत्र में कॉरपोरेट ऋणदाता अर्थात मेसर्स अशोक मैग्नेटिक्स लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय अर्थात् बी, 73, एसआईपीसीओटी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, गुम्मिदिपोन्डी, 601 201 स्थित है,य पुलिस आयुक्त, चेन्नई, जिनका अधिकार क्षेत्र रॉयपेट्टाह/तेयनामपेट पुलिस स्टेशन है, जहाँ कॉरपोरेट ऋणी का कॉरपोरेट कार्यालय स्थित है और पुलिस अधीक्षक, पुदुचेरी, एरीपक्कम विलेज, नेट्टापक्कम कम्यून, जिनका अधिकार क्षेत्र पॉण्डिचेरी है, जहाँ कॉर्पोरेट ऋणी की कॉरपोरेट फैक्ट्री स्थित है, को आईआरपी को उचित पुलिस सहायता और व्यक्तिगत सुरक्षा देने का निर्देश देते हैं, जिससे वह कॉर्पोरेट ऋणी की संपत्ति का दायित्व ले सके और आई एंड बी संहिता, 2016 के उपबंधो के अनुसार कार्य कर सके... कॉर्पोरेट ऋणी के निदेशक को भी आई एंड बी संहिता, 2016 में परिकल्पित खातों, वित्तीय और परिचालन लेनदारों की सूची, दस्तावेजों की सूची और अन्य प्रासंगिक विवरणों की सूची प्रस्तुत करने और आई आईरपी को सभी प्रकार का सहयोग देने के निदेश दिये जाते हैं ..."*

आईआरपी ने सद्भाव में उसके द्वारा किए गए सभी कृत्यों के लिए सुरक्षा और एफआईआर में किए गए तुच्छ आरोपों से उसे बचाने की प्रार्थना की है। *मेसर्स अलकेमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स होटल गौड़वन प्रा.लि. लिमिटेड*[26] के मामले मे, एए ने यह महसूस किया है कि *"यदि, दिवाला वृत्तिक के विरुद्ध कोई शिकायत है तो आईबीबीआई एक अनुशासनात्मक समिति का गठन करने और संहिता की धारा 220 के उपबंधों के अनुसार किसी जांच प्राधिकरण इसकी जांच कराने के लिए सक्षम है। यदि जांच के पश्चात् आईबीबीआई को यह लगता है कि दिवाला समाधान वृत्तिक के विरुद्ध आपराधिक मामला बनाया गया है, तो आईबीबीआई' को उसके द्वारा किए गए अपराधों के संबंध में शिकायत दर्ज करना होगा। उपर्युक्त लक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आईआरपी द्वारा सद्भाव में की गई कार्रवाई को संहिता की धारा 233 द्वारा स्वीकृति दी गई है। 'आईबीबीआई' द्वारा शिकायत दर्ज न करने की स्थिति में अपराधों की सुनवाई पर भी पूरी तरह से रोक है, जैसा कि संहिता की धारा 236 (1) (2) के अवलोकन से स्पष्ट है। अतः, हरेंद्र सिंह राठौर, एसएचओ पुलिस स्टेशन में एक पूर्व निदेशक, द्वारा की गई शिकायत को रखा नहीं जा सकता है और वह सक्षम नहीं है क्योंकि यह आईबीबीआई द्वारा दर्ज शिकायत नहीं है .. अधिकार क्षेत्र में जांच अधिकारी तभी निहित होगा यदि वह शिकायत 'आईबीबीआई' द्वारा दर्ज की जाएगी।"*

आरपी ने संवैधानिक कर्तव्यों और बाध्यताओं को शांतिपूर्ण ढंग से करने के लिए सीडी के कारखाने परिसर का दौरा करने के लिए आवश्यक सहायता और सुरक्षा की मांग की है। *पंजाब नेशनल बैंक बनाम दिव्यज्योति स्पंज आयरन प्राइवेट लिमिटेड*[27] के मामले में, एए ने यह आदेश दिया है कि *"कारपोरेट ऋणी द्वारा दी गई प्रत्यक्ष धमकी को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया गया है कि इस आदेश की प्रति पुलिस महानिदेशक, पश्चिम बंगाल, पुलिस अधीक्षक, बांकुरा और मेजिया पीएस के प्रभारी को कंपनी के मूल्यांकन में समाधान वृत्तिक को उचित और प्रभावी सहायता देने के लिए दी जाएगी। अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के दौरान, समाधान वृत्तिक के काम में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की स्थिति में, कारपोरेट ऋणी के विरूद्ध कार्रवाई की पहल की जाएगी और यह माना जाएगा कि कारपोरेट ऋणी न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रहा है। यह उम्मीद की जाती है कि कारपोरेट ऋणी समाधान वृत्तिक के साथ पूरी तरह से सहयोग करेगा। "*

किसी नए कानून के प्रावधानों के लिए चुनौतियां होना कोई असामान्य बात नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि न्यायालय इन मामलों को अत्यंत तीव्रता से निपटा रहे हैं। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि एए, एनसीएलएटी और न्यायालयों द्वारा दिए गए प्रत्येक निर्णय के साथ, दिवाला संशोधनों की जड़ें गहरी और मजबूती से विकसित हो रही है।

---

[25] *सीपी/551(1बी)/सीबी/2017*

[26] *सीपी/सीए. सं. (आईबी)–23(पीबी)/2017*

[27] *सी.पी (आईबी)सं. 363/केबी/17 में सीए/(आईबी)सं. 570/केबी/2017*

च संहिता का प्रभाव

एक प्रभावी दिवाला और शोधन अक्षमता शासन के अपार लाभ सुज्ञात हैं। विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट, 2014 में कहा गया है: *"शोधन अक्षमता विधि और पुनर्विक्रय बाजारों की गहराई अनुत्पादक उद्यम से उत्पादक संसाधनों को मुक्त करने के और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अन्य उद्यमों में लेनदारों और संभावित निवेशकों को संरक्षित किया जाएगा यदि कोई व्यवसाय विफल रहता है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।"* भारत के लिए दिवाला ढाँचे की समाधानना करते हुए, बीएलआरसी ने टिप्पणी की कि: *"हम आशा करते हैं कि इस रिपोर्ट के कार्यान्वयन से भारत में आधुनिक क्रेडिट बाजार और विशेष रूप से कारपोरेट बॉन्ड बाजार के विकास को बढ़ावा देकर सकल देशीय उत्पाद के विकास में वृद्धि होगी। सकल देशीय उत्पाद वृद्धि में तेजी तब आएगी, जब उन नई फर्मों के लिए अधिक क्रेडिट उपलब्ध होगा जिनमें वास्तविक पूंजी की कमी है। जबकि वित्त और फर्मों की ठोस प्रणाली प्राप्त करने के लिए कई अन्य चीजों की आवश्यकता होती है, यह उस इमारत का महत्वपूर्ण निर्माण अवयव है।"*

संहिता का उद्देश्य संबंधित फर्म की आस्तियों के मूल्य को अधिकतम करने, उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने और ऋण की उपलब्धता को बढ़ावा देने और अपने सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए फर्मों का समयबद्ध पुनर्गठन और दिवाला समाधान करना है। समाधान, फर्म की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करना, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ऋण की उपलब्धता और हितों को संतुलित करना जैसे उद्देश्यों के संदर्भ में संहिता के प्रभाव को देखने की आवश्यकता है। इस प्रकार, समीक्षाधीन अवधि के लिए संहिता के प्रभाव का आकलन करना बहुत जल्दबाजी होगी, हालांकि हमें कुछ शुरुआती संकेतों को देखने की आवश्यकता है।

कारोबार की सुगमता

विश्व बैंक के वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर) ने दिवाला समाधान को आसान बनाने के लिए भारत के प्रयासों की सराहना की। इस संबंध में भारत के प्रयासों की सराहना करते हुए, रिपोर्ट में कहा गया: *"भारत ने नई दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता को अपनाकर दिवाला समाधान को सरल बना दिया, जिसने कारपोरेट देनदारों के लिए पुनर्गठन प्रक्रिया शुरू की और दिवाला होने की कार्यवाही के दौरान देनदार के व्यवसाय को जारी रखने की सुविधा प्रदान की।"* डीबीआर (अक्टूबर, 2016 में जारी) में 2017 के लिए दिवाला समाधान में भारत की रैंकिंग सुधर कर 136 से 2018 के लिए डीबीआर (अक्टूबर, 2017 में जारी) 103 हो गई।

डीबीआर देश के लिए इस पैरामीटर के लिए स्कोर पर पहुंचने के लिए घरेलू संस्थाओं के साथ–साथ न्यायिक परिसमापन और पुनर्गठन कार्यवाही के लिए लागू विधिक ढांचे की ताकत के साथ–साथ दिवाला कार्यवाही के समय, लागत और परिणामों का अध्ययन करता है। संहिता के अधिनियमन के साथ, भारत ने विधिक ढांचे के बल पर उच्च स्कोर किया, जो व्यवहार्य फर्मों के पुनर्वास के लिए बेहतर दिवाला विधि का संकेत देता है और गैर–विधिक लोगों का परिसमापन कर रहा है। दिवाला के समाधान के विभिन्न अवयव सारणी 39 में प्रस्तुत किए गए हैं।

सारणी 39

डीबीआरः दिवाला समाधान में भारत का निष्पादन

विवरण	अक्टूबर में जारी ईओडीबी के अनुसार			संहिता के अधीन परिणाम*
	2015	2016	2017	2017–18
दिवाला का समाधान करने में रैंक	136	136	103	लागू नहीं
दिवाला (0 –100) का समाधान करने के लिए स्कोर	32.59	32.75	40.75	लागू नहीं
समय (वर्ष)	4.3	4.3	4.3	243 दिवस
लागत (संपत्ति का प्रतिशत)	9.0	9.0	9.0	लागू नहीं
उगाही दर (डॉलर पर सेंट)	25.7	26.0	26.4	49.6**
दिवाला ढांचा सूचकांक (0 –16) की ताकत	6.0	6.0	8.5	लागू नहीं

*1. *:मार्च 2018 तक समाधान योजना के परिणाम स्वरूप 23 सीआईआरपी के बारे में.*
*2. **:वित्तीय लेनदारों द्वारा उगाहे गए दावों का प्रतिशत*

यह स्पष्ट है कि डीबीआर में समय और उगाही के संदर्भ में परिणाम में सुधार परिलक्षित नहीं होता है। रिपोर्ट में शायद यह माना गया था कि प्रत्याभूतित लेनदार केवल लंबी और भारी बन्दीपूर्व कार्यवाही के माध्यम से ऋण की उगाही करते हैं। हालांकि, संहिता में पुनर्गठन के लिए प्रभावी विकल्प प्रदान किया गया है, जबकि दिवाला कार्रवाई शुरू करने और उसे परिचालित करने में लेनदारों के हाथ मजबूत हुए हैं। समाधान योजनाओं से लेनदारों के लिए लगभग 168.35 प्रतिशत परिसमापन मूल्य प्राप्त हुआ है। वे देश में पिछले दिवाला शासन की तुलना में कम समय और लागत के साथ समाधान के अधीन समाधान योजनाओं के माध्यम से अपने औसत 49.68 प्रतिशत दावों की उगाही कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संहिता के अधीन उगाही केवल संहिता द्वारा सुकर की गई विफल फर्मों के पुनरुद्धार की प्रक्रिया की प्रक्रिया का उत्पाद है, यह संहिता का उद्देश्य नहीं है।

एक कुशल और प्रभावी दिवाला शासन लेनदारों के अधिकारों को मजबूत करता है और इसलिए व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए ऋण की उपलब्धता को बढ़ाता है। इसलिए, दिवाला शासन में सुधार "ऋण लेन" के संकेतक में आंशिक रूप से परिलक्षित होता है। इस संबंध में सुधार को ध्यान में रखते हुए, डीबीआर, 2018 ने टिप्पणी की कि *"भारत ने पुनर्गठन कार्यवाहियों के बाहर प्रत्याभूतित लेनदारों की प्राथमिकता में नियमों में संशोधन करके और दिवाला होने पर नई विधि अपनाने से राहत को मजबूत किया जो पुनर्गठन की कार्यवाही के दौरान, प्रत्याभूतित लेनदारों के स्वतरू स्थगन के लिए राहत के लिए समय–सीमा और स्पष्ट आधार प्रदान करता है।"* भारत ने इस संकेतक पर अपनी रैंकिंग में काफी सुधार किया जो डीबीआर में 2017 के लिए 44 से बढाकर 2018 के लिए 29 हो गई।

बैंकों द्वारा उगाही

संहिता प्राथमिक रूप से समाधान पर केन्द्रित है। उगाही केवल आकस्मिक है। 2017–18 में भारत में बैंकिंग की प्रवृत्तियों और प्रगति पर आरबीआई की रिपोर्ट, सीआईआरपी और अन्य तंत्रों के अधीन उगाही की तुलना प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ने सीआईआरपी के अधीन शामिल राशि का 49.6 प्रतिशत, जबकि एसएआरएफईएसआई के अधीन 24.8 प्रतिशत और ऋण उगाही अधिकरण (डीआरटी) के अधीन 5.4 प्रतिशत वसूला, जैसा कि सारणी 40 में दर्शाया गया है।

सारणी 40

विभिन्न चौनलों के माध्यम से पुनर्प्राप्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की अनर्जक आस्तियां

(रुपये अरब में)

उगाही चैनल	2016–17				2017–18 (पी)			
	संदर्भित मामलों की संख्या	विहित राशि	उगाही गई राशि'	कालम (3) के प्रतिशत के रूप में कालम (4)	संदर्भित मामलों की संख्या	विहित राशि	उगाही गई राशि'	कालम (7) के प्रतिशत के रूप में कालम (8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
लोक न्यायालय	3,555,678	361	23	6.3	3,317,897	457	18*	4.0
डीआरटी	32,418	1,008	103	10.2	29,551	1,333	72*	5.4
सरफेसी	199,352	1,414	259	18.3	91,330	1,067	265*	24.8
आईबीसी	37@	–	–		701@	99#	49^	49.6
समस्त	**3,787,485**	**2,783**	**385**	**13.8**	**3,439,477**	**2,956**	**404**	**13.7**

स्रोत : *भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर आरबीआई की रिपोर्ट, 2017–18*

नोट :
1. *पी : अनंतिम*
2. **: दिए गए वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि को संदर्भित करता है, जो दिए गए वर्ष के दौरान और पहले के वर्षों के दौरान संदर्भित मामलों के संदर्भ में हो सकती है।*
3. *@: एनसीएलटी द्वारा दर्ज मामले*
4. *#: 21 कंपनियों ने वित्तीय लेनदार के दावों को स्वीकार किया जिसके लिए समाधान योजना स्वीकृत की गई।*
5. *^: 21 कंपनियों से वित्तीय लेनदार द्वारा प्राप्ति जिसके लिए समाधान योजना को स्वीकृति दी गई थी*

लघु से मध्यम अवधि के प्रभाव

बीएलआरसी ने परिकल्पना की थी कि संहिता का निष्पादन तीन उपायों पर आधारित होगा, अर्थात् (क) समाधान के लिए कम समय, (ख) उगाही में कम नुकसान, और (ग) ऋण दस्तावेजों की व्यापक विविधता में ऋण वित्तपोषण के उच्चतर स्तर।

समाधान समय

समय कारपोरेट ऋणी की आस्तियों के मूल्य को संरक्षित करने के लिए दिवाला समाधान का आधार है। संहिता में सीआईआरपी को पूरा होने के लिए 180 दिनों का समय निर्धारित है। यह पात्र मामलों में न्यायानिर्णयन अधिकारी द्वारा दी जाने वाली 90 दिनों तक के एक–बारगी विस्तार की अनुमति देता है। समाधान के लिए समय को कम करने के लिए, संहिता में सूचना उपयोगिताओं के प्रतिस्पर्धी उद्योग की परिकल्पना करता है, जो हर समय सभी फर्मों के बारे में जानकारी रखता है, इस प्रकार देरी के स्रोत के रूप में पूर्ण और निर्विवाद जानकारी की कमी को इंगित करता है। यह पूरे देश में फैले एए की कई पीठों की परिकल्पना करता है। एए को निरंतर आधार पर मजबूत किया जा रहा है। दिवाला सेवा वृत्तिक हो रही है। परिणामस्वरूप, सीआईआरपी के पूरा होने की समय सीमा कम हो गई है। 31 मार्च, 2018 तक 115 सीआईआरपी समाप्त हो गए. उनमें से 23 समाधान योजनाएं पैदा हुईं। उन्हें पूरा करने के लिए औसतन 243 दिन लगे। शेष 92 में परिसमापन आदेशों को औसतन 224 दिनों में प्राप्त किया गया।

उगाही दर

भारत में कारपोरेट या व्यष्टिक समाधान प्रक्रिया से उगाही दर, जैसा कि बीएलआरसी द्वारा किया गया है, विश्व में सबसे कम कीमत के साथ, उधारदाताओं ने शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के आधार पर ऋण के मूल्य का केवल 20 प्रतिशत वसूल किया है। दिवाला समाधान प्रक्रिया में देरी के कारण से संहिता के अधीन निपटा जा रहा है, इसलिए उगाही दर में वृद्धि देखी जा रही है।, खंड ई में, सारणी 29 इंगित करती है कि 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार कुल 23 सीआईआरपी में समाधान प्राप्त हुआ। इन सीआईआरपी में, वित्तीय लेनदारों को 4954.91 करोड़ रूपये की उगाही हुई, जबकि कुल परिसमापन मूल्य 2943.28 करोड़ रुपये था। उन्हें परिसमापन मूल्य के 168.35 प्रतिशत की उगाही हुई, जबकि उनके दावों की तुलना में उनके द्वारा उगाही 49.68 प्रतिशत थी। यदि ये सीआईआरपी की समाप्ति परिसमापन में हो जाती, तो वित्तीय लेनदार को सबसे अधिक परिसमापन मूल्य अर्थात उनके दावों का 27 प्रतिशत प्राप्त होता।

बैंक ऋण का वर्धित प्रवाह

संहिता के लागू होने और एनपीए के परिणामस्वरूप समाधान के बाद से, भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का प्रवाह काफी हद तक बढ़ गया है, क्योंकि वित्तीय ऋणों को चुकाया जा रहा है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र (भोजन के अतिरिक्त) को दिया गया ऋण 2016–2017 में 4952.24 करोड़ रुपये से बढ़कर आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 2017–2018 में 9161.09 करोड़ रुपये हो गया है। भारत में वाणिज्यिक क्षेत्र में बैंक और गैर–बैंक, और घरेलू और विदेशी (गैर–खाद्य क्षेत्र के सापेक्ष) दोनों में संसाधनों का कुल प्रवाह 2016–2017 में 14530.47 करोड़ रुपये से बढ़कर 2017–2018 में 18469.25 करोड़ रुपये हो गया है। ये आंकड़े, किसी तरह से, अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह पर संहिता के हितकारी प्रभाव को दर्शाते हैं।

तनावग्रस्त आस्तियों के लिए जीवंत बाजार, ऋण के लिए द्वितीयक बाजार की तरलता में सुधार करता है और कारपोरेट पुनर्गठन में सहायता के लिए अपेक्षाकृत अधिक संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करता है। तनावग्रस्त आस्तियों के लिए जीवंत बाजार के लिए मजबूत दिवाला ढांचा आवश्यक है। संहिता विधिक संरचना, सुपरिभाषित प्रक्रियाओं, जिम्मेदारियों और तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए समयसीमा प्रदान करती है। नियत समय में, तनावग्रस्त परिसम्पतियों के लिए जीवंत बाजार वास्तविकता होनी चाहिए, जो आगे क्रेडिट मार्केट में सुधार करेगी।

दीर्घावधि प्रभाव

आशा है कि संहिता से तीन मुख्य मार्गों के माध्यम से दीर्घावधि में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा:

उद्यमशीलता को प्रोत्साहन

सरकार की प्रमुख पहल 'स्टार्ट–अप इंडिया' है, जिसका उद्देश्य मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जो उद्यमियों को देश में व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता है, भारत को नौकरी देने वालों के देश में परिवर्तित करता है। यह सामान्य बात है कि कुछ स्टार्ट–अप सफल हो जाते हैं जबकि कुछ असफल। यदि किसी उद्यमी के लिए किसी व्यवसाय से बाहर निकलना अनिवार्य हो जाए, तो असफलता उद्यमशीलता को कम कर देती है। सीआईआरपी के माध्यम से व्यवहार्य व्यवसायों को बचाने और परिसमापन के माध्यम से गैर–व्यवहार्य लोगों को परिसमाप्त करके, संहिता उद्यमियों को विफलता से मुक्त करती है। यह उन्हें व्यवसाय की वास्तविक विफलताओं से बिना घबराये व्यापार में उतरने और आसानी से बाहर निकलने में सक्षम बनाती है। जैसा कि अधिक से अधिक संभावित उद्यमी इस बात को समझते और पहचानते हैं, संहिता से उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा।

संहिता लेनदारों के लिए उगाही में सुधार करके, उद्यमशीलता और नवाचार का समर्थन करने के लिए उद्यम पूंजीगत वित्तपोषण को बढ़ावा देती है। लेनदारों के अधिकारों को मजबूत करके, यह उद्यमियों के लिए ऋण की पहुंच को बढ़ावा देती है। उद्यमी अक्सर व्यवसाय शुरू करने के लिए व्यष्टिक संपत्ति रखते हैं और व्यष्टिक रूप से अपने नए उपक्रमों

के लिए ऋण की गारंटी देते हैं। ऐसे परिदृश्य में, सुरक्षा जाल, व्यष्टिक दिवाला समाधान शासन के रूप में, जिसे अभी अधिसूचित किया जाना है, अति आवश्यक सुरक्षा प्रदान करेगा और उद्यमिता और नवाचार के लिए आवश्यक जोखिम लेने को प्रोत्साहित करेगा।

क्रेडिट बाजार

जब कोई फर्म विफल हो जाती है, तो यह आम तौर पर अपने ऋण दायित्वों की सेवा में व्यतिक्रम करती है। कई फर्मों के व्यतिक्रम करने पर, लेनदार के पास धन की उपलब्धता में गिरावट आ जाती है, जिससे अनुकूल परियोजनाओं के लिए उधार देने की इसकी क्षमता भी वास्तव में प्रभावित होती है। दूसरी ओर, कम और विलंबित उगाही, ऋण की लागत को बढ़ाती है, और इसके परिणामस्वरूप, ऋण उच्च लागत पर उपलब्ध होता है, जिससे कई परियोजनाएं अव्यवहार्य हो सकती हैं। समाधान और परिसमापन के उपबंधों के माध्यम से, संहिता व्यतिक्रम की घटनाओं को कम करती है और लेनदारों को निधि के पुनरुद्धार द्वारा या परिसमापन आस्तियों की बिक्री के माध्यम से धन की उगाही करने में सक्षम बनाती है। यह प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत, बैंक और गैर–बैंक, वित्तीय और परिचालन–परियोजनाओं के लिए ऋण का विस्तार करने के लिए लेनदारों को प्रोत्साहन देती है और जिससे ऋण की उपलब्धता में वृद्धि होती है।

बीएलआरसी ने नोटिस किया था कि ऋणदाता जमानती ऋण देना पसंद करते हैं। वे ऋण देने के लिए फर्म के भविष्य के नकदी प्रवाह पर विचार नहीं करते हैं। ये उन कंपनियों को ऋण देते हैं जिनके पास अचल आस्तियां हैं। ऐसे व्यवसाय, जिनके पास कम आस्तियां हैं, वे आम तौर पर वित्तपोषण की बाधाओं का सामना करते हैं। आरडीबीए ने बैंक ऋण की उगाही को सक्षम बनाया है। एसएआरएफईएसआई ने सुरक्षित क्रेडिट की उगाही को सक्षम बनाया है। इसने बैंक ऋण और प्रत्याभूत ऋण के पक्ष में उधार दिया है। परिणामस्वरूप, सुरक्षित उधारकर्ताओं का छोटा सा समूह क्रेडिट का लाभ उठाता है, जो दूसरों को अधिक इक्विटी वित्तपोषण का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है, जो महंगा है।

बीएलआरसी ने आगे उल्लेख किया था कि कारपोरेट बॉन्ड बाजार, जो बड़ी कंपनियों के लिए वित्त के स्वाभाविक स्रोतों में से होना चाहिए था, का अन्यों के साथ–साथ, इस तथ्य के कारण कि मौजूदा व्यवस्था के अधीन कारपोरेट बॉन्ड धारकों की उगाही दर खराब है, भारत में व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है। उगाही दरों में सुधार से, कोई भी गैर–बैंक आधारित उधारीकरण में वृद्धि और फर्मों के कुल ऋण पोर्टफोलियो में असुरक्षित उधार में वृद्धि की उम्मीद करेगा और फर्मों की जोखिम पूंजी पर आय सृजित करने के लिए अधिक लीवरेज होने की संभावना है।

इष्टतम संसाधन उपयोग

प्रतिस्पर्धा और नवीनता के समक्ष फर्मों को संकट का सामना करना पड़ता है। यह उद्योग में अन्य फर्मों की तुलना में फर्म के निपटान में संसाधनों के सापेक्ष कम उपयोग को दर्शाता है। अर्थव्यवस्था को विफल फर्मों से अधिकतम मूल्य प्राप्त करने की आवश्यकता है। इन विफलताओं को अच्छी तरह से प्रबंधित करने की आवश्यकता है ताकि अधिक उत्पादक कंपनियों को आस्तियों के पुनर्विकास और आर्थिक दक्षता में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। लेनदारों (परिचालन और वित्तीय दोनों) को अपना अधिकतम संभव बकाया वापस प्राप्त करना चाहिए, और देनदार को विधिक रूप से अधिकतम संभव ऋण का निर्वहन करने में सक्षम होना चाहिए।

संहिता, इष्टतम क्षमता से नीचे संसाधनों के उपयोग को रोककर, समाधान योजना के माध्यम से फर्म के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करके या फर्म को बंद करने के माध्यम से अप्रयुक्त या कम–उपयोग वाले संसाधनों को निर्गत करके और इस प्रकार फर्म के मूल्य को अधिकतम करके हर समय संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करती है। संहिता के प्रवृत्त होने से, बड़ी संख्या में कारपोरेट ऋणी, जिनका मूल्य काफी कम हो गया था, समाधान के लिए आगे आ रहे हैं। यह परिकल्पना की गई है कि समय के साथ जब कारपोरेट ऋणी व्यतिक्रम के शुरुआत के दिनों में समाधान के लिए आगे आएंगे तो अपेक्षाकृत अधिक कारपोरेट ऋणियों का परिचालित कंपनी के रूप में समाधान किया जाएगा जो कि परिसमापन में समाप्त होने से पूर्णतः विपरीत है। इसके अतिरिक्त, जैसे ही उगाही दर बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था में लगी आस्तियों की समग्र उत्पादकता में सुधार होगा।

व्यावहारिक परिवर्तन

लेनदारों के बोध और फर्मों के पुनरुद्धार से परे, संहिता ने महत्वपूर्ण व्यावहारिक परिवर्तनों की शुरुआत की है, जिसके परिणामस्वरूप संहिता के बाहर लेनदारों के लिए पर्याप्त उगाही और फर्मों के निष्पादन में सुधार हुआ है। समाधान प्रक्रिया का विश्वसनीय खतरा कि फर्म का नियंत्रण और प्रबंधन, संभवतः हमेशा के लिए, मौजूदा संप्रवर्तकों और प्रबंधकों से दूर अंतरित हो सकता है, प्रबंधन और संप्रवर्तकों को इष्टतम स्तर से नीचे जाकर संचालन करने से रोकने के लिए निवारक का कार्य कर रहा है। यह उन्हें व्यतिक्रम से बचने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करने के लिए प्रेरित कर रही है। इसके अतिरिक्त, यह ऋणी को अधिमानतः संहिता के बाहर जल्द से जल्द लेनदार(रों) के साथ डिफौल्ट रूप से समझौता करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां देनदारों ने स्वेच्छा से अपने ऋणों का निपटारा किया है या आवेदन फाइल होने से पहले न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के साथ सीआईआरपी के लिए आवेदन फाइल करने पर तुरंत समाधान किया है। ऐसे अनेक मामले भी हैं जिनमें आवेदन के फाइल होने के बाद समाधान हुआ है। इस प्रकार संहिता से महत्वपूर्ण व्यावहारिक परिवर्तन आया है और इस तरह देनदार–लेनदार के संबंध को फिर से परिभाषित किया है। संहिता के विद्यमान होने से, ऋण का भुगतान न करने का कोई विकल्प नहीं बचा है।

यह उम्मीद की जाती है कि निजी वार्ता के माध्यम से अपेक्षाकृत

अधिक व्यतिक्रम का समाधान होने की संभावना है, जो शोधन अक्षमता विधि की औपचारिक प्रक्रिया की तुलना में अधिक कुशल और बेहतर परिणाम दे सकता है। संहिता के अधीन अनुमेय समाधान प्रक्रिया की तुलना में न्यायालय से बाहर बातचीत के माध्यम से ऋणी और लेनदारों के पास समाधान की संरचना में अधिक लचीलापन है। संहिता में सबसे खराब स्थिति का खतरा रहता है, जिससे देनदार और लेनदारों के बीच व्यावहारिक परिवर्तन हो सकता है।

यह भी उम्मीद की जाती है कि तनावग्रस्त फर्मों के शेयरधारकों को संकट के शुरुआती चरण में व्यापार को बेचना पसंद हो सकता है। उदाहरण के लिए, संप्रवर्तक, फर्म के बायआउट प्राइवेट इक्विटी फंड को बेच सकते हैं। ये संहिता की परिधि के बाहर होगा, लेकिन संहिता के अधीन प्रोत्साहन और निप्रोत्साहन द्वारा संचालित किया जाएगा। इस तरह के लाभ अमूर्त हैं, लेकिन दिवाला सुधार के वांछित परिणामों में शामिल हैं।

निष्कर्ष के तौर पर

एक लाभकारी दिवाला विधि की विशेषता यह है कि यह पहचानने में सक्षम है कि दिवाला के प्रभाव दिवाला और उसके लेनदारों के निजी हितों तक सीमित नहीं हैं, लेकिन यह कि समाज के अन्य हित या समाज के अन्य समूह दिवाला और इसके परिणाम से बहुत प्रभावित होते है और यह सुनिश्चित करने के लिए इन सार्वजनिक हितों को पहचाना और सुरक्षित रखा गया है।'[28]

दिवाला और शोधन अक्षमता का विधिक ढांचा कई आर्थिक संकेतकों जैसे कि ऋण वृद्धि, रोजगार संरक्षण, रोजगार सृजन और उद्यमशीलता और बदले में, समग्र आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। यह निवेशकों, बैंकों, कंपनियों और उद्यमियों की जोखिम लेने की इच्छा को प्रभावित करने के मामले में व्यावहारिक बदलाव का कारण बनता है। संहिता के कार्यान्वयन ने इन सभी मोर्चों पर अपना परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है और नए शासन के रूप में, आगे की प्रगति दिखाई देगी।

[28] *गुडे आर. प्रिंसिपल्स ऑफ कारपोरेट इन्सोल्वेंसी ला, तीसरा संस्करण, स्वीट एंड मार्क्सवेल (लन्दन). पृष्ठ 2*

छ बोर्ड का कार्य–निष्पादन

आईबीबीआई संहिता के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख स्तंभों में से है। दुनिया भर में आईबीबीआई जैसे दिवाला रेगुलेटर के समानांतर शायद कोई नहीं है। अद्वितीय नियामक के रूप में स्थापित किया जाता है जो किसी व्यावसाय के साथ–साथ प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, आईबीबीआई के पास दिवाला वृत्तिक, आईपीए, आईपीई और आईयू पर नियामक पर्यवेक्षी है। यह संहिता के अधीन प्रक्रियाओं अर्थात् कारपोरेट दिवाला समाधान, कारपोरेट परिसमापन, फ्रेश स्टार्ट, व्यष्टिक दिवाला समाधान और व्यष्टिक शोधन अक्षमता के नियमों को लिखता और लागू करता है। इसे देश में मूल्यांककों के व्यावसाय के नियमन और विकास के लिए मूल्यांकक नियमों के अधीन 'प्राधिकरण' के रूप में भी नामित किया गया है। यह संहिता के अधीन अपने अधिदेश के अनुसरण में अर्ध–विधायी, कार्यकारी और अर्ध–न्यायिक कर्तव्य और कार्य करता है।

सरकार की प्राथमिकता और फोकस के साथ और सरकार के मार्गदर्शन में, आईबीबीआई, 1 अक्टूबर, 2016 को अपनी स्थापना के बाद से, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के निर्माण में हितधारकों के साथ लगातार सहयोग करता रहा है और दिवाला सुधारों के लिए निम्नानुसार नियामक ढांचा प्रदान करता रहा है:

(i) **पारिस्थितिकी तंत्र:** आईबीबीआई ने तीन वृत्तिक संस्थानों के साथ काम किया, जिससे नवंबर, 2016 के अंत तक तीन आईपीए की स्थापना हुई। आईपीए के सहयोग से, इसने दिवाला वृत्तिकों के संवर्ग के विकास और विनियमन के लिए संस्थागत ढांचा तैयार किया। नवंबर, 2016 में दिवाला वृत्तिकों को मदद के लिए हाथ बढ़ाने के लिए आईपीई नामक संरचना बनाई गई थी। आईयू नियत समय में आया। आईबीबीआई ने दिवाला वृत्तिकों के रूप में पंजी. करण के उद्देश्य से व्यक्तियों की स्क्रीनिंग के लिए देश भर में कई स्थानों से प्रतिदिन सीमित दिवाला परीक्षा का संचालन और सृजन किया है। आईपीए, व्यापार और उद्योग निकायों, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों और पेशेवरों की मदद से, संहिता के रूप में दिवाला और शोधन अक्षमता सुधारों को लागू करने के लिए बहुत आवश्यक संस्थागत क्षमता का निर्माण, अभूतपूर्व रूप से कम समय में किया गया था। इसने तीन निजी प्रतिस्पर्धी उद्योगों अर्थात् दिवाला वृत्तिक, आईपीए और आईयू के साथ दिवाला समाधान सेवाओं को वृत्तिक बनाया। मार्च 2018 के अंत तक, 75 आईपीई, लगभग 1800 दिवाला वृत्तिक और तीन आईपीए अस्तित्व में आ चुके थे।

मूल्यांककों के मामले में दिवाला वृत्तिकों के समान ही कार्य किया गया है। मूक्यांकक नियमों में विकास और मूल्यांकन व्यावसाय के नियमन की रूपरेखा प्रदान की गई है। आईबीबीआई ने तीन संपत्ति श्रेणियों, अर्थात, भूमि और भवन, संयंत्र और मशीनरी, और वित्तीय आस्तियों या प्रतिभूतियों के लिए जांच का संचालन किया है, जो पंजीकरण के प्रयोजन के लिए व्यक्ति की संवीक्षा के लिए व्यक्तियों को पंजीकृत मूल्यांककों के रूप में तैयार करता है।

सेवाप्रदाताओं अर्थात् आईपीए, दिवाला वृत्तिक, आईयू के आचरण और निष्पादन को पंजीकृत, विनियमित और निगरानी करने के लिए उनका निरीक्षण और जांच करने और उनके विरुद्ध शिकायतों के निवारण और शिकायत करने के लिए नियामक ढांचा विद्यमान है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है।

(ii) **बाजार प्रक्रियाएं:** कारपोरेट दिवाला और संबंधित सेवाप्रदाताओं के लिए कुल नियामक ढांचा 30 नवंबर, 2016 तक रखा गया था, ताकि 1 दिसंबर, 2016 तक कारपोरेट दिवाला प्रक्रियाओं को शुरू करने में सक्षम बनाया जा सके। इनमें कारपोरेट दिवाला समाधान, फास्ट ट्रैक समाधान, कारपोरेट परिसमापन और स्वैच्छिक परिसमापन के लिए विनियमन शामिल हैं। आईबीबीआई गोलमेज सम्मेलनों में हितधारकों के परामर्श से और इलेक्ट्रोनिक्स प्लेटफॉर्मों के माध्यम से डब्ल्यूजी, एसी की सहायता और मार्गदर्शन से आ रही कठिनाइयों से निपटने के लिए नियामक ढाँचे को परिष्कृत करता रहा है। यह विचारों की क्राउड सोर्सिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जो हितधारकों को नियामक ढांचे के भीतर उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर शान्ति से विचार करने में सक्षम बनाता है जो अधिनिमनों का मसौदा तैयार करने के लिए तत्काल प्रत्युतर प्रदान करने के साथ–साथ लेनदेन में बाधा डालते हैं और उनसे निपटने के लिए वैकल्पिक समाधान की पेशकश करते हैं। प्रक्रियाओं से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए, आईबीबीआई विभिन्न घटकों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम चला रहा है। यह प्रक्रियाओं और परिणामों के बारे में डाटा एकत्र करके प्रसारित कर रहा है। प्रक्रियाओं और सेवा प्रदाताओं के बारे में विवरण आईबीबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह संहिता के कार्यान्वयन में प्रगति को साझा करने, सीखने के प्रसार और संकटग्रस्त संपत्तियों में निवेश में रुचि विकसित करने के लिए सहायता और जागरूकता कार्यक्रमों में भाग ले रहा है।

(iii) **संगठन:** दिवाला और शोधन अक्षमता नया और गतिशील क्षेत्र है। यह आईबीबीआई का प्रयास रहा है कि ज्ञान प्रबंधन का नेतृत्व किया जाए, पारिस्थितिकी तंत्र में क्षमता निर्माण किया जाए, नियमों को वास्तविकता पर आधारित किया जाए और दिवाला और शोधन

अक्षमता के लिए कुशल बाजार समाधान चलाए जाएं। यह सूचना के प्रसार और हितधारकों के साथ जुड़ाव के लिए प्रौद्योगिकी का गहनता से उपयोग करता है। यह संगठन के लिए कार्यनीतिक कार्य योजना तैयार करने के लिए वार्षिक रूप से कार्यनीतिक बैठक आयोजित करता है, जिसमें आने वाले वर्ष के उद्देश्यों, कार्यनीतियों, विशिष्ट कार्यों और उप–क्रियाओं को रेखांकित किया जाता है और अगले तीन वर्षों के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इंट्रा–इंस्टीट्यूशनल बार्गेनिंग से बचने के लिए इसने स्वयं को तीन विंग्स, अनुसंधान और विनियमन विंग (आरआरडब्ल्यू), पंजीकरण और निगरानी विंग (आरएमडब्ल्यू) और प्रशासनिक विधि विंग (एएलडब्ल्यू) में संरचित किया है। इनमें से प्रत्येक विंग अलग पूर्णकालिक सदस्य के नेतृत्व में है। आईबीबीआई के भीतर सुशासन सुनिश्चित करने के लिए कई अव्यव हैं, जैसे कि आईबीबीआई (शासी बोर्ड बैठकों के लिए प्रक्रिया) विनियमन, 2017 (बोर्ड विनियमन), परामर्शदाता समिति विनियमन, प्रतिनिधि आदेश, आदि।

(iv) **सक्रिय उपायः** यह आईबीबीआई का प्रयास रहा है कि वह अपने जनादेश को पूरा करे और उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीन और समयबद्ध समाधानों का विकास करे। इस तरह के दो उपाय हैं :

(क) सीआईआरपी विनियमनों में आरंभ में एफसी और प्रक्रियागत लेनदारों द्वारा दावों को प्रस्तुत करने के लिए प्ररुपों का प्रावधान किया गया। हालांकि, यह महसूस किया गया कि वित्तीय लेनदार और प्रक्रियागत लेनदार के अतिरिक्त अन्य लेनदारों से भी दावे हो सकते हैं, और यह निर्धारित करने में कठिनाई हो सकती है कि क्या विशेष दावा परिचालन ऋण है या वित्तीय ऋण है। ऐसे मामलों में, लेनदारों को दावों को प्रस्तुत करने में कठिनाई का अनुभव होता था। उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए, आईबीबीआई ने एफसी या प्रक्रियागत लेनदार के अतिरिक्त, लेनदार द्वारा दावों को प्रस्तुत करने के लिए 16 अगस्त, 2017 को संशोधन द्वारा प्ररूप प्रदान किया। इसने घर खरीदारों को तुरंत अपने दावे प्रस्तुत करने में सक्षम बनाया। इसके बाद, घर खरीदारों को वित्तीय लेनदार के रूप में लेने के लिए संहिता में संशोधन किया गया।

(ख) संहिता समाधान योजना को अनुमोदित करने के लिए लेनदारों की समिति को सक्षम बनाती है। लेनदारों की समिति को, हालांकि, इस समाधान को पूरा करने के लिए विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है कि समाधान योजना यथार्थवादी और व्यवहार्य है, और आरएएस सक्षम और विश्वसनीय हैं। अन्यथा, केवल परिणाम लेनदारों के लिए आंशिक लाभ प्रदान करेंगे, जबकि समाधान योजना को लागू नहीं किया जाएगा। आईबीबीआई ने 7 नवंबर, 2017 को सीआईआरपी विनियमनों में संशोधन किया, यह प्रदान करने के लिए कि समाधान योजना समाधान आवेदक और अन्य जुड़े हुए व्यक्तियों के विवरण का प्रकटीकरण करेगी, जिससे लेनदारों की समिति को ऐसे आवेदक और अन्य जुड़े हुए व्यक्तियों की विश्वसनीयता का आकलन करने में सक्षम बनाया जा सकेगा, उन्हें इसके अनुमोदन के लिए समाधान योजना हेतु विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए सहायता प्रदान करने पर विचार करना चाहिए इसके बाद, कुछ अयोग्य व्यक्तियों को समाधान योजना प्रस्तुत करने से निषिद्ध करने के लिए संहिता में संशोधन किया गया था।

इसके अतिरिक्त, आईबीबीआई संहिता के अधीन यथा निर्धारित निम्नलिखित तरीके के अनुसार अपनी भूमिका निभा रहा है।

(i) *आईबीबीआई 31 मार्च, 2018 से निम्नलिखित विनियमन प्रस्तुत कर रहा है :*

क्र.सं.	नियम
1	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उपनियम और दिवाला व्यावसायिक एजेंसी शासी बोर्ड) विनियमन, 2016
2	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला वृतिक एजेंसी) विनियमन, 2016
3	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला वृतिक) विनियमन,2016
4	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016
5	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016
6	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अनुसंधान एसोसिएट्स और परामर्शदाता की तैनाती) विनियमन, 2017
7	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परामर्शदाता समिति) विनियमन, 2017
8	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शासी बोर्ड की बैठकों के लिए प्रक्रिया) विनियमन, 2017
9	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017
10	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सूचना उपयोगिताएँ) विनियमन, 2017
11	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और जांच) विनियमन, 2017
12	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2017
13	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियमन, 2017
14	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निपटान प्रक्रिया) विनियमन, 2017

(ii) *आईबीबीआई निम्नलिखित सेवा प्रदाताओं को 31 मार्च, 2018 तक सेवा प्रदान करता रहा है :*

क्र. सं.	सेवा प्रदाता	31 मार्च की स्थिति के अनुसार	
		2017	2018
1	दिवाला वृत्तिक	96*	1812
2	दिवाला वृत्तिक एंटिटीज	03	75
3	दिवाला वृत्तिक एजेंसी	03	03
4	सूचना उपयोगिताएँ	शून्य	01
5	पंजीकृत मूल्यांकक संगठन	शून्य	03
6	पंजीकृत मूल्यांकक	शून्य	शून्य

**977 व्यक्तियों को छोड़कर जिनका पंजीकरण 30 जून 2017 को समाप्त हो गया।*

(iii) *आईबीबीआई ने 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित जांच ऑनलाइन आयोजित कीं:*

क्र.सं.	परीक्षण
1	सीमित दिवाला परीक्षण
2	मूल्यांकन परीक्षण (भूमि और भवन)
3	मूल्यांकन परीक्षण (संयंत्र और मशीनरी)
4	मूल्यांकन परीक्षण (प्रतिभूति या वित्तीय आस्तियां)

(iv) *आईबीबीआई अपनी वेबसाइट और समाचार पत्र के माध्यम से निम्नलिखित के संबंध में डाटा उपलब्ध कराता है :*

(क) कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया
(ख) कारपोरेट परिसमापन प्रक्रिया
(ग) स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया
(घ) सेवा प्रदाता
(ङ) जांच, और
(च) सहायता और जागरूकता कार्यक्रम।

(vi) *आईबीबीआई कई क्षमता निर्माण, सहायता और जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजित करता है और भाग लेता है, जिनका विवरण इस रिपोर्ट के भाग–ग में प्रस्तुत किया गया है।*

आईबीबीआई स्वयं को गतिशील और सक्रिय संस्था के रूप में देखता है जो संहिता के अधीन प्रक्रियाओं से कुशल परिणाम प्राप्त करने के लिए सक्रिय संस्थान है। यह हितधारकों के सम्मान के लिए अपने निष्पादन के लिए अनुमानित और जवाबदेह होने का प्रयास करता है। इसका ध्यान संक्षिप्त और मध्यम अवधि के लिए निम्नलिखित पर केंद्रित है:

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियामक ढांचे और पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता उभरते बाजार की गतिशीलता से मेल खाए और हितधारकों के बीच विश्वास को बढ़ावा मिले, हितधारकों के साथ जुड़ाव और साझेदारी;
(ख) हितधारक आदानों के आधार पर नियमों की निरंतर समीक्षा, प्रक्रियाओं के कुशल परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए उभरती कठिनाइयों से निपटने के लिए न्यायशास्त्र का विकास करना;
(ग) उचित मूल्य पर गुणवत्ता सेवा सुनिश्चित करने के लिए दिवाला वृत्तिक, आईपीए, आईपीई, आरवीओ, आरवी और आईयू के लिए बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना;
(घ) हितधारकों के साथ जुड़ाव के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, सेवा प्रदाताओं की सेवा करना, डेटाबेस को बनाए रखना, ऑनलाइन फाइलिंग और निगरानी सक्षम करना, जांच का संचालन करना आदि।
(ङ) प्रक्रियाओं और वृत्तिक नैतिकता में दिवाला वृत्तिक और पंजीकृत मूल्यांकक की क्षमता के लिए सर्वोत्तम व्यावहारों को बढ़ाना;
(च) हितधारकों की शिकायतों और परिवादों को संबोधित करते हुए, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ अनुशासनात्मक प्रक्रियाएं संचालित करके त्वरित कार्रवाई करना;
(छ) अंतरिम वित्त, समाधान योजनाओं, परिसमापन आस्तियों, संकटग्रस्त संपत्तियों के लिए बाजार का विकास करना; और
(ज) आईबीबीआई के क्षमता निर्माण और अपने निर्णय में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए उसे उभरती चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाना।

(v) *आईबीबीआई ने 2017–18 के दौरान विभिन्न आदेश जारी किए:*

क्र. सं.	आदेश का प्रकार	प्राधिकरण	के दौरान जारी किए गए आदेशों की संख्या	
			2016–17	2017–18
1	दिवाला वृत्तिक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन निरस्त करना	बोर्ड	02	06
2	कारण बताओ नोटिस का निपटान	अनुशासनात्मक समिति	शून्य	शून्य
3	सीपीआईओ के आदेशों के विरुद्ध अपील	प्रथम अपीलीय अधिकारी	शून्य	05

ज शासी बोर्ड का कार्य–निष्पादन

बोर्ड निकाय कारपोरेट है, जिसका क्रमिक उत्तराधिकार है। यह संपत्ति को धारित करता है और उसका निपटान करता है, अनुबंध करता है और मुकदमें फाइल करता है और स्वयं मुकदमें का सामना करता है। शासी बोर्ड को कार्यनीतिक दिशा प्रदान करता है, अपने उद्देश्यों को स्थापित करता है, और प्रबंधन को नियंत्रित और मॉनिटर करता है। इसके अतिरिक्त, शासी बोर्ड निष्पादन की समीक्षा करता है और संहिता के अधीन निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार इसे संपन्न करने के लिए जवाबदेह है। जबकि संहिता बोर्ड के कर्तव्यों और कार्यों को निर्दिष्ट करती है, संहिता को बोर्ड विनियमनों के साथ पढ़ा जाता है, जिसे 30 जनवरी, 2017 को अधिसूचित किया गया है, शासी बोर्ड के कार्य और उक्त व्यवसाय के लेन–देन के तरीके को निर्दिष्ट करता है। शासी बोर्ड के कार्य में विनियमनों, वार्षिक लेखों, वार्षिक बजट, वार्षिक रिपोर्ट, शक्तियों के प्रत्यायोजन आदि का अनुमोदन सम्मिलित है।

अर्ध–विधायी कार्य शासी बोर्ड के अनन्य क्षेत्राधिकार में हैं। अर्ध–न्यायिक कार्य पूर्णकालिक सदस्यों सहित अनुशासनात्मक समिति के अनन्य क्षेत्राधिकार में हैं। 24 जनवरी, 2017 को शासी बोर्ड के अनुमोदन के साथ जारी किए गए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शक्तियों और कार्यों का प्रत्यायोजन) आदेश, 2017 (प्रत्यायोजन आदेश) के अनुसार, बोर्ड के विभिन्न अधिकारियों द्वारा कार्यकारी कार्यों का निष्पादन किया जाता है। बोर्ड के विनियमन बोर्ड के सदस्यों के लिए आचरण चार्टर निर्दिष्ट करते हैं। चार्टर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शासी बोर्ड इस तरीके से संचालित हो कि वह अपने अधिदेश को पूरा करने की क्षमता से समझौता न करे या सदस्यों की जिम्मेदारियों के निर्वहन करने की क्षमता में जनता के विश्वास को कम न करे।

2017–18 के दौरान शासी बोर्ड की पांच बैठकें हुईं। बैठकों में उपस्थिति का विवरण सारणी 41 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 41

बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति

नाम	पद	2017–18 में बैठकों की संख्या	
		पदासीन होने के दौरान आयोजित	उपस्थित हुए
डॉ. एम.एस. साहू	अध्यक्ष	5	5
सुश्री सुमन सक्सेना	पूर्णकालिक सदस्य	5	4
डॉ. नवरंग सैनी	पूर्णकालिक सदस्य	5	5
डॉ. (सुश्री) मुकुलिता विजयवर्गीय	पूर्णकालिक सदस्य	5	4
श्री अमरदीप एस. भाटिया	पदेन सदस्य	4	4
श्री जी एस यादव	पदेन सदस्य	5	5
श्री उन्नीकृष्णन ए.	पदेन सदस्य	5	4
डॉ. शशांक सकसेना	पदेन सदस्य	5	4
श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह	पदेन सदस्य	1	1

शासी बोर्ड की स्वीकृति के साथ, बोर्ड ने 2017–18 के दौरान चार नए विनियमन (निरीक्षण और जांच, कारपोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया, कर्मचारी सेवा, और शिकायत और परिवाद निपटान प्रक्रिया) को अधिसूचित किया। इसने दिवाला सुधार के कार्यान्वयन से उत्पन्न चुनौतियों और मुद्दों के समाधान के लिए मौजूदा विनियमनों में संशोधन करते हुए वर्ष के दौरान 16 संशोधन विनियमनों को अधिसूचित किया। इन विनियमनों में से अधिकांश हितधारकों के साथ ऑनलाइन, गोल मेज सम्मेलन में और परामर्शदाता समिति के साथ परामर्श किए गए थे।

शासी बोर्ड के विचार–विमर्श और मार्गदर्शन के आधार पर, बोर्ड ने मूल्यांककों के व्यावसाय के नियमन के लिए इनपुट प्रदान किए, दिवाला विधि समिति पर विचार करने के लिए दिवाला पर इनपुट्स और बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों से संबंधित नियमों के निर्माण के लिए अधिसूचनाओं के लिए इनपुट प्रदान किए। शासी बोर्ड ने सेवा प्रदाताओं (दिवाला वृत्तिक, आईपीए, आईपीई, आईयू, आरवी), सीमित दिवाला जांच, मूल्यांकन जांच, सीआईआरपी, परिसमापन प्रक्रिया और स्वैच्छिक परिसमापन के क्षेत्रों में बोर्ड की गतिविधियों और निष्पादन की समीक्षा की। शासी बोर्ड ने वर्ष 2016–17 के लिए बोर्ड के वार्षिक लेखों को स्वीकृति दी। इसने संहिता की धारा 236 के अधीन प्राप्त शिकायतों को निपटाने के लिए दिशानिर्देशों को भी स्वीकृति दी। इसने वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति का गठन किया, अपने कर्तव्यों को निर्दिष्ट किया और 'लेखा–परीक्षा समिति के दिशानिर्देशों' को स्वीकृति दी।

आगामी मार्ग

दिवाला सुधारों को गतिशील सामाजिक–आर्थिक परिवेश में लागू किया जा रहा है। इसलिए, नियामक ढांचे और पारिस्थितिकी तंत्र को उभरती हुई बाजार वास्तविकताओं के अनुसार दिवाला समाधान की चिंताओं को दूर करने के लिए असाधारण गतिशीलता से निष्पादन करने की आवश्यकता है। आने वाले वर्ष में, आईबीबीआई 2017–18 तक की गई प्रगति को समेकित करेगा और संहिता के उपबंधों जो अभी तक अधिसूचित नहीं किए गए हैं और मूल्य वर्धित सुविधाओं के साथ कारपोरेट प्रक्रियाओं को समृद्ध करते हुए इनके कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता को और मजबूत करेगा। अगले वर्ष में शासी बोर्ड के एजेंडे में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं :

व्यष्टिक दिवाला

संहिता के भाग–III में दिवाला समाधान और व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के शोधन अक्षमता के लिए उपबंध शामिल हैं। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2017 व्यष्टिकों को तीन श्रेणियों अर्थात्, कारपोरेट ऋणी, साझेदारी फर्मों और प्रोपराइटरशिप फर्मों और अन्य व्यक्तियों के लिए व्यष्टिक गारंटर में वर्गीकृत करता है ताकि इन उपबंधों के व्यापक प्रभाव के कारण चरणबद्ध तरीके से व्यष्टिक दिवाला को कार्यान्वित किया जा सके। इसने सीआईआरपी को और मजबूत करने के लिए कारपोरेट ऋणी के व्यष्टिक गारंटरों के साथ शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा। यह व्यष्टिक गारंटर और कारपोरेट गारंटियों को स्तर पर रखेगा। पहले चरणों के कार्यान्वयन से सीखने के बाद के चरणों में इसकी भूमिका सुचारू बनाने में मदद मिलेगी। साझेदारी और प्रोप्राइटरशिप फर्मों के दिवाला होने से निपटने वाले संहिता के उपबंधों को दूसरे चरण में लागू किया जा सकता है। तीसरे चरण में, अन्य व्यष्टिकों के दिवाला होने से निपटने वाले संहिता के उपबंधों को लागू किया जा सकता है। व्यष्टिक दिवाला के बारे में परामर्शदाता समिति और कार्यकारी समूह की सिफारिशों के आधार पर, और व्यष्टिक टिप्पणियों पर, और सार्वजनिक टिप्पणियों पर विचार करने के लिए, शासी बोर्ड ने व्यष्टिक गारंटरों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए कारपोरेट ऋणी संबंधी विनियमनों को स्वीकृति दे दी हैं उम्मीद है कि ये विनियमन अगले वर्ष प्रवृत्त होंगे क्योंकि सरकार संबंधित नियमों को अंतिम रूप देकर संहिता के भाग III के उपबंधों को अधिसूचित करती है (बॉक्स 6)।

बॉक्स 6

व्यष्टिक दिवाला : अगला बड़ा कार्य

कारपोरेट दिवाला में अनेक उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद, चरणबद्धता, अनुक्रमण, समयबद्धता और स्पष्ट गंतव्य के साथ व्यष्टिक दिवाला के लिए मार्ग तैयार करने का समय है। व्यष्टिक दिवाला ढांचा संहिता में निहित उद्देश्यों का पालन करता है। यह लेनदारों को उनके बकाया की उगाही के लिए सर्वप्रथम होकर ऋणी को नुकसान पहुंचाने से रोकता है, और इस तरह से दिवाला के समाधान की सुविधा देता है। यह व्यक्ति को ईमानदार वृत्तिक विफलता से अप्रभावित होकर व्यापार में आने और व्यापार से बाहर निकलने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है। यह लेनदार के अपेक्षित लाभ को बढ़ाता है और इस तरह ऋण की उपलब्धता को बढ़ावा देता है। यह ताजा/अर्जित शुरुआत के बाद देनदार को भविष्य की आय से वंचित नहीं करता है और इस तरह से काम करने के लिए प्रोत्साहन को कम नहीं करता है। यह कर्ज के बोझ से डूबे कर्जदार को राहत देता है और लेनदारों के लिए उगाही की संभावनाओं में सुधार करते हुए, उसके निर्वाह के लिए न्यूनतम संपत्तियों को पृथक करता है, जिससे निष्पक्षता और इक्विटी सुनिश्चित होती है। ये उद्देश्य भारतीय संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जहां स्वामित्व और भागीदारी फर्मों की आय और रोजगार और अनौपचारिक वित्तीय लेनदारों के पास क्रेडिट का महत्वपूर्ण हिस्से में इनका महत्वपूर्ण योगदान है।

तुलनात्मक पूर्वकालीन ढांचा

किसी व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम के मामले में, लेनदार के पास आमतौर पर दो उपचार होते हैं एक ऋणी व्यक्ति के विरुद्ध और/या दूसरा उसकी संपत्ति के विरुद्ध। ऐतिहासिक रूप से उपचार व्यक्ति के विरुद्ध निर्देशित था। प्राचीनकाल में लेनदार के पास कर्ज लेने वाले व्यक्ति अथवा उसके परिवार को ऋणदासता में ले जाने की स्वतंत्रता थी। 19 वीं शताब्दी में दिवाला अधिनियमों में देनदारों को उत्पीड़न से काफी राहत दी, जबकि लेनदारों को देनदार की संपत्ति के विरुद्ध राहत प्रदान की।

दो अधिनियम, अर्थात्, प्रेसीडेंसी टाउन दिवाला एक्ट, 1909 और प्रांतीय दिवाला एक्ट, 1920 आज भी लागू हैं। संहिता में इन दो अधिनियमों में अनेक सुधार किए गए हैं। देनदार के पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करके उसे दिवाला मानने के विरोध के कारण, संहिता : (क) दिवाला अधिनियम के लागू होने पर निर्भर होने के बजाय दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए उद्देश्य को तीव्रता प्रदान करता है; (ख) अधिस्थगन को अनिवार्य करता है जो ऋणी और लेनदारों के लिए पुनर्भुगतान योजना पर बातचीत करने के लिए राहत

प्रदान करता है; (ग) हितधारकों एवं ए.ए. को प्रक्रियाओं के संचालन में सहायता करने के लिए स्वतंत्र और योग्य वृत्तिकों का उपयोग करता है; (घ) रेखीय प्रक्रिया निर्धारित करता है, जिसमें दिवाला व्यक्ति आमतौर पर दिवाला समाधान प्रक्रिया की विफलता का अनुसरण करता है; (ङ) इस बात की आवश्यकता के बजाय स्वचालित निर्वहन को सक्षम करता है कि इस बात पर संतुष्टि होने पर न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा निर्वहन किया जाए कि दिवाला होने पर और दिवाला होने के दौरान वह स्वयं को अच्छी तरह से संचालित करेगा; (च) अधिक व्यापक शासन प्रदान करता है, जिसमें, ताजा शुरुआत' के रूप में ऋण राहत शामिल है, और देनदार की निर्वाह के लिए लेनदारों की पहुंच से परे देनदार की कुछ संपत्ति अपने अधिकार में रखता है।

भाग – III

संहिता का भाग–III आरंभिक राशि के व्यतिक्रम पर अलग–अलग दिवाला समाधान के लिए तीन प्रक्रियाओं की व्यवस्था करता है :

(क) **नई प्रक्रिया :** यह केवल उन देनदारों के लिए उपलब्ध है जिनकी वार्षिक आय ≤ 60,000 रुपये, आस्तियां ≤ 20,000 रुपये, ऋण ≤ 35,000 रुपये है और उनके पास कोई आवास इकाई नहीं है। केवल ऋणी अपने ऋण के निर्वहन के लिए नए सिरे से आवेदन कर सकता है। समाधान वृत्तिक आवेदन की जांच करता है और आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति की अनुशंसा करते हुए, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को रिपोर्ट सौंपता है। समाधान वृत्तिक की रिपोर्ट पर विचार करने पर, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी आदेश पारित करता है, या आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करता है। यदि आवेदन स्वीकार किया जाता है, तो लेनदारों के पास सीमित आधार पर प्रक्रिया पर आपत्ति करने का अवसर होता है। प्रक्रिया के समापन पर, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी देनदार के निर्वहन के लिए आदेश पारित करता है या आवेदन फाइल करने को रद्द करता है। निर्वहन आदेश असुरक्षित ऋणों को बट्टे खाते में डाल देता है, जिससे ऋणी को क्रेडिट इतिहास में प्रविष्टि के अध्यधीन नए सिरे से शुरुआत करने की अनुमति मिल जाती है।

(ख) **दिवाला समाधान प्रक्रिया :** यह ऋणी और लेनदारों के लिए सामूहिक रूप से समाधान वृत्तिक की देखरेख में पुनर्भुगतान योजना को फिर से तैयार करने के लिए ढांचा प्रदान करता है। ऋणी या लेनदार प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन कर सकता है। यदि न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकार किया जाता है, तो सभी लेनदारों से दावों को आमंत्रित करते हुए सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाता है। ऋणी, समाधान वृत्तिक के परामर्श से पुनर्भुगतान योजना तैयार करता है। यदि योजना को लेनदारों के 75 प्रतिशत मतों के हिस्से द्वारा अनुमोदित किया जाता है, और उसके बाद न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, समाधान वृत्तिक के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। पुनर्भुगतान योजना के निष्पादन पर, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी योजना के संदर्भ में देनदार को उसकी देयता से मुक्त करने के लिए निर्वहन आदेश जारी करता है, और ऋणी को 'अर्जित प्रारंभ' मिलता है।

(ग) **दिवाला प्रक्रिया :** यदि समाधान प्रक्रिया विफल हो जाती है या पुनर्भुगतान योजना लागू नहीं होती है, तो देनदार या लेनदार शोधन अक्षमता प्रक्रिया की शुरुआत के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आवेदन स्वीकार किया जाता है, तो न्यायनिर्णयन प्राधिकारी शोधन अक्षमता आदेश पारित करता है और शोधन अक्षमता ट्रस्टी नियुक्त करता है, जिसके बाद लेनदारों के दावों को आमंत्रित किया जाता है। दिवाला ट्रस्टी दिवाला के मामलों की जांच करता है, दिवाला की संपत्ति की उगाही करता है और संहिता में दी गई प्राथमिकता के अनुसार आय का वितरण करता है। वह दिवाला की संपत्ति के प्रशासन की रिपोर्ट स्वीकृति के लिए सीओसी को सौंप देता है। दिवाला शुरू होने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति पर या सीओसी द्वारा अनुमोदन के सात दिनों के भीतर, दिवाला ट्रस्टी निर्वहन आदेश के लिए आवेदन करता है और न्यायनिर्णयन प्राधिकारी निर्वहन आदेश पारित करता है। यह निर्वहन आदेश देनदार को दिवाला ऋण से मुक्त करता है। हालाँकि, दिवाला प्रक्रिया की अवधि के दौरान कुछ अक्षमताओं का सामना करना पड़ता है।

तुलनात्मक कारपोरेट दिवाला

व्यष्टिक दिवाला ढांचा कई पहलुओं पर कारपोरेट दिवाला से भिन्न होता है :

(क) कारपोरेट एक समान संरचना वाले कृत्रिम व्यष्टिक हैं। संहिता उनके दिवाला के समाधान के लिए एक समान प्रक्रिया प्रदान करती है। तथापि यह व्यष्टिकों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करता है और प्रत्येक श्रेणी के समाधान के लिए प्रक्रियाओं को उनके अनुसार चलाने की आशा करता है।

(ख) कारपोरेट एंटिटियों के मामले में कोई स्वचालित ऋण राहत नहीं है। हालांकि, व्यष्टिक दिवाला एक नई प्रारंभ प्रक्रिया की पेशकश करता है जो देनदारों के लिए स्वतः ऋण राहत प्रदान करती है जहां उगाही की संभावना बहुत कम होती है। जबकि कारपोरेट समाधान प्रक्रिया से परिसमापन प्रक्रिया प्राप्त होती है फिर भी, नई प्रारंभ प्रक्रिया शोधन अक्षमता प्रक्रिया में समाप्त नहीं होती।

(ग) एक कारपोरेट एंटिटी और उसके व्यापार को पुनर्गठित अथवा परिसीमित किया जा सकता है और इसे टुकड़ों में बेचा जा सकता है। किसी व्यष्टिक के व्यापार, यदि कोई हो, को पुनर्गठित किया जा सकता है। तथापि, व्यष्टिक को परिसमाप्त अथवा बेचा नहीं जा सकता।

(घ) परिसमापन का प्रारंभ कारपोरेट समाधान प्रक्रिया की असफल होने पर स्वतः हो जाता है। तथापि व्यष्टिक दिवाला के मामले में ऐसा नहीं होता। देनदार अथवा लेनदार द्वारा समाधान प्रक्रिया की विफलता के बाद नए आवेदन को देनदार या लेनदार द्वारा शुरू करने की आवश्यकता होती है।

(ङ) परिसमापन के पूरा होने पर कारपोरेट को भंग कर दिया जाता है। शोधन अक्षमता की प्रक्रिया देनदार के अस्तित्व को प्रभावित या प्रभावित नहीं करती है। यह देनदार की मृत्यु पर भी बंद नहीं होती है।

(च) संहिता कारपोरेट के लिए समाधान योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए समाधान वृत्तिक की परिकल्पना नहीं करती है। हालांकि, वह अलग–अलग दिवाला के अधीन पुनर्भुगतान योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

(छ) एनसीएलटी कारपोरेट एंटिटियों के दिवाला और कारपोरेट प्रक्रियाओं से गुजरने वाली कारपोरेट संस्थाओं के व्यष्टिक गारंटरों के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी है। व्यष्टियों के दिवाला के लिए ऋण उगाही अधिकरण न्यायनिर्णयन प्राधिकारी है।

चरणबद्ध

संहिता में तीन श्रेणियों के व्यक्तियों, अर्थात् कारपोरेट ऋणी, भागीदारी फर्मों और प्रोपराइटरशिप फर्मों, और अन्य व्यक्तियों के लिए व्यष्टिक गारंटरों के दिवाला समाधान की परिकल्पना की गई है। प्रत्येक श्रेणी अद्वितीय है और इसके दिवाला समाधान के लिए एक अलग व्यवस्था की आवश्यकता है। एक श्रेणी में कई उप–श्रेणियाँ हो सकती हैं, जिनमें से प्रत्येक के लिए अनुकूलित प्रक्रिया की आवश्यकता है। दिवाला ढांचे को सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश में प्रत्येक व्यक्ति और कारक की अद्वितीय आवश्यकताओं को संबोधित करने की आवश्यकता है जो व्यक्ति विशेष की वित्तीय विफलता को महिमामंडित या कलंकित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, हितधारकों को अपने लाभ के लिए दिवाला प्रक्रियाओं का उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है। 1.3 बिलियन नागरिकों के साथ देश के पैमाने को देखते हुए, व्यक्तियों के लिए दिवाला शासन को लागू करने का कार्य कठिन है और सीखने की अवस्था बहुत टेढ़ी है। विधायी आशय के साथ व्यष्टिक दिवाला के कार्यान्वयन का उपयुक्त चरणबद्ध और अनुक्रमण आवश्यक है।

समूह दिवाला

एक व्यवसाय आमतौर पर एक कंपनी के रूप में आयोजित किया जाता है। यह रूप कंपनी को व्यष्टिकों सम्प्रवर्तकों, निधि आपूर्तिकर्ताओं और प्रबंधकों से अलग करता है – जो इसे बनाते और प्रबंधित करते हैं। परिणामस्वरूप, जबकि कंपनी का दायित्व असीमित है, कंपनी बनाने वाले व्यक्तिकों की संख्या सीमित है। यह सुविधा कंपनी को सबसे लोकप्रिय वृत्तिक संरचना बनाती है। विधि आमतौर पर किसी कंपनी के दिवालिया होने के समाधान के लिए प्रक्रिया प्रदान करती है यदि उसका व्यवसाय विफल हो जाता है। हालाँकि, व्यवसायों के बीच तालमेल कायम करने और 'समूह के भीतर स्पिल–ओवर बेनिफिट्स' हासिल करने के लिए कंपनियों के समूह में व्यवसाय(यों) को व्यवस्थित किये जाने को प्राथमिकता देनी है। वे संप्रवर्तक शेयरधारकों के जोखिम में विविधता लाने में मदद करते हैं। कथित तौर पर, 2015–16 में भारत में सभी गैर–वित्तीय फर्मों का संयुक्त संपत्ति में 56 प्रतिशत का योगदान था जो 2000–01 में 37.5 प्रतिशत था। उनका 2015–16 [29] में कारपोरेट भारत के राजस्व और मुनाफे का लगभग आधा हिस्सा लिया। उच्चतम वार्षिक राजस्व के साथ शीर्ष 100 अमेरिकी सार्वजनिक निगमों की औसतन 245 प्रमुख सहायक कंपनियां थीं।[30] हितधारक कभी–कभी समूह कंपनियों को अपने वित्तीय और परिचालन अंतर–निर्भरता के मद्देनजर एकल आर्थिक एंटिटी के रूप में देखते हैं। लेनदार सामान्यतया सामूहिक तुलन पत्र के बल पर उनसे निपटना पसंद करते हैं। यह, जहाँ भी आवश्यक हो, मूल्य अधिकतमकरण के लिए समूह कंपनियों के बीच तालमेल को संरक्षित करने के लिए अधिकतम कंपनियों के समूह के दिवाला से निपटने के लिए दिवाला ढांचे की मांग करता है (बॉक्स 7)। हालांकि, इस तरह की रूपरेखा को यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक आंकने की आवश्यकता है कि इससे पर्याप्त औचित्य के बिना, प्रत्येक कंपनी के अलग–अलग विधिक व्यक्तित्व और उनके बीच संपत्ति विभाजन की अवहेलना न हो। इसके लिए समाधान से पूर्व या पश्चात् समूह में कंपनियों के विकृत व्यवहार को रोकने की जरूरत है।

बॉक्स 7

समूह दिवाला

यह देखते हुए कि कुछ कंपनियों के समूह का साथ कुछ परिस्थितियों में मूल्य–अधिकतमकरण हो सकता है, क्योंकि संकट में प्रत्येक कंपनी के लिए अलग–अलग दिवाला कार्यवाही की तुलना में, कुछ अधिकार क्षेत्र उसी के लिए सक्षम ढांचा उपलब्ध कराने पर विचार कर रहे हैं। समूह की कंपनियों के दिवाला का समाधान सामूहिक कंपनियों की दिवाला की कार्यवाही के कुछ हद तक समकालन पर जोर देता है। यूएनसीआईटीआरएएल विधायी निदेशिका (भाग ।।।) में समूह कंपनियों की दिवाला कार्यवाही के तुल्यकालन के दो व्यापक प्रकारों को महत्व दिया गया है:

(क) **प्रक्रियात्मक समन्वय :** यह दृष्टिकोण विभिन्न कंपनियों की स्थिति का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए, सूचना के आदान–प्रदान के लिए प्रत्येक समूह की कंपनी की संपत्ति को अलग रखते हुए, दिवाला कार्यवाही का समन्वय करता है। इसके लिए एकल दिवाला प्रतिनिधि की नियुक्तिय एकल लेनदार समिति की स्थापना; सुनवाई के समन्व; सहित न्यायालयों के बीच सहयोग; दिवाला प्रतिनिधियों के बीच सहयोग, सूचना साझा करने और बातचीत के समन्व; सहितय नोटिस का संयुक्त प्रावधान; लेनदार समितियों के बीच समन्वय; दावों को प्रस्तुत करने और सत्यापन के लिए प्रक्रियाओं का समन्वय और परिहार कार्यवाही का समन्वय की आवश्यकता हो सकती है।

(ख) **पर्याप्त समेकन :** यह दृष्टिकोण विभिन्न समूह की कंपनियों की संपत्ति और देनदारियों को समेकित करता है और उन्हें परिसमापन में वितरण या वितरण के उद्देश्य के लिए एकल दिवाला संपत्ति के हिस्से के रूप में मानता है। यह प्रत्येक कंपनी की अलग पहचान को महत्व नहीं देता है और समूह में सभी कंपनियों के सभी लेनदारों के सामान्य लाभ के लिए एकल संपत्ति के हिस्से के रूप में उनकी संपत्ति और देनदारियों को समेकित करता है। यह आंशिक रूप से या पूरी तरह से विभाजन की आस्ति की उपेक्षा करता है। जहां समेकन कुछ लेनदारों के हितों को प्रभावित करता है, उन्हें समेकन के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। कुछ अन्य मामलों में, मतदान, वितरण आदि के उद्देश्यों के लिए सभी दावों का समेकन है, लेकिन योजना के बाद उभरने वाली अंतिम एंटिटियां अभी भी अलग–अलग एंटिटियों के रूप में याचिका–निधिकरण के उद्देश्य से आयोजित की जाती हैं। इसे अपनाया जाता है जहां एंटिटी की पृथकता का मूल्य है। अन्य मामलों में, कंपनियों की आस्तियों को पुनर्गठन के पश्चात् के उद्देश्यों के लिए संक्षेप में जमा किया जा सकता है, लेकिन विभिन्न हितधारकों के दावों को अस्त–व्यस्त नहीं किया जा सकता है।

[29]कांत, कृष्णा (2017), द एंड ऑफ कंग्लोमेरिट्स बिजनेस स्टैंटर्ड, 17 मार्च, 2017

[30]स्क्वायर, रिजर्ड (2011), स्ट्रैटजिक लायबिलिटी इन द कारपोरेट ग्रुप, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लॉ रिव्यू, 78, 605–669

समूह दिवाला के लिए व्यापक मॉडल अभी विकसित होना शेष है। यूएनसीआईटीआरएएल की कार्यप्रणाली समूह–V उद्यमों के समूह दिवाला पर मसौदा आदर्श विधि पर काम कर रही है। हालाँकि, कुछ न्यायालयों ने समूह कंपनियों की कार्यवाही के कुछ हद तक तुल्यकालन को अपनाया है।

यूरोपीय संघः दिवाला विनियमन, 2015, जो 2017 में लागू हुआ, अलग–अलग विधिक व्यक्तित्व के सिद्धांत का सम्मान करते हुए, समन्वय की दक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कंपनियों के समूह के सदस्यों की दिवाला कार्यवाही के समन्वय के लिए प्रक्रियात्मक नियम प्रदान करता है। न्यायालयों के बीच और न्यायालयों और दिवाला प्रैक्टिशनरों के बीच सहयोग और संचार को बढ़ावा देने के अतिरिक्त, नियमन मोटे तौर पर यह प्रावधान करता है कि समूह के सदस्यों की साख और लेनदारों के हितों के प्रभावी प्रशासन के लिए सामूहिक समन्वय कार्यवाही को आरंभ किया जाना चाहिए. दिवाला प्रैक्टिशनर जो किसी समूह की कंपनी की दिवाला कार्यवाही में नियुक्त किया जाता है, सामूहिक समन्वय कार्यवाही के प्रारंभ के लिए अनुरोध कर सकता है, समन्वय के आवश्यक तत्वों को रेखांकित करता है और सामूहिक समन्वयक नियुक्त करता है। अन्य दिवाला प्रैक्टिशनरों को सामूहिक समन्वय कार्यवाही में शामिल करने पर आपत्ति हो सकती है। समन्वयक इन कंपनियों की दिवाला की तुल्यकालित समाधान के लिए समन्वय योजना का प्रस्ताव कर सकता है, जिसे प्रत्येक अलग–अलग कंपनी अपनाने या न चुनने का विकल्प चुन सकती है।

जर्मनी : समूह दिवाला को सुकर बनाने के लिए जर्मनी विधि जो 2018 में प्रवृत्त हुई, में प्रक्रियात्मक समन्वय की परिकल्पना की गई है। मोटे तौर पर यह एक न्यायालय में कार्यवाहियों के संकेंद्रण की व्यवस्था करता है, एकल दिवाला प्रतिनिधि की नियुक्ति करता है, न्यायालयों और प्रतिनिधियों में समन्वय, समूह लेनदार समिति की स्थापना और सामूहिक समन्वयन प्रक्रिया के प्रयोग की व्यवस्था करता है जिससे भिन्न भिन्न सामूहिक कंपनियों के दिवाला समाधान के लिए समकालिक कार्यनीति, ऑवरआर्चिंग का सृजन हो सकेगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका : संयुक्त राज्य अमेरिका में मामला विधियों को न्यायालयों में संबद्ध देनदारों को एकल एंटिटी के रूप में समझने की शक्ति है इन संबद्ध एंटिटी के टूटने पर इन आस्तियों का एक पूल बनाया जाता है। एकल पूल में से सभी दावों का भुगतान किया जाता है। इस समेकन से प्रत्येक कारपोरेट समूह के अलग अस्तित्व को नजर अंदाज किया जाता है और इससे सभी कारपोरेट अनुबंध और दावे निरस्त हो जाते हैं। मोटे तौर पर न्यायालय पर्याप्त समेकन का आदेश दे सकता है जब कोई लेनदार एकल आर्थिक इकाई के रूप में एंटिटियों को समझता है अथवा देनदारों के कार्यों को किस तरह से उलझा देता है कि समेकन से सभी लेनदारों को लाभ होगा।

आस्ट्रेलिया : आस्ट्रेलिया का विधान अप्रत्याभूत लेनदारों के अनुमोदन से पूलिंग की अनुमति देता है जिसके कारण (क) प्रत्येक दावे के समक्ष समूह की प्रत्येक अन्य कंपनी को समूह की प्रत्येक कंपनी का संयुक्त रूप से समूह माना जाता है और देय प्रत्येक ऋण के लिए सामूहिक रूप से उसका दायित्व हो जाता है, (ख) समूह में एक कंपनी अथवा कंपनियों द्वारा देय प्रत्येक ऋण समाप्त हो जाता है और (ग) प्रत्येक दावा जो समूह में एक कंपनी अथवा कंपनियों द्वारा किसी अन्य कंपनी अथवा कंपनियों के विरुद्ध देय होता है, समाप्त हो जाता है।

भारत के लिए ढांचा

सामूहिक कंपनियों की दिवाला कार्रवाइयों को समकालिक की कुछ डिग्री के लिए समक्ष बनाने हेतु एक वैकल्पिक ढांचे की व्यवस्था करने की सलाह दी जाती है। यह एक प्रक्रियात्मक समन्वयन के साथ आरंभ होता है जबकि पर्याप्त समेकन पर अनुभव और आवश्यकता के आधार पर बाद में विचार किया जा सकता है। केवल ऐसी कंपनियां जिन्हें सीआईआरपी में शामिल किया जाता है और जो एक समूह से संबंधित हैं, वे समूह दिवाला के उद्देश्य के लिए "समूह" का गठन कर सकती है। कंपनियों को संहिता के अधीन न्यायाधिकार के अनुसार भिन्न–भिन्न पीठों में सीआईआरपी में शामिल किया जा सकता है। समन्वयन के लिए आवेदन किसी भी पीठ में फाइल किया जा सकता है। समूह की कंपनियों की सीओसी न्यायनिर्णयन प्राधिकरण की पीठ का चुनाव अपेक्षित बहुमत द्वारा और सुविधा के आधार पर कर सकती हैं तथा तद्नुसार सभी लंबित आवेदनों/सीआईआरपी को इसे अंतरित कर सकती हैं। समाधान प्रक्रिया समूह में प्रत्येक कंपनी के लिए, समूह में कुछ कंपनियों के लिए अथवा समूह में सभी कंपनियों के लिए समाधान योजनाओं के लिए समाधान आवेदक प्रस्तुत कर सकने का विकल्प देती है। प्रक्रियात्मक समन्वयन सीआईआरपी के समावेशन में समाप्त होता है। चूंकि, समूह का तात्पर्य भिन्न–भिन्न प्रयोजनों के लिए भिन्न–भिन्न वस्तुओं से है इसलिए समूह की मौजूदा सांविधिक परिभाषाओं में से एक जो पहले से ही प्रयोग में है को एक नई परिभाषा के बजाए उसी परिभाषा को इसके समान विवादों और व्याख्याओं से बचने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।

सीमा–पार दिवाला

बीएलआरसी ने घरेलू परिदृश्य से दिवाला और शोधन अक्षमता के लिए ढांचे को विकसित किया। तथापि, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2015 संबंधी संयुक्त संसदीय समिति ने महसूस किया कि संहिता, इस बात को देखते हुए कि भारतीय फर्मों का व्यतिक्रम करने वाली वैश्वि फर्मों के विरुद्ध व्यतिक्रम करने वाली भारतीय फर्मों के विरुद्ध वैश्विक व्यक्तियों के दावे हैं, सीमापार दिवाला के उपबंधों के बिना पूर्ण नहीं होगी। समिति की पहल पर धारा 234 और धारा 235 को अन्तःस्थापित किया गया ताकि सरकार को संहिता के उपबंधों को प्रदत्त करने के लिए किसी अन्य देश की सरकार के साथ समझौता करने के लिए सक्षम बनाया जा सके।

सीमा–पार दिवाला के मुद्दे तब उत्पन्न होते हैं जब विदेशी लेनदारों का ऐसे न्यायाधिकार देनदारों की आस्ति पर अधिकार/दावा होता है जहां दिवाला कार्यवाहियां जारी हैं; जहां देनदार की अनेक न्यायाधिकारों में शाखाओं/आस्तियां हैं, इसमें ऐसा न्यायाधिकार शामिल है जहां दिवाला कार्रवाइयां जारी हैं और जहां देनदार की एंटिटी एक साथ एक अथवा अधिक न्यायाधिकारों में दिवाला कार्रवाइयों के अध्यधीन है। इससे एक जटिल स्थिति उत्पन्न हो जाती है चूंकि प्रत्येक देश की उनकी अपनी विधि और संस्थान होते हैं जो दिवाला कार्रवाइयों को शासित करते हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालयों और दिवाला प्राधिकरणों जैसे भिन्न–भिन्न देशों के प्रशासकों/परिसमापकों के बीच समन्वय और सहयोग के लिए ढांचा होना आवश्यक है ताकि देनदारों की आस्तियों के मूल्यों को संरक्षित और अधिकीकृत किया जा सके। कारपोरेट दिवाला संबंधी उपबंधों के कार्यान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति के साथ समय आ गया है कि हम एक अधिक व्यापक, अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य, सीमा–पार दिवाला शासन के बारे में सोचें।

सीमा–पार दिवाला के लिए यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल लॉ जिसे वैश्विक रूप से महत्व दिया जाता है और स्वीकार्य है, मार्गदर्शन हेतु उपलब्ध है। यह देशीय कार्रवाइयों को प्राथमिकता देते हुए देश की घरेलू दिवाला विधि को पूर्ण मान्यता सुनिश्चित करता है और मॉडल लॉ के अंतर्गत राहत की मनाही की अनुमति देता है यदि ऐसी राहत देश की सार्वजनिक नीति के विरुद्ध हो। यह विदेशी कार्रवाइयों की मान्यता से संबंधित मुद्दों समान देनदार से संबंध कार्रवाइयों का समन्वय करता है; विदेशी दिवाला प्रतिनिधियों के अधिकारों और कर्तव्यों; और भिन्न–भिन्न न्यायाधिकारों में प्राधिकरणों के मध्य सहयोग को संबोधित करता है। इस पर भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त संशोधन के साथ विचार किया जा सकता है।

ऋण अनुबंधों का स्वचालन

संहिता में ऐसी वित्तीय सूचना के भंडारण के लिए सूचना उपयोगिता (आईयू) की परिकल्पना है जो यतिक्रम को स्थापित करने तथा दावों का शीघ्रता से सत्यापन करने में सहायता करता है और समयबद्ध ढंग से संहिता के अधीन प्रक्रियाओं को पूरा करने को सुकर बनाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईयू में दिवाला और शोधन अक्षमता समाधान के लिए आवश्यक सूचना शामिल की जाए. संहिता में वित्तीय लेनदारों (एफसी) के लिए डाटा प्रस्तुतिकरण अनिवार्य किया गया है और आईयू के लिए यह बाध्यकारी है कि वह ऐसे डाटा को स्वीकार करे। शुद्धता को सुनिश्चित करने और विवादों को शीघ्र सुलझाने के लिए संहिता में अधिदेश है कि ऐसे अभिलेखों का सह–सत्यापन सभी संबंधित पक्षों के साथ किया जाए। यह ऋण समझौते के द्वारा किसी एक पक्ष से सूचना प्राप्त करने के लिए समय और प्रयास लगातार और सूचना के उपयोग हेतु उपयुक्त होने से पूर्व अन्य पक्ष से सत्यापन की मांग करता है। ऋण समझौतों के मानकीकरण और अमूर्तिकरण तथा उनके ऑनलाइन निष्पादन को संहिता के अधीन गति प्रदान की जाएगी और पूर्ण–प्रमाणन की आवश्यकता को हटाया जाएगा (बॉक्स 8)।

बॉक्स 8

वाणिज्य चक्र का स्वचालन

अनुबंध वाणिज्य का पहिया है। यह वाणिज्य का सबसे प्रभावशाली नवाचार है। यह हर व्यवसाय और बाजार नवाचार की नींव है और कोई भी इसके बिना दुनिया के बारे में नहीं सोच सकता है। वस्तुतः, अनुबंध पर अनुबंध, अनुबंध के भीतर अनुबंध और अनुबंध करने के लिए अनुबंध पर अनुबंध किए जाते हैं। यह हर व्यवसाय की जरूरत को पूरा करने के लिए निरंतर रूपांतरण है।

प्रतिभूति बाजार संभवतः उच्चतम संस्थागत विकास, गति और सुरक्षा के साथ लेनदेन करता है, जो संस्थागत स्वचालन के प्रमुख घटक हैं। यह डीमैट अनुबंध में ट्रेड करता है; हर व्यापार ऑनलाइन निष्पादित अनुबंध है।

एक शेयर प्रतिभूति बाजार में कारोबार का सबसे सरल अनुबंध है। यह शेयरधारक और कंपनी के बीच अनुबंध है, जो लेखों और विधियों के अधीन है। यह कंपनी के शेयरों के वर्ग के संबंध में विशिष्ट शर्तें प्रदान करता है। कंपनी के एसोसिएशन के लेख कंपनी के सभी शेयरों के संबंध में सामान्य शर्तें प्रदान करते हैं। विशिष्ट संविधि (कंपनी अधिनियम, 2013), जो शेयरों के मुद्दे को सक्षम करती है, कंपनियों के सभी शेयरों के संबंध में वैश्विक शर्तें प्रदान करती है। सामान्य संविधि (भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872) अनुबंधित पक्षों के सभी अनुबंधों के संबंध में सार्वभौमिक शर्तें प्रदान करती है। अपने लेख, कंपनी अधिनियम, 2013, और भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के अनुच्छेदों द्वारा तैयार आधार पर, कंपनी अनेक श्रेणियों के शेयर जारी करती है। शेयरों के प्रत्येक मुद्दे के मामले में न तो कंपनी और न ही संभावित शेयरधारक हर शब्द के विवरण पर बातचीत करते हैं और न ही वे भारी अनुबंधों को तैयार, हस्ताक्षर और संरक्षित करते हैं। यहां तक कि व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को शेयरों का हस्तांतरण भी कंपनी और आने वाले शेयरधारक के बीच ताजा अनुबंध की आवश्यकता नहीं है।

सदियों से लेन–देन से संबंधित शर्तों को पक्षों द्वारा मानकीकृत किया गया है। उनमें से अधिकांश ने अनुच्छेदों को तैयार करते समय, विशिष्ट विधियों और सामान्य विधियों में स्थान पाया है। परिणामस्वरूप, शेयर प्रमाणपत्र केवल कुछ शर्तों के साथ बहुत हल्का है। यह पक्षों द्वारा लंबी बातचीत, लेनदेन के समापन में देरी और कमजोर पक्ष के लिए प्रतिकूल शर्तों की संभावना को समाप्त करता है। यह मानक शर्तों के अनुरूप न्यायशास्त्र के विकास को सुकर बनाता है और लागत को काफी कम करता है, विवादों से बचाता है और अनुबंध प्रवर्तन को बढ़ावा देता है। प्रतिभूति बाजार अनुबंधों के ऑनलाइन निष्पादन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मंच प्रदान करता है। मंच पक्षों के हितों से मेल खाता है और कम से कम प्रयास, लागत और समय के साथ, उनके बीच मानकीकृत अनुबंध निष्पादित करता है। एक बार निष्पादित होने के बाद, अनुबंध मस्तिष्क और अकाट्य अधिकारों और दायित्वों की अकल्पनीय मिलन का साक्ष्य है और इस तरह अनुबंध प्रवर्तन की किसी भी चिंता से बचाता है।

चोरी, जालसाजी और उत्पीड़न के लिए अतिसंवेदनशील होने के अतिरिक्त, कागज–आधारित अनुबंधों की तैयारी, संरक्षण और सर्विसिंग बहुत महंगी है। प्रतिभूति बाजार ने इन चिंताओं को अनुबंध को समाप्त किया है। कंपनी डीमैट शेयर जारी करती है; डिपॉजिटरी डीमैट शेयर रखती है; स्टॉक एक्सचेंज डीमैट शेयरों का व्यापार प्रदान करता है; निवेशक डीमैट शेयरों में सौदा करता है और सरकार डीमैट शेयरों के मुद्दे और व्यापार पर कर लगाती है। यह भंडारण, पुनर्प्राप्ति, सत्यापन और अनुबंधों के प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान करते हुए लगभग तात्कालिक अंतरण के साथ–साथ अनुबंधों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है।

प्रतिभूति बाजार में अनुभव के बाद, अन्य वृत्तिक गतिविधियां समझौतों के मानकीकरण और अमूर्तिकरण (एसएंडडी) को अपना रही हैं। मानकीकृत परक्राम्य वेअरहाउस रसीदें अब तैयार की जाती हैं और डीमैट रूप में अंतरित की जाती हैं। मानकीकृत पट्टा किराया अनुबंध तैयार, हस्ताक्षरित और इलेक्ट्रॉनिक / डीमैट रूप में संग्रहीत किए जाते हैं। पॉलिसी

धारक किसी एक बीमा रिपॉजिटरी के साथ डीमैट बीमा योजना धारित करता है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में निवेश ऑनलाइन और डीमैट रूप में किए जाते हैं। शैक्षणिक प्रमाण पत्र डिपॉजिटरी के साथ डीमैट प्ररूप में संग्रहीत किए जाते हैं। राज्य ऐसे एसएंडडी की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। बाजार में एसएंडडी के अभिनव उपयोग मिल रहे हैं। उदाहरण के लिए, मानकीकृत, इलेक्ट्रॉनिक वसीयत का उपयोग करने को अत्यधिक प्राथमिकता दी जा रही है। ये भंडारण, पुनर्प्राप्ति, सत्यापन और अभिलेखों की प्रामाणिकता में मदद करते हैं और अनुबंध प्रवर्तन को सुविधाजनक बनाते हैं।

ऋण समझौतों के मानकीकरण, विमुद्रीकरण और इलेक्ट्रॉनिक निष्पादन, प्रतिभूति बाजारों में हासिल किए गए लाभ के समान लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऋण की राशि, ऋण का उद्देश्य, सुरक्षा की प्रकृति, प्रतिपक्ष की साख, आदि के आधार पर प्रत्येक ऋण समझौता समान वाचाओं के बावजूद अद्वितीय दिखाई देता है। हालांकि, प्रत्येक समझौते में नियमों और मापदंडों की सीमित संख्या होती है और सभी संभावित समझौतों में सभी संभावित शर्तें भी परिमित होती हैं। नई शर्तों को अत्यंत दुर्लभ स्थितियों में तैयार किया गया है। संभवतः, सभी संभावित मापदंडों / शर्तों को ले जाने वाला लंबा टेम्पलेट ऋण समझौतों के लिए तैयार किया जा सकता है और पक्ष उन शर्तों के अनुसार टेम्पलेट को भर सकती हैं, जिन पर वे सहमत हैं या, प्रत्येक प्रकार के ऋण की जरूरतों को पूरा करने के लिए 'एन' टेम्पलेट हो सकते हैं और पक्ष अपने ऋण के लिए प्रासंगिक टेम्पलेट उठा सकते हैं। टेम्प्लेट पक्षों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष शर्तों को संशोधित करने या निर्दिष्ट करने के लिए लचीलापन भी प्रदान कर सकता है। इसे सामान्य शर्तों को अनुबंध से बाहर रख–कर बहुत हल्का किया जा सकता है। कई उधारदाता आज विभिन्न प्रकार के क्रेडिट अनुबंधों के लिए अस्थायी दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उधार लेना पूरी तरह से स्वचालित अनुबंध का उदाहरण है। इस प्रकार ऋण समझौतों को मानकीकृत किया जा सकता है और इसके बाद, उन्हें समाप्त किया जा सकता है, जिसका पालन उनके ऑनलाइन निष्पादन द्वारा किया जा सकता है।

ऋण समझौतों के स्वचालन के निम्नलिखित लाभ हैं:

(क) नए समझौते बनाने के लिए बातचीत करके संसाधनों की बचत

(ख) अनुचित शर्तों से बचकर उपभोक्ता संरक्षण

(ग) लेन–देन का त्वरित निष्कर्ष

(घ) बेहतर अनुबंध प्रवर्तन और विवादों से बचाव

(ङ) ऋण समझौतों को बनाए रखने और प्रदायगी की नगण्य लागत

(च) ऋण के लिए द्वितीयक बाजार का विकास

(छ) आकस्मिक लाभ (दिवाला के लिए व्यतिक्रम का सत्यापन, संपत्तियों का संचय, ऋणों का अंतरण, बाजारों का विकास आदि)।

स्वचालन (मानकीकरण, अमूर्तिकरण और ऋण समझौतों का ऑन–लाइन निष्पादन) अनुबंध को कुशल बनाता है और इसके परिणामस्वरूप व्यापार करने में आसानी होती है और दिवाला के शीघ्र समाधान की सुविधा मिलती है।

ग्रेजुएट दिवाला प्रोग्राम

दिवाला वृत्तिक दिवाला शासन और बाजार अर्थव्यवस्था की प्रमुख संस्था है। दिवाला वृत्तिक, कंपनियों, एलएलपी, साझेदारी फर्मों, प्रोपराइटरशिप फर्मों और संकटग्रस्त व्यक्तियों के समाधान, परिसमापन और शोधन अक्षमता प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसे अपने वैधानिक कर्तव्यों और दायित्वों को कभी विकसित बाजार के माहौल में निष्पादित करने के लिए क्षमताओं की आवश्यकता होती है। यह आईबीबीआई का प्रयास है कि गतिशील बाजार वास्तविकताओं से मेल खाते हुए सक्षम और जवाबदेह दिवाला वृत्तिकों का संवर्ग उपलब्ध कराए. इसे ध्यान में रखते हुए, आईबीबीआई द्वारा बनाए गए विनियमन दिवाला वृत्तिकों के रूप में पंजीकरण के लिए पात्रता को निर्दिष्ट करते हैं। व्यक्ति दिवाला वृत्तिकों के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र है यदि उसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव, लागत लेखाकार या एडवोकेट के रूप में दस वर्ष की सदस्यता के बाद का अनुभव है या स्नातक की डिग्री के बाद प्रबंधन में 15 वर्ष का अनुभव है। हालाँकि, व्यक्ति, जिसने आईबीबीआई द्वारा अनुमोदित दिवाला वृत्तिक कार्यक्रम पूरा कर लिया है, वह भी दिवाला वृत्तिक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र है। दिवाला वृत्तिक की वैश्विक मानक के कार्यक्रम के रूप में परिकल्पना की जाती है, जिसका उद्देश्य शीर्ष–गुणवत्ता वाले दिवाला वृत्तिक तैयार करना है जो विश्व स्तरीय सेवाओं को समाधान वृत्तिक, परिसमापक या अन्य क्षमताओं के स्तर पर निष्पादित कर सकते हैं जो बाजार की अपेक्षाओं और विशेष रूप से उपभोक्ताओं के लिए सामान्य रूप से नियामकों की पूर्ति करता है।

नियामक ढांचे की समीक्षा

अगले वर्षों में कई कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाओं और परिसमापन प्रक्रियाओं का निष्कर्ष निकलेगा। न्यायिक घोषणाओं से संकट क्षेत्रों का समाधान होगा। हितधारक सर्वोत्तम प्रथाओं का विकास करेंगे। दिवाला शासन के संचालन से नया ज्ञान उत्पन्न होगा। किसी असामाजिक तत्व द्वारा किसी भी प्रावधान के दुरुपयोग की संभावना के साथ ही रूपरेखा में कमियां सामने आएंगी। आईबीबीआई इन घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रखेगा और सबक लेगा। यह चुनौतियों को संबोधित करने के लिए नियामक ढांचे को संशोधित करेगा और खामियों को दूर करने के लिए, यदि कोई हो, और अगले स्तर पर दिवाला सुधारों को लेने के

लिए दिवाला वृत्तिकों और अन्य घटकों की क्षमता का निर्माण करेगा। यह विभिन्न हितधारकों के परामर्श से, समयबद्ध और संरचित तरीके से, इसके द्वारा निर्धारित नियमों की समीक्षा करने का प्रयास करेगा। नियमन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, नियमन प्रक्रिया को संवेदनशील बनाए रखने की आवश्यकता है, ताकि हितधारक परामर्शों और सतत् स्थितियों की मांगों पर लगातार प्रतिक्रिया दे सकें। हितधारकों से विचारों के भरमार के स्रोत के लिए संरचित इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। यह देखते हुए कि दिवाला विधि नई विधि है, आईबीबीआई इस बारे में जागरूकता पैदा करने और दिवाला समाधान के लिए संहिता का उपयोग करने की अपनी क्षमता का निर्माण करने के लिए शिक्षा, उद्योग, व्यावसायियों और अन्य हितधारकों के साथ जुड़ना जारी रखेगा। यह पक्ष–समर्थन कार्यक्रमों का आयोजन और उसमें भाग लेना जारी रखेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के साथ जुड़ाव तेज करेगा कि हितधारकों द्वारा और हितधारकों के लिए दिवाला सुधार, सुधारों के रूप में बने रहें।

झ बोर्ड का वित्तीय कार्य–निष्पादन

संहिता को आईबीबीआई के उचित लेखों और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्डों को बनाए रखने और इस तरह से लेखों का वार्षिक विवरण तैयार करने की आवश्यकता होती है, जैसा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि आईबीबीआई के लेखों की सीएंडएजी द्वारा लेखापरीक्षा की जाए। तदनुसार, आईबीबीआई ने लेखा और तुलन–पत्र के वार्षिक विवरण को, लेखापरीक्षा समिति और उसके शासी बोर्ड द्वारा, अनुमोदन पश्चात् लेखापरीक्षा के लिए सीएंडएजी को विधिवत अग्रेषित किया गया। सीएंडएजी ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए आईबीबीआई के लेखों की लेखापरीक्षा की और 29 जनवरी, 2019 को अग्रेषित लेखापरीक्षा रिपोर्ट दी। सारणी 42 बोर्ड के वित्तीय निष्पादन का सारांश प्रस्तुत करती है।

सारणी 42

आय और व्यय विवरण, 2017–18

(आंकड़े लाख रुपये में)

आय	2016–17*	2017–18	व्यय (बाहर)	2016–17*	2017–18
सहायता अनुदान–वेतन	275.00	300.00	वेतन	66.99	508.01
सहायता अनुदान–पूंजी	192.86	–	पूंजी	3.09	66.23
सहायता अनुदान –सामान्य	203.28	333.00	सामान्य	46.06	490.22
आईबीबीआई के लिए एमसीए द्वारा खर्च किया गया	136.47	–	आईबीबीआई की ओर से एमसीए द्वारा खर्च किया गया	136.47	–
अंतःसृजित राजस्व	89.73	330.41	अंतःसृजित राजस्व	–	420.14
कुल	**897.34**	**963.41**	**कुल**	**252.61**	**1484.60**

**2016–17 अक्टूबर, 2016 – मार्च, 2017 की अवधि के लिए है।*

आईबीबीआई को 2017–18 में कुल 633 लाख रुपये अनुदान के रूप में सरकार से प्राप्त हुए। इसने सेवा प्रदाताओं से 330.41 लाख रुपये का शुल्क अर्जित किया। इसने कुल 1484.60 लाख रुपये 2017–18 में खर्च किए।

एक नियामक आमतौर पर शुरू में कम दर पर शुल्क लगाना शुरू करता है और समय के साथ इसे उचित स्तर तक बढ़ाता है। यह कम आधार (शुरुआती वर्षों में लेनदेन की संख्या और मात्रा) पर शुल्क लगाता है जो बाजार का आकार बढ़ने पर बढ़ता है। जबकि आधार के साथ–साथ दर कम होती है, इसे शुरुआती वर्षों में बड़े पूंजीगत व्यय करना होगा। प्रारंभिक वर्षों में कम आय और उच्च खर्चों का वहन करने के लिए, नियामक आमतौर पर बहिर्जात योगदान पर निर्भर करता है। आईबीबीआई शुरुआती वर्षों में अनुदान के लिए सरकार पर निर्भर रहा है।

बीएलआरसी का मानना था कि अच्छी प्रथा के रूप में, बोर्ड को अपने विनियमित संस्थाओं से एकत्र की गई फीस से स्वयं को वित्तपोषित करना चाहिए। हालांकि, शोधन अक्षमता और दिवाला पर केंद्रित विनियमित वृत्तिकों और संस्थाओं का उद्योग समय के साथ विकसित होगा, जबकि बोर्ड को शुरू से ही अपने पर्यवेक्षी कार्यों को करने की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप, बीच में ऐसी अवधि होगी जिसमें बोर्ड को सरकार द्वारा वित्तपोषण की आवश्यकता होगी।

कार्यकारी समूह ने 'दिवाला एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के सृजन' के बारे में माना कि आईबीबीआई के निर्माण के प्रारंभिक चरण में, सरकार से प्राप्त बजटीय अनुदान राशि का मुख्य स्रोत होगा। हालांकि, कुछ वर्षों में दिवाला और शोधन अक्षमता मध्यस्थता उद्योग के रूप में आगे बढ़ेगा और आईबीबीआई सभी दिवाला वृत्तिक, आईपीए और आईयू पर शुल्क लागू करने की स्थिति में होगा, जिससे इसके खर्चों का भुगतान होगा।

अ कानूनी बाध्यताओं का अनुपालन

बोर्ड एक प्रतिमा का निर्माण है। इसे विधि के उपबंधों के साथ–साथ अन्य लागू विधियों का पालन करने की आवश्यकता है। सारणी 43 बोर्ड द्वारा अनुपालन का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करती है।

सारणी 43

वैधानिक बाध्यताओं के अनुपालन का विवरण

संविधि	अपेक्षित अनुपालन	अनुपालन की स्थिति
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016	**धारा 16 (4):** बोर्ड न्यायनिर्णयन प्राधिकारी से संदर्भ प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर अनुशंसा करेगा, दिवाला वृत्तिक का नाम जहां दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन प्रक्रियागत लेनदार द्वारा किया गया है और अंतरिम समाधान वृत्तिक के लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।	बोर्ड ने वर्ष 2017–18 में न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा ऐसे 103 संदर्भों का प्रत्युत्तर दिया है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड को संदर्भों का प्रत्युत्तर दिए बिना, सीधे न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा अंतरिम समाधान वृत्तिक के रूप में नियुक्ति के लिए दिवाला वृत्तिकों का पैनल बनाया गया था, ताकि विलंब को समाप्त किया जा सके।
	धारा 22 (4): बोर्ड सीओसी द्वारा प्रस्तावित समाधान वृत्तिकों के नाम की पुष्टि करेगा।	बोर्ड ने दिवाला वृत्तिक की अनुशासनात्मक स्थिति की जांच करने के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है, जिससे विलंब को समाप्त किया जा सके। फिर भी, बोर्ड ने वर्ष 2017–18 में न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा ऐसे 92 संदर्भों का उत्तर दिया है।
	धारा 34 (6): न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के निदेश के 10 दिनों के भीतर बोर्ड प्रस्ताव करेगा, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के निदेश पर दिवाला वृत्तिकों को परिसमापक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।	2017–18 के दौरान बोर्ड द्वारा ऐसा कोई संदर्भ नहीं मिला। बोर्ड का उल्लेख किए बिना सीधे न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा परिसमापक के रूप में नियुक्ति के लिए दिवाला वृत्तिकों के पैनल बनाए गए, जिससे विलंब को समाप्त किया गया।
	धारा 207 को दिवाला वृत्तिकों विनियमनों के साथ पढ़ा जाता है: दिवाला वृत्तिक के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करने का अवसर प्रदान करने के बाद अस्वीकार किया जा सकता है कि आवेदन क्यों स्वीकार किया जाए।	2017–18 में दिवाला वृत्तिकों के रूप में पंजीकरण के लिए बोर्ड ने छह आवेदनों को निरस्त कर दिया। यह आदेश के माध्यम से, आवेदकों के लिखित और मौखिक प्रस्तुतिकरण पर विचार करने के बाद इन सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया।
	निरीक्षण विनियमों के साथ धारा 220 को पढ़ा गया: अनुशासनात्मक समिति कारण बताओ नोटिस के जारी होने के 180 दिनों के भीतर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन में उचित आदेश द्वारा कारण बताओ नोटिस (कारण बताओ नोटिस) का निपटान करेगी।	2017–18 मे 5 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इन्हें निरीक्षण विनियमनों के साथ पठित धारा 220 के अनुसार निपटाया जायेगा।
	धारा 223: बोर्ड उचित लेखे बनाएगा और ऐसे लेखों का लेखा परीक्षण सीएंडएजी द्वारा किया जाएगा।	बोर्ड ने आईबीबीआई (लेखों के वार्षिक विवरण के प्रपत्र) नियम, 2018 के अनुसार लेखे तैयार किए. सीएंडएजी ने 2017–18 के लिए बोर्ड के लेखों की लेखापरीक्षा की और 29 जनवरी, 2019 को अपने पत्र द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अग्रेषित किया।
	धारा 230 धारा 240 के साथ पढ़ी जाती है: आईबीबीआई के शासी बोर्ड द्वारा विनियमन बनाए जाएंगे।	बोर्ड ने 2017–18 के दौरान चार विनियमन बनाए और 16 मौजूदा विनियमनों में संशोधन किया। इन सभी विनियमनों को शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था और तुरंत अधिसूचित किया गया था।
	धारा 240: बोर्ड को खंड में निर्दिष्ट मामलों पर विनियमन बनाने की आवश्यकता है। धारा 241: संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष विनियमन रखे जाएंगे।	बोर्ड ने कारपोरेट दिवाला प्रक्रियाओं और सेवा प्रदाताओं के संबंध में नियम बनाए हैं। व्यष्टिक दिवाला के संबंध में विनियमन संहिता में लागू उपबंधों की अधिसूचना के साथ समकालिक किया जाएगा। 2017–18 के दौरान संसद के समक्ष रखने के लिए बोर्ड ने 23 विनियमन (2016–17) में 10 अधिसूचित और 2017–18 में 13 अधिसूचित किए) सरकार को भेजे। 2017–18 में अधिसूचित शेष 7 विनियमन 2018–19 में सरकार को भेजे गए थे।
आयकर अधिनियम, 1961	बोर्ड वेतन, अनुबंध और वृत्तिक सेवाओं के संबंध में निर्धारित समयसीमा के भीतर स्रोत (टीडीएस) पर कटौती कर जमा करेगा।	बोर्ड ने वित्त वर्ष 2017–18 के लिए निर्धारित समयसीमा के भीतर हर महीने समान रूप से जमा किया गया टीडीएस घटाया है और त्रैमासिक टीडीएस रिटर्न फाइल किया है।
	बोर्ड आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करेगा।	बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए आईटीआर फाइल किया है।

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (जीएसटी)	बोर्ड जीएसटी जमा करेगा और रिटर्न फाइल करेगा।	बोर्ड ने हर महीने जीएसटी जमा किया और मासिक जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3ख फाइल किया। वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए 30 नवंबर, 2019 तक वार्षिक जीएसटीआर–9, फाइल किया जाना है।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	धारा 4(1) (ख): बोर्ड अपनी वेबसाइट पर निर्दिष्ट मामलों पर स्वतः प्रकटीकरण करेगा।	बोर्ड ने आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अनुसार खुलासे किए और उसी को अद्यतन किया।
	धारा 7(1): सीपीआईओ आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर आवेदकों को जानकारी प्रदान करेगा।	सीपीआईओ ने 65 आवेदकों को जानकारी प्रदान की। इसने आरटीआई अधिनियम, 2005 द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी मामलों में जानकारी प्रदान की।
	धारा 19(6): प्रथम अपील प्राधिकारी 45 दिनों के भीतर अपील का निपटारा करेगा।	प्रथम अपील प्राधिकारी ने निर्धारित समय के भीतर वर्ष के दौरान प्राप्त सभी 5 अपीलों का निपटारा किया।
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013	बोर्ड आंतरिक शिकायत समिति का गठन करेगा।	बोर्ड ने 1 सितंबर, 2017 को समिति का गठन किया।
कर्मचारी संबंधित नियम	कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि / पेंशनः बोर्ड कर्मचारियों के भविष्य निधि और पेंशन योगदान को घटाएगा और जमा करेगा।	बोर्ड ने भविष्य निधि के लिए कर्मचारियों के अंशदान की कटौती करके कर्मचारियों के संबंधित नियोक्ताओं को नियोक्ता के अंशदान सहित भेज दिया। बोर्ड के पास वर्ष के दौरान अपने स्वयं के संवर्ग में कोई अधिकारी नहीं था और इसलिए, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए योगदान लागू नहीं था। बोर्ड ने अंशदायी भविष्य निधि के लिए अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य के अंशदान की कटौती करके नियत जमा में नियोक्ता के अंशदान के साथ जमा कर दी।.
	भर्ती में आरक्षण	बोर्ड ने सरकार के नियमों के अनुसार श्रेणी 'क' के अधिकारियों की भर्ती के लिए अपने विज्ञापन में पदों को आरक्षित किया है।
सामान्य वित्तीय नियम, 2017	एक अनुदानकर्ता संस्थान के रूप में, बोर्ड को अनुदान का रजिस्टर बनाए रखने और हर वित्तीय वर्ष में उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।	बोर्ड 2017–18 के लिए अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव करता है और 13 अप्रैल, 2018 को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत कर दिया।
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948	एक प्रमुख नियोक्ता के रूप में, बोर्ड को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अधिनियम के प्रावधानों का अनुबंध आधार पर लगे जनशक्ति के संबंध में पालन किया जाए।	बोर्ड ने जनशक्ति सेवाप्रदाता द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया है।

ट संगठनात्मक विषय

उत्तरदायित्व केंद्र

शासी बोर्ड

2017–18 के दौरान, सरकार ने डॉ. (सुश्री) मुकुलिता विजयवर्गीय को विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में अपर सचिव और अपर सचिव (विधि और न्याय मंत्रालय), पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया। इसने डॉ. शशांक सक्सेना, परामर्शदाता (पूंजी बाजार), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को श्री अजय त्यागी के स्थान पर पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया, जो सेबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने पर बोर्ड के सदस्य नहीं रहे। इसने एमसीए के संयुक्त सचिव श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह को श्री अमरदीप सिंह भाटिया के स्थान पर पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया, जो गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने पर सदस्य बने। 31 मार्च, 2018 को शासी बोर्ड के सदस्यों का विवरण सारणी 44 में प्रस्तुत है।

सारणी 44

31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार आईबीबीआई का शासी बोर्ड

नाम	बोर्ड में नियुक्ति के समय पद	के रूप में नियुक्त किया गया	का प्रतिनिधित्व	नियुक्ति की तारीख
डॉ. एम. एस. साहू	सदस्य, सी.सी.आई.	अध्यक्ष	लागू नहीं	01.10.16
श्री जी. एस. यादव	संयुक्त सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय	पदेन सदस्य	विधि और न्याय मंत्रालय	01.10.16
श्री उन्नीकृष्णन ए.	विधिक परामर्शदाता, आरबीआई	पदेन सदस्य	भारतीय रिजर्व बैंक	01.10.16
सुश्री सुमन सक्सेना	पूर्व उप–नियंत्रक और महालेखाकार	पूर्णकालिक सदस्य	लागू नहीं	22.02.17
डॉ. नवरंग सैनी	महानिदेशक, एमसीए	पूर्णकालिक सदस्य	लागू नहीं	31.03.17
डॉ (सुश्री) मुकुलिता विजयवर्गीय	अतिरिक्त सचिव, विधि और न्याय मंत्रालय	पूर्णकालिक सदस्य	लागू नहीं	13.04.17
डॉ. शशांक सकसेना	परामर्शदाता, वित्त मंत्रालय	पदेन सदस्य	वित्त मंत्रालय	24.05.17
श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह	संयुक्त सचिव, एमसीए	पदेन सदस्य	एमसीए	22.02.18

लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति आमतौर पर वित्तीय रिपोर्टिंग, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, जोखिम प्रबंधन प्रणाली और लेखापरीक्षा कार्यों के क्षेत्रों में शासी बोर्ड की सहायता करती है। शासी बोर्ड ने 29 मई, 2017 को आयोजित अपनी पाँचवीं बैठक में, गैर–पूर्णकालिक सदस्य की अध्यक्षता में गैर– पूर्णकालिक सदस्य के बहुमत के साथ लेखापरीक्षा समिति का गठन किया :

(क) अध्यक्ष के रूप में श्री अमरदीप एस. भाटिया;
(ख) सदस्य के रूप में श्री उन्नीकृष्णन ए; तथा
(ग) डॉ. मुकुलिता विजयवर्गीय सदस्य के रूप में।

15 मार्च, 2018 को हुई अपनी बैठक में, शासी बोर्ड ने निम्न को शामिल करके लेखापरीक्षा समिति को पुनर्गठित किया :

(क) श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह अध्यक्ष के रूप में;
(ख) श्री उन्नीकृष्णन ए. सदस्य के रूप में और
(ग) सुश्री सुमन सक्सेना सदस्य के रूप में।

उक्त बैठक में, शासी बोर्ड ने "लेखापरीक्षा समिति के दिशानिर्देशों" को स्वीकृति दी :

(क) लेखापरीक्षा समिति में तीन सदस्य शामिल होंगे, जैसा कि शासी बोर्ड द्वारा नामित किया जा सकता है।
(ख) लेखापरीक्षा समिति के अधिकांश सदस्य गैर–पूर्णकालिक सदस्य होंगे।
(ग) लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष गैर–पूर्णकालिक सदस्य होगा।
(घ) लेखापरीक्षा समिति के सदस्य का कार्यकाल सामान्यतया दो वर्ष का होगा।

(ङ) लेखापरीक्षा समिति वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी।
(च) लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए कोरम में दो सदस्य होंगे।
(छ) शासी बोर्ड के सचिव लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

शासी बोर्ड ने यह भी निर्दिष्ट किया कि लेखापरीक्षा समिति के कर्तव्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) वित्तीय रिपोर्टिंग और उसके संशोधन के लिए सिद्धांतों, नीतियों और मानकों को अंतिम रूप देना;
(ख) वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की स्थिति;
(ग) बोर्ड की अनुशंसा, नियुक्ति, पुन : नियुक्ति और, यदि आवश्यक हो, आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रतिस्थापन या हटाने और लेखापरीक्षा शुल्क का निर्धारण; तथा
(घ) शासी बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले अनुमोदन के लिए वार्षिक वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

अनुशासन समिति

संहिता में कारण बताओ नोटिस पर विचार करने और निपटान के लिए पूर्णकालिक सदस्य (यों) सहित अनुशासनात्मक समिति की परिकल्पना की गई है। बोर्ड ने 1 फरवरी, 2017 को डॉ. एम.एस. साहू, अध्यक्ष, आईबीबीआई को शामिल कर डी. सी. का गठन किया, क्योंकि आईबीबीआई के पास कोई पूर्णकालिक सदस्य नहीं था। आईबीबीआई ने 28 अगस्त, 2017 को डॉ. (सुश्री) मुकुलिता विजयवर्गीय, पूर्णकालिक सदस्य शामिल करके अनुशासनात्मक समिति का पुनर्गठन किया।

परामर्शदाता समितियाँ

संहिता, बोर्ड को अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए नियमों के अनुसार परामर्शदाता समिति का गठन करने में सक्षम बनाती है। तदनुसार, बोर्ड ने 30 जनवरी, 2017 को परामर्शदाता समिति विनियमनों को अधिसूचित किया। विनियमन में परामर्शदाता समिति, उसके शासनादेश और उसके सदस्यों के संविधान, रचना और बैठकों के लिए प्रावधान है। इनमें प्रावधान है कि परामर्शदाता समिति में सदस्यों के दो सेट होंगे, अर्थात् (क) वृत्तिक सदस्य, जो संबंधित क्षेत्र में प्रख्यात शिक्षाविद या चिकित्सक हैं, और (ख) सामान्य सदस्य, जो प्रख्यात नागरिक हैं, जिनकी प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं है या उनकी इस क्षेत्र में रुचि है। यह किसी भी मुद्दे पर आईबीबीआई को इसके दायरे में आने की सलाह दे सकती है और आईबीबीआई के अनुरोध पर इसके दायरे में किसी भी मुद्दे पर वृत्तिक समर्थन देने की सलाह दे सकती है। विनियमन निम्न समितियों का गठन करने में आईबीबीआई को सक्षम करते हैं:

(क) सेवा प्रदाताओं संबंधी परामर्शदाता समिति;
(ख) कारपोरेट दिवाला और परिसमापन संबंधी परामर्शदाता समिति;
(ग) व्यष्टिक दिवाला और शोधन अक्षमता संबंधी परामर्शदाता समिति; तथा
(घ) आईबीबीआई के रूप में कोई अन्य विषय विशिष्ट परामर्शदाता समिति समय–समय पर समीचीन विचार कर सकती है।

बोर्ड ने विनियमनों की लंबित अधिसूचना की तात्कालिकता को देखते हुए अक्टूबर, 2016 में दो परामर्शदाता समितियों का गठन किया था। नियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद, बोर्ड ने 2017–18 के दौरान निम्नलिखित तीन परामर्शदाता समितियों का गठन किया:

(क) श्री मोहनदास पई (अध्यक्ष, मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन) अध्यक्ष के साथ सेवा–प्रदाताओं संबंधी परामर्शदाता समिति;
(ख) अध्यक्ष के रूप में श्री उदय कोटक (कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, कोटक महिंद्रा बैंक) के साथ कारपोरेट दिवाला और परिसमापन संबंधी परामर्शदाता समिति; तथा
(ग) श्री न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी. एन. श्रीकृष्ण के अध्यक्ष के रूप में व्यष्टिक दिवाला और शोधन अक्षमता संबंधी परामर्शदाता समिति।

तकनीकी समिति

सूचना उपयोगिता विनियमन तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर सूचना उपयोगिता द्वारा मुख्य सेवाओं और अन्य सेवाओं के निष्पादन के लिए बोर्ड को तकनीकी मानकों को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। आईबीबीआई ने 3 मई, 2017 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष डॉ. आरबी बर्मन की अध्यक्षता में तकनीकी समिति का गठन किया।

आंतरिक शिकायत समिति

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार, बोर्ड ने महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए 1 सितंबर, 2017 को आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया। समिति में निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) डॉ. (सुश्री) मुकुलिता विजयवर्गीय, पूर्णकालिक सदस्य, आईबीबीआई पीठासीन अधिकारी;
(ख) सुश्री बीना जैन, बाह्य विशेषज्ञ;
(ग) सुश्री रंजीता दुबे, जीएम, आईबीबीआई सदस्य के रूप में; तथा
(घ) श्री रितेश कावड़िया, कार्यकारी निदेशक, आईबीबीआई सदस्य सचिव के रूप में।

व्यावसायिक सदस्यता

भारतीय विनियामक मंच सदस्यता

भारतीय विनियामक मंच (एफओआईआर) नियामक प्रक्रियाओं और प्रथाओं में उभरते मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, भारत में नियामकों के समक्ष चुनौतियों का सामना करने के लिए सामान्य कार्यनीतियों को विकसित करने और जानकारी और अनुभवों को साझा करने के लिए साझा मंच प्रदान करता है। 16 जून, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में, एफओआईआर ने

आईबीबीआई को संस्थागत सदस्य के रूप में (केंद्रीय आधारीय क्षेत्र) और डॉ. एम. एस.साहू, अध्यक्ष, आईबीबीआई को मानद उपाध्यक्ष के रूप में शामिल किया।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की सदस्यता

केंद्र सरकार ने 18 सितंबर, 2017 के आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना जारी कर, सचिव, एमसीए और अध्यक्ष, आईबीबीआई को इसके सदस्यों के रूप में शामिल करने के लिए वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) के संविधान को संशोधित किया। परिषद की अध्यक्षता माननीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है और इसमें गवर्नर, आरबीआई; वित्त सचिव और / सचिव, आर्थिक कार्य विभाग वित्तीय सेवा विभाग के सचिव मुख्य आर्थिक परामर्शदाता, वित्त मंत्रालय अध्यक्ष, सेबी अध्यक्ष, आईआरडीएआई, और अध्यक्ष, पीएफआरडीए शामिल हैं। परिषद के अधिदेश में वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र के विकास, अंतर–नियामक सहयोग, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन, अर्थव्यवस्था की वृहद–विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण से संबंधित मुद्दों से निपटना शामिल है, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल, वित्तीय स्थिरता बोर्ड के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय इंटरफेस का समन्वय करना, आदि शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय दिवाला विनियामक संगम की सदस्यता

अंतरराष्ट्रीय दिवाला विनियामक संगम (आईएआईआर) दुनिया भर के न्यायालयों से दिवाला विनियामक के सामूहिक अनुभवों और विशेषज्ञता को साथ लाता है। इसका उद्देश्य संपर्क और सहयोग को बढ़ावा देना और दिवाला विनियामक के बीच चर्चा के लिए मंच प्रदान करना और इस तरह, दिवाला मुद्दों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं की व्यापक समझ में योगदान देना और भिन्न–भिन्न विधिक, सामाजिक–आर्थिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और देशों के संस्थागत ढांचे जहां से सदस्य आते हैं, को प्रतिबिंबित करने वाले दृष्टिकोणों के विकास में योगदान देना है। आईबीबीआई को 11 जनवरी, 2018 को अपने 31 वें सदस्य के रूप में आईएआईआर में शामिल कर लिया गया।

मानव संसाधन

आईबीबीआई दो व्यवसायों के विकास और निर्माण की क्षमता के लिए जिम्मेदार है, अर्थात, दिवाला व्यवसाय और मूल्यांकन व्यावसाय। यह दिवाला समाधान के लिए बाजार को व्यावसायिक बनाने के लिए भी जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों के लिए आईबीबीआई को ज्ञान संगठन बनना आवश्यक है। आईबीबीआई का प्रयास रहा है कि वह सही प्रतिभाओं को आकर्षित करे, उन्हें कार्यों के लिए प्रशिक्षित करे, और उन्हें उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करे।

अनुसंधान एसोसिएट्स विनियमन

दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अनुसंधान एसोसिएट्स और परामर्शदाता की नियुक्ति) विनियमन, जो 30 जनवरी, 2017 को अधिसूचित किए गए थे, में अनुसंधान एसोसिएट्स और परामर्शदाता के कार्य, योग्यता, अनुभव और उनकी सेवा शर्तों का प्रावधान है। इन नियमों के अनुसार, आईबीबीआई ने अनुबंध के आधार पर अर्थशास्त्र, सार्वजनिक नीति, विधि और व्यवसाय प्रबंधन के विषयों के अनुसंधान एसोसिएट्स और परामर्शदाता को कार्य में लगाया। 31 मार्च, 2017 को इसके 7 शोध एसोसिएट्स / परामर्शदाता थे जो 31 मार्च, 2018 तक बढ़कर 19 हो गए।

कर्मचारी सेवा विनियमन

आईबीबीआई ने दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियमन, 2017 को 24 अगस्त, 2017 को अधिसूचित किया। ये नियम अधिकारियों, निजी सहायकों और सामान्य सहायकों की भर्ती, परिवीक्षा, अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति के लिए प्रदान करते हैं। बोर्ड ने सेबी और अन्य वित्तीय क्षेत्र नियामकों के बाद संरचना का पालन किया है। सारणी 45 कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों के लिए पात्रता का संक्षिप्त विवरण प्रदर्शित करती है।

सारणी 45

विभिन्न पदों के लिए पात्रता

स्थान	के लिए पात्रता			
	सीधी भर्ती	पदोन्नति (अगले निम्न ग्रेड में वर्षों की संख्या)	से प्रतिनियुक्ति पर	
			सरकारी ग्रेड वेतन	आरबीआई, बैंक, वित्तीय संस्थान, आदि (अधिकारी के रूप में वर्षों की संख्या)
कार्यकारी निदेशक	लागू नहीं	03	10,000 रुपये पीबी–4 में 8700 रुपये अथवा अधिक में 8 वर्ष	20

मुख्य महाप्रबंधक	लागू नहीं	03	पीबी–4 में 8700 रुपये अथवा अधिक में 3 वर्ष	17
महाप्रबंधक	लागू नहीं	03	8700 रुपये / 7600 रुपये अथवा अधिक में 3 वर्ष	14
उप– महाप्रबंधक	लागू नहीं	03	7600 रुपये / 6600रुपये अथवा अधिक में 3 वर्ष	11
सहायक महाप्रबंधक	लागू नहीं	03	6600 रुपये	08
प्रबंधक	लागू नहीं	03	5400 रुपये में 3 वर्ष	04
सहायक प्रबंधक	आयु: ≤ 28 वर्ष **योग्यता (अनिवार्य):** सीए / सीएस / सीएमए / एलएलबी / वित्त सहित एमबीए / अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर / एम. कॉम. / बी.टेक कंप्यूटर साइंस / कंप्यूटर इंजीनियरिंग / एमसीए	लागू नहीं	5400 रुपये/4600 रुपये में 2 वर्ष	02
सहायक ग्रेड– III	लागू नहीं	07	लागू नहीं	लागू नहीं
सहायक ग्रेड– II	लागू नहीं	07	लागू नहीं	लागू नहीं
सहायक ग्रेड– I	आयु: ≤ 27 वर्ष योग्यता : स्नातक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

कर्मचारियों के लिए मुआवजा

बोर्ड ने सेबी की तर्ज पर वेतन और लाभ अपनाने का फैसला किया है।

भर्ती

सारणी 46 में कर्मचारियों के वास्तविक संख्या बल की तुलना में अनुमोदित संख्याबल को 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार दर्शाया गया है।

सारणी 46

आईबीबीआई के कर्मचारी

पद	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार वास्तविक संख्या बल	31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार अनुमोदित संख्या बल	वास्तविक संख्या बल	
			31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	भर्ती का तरीका
कार्यकारी निदेशक	00	04	03	प्रतिनियुक्ति और द्वितीकरण
महाप्रबंधक / मुख्य–महाप्रबंधक	01	12	03	प्रतिनियुक्ति और द्वितीकरण
सहायक महाप्रबंधक / उप–महाप्रबंधक	05	12	07	प्रतिनियुक्ति और द्वितीकरण
प्रबंधक / सहायक प्रबंधक	00	24	00	लागू नहीं
सहायक अनुभाग अधिकारी	01	10	02	प्रतिनियुक्ति
सहायक	00		00	–
कुल	**07**	**62**	**15**	–

2017–18 के दौरान तीन कार्यकारी निदेशक निम्नानुसार बोर्ड में शामिल हुए :

(क) डॉ. (सुश्री) ममता सूरी, जो आईआरडीएआई में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थीं, ने 16 अगस्त, 2017 को कार्यभार ग्रहण किया;

(ख) श्री रितेश कावडिया, भारतीय दूरसंचार सेवा अधिकारी, जो आईबीबीआई में दूसरी बार मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सेवारत थे, ने 1 फरवरी, 2018 को कार्यभार ग्रहण कियाः तथा

(ग) विधायी विभाग में संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता के रूप में सेवा दे रहे भारतीय विधिक सेवा अधिकारी श्री के.आर.सजी कुमार, ने 9 फरवरी, 2018 को कार्यभार ग्रहण किया।

आईबीबीआई ने वरिष्ठ स्तर पर अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेना जारी रखा। इसने ग्रेड 'ए' के 18 अधिकारियों के पहले बैच की भर्ती नियमों के अनुसार शुरू की।

इंटर्नशिप दिशानिर्देश

आईबीबीआई इंटर्नशिप दिशानिर्देश, 2017 को 16 अगस्त, 2017 को अधिसूचित किया गया है। यह उन छात्रों को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करता है जो दिवाला, परिसमापन, शोधन अक्षमता या किसी अन्य संबंधित क्षेत्र में वृत्तिक कैरियर बनाने की इच्छा रखते हैं। छात्र जो अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त, प्रबंधन, या विधि में पांच वर्षीय या तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रहे हैं, और इस तरह के डिग्री पाठ्यक्रम या स्नातकोत्तर के बाद के वर्ष या चरण को पूरा कर चुके हैं या एम.फिल / अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त, प्रबंधन, या विधि में पीएचडी पाठ्यक्रम करने वाले छात्र, आईबीबीआई के साथ प्रशिक्षु के रूप में शामिल होने के लिए पात्र हैं। 2017–18 के दौरान, छह छात्रों ने आईबीबीआई में इंटर्नशिप की।

परिदान रूपरेखा

राजभाषा

आईबीबीआई ने वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया ताकि हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में लोकप्रिय बनाया जा सके और शासकीय कार्यों में इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। इसने हिंदी और अंग्रेजी के सभी नियमों को एक साथ अधिसूचित किया। यह अपने कर्मचारियों को सरकारी कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

संगठन ढांचा

शासी बोर्ड ने 16 जनवरी, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में, संगठन ढांचे को स्वीकृति दी, जिसमें तीन खंड, अर्थात् अनुसंधान और विनियमन खंड को अर्ध–विधायी कार्य करने के लिए पंजीकरण और मॉनिटरिंग खंड कार्यकारी कार्य करने के लिए और प्रशासनिक विधि खंड अर्ध–न्यायिक कार्य करने के लिए बनाए गए। ये तीन खंड अलग–अलग पूर्णकालिक सदस्य के नेतृत्व में कार्य करते हैं ताकि शक्तियों के व्यापक पृथक्करण को सुनिश्चित किया जा सके।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

संहिता बोर्ड को नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर बोर्ड के किसी भी सदस्य या अधिकारी को अपनी शक्तियों और कार्यों को सौंपने में सक्षम बनाती है। 24 जनवरी, 2017 को जारी किया गया प्रत्यायोजन आदेश, उस अधिकारी के स्तर को निर्दिष्ट करता है जिसने किसी मामले को निपटाने के लिए प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर दिया है। हालांकि, अधिकारी को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग और कार्य रिपोर्टिंग पदानुक्रम में उससे उच्च श्रेणी के अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए।

सरकार द्वारा 18 अक्टूबर, 2017 को मूल्यांकक नियम अधिसूचित किए गए। 23 अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना द्वारा एमसीए ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 247 और मूल्यांकक नियमों के अधीन अपनी शक्तियों और कार्यों को आईबीबीआई को उक्त नियमों के अधीन प्राधिकरण के रूप में प्रत्यायोजित किया। प्रत्यायोजन आदेश 01 दिसंबर, 2017 को संशोधित किया गया ताकि मूल्यांकक नियमों के अधीन मामलों के निपटान के लिए अधिकारियों को उपलब्ध कराया जा सके। इन्हें 7 दिसंबर, 2017 को अधिसूचित किए गए शिकायत विनियमनों के अधीन और संबंधित मामलों से निपटने के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए 15 मार्च, 2018 को और संशोधित किया गया था।

कार्यनीतिक बैठक

कार्यनीतिक योजना दिशा की भावना प्रदान करती है और संगठन के लिए मापने योग्य लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करती है। यह साझा दृष्टि बनाने, प्राथमिकताओं को सेट करने, प्राथमिकता क्षेत्रों पर ऊर्जा और संसाधनों को केंद्रित करने और वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट कार्यों और उप–क्रियाओं को रेखांकित करने में मदद करती है। उपरोक्त उद्देश्यों के साथ, आईबीबीआई ने 21–22 जुलाई, 2017 को टीईआरआई रिट्रीट सेंटर, गुरुग्राम में 2017–18 की शेष अवधि के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपनी पहली वार्षिक कार्यनीतिक बैठक आयोजित की। इसने 2018–19 के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए एनआईएफएम, फरीदाबाद में 29–30 मार्च, 2018 को दूसरी कार्यनीतिक बैठक आयोजित की।

संसदीय समिति

डॉ. एम.एस. साहू, अध्यक्ष, तीनों पूर्णकालिक सदस्य, सुश्री सुमन सक्सेना, डॉ. नवरंग सैनी और डॉ. (सुश्री) मुकुलिता विजयवर्गीय के साथ 22 जनवरी, 2018 को शक्तीय और समाधान और जमा बीमा विधेयक, 2017' संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष उपस्थित हुए और उक्त विधेयक पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

एनआईएफएम में 29–30 मार्च, 2018 को कार्यनीतिक बैठक

क्षमता निर्माण

आईबीबीआई का लगातार प्रयास है कि ये दिवाला और शोधन अक्षमता के गतिशील क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ाए। इसने इस उद्देश्य के लिए बहु–आयामी कार्यनीति अपनाई है।

प्रतिष्ठित व्याख्यान अंकमाला

आईबीबीआई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अपने विचार साझा करने और आईबीबीआई के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए आमंत्रित करता है। सारणी 47 में 2017–18 के दौरान उनके द्वारा दिए गए व्याख्यानों का विवरण दर्शाया गया है।

सारणी 47

2017–18 में दिये गए प्रतिष्ठित व्यख्यान

क्र.सं.	तारीख	व्याख्याता का नाम	पद / संगठन	विषय
1	26.04.17	श्री संजीव सान्याल	प्रधान आर्थिक परामर्शदाता, एमओएफ	व्यष्टिक दिवाला
2	27.04.17	श्री न्यायमूर्ति कन्नन रमेश	जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ सिंगापुर	सिंगापुर में दिवाला विधि सुधार
3	27.04.17	श्री एडम हैरिस	अध्यक्ष, आईएनएसओएल इंटरनेशनल	आईएनएसओएल इंटरनेशनल की भूमिका
4	10.05.17	डॉ. जैमिनी भगवती	प्रोफेसर, आईसीआरआईईआर और यूके में पूर्व उच्चायुक्त	क्रॉस बॉर्डर दिवाला
5	06.06.17	डॉ. अजय शाह	प्रोफेसर, एनआईपीएफपी	आईबीसी के कार्यान्वयन के निष्पादनध्परिणामों का मापन
6	05.07.17	श्री अरुण मैरा	प्रबंधन परामर्शदाता और पूर्व सदस्य, योजना आयोग	कार्यनीतिक कार्य योजना का विकास करना
7	13.07.17	डॉ. बिबेक देबरॉय	सदस्य, नीति आयोग	जारी विधिक सुधार
8	21.07.17	श्री पी.पी. चौधरी	विधि और न्याय और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	आईबीबीआई का निर्माण
9	27.12.17	न्यायमूर्ति एम.एम. कुमार	अध्यक्ष, एनसीएलटी	दिवाला न्यायशास्त्र का विकास
10	01.02.18	डॉ. सुश्री पूनम सहगल	प्रबंधन परामर्शदाता और ट्रेनर	टीम बिल्डिंग और लीडरशिप

11	27.02.18	डॉ. ज्ञान रंजन परीजा	प्रबंधक, एनलिटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन रिसर्च, आईबीएम रिसर्च – भारत	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचौन एंड कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी
12	01.03.18	डॉ. ओंकार गोस्वामी	अध्यक्ष, सीईआरजी एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड	आईबीसी के कार्यान्वयन में चुनौतियां
13	25.03.18	डॉ. रंजन कुमार बाल	प्रोफेसर, उत्कल विश्वविद्यालय	समय प्रबंधन
14	27.03.18	डॉ. अरुण त्रिपाठी	प्रोफेसर, प्रबंधन विकास संस्थान	एक नियामक संगठन के लिए कार्यनीति
15	29.03.18	श्री सुमंत बत्रा	दिवाला अधिवक्ता और आईएनएसओएल इंटरनेशनल के पूर्व अध्यक्ष	आईबीसी कार्यान्वयन के बारे में वास्तविकता जाँच
16	30.03.18	श्री यू.के. सिन्हा	पूर्व अध्यक्ष, सेबी	नियामक, विनियमन और नियामक चुनौतियां

प्रशिक्षण कार्यक्रम

सारणी 48 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत किया गया है जहां आईबीबीआई अधिकारियों ने दिवाला और शोधन अक्षमता के क्षेत्र में अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाग लिया था। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने के लिए, कुछ अधिकारियों को विदेश में अध्ययन दौरे पर भेजा गया था। इसके अतिरिक्त, हितधारकों द्वारा आयोजित कई सेमिनारों/सम्मेलनों में भाग लेने के लिए अधिकारियों को नामित किया गया था।

सारणी 48

आईबीबीआई के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं०	माह	प्रकार	स्थान	प्रशिक्षण प्रदाता	प्रशिक्षण का क्षेत्राधिकार	अधिकारियों की संख्या
1	मई, 2017	प्रशिक्षण	फरीदाबाद	एनआईएफएम	प्रबंधन विकास	03
2	अगस्त, 2017	प्रशिक्षण	सिंगापुर	द लॉ सोसायटी ऑफ सिंगापुर	सिंगापुर इन्सोल्वेंसी कॉन्फ्रेंस, 2017	02
3	नवंबर, 2017	प्रशिक्षण	कुआला लम्पुर, मलेशिया	विश्व बैंक	बीएनएम–डब्ल्यूबीजी क्रेडिट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम	02
4	सितम्बर, 2017	प्रशिक्षण	फरीदाबाद	एनआईएफएम	सार्वजनिक प्रबंधन वित्तीय प्रणाली	01
5	सितंबर, 2017	अध्ययन भ्रमण	यूनाइटेड किंगडम	इंसोल्वेंसी सर्विसेज, यूके	यूके दिवाला रिजीम	03
6	अक्टूबर, 2017	अध्ययन भ्रमण	ऑस्ट्रेलिया	ऑस्ट्रेलियाई री–स्ट्रक्चरिंग इन्सोल्वेंसी एंड टर्नअराउंड एसोसिएशन	आस्ट्रेलियन दिवाला रिजीम	02
7	फरवरी, 2018	कार्यशाला	नई दिल्ली	आईबीबीआई	अधिकारियों के लिए प्रवेश कार्यशाला	30
8	फरवरी, 2018	कार्यशाला	नई दिल्ली	दिवाला सर्विसेज, यूके	बेस्ट प्रैक्टिस इन दिवाला	05
9	फरवरी, 2018	कार्यशाला	यूनाइटेड किंगडम	ब्रिटिश उच्चायोग	यूके दिवाला रिजीम	03

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सहयोग

आरबीआई और आईबीबीआई ने त्वरित और कुशल समाधान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक–दूसरे की सहायता और सहयोग करने के लिए 12 मार्च, 2018 को समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसमें (क) सूचना और संसाधनों का दूसरे के साथ साझा करना; (ख) आपसी हित के मामलों पर चर्चा करने के लिए संलिप्त; (ग) सामूहिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए दूसरे पक्ष के मिशन के बारे में प्रत्येक पक्ष की समझ बढ़ाने के लिए कर्मचारियों का क्रॉस–प्रशिक्षण; (घ) दिवाला वृत्तिकों और वित्तीय लेनदारों का क्षमता निर्माण करना; (ङ) संहिता के उपबंधों के अधीन संकट में विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं की तीव्र दिवाला समाधान प्रक्रिया के महत्व और आवश्यकता के बारे में वित्तीय लेनदारों के बीच जागरूकता के स्तर को बढ़ाने की दिशा में संयुक्त प्रयास करना; आदि शामिल हैं।

सूचान प्रौद्योगिकी

आईबीबीआई आधुनिक युग का नियामक है। दक्षता और पारदर्शिता के हित में, इसने अपनी स्थापना के बाद से अपनी सेवाओं के वितरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना शुरू कर दिया। इस संबंध में की गई महत्वपूर्ण पहल इस प्रकार हैं :

वेबसाइट : आईबीबीआई ने डोमेन नाम **www.ibbi.gov.in** पंजीकृत किया और नवंबर, 2016 में अपनी गतिविधियों के प्रसार के लिए वेबसाइट शुरू की। इसने संहिता के अधीन सेवाप्रदाताओं, नियामक ढांचे, जांच, न्यायालयों और अधिकरणों के आदेशों, बोर्ड और अनुशासनात्मक समिति द्वारा पारित आदेश, आदि के बारे में विवरण प्रसारित करने के लिए इसके पैमाने को शीघ्र बढ़ाया। यह समय पर निर्णय लेने की सुविधा के लिए संहिता के अधीन विभिन्न प्रक्रियाओं का विवरण हितधारकों को प्रदान करता है।

ऑनलाइन परीक्षा : अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अध्यधीन, व्यक्ति दिवाला वृत्तिकों के रूप में पंजीकृत होने के योग्य है यदि उसने परीक्षा उत्तीर्ण की है। आईबीबीआई ने 31 दिसंबर, 2016 से आईटी सक्षम परीक्षा शुरू की। यह परीक्षा देशभर के कई स्थानों से दैनिक आधार पर ऑनलाइन निष्पादित की जाती है। इसी तरह, मूल्यांकक के रूप में पंजीकृत होने के लिए, किसी को संबंधित आस्ति श्रेणी की मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। आईबीबीआई ने 31 मार्च, 2018 से मूल्यांकक नियमों के अधीन तीन आस्ति श्रेणियों अर्थात् भूमि और भवन, संयंत्र और मशीनरी, प्रतिभूति या वित्तीय आस्तियों के लिए आईटी सक्षम परीक्षा आयोजित की। पंजीकरण, भुगतान, नामांकन, प्रश्न–पत्र तैयार करने और मूल्यांकन सहित पूरी प्रक्रिया स्वचालित है।

ऑनलाइन पंजीकरण : आवेदन जमा करना और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना सहित दिवाला वृत्तिकों के रूप में पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया स्वचालित है। आईबीबीआई ऑनलाइन आवेदन के साथ–साथ संबंधित दिवाला वृत्तिकों के रूप में पंजीकरण शुल्क के भुगतान और अनुदान पंजीकरण के लिए शुल्क ऑनलाइन स्वीकार करता है। जैसे ही वह पंजीकृत होता है, पंजीकृत दिवाला वृत्तिकों का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाता है।

सार्वजनिक परामर्श : यह आईबीबीआई का प्रयास रहा है कि वह विनियमन बनाने के लिए पारदर्शी और परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से हितधारकों के साथ प्रभावी रूप से जुड़ सके। यह अपनी वेबसाइट पर मसौदा विनियमन अपलोड करता है जो टिप्पणियों और सुझावों को प्राप्त करने और संसाधित करने के लिए संरचित इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफोर्म प्रदान करता है। यह मौजूदा नियामक ढांचे पर टिप्पणियों और सुझावों की क्राउड सोर्सिंग के लिए संरचित इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफोर्म भी प्रदान करता है।

डेटाबेस तक पहुंच : दिवाला वृत्तिक को अंतरिम समाधान वृत्तिक, समाधान वृत्तिक या परिसमापक के रूप में केवल तभी जब उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित न हो, नियुक्त किया जा सकता है, चाहे सीआईआरपी के संबंध में आवेदक या सीओसी द्वारा प्रस्तावित किया गया हो। न्यायनिर्णयन प्राधिकारी आईबीबीआई को इसकी जांच करने के लिए संदर्भ भेजता है कि दिवाला वृत्तिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है या नहीं, और आईपी पर न्यायनिर्णयन प्राधिकरण तक पहुँचने के लिए प्रतिक्रिया के लिए इसमें काफी समय लगेगा। यह देखते हुए कि समय संहिता का सार है, आईबीबीआई ने न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को दिवाला वृत्तिक के लाइव डेटाबेस तक पहुंच प्रदान की है जो न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को तुरंत दिवाला वृत्तिक नियुक्त करने में सक्षम बनाता है और परिणामस्वरूप तीव्र निपटान सुनिश्चित करता है।

नागरिक सेवाएं : आईबीबीआई आरटीआई अधिनियम, 2005 के अधीन ऑनलाइन आवेदन और अपील का निपटान करता है। यह सीपीजीआरएएमएस पर ऑनलाइन प्राप्त होने वाली शिकायतों से भी निपटता है। यह पारदर्शी और जवाबदेह खरीद के लिए सरकारी ई–मार्केटप्लेस का उपयोग करता है।

परिसर

आईबीबीआई ने 7वां तल, मयूर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली से कार्य करना जारी रखा। परिसर के लिए इसकी बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए, एमसीए ने जीवन विहार, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली में आईबीबीआई को द्वितीय तल आवंटित किया। नवीकरण पूरा होने पर आईबीबीआई उक्त स्थान का अधिग्रहण कर लेगा।

सूचना का अधिकार

आईबीबीआई अपने कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए, विनियमनों, परिपत्रों और न्यायनिर्णयन तथा सेवा प्रदाताओं के विवरण और संहिता के अधीन प्रक्रियाओं को अपनी वेबसाइट पर प्रकट करता है। इसने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम) की धारा 4 के अधीन किसी भी नागरिक को उस पर दिए गए आवेदन के

बारे में जानकारी प्रदान करने के अतिरिक्त निर्धारित प्रकटीकरण किए हैं।

आईबीबीआई ने सुश्री रंजीता दुबे को पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। इसने सुश्री अनिता कुलश्रेष्ठ, उप–महाप्रबंधक को आरटीआई अधिनियम की जानकारी प्रदान करने के लिए आरटीआई अधिनियम की धारा 2(ज) के अधीन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया। इसने आरटीआई अधिनियम की धारा 19 (1) के अधीन सीपीआईओ के आदेशों के विरुद्ध अपील के निपटान के लिए डॉ. (सुश्री) मुकुलिता विजयवर्गीय को प्रथम अपीलीय अधिकारी (न्यायनिर्णयन प्राधिकारी) के रूप में नामित किया। सारणी 49 में 2017 –18 के दौरान, आरटीआई अधिनियम के अधीन आवेदनों की प्राप्ति और निपटान और प्रथम अपीलों का विवरण प्रस्तुत है।

सारणी 49

2017–18 में आवेदन और अपील की प्राप्ति और निपटान

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1	आरटीआई अधिनियम के अधीन सीपीआईओ से सूचना मांगने वाले आवेदन	74
2	आवेदन जिनके लिए सीपीआईओ द्वारा जानकारी प्रदान की गई है	65
3	सीपीआईओ के पास लंबित आवेदन	9
4	पहले न्यायनिर्णयन प्राधिकारी से पहले सीपीआईओ के आदेश के विरुद्ध अपील	5
5	न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा निपटाई गई अपील	5
6	न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के पास लंबित अपील	0
7	निर्धारित समय सीमा में आवेदन अपील का निस्तारण नहीं किया गया	0

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India

7वीं मंजिल, मयूर भवन
शंकर मार्किट, कनॉट सर्कस
नई दिल्ली - 110 001